

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

G20
भारत 2023 INDIA

स्वच्छ
भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

59th वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 1965-2023 2022-23

सी सी आई

CCI

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

Cement Corporation of India Limited

(A Govt. of India Enterprise)

PRESENCE OF CCI



CONTENTS

CORPORATE OVERVIEW

Board of Directors	03
CCI- Journey to Remember	05
Year At Glance 2022-23	06
Progress report for FY 2022-23	10



FINANCIAL STATEMENTS

Financial Statements 2022-23	78
Cash Flow Statement	80
C&AG Comments and Management Replies	121



STATUTORY REPORTS

Chairman Speech	13
Directors' Report	15
Management Discussion & Analysis	51
Corporate Governance	54
Secretarial Audit Report	61
Auditor's Report	65



ADDITIONAL INFORMATIONS


Our Employees – Our Greatest Assets	126
Salient Features of Our Units	129

REFERENCE INFORMATIONS



Audit Committee

Dr. Ravindra Shivshankar Arali (Chairman)
Dr. Manju Baghel (Member)
Shri Joseph Atul T. Barla (Member)



CSR Committee

Dr. Ravindra Shivshankar Arali (Chairman)
Dr. Manju Baghel (Member)
Shri Joseph Atul T. Barla (Member)



Remuneration Committee

Dr. Manju Baghel (Chairperson)
Dr. Ravindra Shivshankar Arali (Member)
Shri Joseph Atul T. Barla (Member)



Statutory Auditors

M/s Mahalwala & Co. (Statutory & Principle Auditor)
M/s J S Sundaram & Co. (Branch Auditor)
M/s K.P. Sarda & Co. (Branch Auditor)
M/s Amit Agrawal & Associates (Secretarial Auditor)



Cost Auditors

M/s HMVN & Associates (Principle Auditor)
M/s PKR & Associates LLP.
M/s Bandyopadhyaya Bhaumik & Co.

Bankers:-



BOARD OF DIRECTORS



Shri Sanjay Banga
Chairman & Managing Director



Ms. Mukta Shekhar
Govt. Nominee Director
Joint Secretary, MHI



Shri Joseph Atul T. Barla
Govt. Nominee Director,
Director, MHI



Shri Pradeep Kumar Chand
Director (Finance)



Dr. Ravindra Shivshankar Arali
Independent Director



Dr. Manju Baghel
Independent Director



Shri Ajay Kumar Sharma
Company Secretary

as on date of AGM

KEY FUNCTIONARIES



Shri Nijamuddin, ITS
Chief Vigilance Officer



Shri. Vivek Kumar
Executive Director



Shri. B.M. Mahana
General Manager (Tandur)



Shri. Jogeshwar Behera
General Manager (Rajban)



Shri Sharad Kumar
General Manager (Bokajan)



Shri. C B Jaggi
General Manager (HR)



Shri Alok Shukla
Addl. GM (Mktg.)



Shri Arbind Upadhyay
Senior Manager (Fin.)

Cement Corporation of India Limited

A Journey to Remember

1965

CCI was incorporated as wholly owned Government of India Enterprise on 18.01.1965 with the principal objective of achieving self sufficiency in Cement production.



1970-96

First plant was commissioned on 19.07.1970 in Mandhar. CCI commissioned total of 11 units till 1990 in different states mainly Chhattisgarh, Assam, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Telangana, Karnatka and Delhi with total capacity of 38.48 LMT p.a.



1996-06

Declared SICK on 08.08.1996 u/s 3 (1) (o) of SICA Act, 1985. Hon'ble BIFR on 21.03.2006, approved closure of 7 Non operating units (NOU's) and Expansion/Modernization of 3 operating units.



2006-15

After receipt of Govt./Ministry support, VRS/VSS was invited and regular employee strength of CCI was reduced from 1570 to 813. A New journey of CCI commenced with an installed capacity of 14.46 LMT p.a. with 3 operating plants in Rajban, Bokajan and Tandur.



2015-20

Post revival, CCI have been running in profit but production & profit started declining after F.Y. 15-16. In F.Y. 19-20 the cement production went down to 5.84 LMT p.a. with lowest turnover of ₹247.62 Cr. Post revival, the company suffered first time loss of ₹50.94 Cr with negative Net Worth of ₹22.09 Cr.





2020-23

CCI fought back instilling a new confidence among its employees. In 20-21 when whole country was fighting COVID-19 & cement industry witnessed a de-growth of 10-12%, CCI cement production grew by 53% at 8.93 LMT p.a. with a profit of ₹13.15 Cr as against the loss of ₹50.94 Cr in previous year. The loss in Bokajan unit reduced from ₹6.68 Cr in F.Y. 20-21 to loss of ₹1.83 Cr in F.Y. 21-22 and transformed to profit of ₹4.31 Cr in FY 22-23. Similarly loss in Rajban unit reduced from ₹23.42 Cr in 20-21 to ₹2.62 Cr in 21-22 and further transformed to a profit of ₹6.05 Cr in 22-23. The PAT of CCI increased from ₹13.15 Cr in F.Y. 20-21 to ₹40.20 Cr in 21-22 and jumped further to highest ever profit of ₹95.29 Cr in 22-23. The 3 years Average production of CCI went up by 34% from 6.57 LMT p.a. in F.Y. 17-20 to 8.78 LMT p.a. in F.Y. 20-23. The carried forward losses as per MAT provisions of I.T. Act, 1961 of ₹151.86 Cr as on 31.03.2020 were completely wiped off in 3 years and the negative net worth of (-) ₹22.09 Cr as on 31.03.2020 was transformed to highest ever positive net worth of ₹126.56 Cr in F.Y. 2022-23.






YEAR AT A GLANCE: 2022-23




YEAR AT A GLANCE: 2022-23

↑ 309.68 % YOY





↑ 18.28 % YOY







YEAR AT A GLANCE: 2022-23



YEAR AT A GLANCE: 2022-23



Progress Report for FY 2022-23

1. Environment Protection/Pollution Control

- Installation of Pulse Jet Bag Filter (PJBF) in Rajban and Bokajan Unit and execution work is being also taken up in both the unit for Reducing the Air Pollution.
- The Fly ash handling system is taken up at Tandur Unit and is under execution. This shall reduce the carbon emission and also reduce the cost of production by ~ 5%.



2. Green Energy/Cost Reduction

- The Project of 1 MW Solar Plant with Zero cost model was taken up in Rajban Unit. This Will assure Power at Fixed rate of Rs. 4.70/unit for next 25 years.
- MOU signed with NRVNL for 6 MW Solar Project at Tandur Unit. Tender invited by NRVNL.



Shri Sanjay Banga, Chairman & Managing Director, planting a sapling in connection with the observance of World Environment Day at Corporate Office and Units

Progress Report for FY 2022-23

3. Monetization of Assets of NOU (In Compliance of MHI Order)

- The Asset Monetization of Plant & Machinery at Charkhi Dadri, Haryana is concluded for Rs. 34.92 Cr.
- The Asset Monetization of Plant & Machinery at Akaltara, Chattisgarh is concluded for Rs. 57.50 Cr.
- Rs. 92.42 Cr. of NOU units gross assets were monetized in FY 2022-23



4. Additional Revenue Generation and Realization of Long Pending Dues/claims of CCI

- Permission granted by State Govt. of Himachal Pradesh for sale of 1 Lakh MT p.a. limestone at Rajban Unit.
- The proposal of setting up quick lime plant at Rajban is under Consideration.
- Long pending dues of Rs. 1.07 Cr. from M/S India cement ltd. Realised.
- Income tax claim disallowing Rs. 2.32 Cr. of depreciation expense was decided in favor of corporation in FY 2022-23.

CHAIRMAN SPEECH AT THE 59TH ANNUAL GENERAL MEETING



Dear Shareholders,

I have the pleasure in welcoming you all on behalf of the Board of Directors to the 59th Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your august presence in this meeting goes on to underline your support and interest in the Company's endeavour; and I am thankful to everyone.

The Annual Accounts of the Company for the year ended 31st March, 2023 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

Performance Highlights

CCI is the only Central Public Sector Undertaking involved in the manufacture and sale of cement in an otherwise highly competitive industry. Your company worked on its inherent strengths to mitigate the challenges.

i) The annual cement production during the year 2022-23 was 8.68 lac MT as against 8.72 lakhs MT

during the previous year 2021-22 with cement sales of 8.64 lac MT during the year 2022-23.

- ii) The Company achieved the highest turnover of Rs 440.31 crores of the last 3 decades during FY 22-23. It also reported Profit After Tax (PAT) of Rs 95.29 crore which is highest during the last three decades. The Gross total income of the Company grew to Rs 557.19 crore which is also the highest in the entire CCI history of more than 4 decades.
- iii) A Company once declared sick and referred to BIFR has completely transformed with all its operating units reporting profit after more than a decade. Against the negative net worth of (-) 22.09 Crore as on 31.03.2020, the company has reported the highest ever positive net worth of (+) 126.56 crores as on 31.03.2023. Assets worth Rs 92.42 crore of Non-operating units, (closed since 1996) which remained idle for the last 30 years, were also monetized during the financial year.
- iv) Even without any capacity addition, the annual average cement production of the last three



financial years i.e. from FY 2020-2023 went up by 34% as compared to corresponding period of the previous three financial years i.e. 2017-2020. On operational efficiency side also the power consumption per ton of cement was reduced by ~5%.

Human Resource Development

Human Resource Development of the company has played a pivotal role. The increased profitability of Your Company can be significantly attributed to increase in productivity by 20% from Rs 93 lac/employee in 21-22 to Rs 110 lac per employee in 22-23. CCI always strives to create impactful work culture by engaging and motivating employees at all levels to achieve higher productivity keeping in view the Mission and Vision of the Corporation.

CCI has streamlined various processes such as Recruitment and Online Performance Management System with the objective to ease out the process of reaching out to candidates rapidly, as compared to the tedious physical recruitment process as well as to eliminate the time consuming manual appraisal letters.

In the year 2022-23, with the objective to cultivate a jovial workplace, improve focus & energy and boost productivity across offices/ units of CCI, the Human Resource Department of CCI commemorated Azadi ka Amrit Mahotsav and organized various team building activities, Health awareness session, Medical Camp, Cleanliness drive (Swachhta Pakhwada), Sports activities, Yoga Day, National Unity Day, Safety week, World Environment Day etc.

As per guidelines issued by DPE vide OM No. W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017, OM No W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIV/17 dated 04.08.2017 and OM No. W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XVI/17 dated 07.09.2017 on Pay Revision of Board Level and below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of CPSEs w.e.f. 01.01.2017, MHI has issued presidential directives on 01.09.2023 to implement pay revision notionally effective from 01.01.2017 and actually with effect from 01.04.2023. The implementation of said order is under process.

Corporate Social Responsibility

The CSR Policy was approved by the Board and the policy is being implemented at the Corporation in

Cement Corporation of India Limited

accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Government from time to time.

Corporate Governance

The Company believes that ethical and transparent business practices with all stakeholders of the company is key to adhering to the norms of Corporate Governance. Your company reiterates its commitment to pursue the same. I feel elated to inform you, that Your Company is consistent in achieving excellent rating in respect of Corporate Governance. Independent External Monitors (IEM) has been appointed to oversee and resolve any grievance arising out of any tender floated by the company with value more than prescribed limit. I would like to draw your attention to the Directors' Report, where a separate section under Corporate Governance is included.

Acknowledgement

Your continued support and confidence inspires in pursuing new endeavours for excellence and I, on behalf of Board of Directors of your Company, wish to place on record our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Ministry of Heavy Industries for their guidance and support in all our pursuits.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued support to the products of CCI.

I also acknowledge and feel grateful for the overwhelming support of Government of India, State Governments, CAG, our Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, of Audit, Industry & Corporate Affairs and all other Authorities and Agencies.

Last but not the least, I would convey my appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you all again,
Jai Hind,

Sd/
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director

Date : 29th September, 2023
Place: New Delhi

DIRECTORS' REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 59th Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31st March, 2023, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

1. FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance for the year 2022-23 along with previous year's figures are given below:

Sl. No.	PARTICULARS	For the year ended 2022-23	For the year ended 2021-22
1	Net Income from Operation	440.72	418.87
2	Other Income	34.72	37.04
3	Total Expenses other than depreciation and interest	451.87	405.97
4	Exceptional Income/(Expenses)	81.75	0.00
5	PBDIT	105.32	49.94
6	Less: Finance Cost	0.00	0.00
7	PBDT	105.32	49.94
8	Less: Depreciation	10.03	9.74
9	Profit/(Loss) before Tax	95.29	40.20
10	Less: Income Tax	0.00	0.00
11	Net Profit after Tax	95.29	40.20

1.1 Corporation has earned a net profit of Rs. 95.29 crores during the year 2022-23 as against net profit of Rs. 40.20 crores during the previous year. The cement production during the year is 8.68 lakhs MT as against 8.72 lakhs MT during the previous year.

2. DIVIDEND

Company has accumulated losses. Accordingly, no dividend will be declared for the financial year 2022-23.

3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of Business operations done during the year 2022-23:-

A. OPERATIONS

Performance of Units –

The Capacity utilization of Cement (%), Clinker Production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of Cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

Description	UOM	Bokajan		Rajban		Tandur		Total Operating Plants	
		21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
Capacity Utilization of Cement	%	54.70	65.57	52.20	63.19	63.40	58.16	60.30	60.04
Cement Production	MT	108270	129830	129520	156725	634180	581640	871970	868195
Dispatch	MT	108354	129031	130029	153615	624909	581913	863292	864559

The status of projects are mentioned below:

a) Status of Bokajan Expansion Project

A Work Order for expansion of Bokajan unit to 1200 TPD on 24.09.2010 was placed on M/s Promac Engineering Industries Ltd. (Promac), Bangalore vide Work Order No. 46/10/6(6)/10-MMO/196 dated 30.09.2010 at value of Rs.142.40 crores with the completion period of 18 months. The Project languished for about 7 years. On 06.03.2019, CCI terminated the Contract with M/s Promac.

The matter is in arbitration with Arbitral Tribunal.

b) Status of Silchar Grinding Unit

A Work Order No.47/10/6(7)/10-MMO/206 dated 30.09.2010 was issued to M/s Promac Engineering Industries Ltd. (Promac) for setting up of 50 TPH Cement Grinding Unit at Silchar (Assam) on Turnkey Basis at value of Rs.39.68 crores with the completion period of 12 months.

On breach of contractual obligations, the W.O. was terminated by CCI.

The matter is in arbitration with Arbitral Tribunal.

Land Data of Non-Operating Units:

Total Land area of Non-operating Units including CCI's Pvt Land, Govt Lease Land, Pvt Lease Land & other is as under:

S. No.	Unit	Free Hold	Lease Hold			Other	Total * (Acres)
			Govt.	Pvt.	Total		
1	Mandhar	656.060	290.010	00.0	290.010	39.340	985.410
2	Nayagaon	568.656	789.687	00.0	789.687	65.738	1424.081
3	Adilabad	772.970	36.330	1513.560	1549.890	0.00	2322.860
4	Akaltara	212.000	385.500	462.120	847.620	433.850	1493.470
5	Kurkunta	460.740	360.350	0.00	360.350	105.700	926.790
6	Charkhi Dadri	206.313	0.00	0.00	0.00	0.00	206.313
7	Bhatinda	20.240	0.00	0.00	0.00	10.120	30.360
	Total	2896.979			3837.557	654.748	7389.284

Remarks: The actual area of the land may vary as the same is subject to up-dation of land records and demarcation by Revenue Department of the State Government as per the local Land Revenue laws and outcome of court cases.

B. PROFITABILITY

The company has earned a net profit of Rs. 95.29 Crores during the year 2022-23 as against the net profit of Rs. 40.20 crores in the previous year.



Review of CPSEs Annual Performance for FY 2022-23 by Hon'ble Minister (Heavy Industries), Dr. Mahendra Nath Pandey and Secretary (Heavy Industries) Shri. Kamran Rizvi at Vigyan Bahawan, New Delhi



Review of CPSEs Annual Performance for FY 2022-23 by Hon'ble Minister (Heavy Industries), Dr. Mahendra Nath Pandey and Secretary (Heavy Industries) Shri. Kamran Rizvi at Vigyan Bahawan, New Delhi





Review of CCI by Hon'ble Minister (Heavy Industries),
Dr. Mahendra Nath Pandey at Hyderabad

4. CAPITAL STRUCTURE

The Corporation has not received any amount as equity from Government of India during the Financial year and company's share capital at the end of the year stood at Rs. 811.41 crore; consisting of paid up Equity share capital of Rs. 455.98 crores and paid up Non-cumulative redeemable preference shares of Rs. 355.43 crores.

5. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

CCI at its 58 years of existence has consistently valued employees, its greatest asset. Manning the company are around 386 regular employees and

1228 contractual staff possessing a variety of skills, qualifications and competence. CCIL believes that employee development is the key for overall growth of the organization. The company has been making sustained efforts through various skill development programmes with focus on knowledge and technology in association with other premier institutes and preparing employees for tomorrow.

CCI being one of the major CPSE under Ministry of Heavy Industries (MoHI) also participated in a Study Visit on Committee of Public Undertaking for discussion on Human Resource Management in CPSUs.



CCIs participation in a Study Visit on Committee of Public Undertakings

6. INDUSTRIAL RELATIONS:

The company fostered a conducive and amiable Industrial Relations climate during the FY 2022-23. CCI also adhered to all applicable labour laws, in line with the government guidelines leading to

zero man-days loss on account of labour disputes. CCI has a sound practice of resolving issues in a structured manner through interacting and discussing with trade unions and employees at different levels.



Review of Rajban Unit by Independent Director

7. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

In today’s evolving world of Automation and Artificial Intelligence, work is more of an experience, an experience that organisations can create for its workforce. There is a paradigm shift in preferences today towards flexibility, well-being, diversity, equity and inclusion at the workplace. Behind this shift, Human Resource Development of Cement Corporation of India has played a pivotal role. It strives to create impactful employee experience strategies to better engage, motivate employees to maintain healthy & transparent work culture and to achieve higher productivity keeping in view the mission and vision of the Corporation as well as to intercept any unpredictable challenge.

Leaving behind the decade old way of managing and leading the workforce, CCI has advanced tremendously in the sphere of technology with the perspective of adapting to changing job scenario, economical changes and growth of

manpower. CCI has streamlined various processes such as Recruitment and Online Performance Management System with the objective to ease out the process of reaching out to candidates rapidly, as compared to the tedious physical recruitment process as well as to eliminate the time consuming manual appraisal letters.

HR professionals of CCI have been incessantly fostering a culture of collaboration and creating an environment that empowers both individuals and organisation to flourish. Therefore, with the objective to cultivate a jovial workplace, improve focus & energy and boost productivity across offices/ units of CCI, the Human Resource Department of CCI commemorated Azadi ka Amrit Mahotsav and organized various team building activities, Health awareness session, Medical Camp, Cleanliness drive (Swachhta Pakhwada), Sports activities, Yoga Day, National Unity Day, Safety week, World Environment Day etc.



Yoga Day Celebration at Corporate office



Yoga Day Celebration at Units



52nd National Safety Week in Units



Swachta Pakhwada Week in Units and Corporate Office



CCI Tander Employees Participated in NMDC Marathon

Azadi ka Amrit Mahotsav

India completed its marvelous 75 years of Independence on 15th August, 2022. In order to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the rich history of its people, culture and

achievements, Ministry of Culture under the able guidance of our Prime Minister launched Azadi Ka Amrit Mahotsav. Under Azadi Ka Amrit Mahotsav, Essay writing, Poster competition, TB campaign etc. were organized across units of Cement Corporation of India and at Corporate Office.



Community Support to TB Patient



Essay Writing Competition conducted in School by Bokjan Unit



Health Checkup by Bokjan Unit in adhabpur Village and Dillai Parbhat Mines



Health Checkup by Rajban Unit in Nearby Village


8. TRAINING AND DEVELOPMENT:

Today's business environment is highly unpredictable. In order to thrive in this environment, continuous training and development helps employees' transition to different roles and responsibilities in any industry. As part of Human Resource Development, Cement Corporation of India has always fostered a culture of continuous training and development across levels and HR professionals of CCI have shaped workplaces that empower individuals to thrive, leading to both personal upliftment and organizational prosperity. During the FY 2022-23, various online/ offline trainings were imparted to

employees to hone their skills. CCI also nominates employees throughout the year for external training as per the changing business environment and need.

Employees are also given opportunities to attend seminars and conferences in their respective functional areas of work.

Apart from the day to day trainings, CCI has organized Knowledge Sharing Sessions wherein employees across units and offices participated. These sessions enhance collective knowledge and employees can gain access to valuable information and deliver better productivity.





Knowledge Sharing Session by CO and Units

9. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:

Cement Corporation of India has consistently adhered with the provisions and guidelines issued by the Department of Official language, Government of India. The Official Language Implementation Committee meetings were held Quarterly under the chairmanship of Chairman cum Managing Director in which substantial discussions took place as in how to enhance the extensive use of Hindi in the organisation in day-

to-day work. CCI has given valuable inputs in the Hindi Salahkar Samiti meeting by Ministry of Heavy Industries. CCI has also actively participated in all the Narakas meetings.

The company has taken effort to create notings bilingual in e-office. Employees were nominated and encouraged to participate in seminars such as Rajbhasha Hindi Karyashala Sangoshthi and competitions on Hindi essay writing, noting, drafting and photography etc.



Hindi Salahkar committee Chaired by Honb'le Minister (Heavy Industries)Dr. Mahendra Nath Pandey in presence of Secretary, (Heavy Industries) Shri Kamran Rizvi at Mussorie, Utrakahand



CCI organised Rajbhasha Technical Sangoshthi

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

Apart from the business of manufacturing cement, the core value of CCI is to give back to the society by providing social, environmental and economic benefits to the community it operates. The company has been undertaking its CSR activities in conformity with the Companies Act, 2013. CCI carries out CSR projects in and around the areas where units are situated. CCI has actively participated in a Study Visit of the Committee on Subordinate Legislation, Rajya Sabha in Chennai.

Sanitation, safe drinking water facility, education, improvement/ renovation of public infrastructure are the focus areas of CSR activities in line with the Sustainability Development Goals.

During the FY 2022-23, CCI has contributed an amount of Rs. 6.0 Lakhs to DAV High School, Tandur, Telangana to provide basic amenities to under privileged children.

11. WELFARE OF WOMEN:

The Company has been proactive in creating a culture of equality which inspires and encourages women to be participative in all spheres in the

organization. This culture has brought about an internal shift in their thinking so their actions can be different and better, which has helped them and organization grow. Women employees are given all statutory and other benefits across Units/ Offices of the Corporation.

In order to protect & safeguard the interests of women employees and build a safe workplace, a committee has been established in conformity with Prevention of Sexual Harassment (PoSH) Act. The committee addresses any issue related to sexual harassment policy, reviews the company sexual harassment policy time to time and has sensitised the employees with the provisions of the Act. During the FY 2022-23, the committee has not received any complaint under Sexual Harassment of Woman at Workplace.

The units of CCI are having Ladies Club where various social and recreation activities are organized for women. Any women related issue in the unit is addressed and to promote women, vocational programmes on computer literacy, mother & child health care etc. are being undertaken at these clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for welfare of women.





Sweet distribution to children and ladies of landslide victims by Rajban Ladies Club.



12. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

Grievance Redressal is directly proportional to Employee Satisfaction, therefore if the grievances of employees are solved on time, the employees become satisfied with the working conditions of the company and ultimately leads to better productivity. Cement Corporation of India has established an effective Grievance Redressal mechanism for its employees in Corporate office and Units.

Employees can raise grievances at any point of time related to wage matters, working conditions, leave, work assignments and welfare amenities etc. Depending on the nature of grievance, the committee ensures that all grievances are addressed and resolved informally in good thought. CCI's Grievance system is extensive, simplified and flexible which has manifested effective in promoting pleasant relationship between employees and management.

13. REMUNERATION POLICY

In CCI, pay and other benefits for executives are based on the Presidential Directives issued by the Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, Government of India vide letter No. F.No.1(6)2009-PE.XII dated 30th April, 2009. The last pay revision effective from 01/01/2007 was done in accordance with Ministry's OM No.2(70)/08-DPE(WC)-GL-XVI/08 dated 26th November, 2008, OM No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 9th February 2009 & OM No. 2(70)/08-DPE(WC)-GL-IV/09 dated 2nd April, 2009.

As per guidelines issued by DPE vide OM No. W-02/0028/2017-DPE (WC)-GL-XIII/17 dated 03.08.2017, OM No W-02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XIV/17 dated 04.08.2017 and OM No. W-

Cement Corporation of India Limited

02/0028/2017-DPE(WC)-GL-XVI/17 dated 07.09.2017 on Pay Revision of Board Level and below Board Level Executives and Non-Unionised Supervisors of CPSEs w.e.f. 01.01.2017, MHI has issued presidential directives on 01.09.2023 to implement pay revision notionally effective from 01.01.2017 and actually with effect from 01.04.2023. The implementation of said order is under process.

14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives.




CCI Rajban Unit Employees contributed 1 Day salary towards Rehabilitation of Cloud burst victims

17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF THE VIGILANCE DEPARTMENT.

1. Vigilance Awareness Week was observed from 31st October to 6th November, 2022 under the guidance of CVC with the theme of "Corruption free India for a developed Nation"; भ्रष्टाचार मुक्त भारत- विकसित भारत" at Cement Corporation of India Limited to generate and spread awareness against corruption. Dr. Praveen Kumari Singh, Additional Secretary, CVC was invited as Chief Guest for the Valedictory function of VAW 2022. Integrity Pledge, Essay Competition, Workshop on Preventive Vigilance, Debate, Slogan, Quiz Competitions etc. were organized at Corporate Office and Operating Units during the week to eliminate
- the scope of indulging in malpractices and create awareness among the masses.
2. Regular Preventive Vigilance activities were performed such as Scrutinies, Surprise checks, Vigilance clearance for administrative decisions, enforcement of Transfer Policy and Rotation of Officers on Sensitive Posts were also carried out in close coordination with the Management.
3. Annual Property Return of employees being obtained from HR Department have been scrutinized on quarterly basis.
4. Quarterly Performance Reports, Annual Report and Quarterly Progress Reports are being sent to Central Vigilance Commission (CVC) periodically.





Vigilance Awareness Week

18. E-PROCUREMENT/INTEGRITY PACT

The e-procurement facility has been in place in the organization. M/s. NIC (National Informatics Center), New Delhi is the service provider for e-procurement portal.

E-tenders above Rs. 50000.0 (Fifty Thousand) are being invited through NIC portal.

The Integrity Pact has been implemented. The IEM has been appointed to oversee the implementation of Integrity Pact, for all tenders above Rs. 10.0 (Ten) Lakhs.

19. INTERNAL FINANCIAL CONTROL

The Company has adequate internal financial controls system for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the Company's policies, safeguarding of its assets and prevention of frauds, accurate and prompt financial reporting, for compliances and improve the effectiveness of risk management towards good corporate governance. The company has the following internal audit system mainly :-

- Internal Audit by Independent Chartered Accountant ? rms

Outside Internal auditors are appointed on the basis of Open Tender/ Empanelment after due recommendation by Audit Committee and approval from Board of Directors of the company. The reports containing significant audit findings

are periodically submitted to management and Audit Committee of the company. Based on report of Internal Auditor, corrective action in respective areas are undertaken and thereby strengthen the control.

The company has adequate internal control measures in the form of various codes, manuals and procedures issued by the management covering all important activities i.e. Marketing Manual, Purchase and Works manual, Material, Stores, Accounts and Personal Manual etc. The marketing manual has been updated and management has taken steps to update all other manuals time to time for better check and control.

20. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2022-23.

21. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS:

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report are part of Directors' Report.

22. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES:

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

23. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES:

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

24. ANNUAL RETURN

The Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is placed on the website of the company. The URL for the Annual Return is <https://www.cciltid.in/page.php?id=29>

25. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The company has conducted five (5) Board Meetings i.e. on 08.06.2022, 21.07.2022, 19.09.2022, 25.11.2022 and 09.03.2023 during the financial year 2022-23.

26. MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

Management Discussion and Analysis Report is attached with this report and forms part of Annual Report of the Company.

27. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submit its responsibility Statement: –

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

- (c) The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

- (d) The directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.

- (f) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

28. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

29. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year 2022-23.

30. DIRECTORS

The following directors were appointed/ ceased during the year 2022-23:



- Dr. Renuka Mishra, Economic Adviser, Ministry of Heavy Industries joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 01.07.2022.
- Shri Pradeep Kumar Chand joined the Board as Director (Finance) w.e.f. 25.08.2022.
- Shri Joseph Atul T. Barla, Director, Ministry of Heavy Industries joined the Board as part time official Director (Govt. Nominee) w.e.f. 13.03.2023.
- Smt. Nidhi Chhibber, ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of the Company w.e.f. 01.07.2022. The company places on record, its appreciation for her guidance and contribution during her association with the Company.
- Shri B. P. Satapathy, ceased to be part time official Director (Govt. Nominee) from the Board of the Company w.e.f. 13.03.2023. The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.
- Shri R. P. Singh ceased to be Director (Finance) from the Board of the Company w.e.f. 25.08.2022 (Forenoon). The company places on record, its appreciation for his guidance and contribution during his association with the Company.

31. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

Dr. Ravindra Shivshankar Arali and Dr. Manju Baghel, Non-official Independent Directors of CCI have given their respective Declaration of Independence under the provisions of Section 149(7) of the Companies Act, 2013.

32. DIGITALIZATION, LINKS TO COMPANY WEBSITE, INTRANET, ERP, VIDEO CONFERENCING, BILL TRACKING ETC.

Digitalization at CCI

In line with the "Digital India" initiative of the Government of India and to enhance transparency, improve efficiency of the Company's operations, several key initiatives

Cement Corporation of India Limited

have been implemented in the last few years which include e-Procurement for Works, Goods and Services, e-Office, Video Conferencing Solution, to name a few.

The company communicates with its shareholders through its Annual Report, General Meeting and disclosure through Website which can be found at CCI's official website: link: <https://www.ccilttd.in>

Information and latest updates and announcements made by the company can be accessed at Company's Website <https://www.ccilttd.in> including the Company profile/Organizational History of CCI, Vision & Mission, Annual Reports, Messages from Management, latest Tenders, Photo Gallery, Plants/CCI Offices, HRM/HRD etc.

Intranet Portal (Private Website)

CCI has an Intranet Portal which serves as an internal platform for Employees to share information, communicate, and collaborate on documents, plans and tasks. Latest Circulars, Department-wise Information, SoPs, Current Date Production Report, Unit-wise Daily Production Reports, Monthly Unit-wise Performance Report and yearly Reports are being uploaded on the portal.

Video Conferencing

Video Conferencing is used in CCI for day to day functioning, monitoring of activities, Reviewing Performance of the Plants/Departments, Training to Employees etc. Video Conferencing has been crucial factor in boosting productivity, saving time, reducing travel expenses and promoting collaboration across CCI's Corporate Office and its units. All in-house activities/celebrations like Vigilance Week, Swachhata Pakhwada, National Voter's Day, Yoga Day, Oath taking ceremonies at Corporate Office and the Units, etc. have been conducted through VC.

Bill Tracking System for Vendor:

Endorsing the need of Digitization in the country and to ensure business continuity, CCI has an Online Bill Tracking System for tracking

payments to help the vendors. Link for the same is provided on CCI's official website.

ERP:

For better management information system and data security, we are in the process for moving Tally ERP 9 to SAP Business One Software.

Online Sales Module:

For facilitating the customer, we have also introduced the online sale module in our website.

Online Provident Fund Module:

For facilitating the employee, we have also introduced PF online Module in our Intranet Website.

33. IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

Your Company has always endeavored in implementation of Right to Information (RTI) Act, 2005 in letter and spirit. The Company has designated Public Information Officers (PIO) and Appellate Authorities and Transparency Officer under Section 5 and Section 19(1) of the RTI Act. The provisions under the Act are being complied with by all the Plants and Units of the Company.

An exclusive RTI Corner has been developed with link being available on website of the Company. Details of Authorities, PIO, First Appellate Authority & Transparency Officer have also been made available on the website of the Company.

34. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

From time to time we are receiving export enquiries from different parties. Due to locational disadvantage for our plants, which are far away from sea ports, out inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. The entire production of cement is being sold in the domestic market.

35. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) FOR SOLAR POWER PLANT

MOU was signed with M/s NVVNL on 21.03.2023 for setting up 10MW Solar Power Plant on CAPEX Model at CCI Tandur Unit. In actual it will be of 6 MW.



MOU signed with NVVNL



36. AUDITORS:

STATUTORY AUDITORS

M/s. Mahalwala & Co., Chartered Accountant Delhi were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2022-23 and M/s. K P Sarda & Co. and M/s. J S Sundaram & Co., were appointed as Branch Auditors. The report of the statutory auditors and reply thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

COST AUDITORS

M/s. HMVN & Associates, Cost Accountants, were appointed as Lead Cost Auditor of the Corporation and also Cost Auditor of Rajban, M/s. Bandyopadhyaya Bhaumik & Co., Cost Accountant for Bokajan & M/s. PKR & Associates LLP, Cost Accountants for Tandur Unit for the year 2022-23.

SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Amit Agrawal & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2023. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure. In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under:

A separate agenda is being placed before the Board for approval wherein filing of application before the Regional Director (RD), Northern Region, Ministry of Corporate Affairs (MCA) are being sought.

37. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee of the company consists of the following Directors:

Cement Corporation of India Limited

- a. Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman.
- b. Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member
- c. Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

38. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Ministry of Heavy Industries, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, PESB, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s. Mahalwala & Co., Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Audit, Industry and Corporate Affairs. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director

Date : 29-09-2023
Place: New Delhi

Particulars under following heads as required under Rule 8(3) of Companies (Accounts) Rules 2014.

A. CONSERVATION OF ENERGY

ENERGY CONSERVATION STEPS TAKEN IN THE YEAR 2022-23

1. BOKAJAN:-

Sl. No.	Description	Units Saved	
		KW/ Hour	KWh/MT of cement
1.	7 MVA Power Transformer with OLTC and AVR installed at place of old 7 MVA Transformer	39.8	2.65
2.	Power loss reduced by improvement of p.f further upto 0.96 by installation of additional capacitor bank (500 kVAR)	37.3	2.48
3.	Reduction of Colony Power by implementing LED lamps in place of old conventional lamps	20.8	1.39
4.	Replaced inefficient old conventional motor with energy efficient motor at Coal Mill-2 (160 kW)	20	0.95
5.	Replaced inefficient old conventional motor with energy efficient motor at Raw Mill ESP Fan Motor (150 kW)	10.6	0.19
6.	Replaced 2 MVA (11/0.415 kV) old conventional transformer with high efficient transformer in Plant	6.3	0.42
7.	Replaced 2 MVA (11/3.3 kV) old conventional transformer with high efficient transformer for raw mill	6.3	0.16
	Total units saved	141.1	8.24

2. RAJBAN:-

Sl. No.	Description	Units Saved	
		KW/ Hour	KWh/MT of cement
1.	Installation of VFD in Raw mill Circulating Fan Motor.	60	1.24
2.	Replacement of DC drive with AC Drive (04 nos.)	4.65	0.14
3.	Installation of 400KVA booster Transformer	1.11	0.02
4.	Installation of Energy Efficient motors 23 Nos. (1.5 KW to 3.7KW)	8.76	0.26
	Total units saved	74.52	1.66

3. TANDUR:-

Sl. No.	Description	Units Saved	
		KW/ Hour	KWh/MT of cement
1.	Replacement of VRM Fan GRR	20	0.10
2.	Replacement of Energy efficient PH Fan Motor No. 01	40	0.25
3.	Replacement of Energy efficient PH Fan Motor No. 02	50	0.29
4.	Replacement of Energy efficient Cooler Fan Motor No. XA	05	0.03
5.	Replacement of Energy efficient Cooler Fan No - 01	05	0.03
	Total units saved	120	0.70



Cement Corporation of India Limited

B) TECHNOLOGY ABSORPTION: (In Operating Units)

Technology absorption-

- (i) The efforts made towards technology absorption;-
 - a) Installing Pulse Jet Bag House (PJBH) to meet latest pollution norms at Rajban and Bokajan units.
 - b) Installation of New Fly-ash Steel Silo of Cap 500 MT with handling system at Tandur Unit for utilizing of Flyash for producing PPC.
 - c) Installation of 10MW CAPEX Solar Power Plant in collaboration with M/s NVVNL at CCI-Tandur. Installation of 01 MW Solar Power Plant under RESCO modal at Rajban Unit, to generate our own power.
 - d) Hot Air duct installations at Rajban & Bokajan Units to use hot waste gases of the Kiln for Raw mill and Coal mill respectively at both units.
- (ii) The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution;-

- a) The Pulse Jet Bag Filter shall reduce the pollution of suspended particles in the atmosphere and also collect the emitted dust in the atmosphere.
- b) Fly-ash feeding system will help in reducing the variable cost by around 5% by producing PPC.
- c) Solar Power Plants shall reduce the power bill cost in future.
- d) Utilization of Waste Hot Gases shall be utilized resulting in reducing the coal consumption.
- (iii) In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)-
 - (a) The details of technology imported;- **NIL**
 - (b) The year of import;- **N.A**
 - (c) Whether the technology been fully absorbed;- **NIL**
 - (d) If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and;- **N.A**
- (iv) The expenditure incurred on Research and Development- **NIL**

(A) Unit wise total energy consumption and energy consumption per unit of production for financial year 2022-23:-

1) ELECTRICITY	UOM	BOKAJAN	RAJBAN	TANDUR
a) PURCHASED				
I) UNITS	KWh (in Lakh)	217.32	192.24	758.95
II) TOTAL AMOUNT	Rs. in Lakhs	1623.34	1239.20	6158.67
III) RATE PER UNIT	Rs./KWh	7.47	6.45	8.11
b) OWN GENERATION				
THROUGH DIESEL GENERATION				
I) UNITS	KWh	Nil	11910	Nil
II) TOTAL DIESEL CONSUMPTION	Litre	Nil	5858	Nil
III) UNITS/LITRE OF DIESEL OIL	KWh/ Litre	Nil	2.033	Nil
IV) COST PER UNIT	? ./KWh	Nil	43.84	Nil
THROUGH SOLAR POWER				
I) UNITS	KWh	Nil	111797	72855
2) COAL				
QTY Consumed	MT	33481	26696	129175
TOTAL COST	? . in Lakhs	2257.74	2009.47	9595.29
AVERAGE RATE	? ./MT	6743.34	7527.23	7428.13
3) CONSUMPTION PER UNIT OF PRODUCTION				
I) ELECTRICITY (Packed cement incl. Township)	KWh/MT	161.69	122.31	128.97
II) Booked Coal (% of clinker Production)	%	27.73	20.16	23.88
III) Coal (UHV)	K.cal/Kg of coal	4769.00	4889.49	4150.00

(B) CCI as a Whole total energy consumption per unit of production-

1. ELECTRICITY			
a) Purchased	UOM	(2021-22) (Operating Units)	(2022-23) (Operating Units)
i) Units	KWh (in Lakhs)	1262.79	1168.51
ii) Total amount	Rs. in Lakhs	7333.98	9021.21
iii) Rate per Unit	Rs./KWh	5.81	7.72
b) Own Generation			
i) Units	KWh	8780	11910
ii) Total Diesel Consumption	Litre	6306	5858
iii) Units/Litre Of Diesel Oil	KWh/ Litre	1.39	2.033
iv) Cost per Unit	Rs./KWh	58.96	43.84
v) Solar Generation	KWh	-	184652
2. COAL			
i) Qty. Consumed	MT	203654	189352
ii) Total Cost	Rs. in Lakhs	13394.14	13862.50
iii) Average rate	Rs./MT	6576.91	7321.02
3. Consumption per Unit of Production			
i) Electricity (packed Cement incl. Township)	KWh/MT	140.01	132.66
ii) Booked coal (% of clinker production)	%	23.30	23.85
iii) Coal quality (UHV)	K.cal/Kg of coal	4314.67	4363.66



CCI Bokajan Signed Mining Lease deed of Dillai Parbat Limestone Mines at Guwahati with Director Mines & Geology of Assam



Dealers Meet At Hyderabad

CSR ACTIVITIES

- 1 A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **"A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating"**.

CCI integrates and aligns its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Government of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the

employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

- (i) Net Worth- **126.56 Crore**
- (ii) Turnover- **440.31 Crore**
- (iii) Net Profit- **95.29 Crore**
- (iv) Criteria that triggered CSR applicability: **Net Profit exceeding 5 Crores**

2. (a) (i) Whether CSR Committee has been constituted- **YES**
- (ii) Number of Directors composing CSR Committee- **03**
- (iii) Number of meetings of CSR Committee held during the year- **01**

Sr. No.	DIN	Name of Director	Category	No. of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	07392367	Dr. Ravindra Shivshankar Arali	Independent Director	01
2.	09391340	Dr. Manju Baghel	Independent Director	01
3.	09391341	Shri B. P. Satapathy	Director (Govt. Nominee)	01

- (b) (i) Whether the company has a website- **YES**
- (ii) If Yes, Provide web-link- **<http://ccilttd.in/pagaphp?id=194>**
- (iii) Whether following has been disclosed on the website of the company in pursuance of Rule 9 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014:
- Composition of CSR Committee- **YES**
 - CSR Policy - **YES**
 - CSR projects approved by the Board- **YES**

carried out in pursuance of sub-rule (3) of Rule 8 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014, if applicable- **NIL**

- (ii) If Yes, whether the same has been disclosed in the Board Report- **NA**
- (iii) Provide web-link, if any- **NA**

- (c) (i) Whether Impact assessment of CSR projects is

- (d) (i) Whether any amount is available for set off in pursuance of sub-rule (3) of Rule 7 of Companies (CSR Policy) Rules, 2014- **NO**

- (ii) If yes, provide details:

S. No.	Financial Year	Amount available for set-off (in ₹)	Amount set-off in the financial year, if any (in ₹)	Balance Amount (in ₹)
1.	2020-21	--	--	--
2.	2021-22	--	--	--
3.	2022-23	--	--	--
	Total	--	--	--

3. (a) Whether the company has completed the period of three financial years since its incorporation - **YES**

(b) If no, then provide the number of financial years completed since incorporation - **NA**

(c) Net Profit & other details for the preceding financial years:

S. No.	Particulars	Amount (₹ in Crores)		
		FY-1 (2019-20)	FY-2 (2020-21)	FY-3 (2021-22)
1.	Profit before tax	(50.94)	13.15	40.20
2.	Net Profit computed u/s 198	(50.94)	13.15	40.20
3.	Total amount adjusted as per rule 2(1)(h) of the CSR Policy Rules 2014	0	0	0
4.	Total Net Profit for section 135 (2-3)	(50.94)	13.15	40.20

(d) Average Net Profit of the company as per section 135 (5) - **₹80.51 Lakhs**

i. 2% of Average net profit of the company as per section 135 (5) - **₹1.61 Lakhs**

ii. Surplus arising out of the CSR projects/ programs or activities of the previous financial year, if any - **NIL**

iii. Amount required to be set off for the financial year, if any - **NIL**

iv. Total CSR obligation for the financial year [3 (i) + 3 (ii) - 3 (iii)] - **₹1.61 Lakhs**

4. (a) Whether CSR amount for the financial year has been spent - **YES**

(b) If yes, CSR amount has been spent against:

- Ongoing projects - **YES**
- Other than ongoing projects - **NA**
- Both (Ongoing and other than ongoing projects) - **NA**

(i) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year: **NA**

Number of Ongoing Projects for the financial year

Sl. No.	Project ID	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes / No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in Rs.)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
					State	District				CSR Registration No.	Name
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Total	-	-	-	-

(ii) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year: NA

Number of Other than Ongoing Projects for the financial year

Sl. No.	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes/No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in ₹)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
				State	District			CSR Registration No.	Name
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Total	-	-	-	-

(c) Amount spent in Administrative Overheads- NIL

(d) Amount spent on Impact Assessment, if applicable- NIL

(e) Total Amount Spent for the financial year - ₹ 6.00 Lakh

(f) Amount unspent/ (excess) spent for the Financial year [5(d)-6(e)] unspent for Ongoing projects) - ₹4.39 Lakh

(g) Amount eligible for transfer to Unspent CSR Account for the Financial year as per Section 135 (6) (before adjustments) - NIL

(h) Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII for the Financial Year (if total unspent for the Financial Year is greater than unspent for Ongoing projects) - NIL

- Details of transfer of Unspent CSR amount for the financial year:

(a) Transfer to Unspent CSR account as per Section 135(6)

Amount to be transferred to Unspent CSR account	Amount actually transferred to Unspent CSR account	Date of Transfer	Deficiency, if any
--	--	--	--

(b) Transfer to Fund specified in Schedule VII as per second proviso to Section 135(5) for the Financial Year:

Amount to be transferred to Fund specified in Schedule VII	Amount actually transferred to Fund specified in Schedule VII	Date of Transfer	Deficiency, if any
--	--	--	--

5. Whether any unspent amount of preceding three financial years has been spent in the financial year: NO

(a) Details of CSR amount spent in the financial year pertaining to three preceding financial year(s):

Sl. No.	Preceding Financial Years	Amount transferred to Unspent CSR Account under Section 135(6) (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under Section 135(6) (in Rs.)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to Section 135(5), if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in ₹)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹)	Date of Transfer		
1	2019-20	--	--	--	--	--	--	--
2	2020-21	--	--	--	--	--	--	--
3	2021-22	--	--	--	--	--	--	--

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s):

Number of Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Amount spent for the project at the beginning of the Financial Year (in ₹)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Cumulative Amount Spent at the end of Financial Year (in ₹)	Status of the project - Completed/ Ongoing
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--

(c) (i) Whether any new CSR project has been undertaken in the financial year from the Unspent amount pertaining to preceding three financial years: NO

(ii) If yes, nature of the new CSR Project(s) is/ are:

- Ongoing project(s) - NA
- Other than ongoing project(s) - NA
- Both (Ongoing and other than ongoing projects)- NA

(iii) Details of amount spent against new ongoing CSR project in the financial year:

Number of Ongoing Projects: NA

Sl. No.	Project ID	Financial year to which the new project pertains	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes / No)	Location of the project		Project duration (in months)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
						State	District				CSR Registration No.	Name
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								Total	--	--	--	--

(iv) Details of amount spent against new other than ongoing projects in the financial year

Number of Other than Ongoing Projects: NA

S. No.	Financial year to which the new project pertain	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes / No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in ₹)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
					State	District			CSR Registration No.	Name
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
							Total	--	--	--



6. Whether any unspent amount pertaining to FY 2018-19 to 2022-23 has been spent in the financial year: **NO**

Details of amount spent against CST projects in the financial year:

Number of CSR Projects: **NA**

S. No.	Financial year to which the new project pertain	Item from the list of activities in schedule VII	Name of the Project	Local Area (Yes /No)	Location of the project		Amount spent in the financial year (in ₹)	Mode of Implementation - Direct (Yes/ No)	Mode of Implementation - Through Implementing Agency	
					State	District			CSR Registration No.	Name
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
						Total	--	--	--	

7. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial year: **No**

8. Specify the reason(s), if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135- **NA**

Sd/-
(Ravindra Shivshankar Arali)
Chairman (CSR Committee)

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director

**Management's replies to the observations stipulated in the
Audit Report (Revised)
on Annual Accounts for the financial year 2022-23
dated 22-08-2023 are given below:**

S.No	Basis for Qualifications	Management Reply
A	Execution of title and lease deeds of land of certain units in favor of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the DDA had suo moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on 11.04.2017, the cost of which is now transferred to "Recoverable from outside parties". Moreover, the physical possession of land measuring 6.74 acres given to railways for constructing siding is not yet handed over to the company. [Refer Point No.04 of Note-34].	The position has been adequately explained in the relevant point no. 04 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
B	No provision is made in respect of the liability arising out of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township as road from pump house to national highway 7, the alienation order of which is awaited. [Refer Point No.06 of Note 34].	The position has been adequately explained in the relevant point no. 06 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
C	The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 34]	The position has been adequately explained in the relevant point no. 12 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
D	The balance of certain Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No. 34 of Note 34].	The position has been adequately explained in the relevant point no. 34 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
E	The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 34. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because recoverable value expected is normally more than the book value of the Assets.	The position has been adequately explained in the relevant point no. 11 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.
F	The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹1,000/- each for a value of ₹355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re- issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 34].	The position has been adequately explained in the relevant point no. 13 in Note no. 34, which is forming part of the Annual Accounts.



S.No	Basis for Qualifications	Management Reply
G	<p>Out of the Total Inventory of ₹17,046.41 Lakh the inventory of non-operating units of ₹ 3,175.26 Lakh (around 18.63% of Total Inventory) had been carried forward in the books at same amounts from several past years. Having regard to nature of inventory items involved and comments of branch auditors on inventory in their respective audit reports, there may be considerable depletion in value of inventory the effect of which has not been quantified or provided for by the management in the financial statements.</p>	<p>In Note no. 34 point no. 11 of the Annual Accounts of corporation, it has been mentioned that the market value of the assets in respect of non-operating units as per BIFR sanctioned scheme is higher than book value of assets. Further, the non-operating units are under disinvestment/Sale.</p>

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. OVERVIEW OF THE ECONOMY

Recovering from pandemic-induced contraction, Russian-Ukraine conflict and inflation, the Indian economy is staging a broad-based recovery across sectors and GDP recorded an increase of 7.2% the highest in major emerging markets. The Capital Expenditure of the Central Government is also one of the drivers of the Indian Economy during the Financial year 2022-23. The projected GDP growth for Financial year 2023-24 is also in the range of 6-7%. The retail inflation also came within RBI's target range by November 2022. Q1 of financial year 2022-23 recorded higher GDP growth as the economy recovered from the chock of the pandemic. The Indian rupee also performed well as compared to currencies of other emerging markets. The Indian economy has also started benefitting from the efficiency gains due to greater formalisation, higher financial inclusion and economic opportunities created by digital technology based economic reforms.

2. CEMENT INDUSTRY

India is the second largest producer of cement in the world and accounts for about 8% of the global installed capacity. India also has a lot of potential for development in the construction and infrastructure sector and the cement sector is expected to largely benefit from it. Furthermore, on the back of rising rural housing demand, the consumption of cement in India has been growing consistently as it is one of the cheapest construction materials in terms of Rs./Kg. Strong expansion of the industrial sector, which has fully recovered from the COVID-19 pandemic shock, is one of the main demand drivers for the cement industry. As a result, there is strong potential for an increase in the long-term demand for the cement industry. Some of the recent initiatives, such as the development of 98 smart cities, are expected to significantly boost the sector. India has a total of 210 large cement plants, of which 77 are in Andhra Pradesh, Rajasthan and Tamil Nadu. Nearly 32% of India's cement production capacity is based in South India, 20% in North India, 13% in Central, 15% in West India, and the remaining 20% is based in East India. The housing

and real estate sector accounts for about 65% of the total cement consumption in India.

3. GOVERNMENT INITIATIVES

- a) Budget estimates for Pradhan Mantri Awas Yojna during Financial year 2023-24 is Rs. 79,590 crores, a 66% increase over the budget estimate of Rs. 48,000 crore during the Financial year 2022-23.
- b) The Government of India further decided that bulk cement would be used in place of bitumen in road construction of all new projects on the ground that cement is more durable and cheaper to maintain than bitumen in the long run.
- c) The PM Gati Shakti National Master plan for multimodal connectivity, Gati Shakti will also bolster the demand of cement in the future.
- d) Government initiatives like Housing for all will push demand in the Cement Sector.
- e) Real estate market in India is expected to reach US\$ 1 trillion by 2023. Strong growth in rural housing and low cost housing to amplify demand. As per Budget 2023-24 a spending of over Rs. 10 lakh crore on infrastructure is proposed.
- f) As per the Union Budget 2023-24, the government approved an outlay of Rs. 2.7 lakh crore for the Ministry of Road Transport and Highways.

4. OUTLOOK

- a) In a step towards Asset Monetization, and in accordance with directions issued by MHI vide letter dated 09.02.2022 to dispose of the NOU's assets, the Company has commenced disposing off its idle assets of the non-operating units on "as is where is basis". This shall not only unlock the value of idle assets and add to the revenue but also reduce the operating cost on maintenance/security and increase the profitability. The status of asset sale of various NOU's is as below:

S.No.	Unit	Status
1	Charkhi Dadri	Asset sale of Plant & Machineries concluded at Rs. 34.92 Cr. Lifting of materials in progress.
2	Akaltara	Asset sale of Plant & Machineries concluded at Rs. 57.50 Cr. Lifting of materials in progress.
3	Bhatinda	Tenders for asset sale of Plant & Machineries floated.
4/5	Kurkunta/Mandhar	Bid documents finalized tender to be floated.
6/7	Nayagaon/ Adilabad	The asset valuation completed. Tender under preparation.

b) Company is also investing in modernisation of its plants to reduce Air Pollution, to reduce energy consumption and to contribute towards reducing the carbon footprint for which many projects such as installation of Pulse Jet Bag Filters, Fly ash handling system and Solar Power Plants are under various stages of implementation. MOU was signed with M/s NVVNL on 21.03.2023 for setting up a 10 MW Solar Power Plant on CAPEX Model at CCI Tandur Unit. The tender for 6 MW Solar Plant at Tandur has been invited by NVVNL. The work of 1 MW of Solar Plant in the RESCO (ZERO COST) model was awarded and the work has already commenced. These Solar plants shall not only reduce electricity cost significantly but also be a source of clean & green energy including reduction in the carbon emission.

5. PRODUCTION & SALE PERFORMANCE

Your company has consistently given good performance for the last 3 years. For the year 20-21, 21-22 and 22-23, the average cement production figures remained consistent at around 8.78 lacs MT as against Average of 6.57 lacs MT for the previous 3 years i.e. 17-18, 18-19 and 19-20.

The financial year 2022-23 witnessed disruption in coal supply as a result Tandur plant remained closed for 51 days due to want of coal. Despite this, the overall cement production and sales remained unaffected and the shortfall in Tandur was made good by both Rajban and Bokajan Units.

Given below are our key businesses and their performance highlights:

i) Cement production during the current financial year 2022-23 is 8.68 lakh MT against 8.72 lakh MT of financial year 2021-22.

ii) Cement Dispatch for financial year is 8.65 lakh MT against 8.63 lakh MT during the financial year 2021-22.

iii) Cement sale during the financial year 2022-23 stood at 8.64 lakh MT against 8.66 lakh MT during the financial year 2021-22.

iv) The Cement Capacity Utilization was constant at 60% both during financial year 2021-22 & 2022-23.

6. FINANCIAL PERFORMANCE

Your company achieved the best performance of the decade in the year 22-23. After more than a decade all the three operational units were in profit. PBT in FY 22-23 increased to Rs 95.29 Crore and Net profit ratio to 21.64 % as against Rs. 40.20 Crore and 9.65 % respectively of previous year. Net worth of the Company not only became positive after a long gap but also CCI achieved its highest ever net worth of Rs. 126.56 Crore. "Revenue from Operation" increased in FY 22-23 to Rs. 440.72 Cr as against Rs.418.87 Cr in FY 21-22. Return on Capital Employed & Cement Production Per Employee (Mt. Tones) increased to 34.34% & 2249 (MT) in FY 22-23 as against 22.07% & 2106 (MT) respectively in FY 21-22. Rajban unit earned profit of Rs 6.05 Crore in FY 22-23 against loss of Rs.2.62 crore in FY 21-22. Bokajan unit earned profit of Rs 4.31 Crore in FY 22-23 against loss of Rs.1.83 crore in FY21-22.

7. CONSERVATION OF ENERGY

Your company has taken several measures to reduce the power consumption such as Installation of Energy Efficient Motors & Transformers, Variable Frequency Drives, Improvement in Power Factor etc. besides process optimisation which resulted in the

reduction of energy consumption to 132.66 Units/Ton of Cement in FY 22-23 against 140.01 Units/Ton of Cement of previous year.

8. INTERNAL CONTROL SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

Your company has a well-defined internal control system commensurate with size, scale and complexity of operation to support the business operations to ensure statutory compliance. The internal audit is carried out by a team of professional firms whose function is defined through internal audit charter, which includes inter alia transaction audit, systems audit and process audit. In order to maintain their independence and objectivity, the internal audit function directly reports to the Audit Committee. Suitable internal checks have been built in to cover all monetary transactions with proper delineation of authority, which provides for checks and balances at every stage.

9. OTHER DISCLOSURES

Chapter-7 of Guidelines on Corporate

Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front and Environmental Protection and conservation, Technological conservation, Foreign Exchange conservation etc. have been covered in Directors' Report.

Cautionary Statement

Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing Company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based the guidelines that Government of India issues from time to time should go a long way to enhance the value for all stakeholders i.e. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies / Departments and the society at large.

2. Board of Directors:

i. Constitution of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company within the meaning of

section 2(45) of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12.

ii. Composition of Board:

As on 31st March 2023, the Board of CCI comprised of six (6) Directors out of which two are Functional Directors, two Part-time Official Directors, who are nominees of the Administrative Ministry and two Non-official Independent Directors.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 28.09.2022)	No. of Directorship held as on 31.03.2023 (Including CCI)	No. of Committee Membership held in other companies as on 31.03.2023
Functional Directors:						
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	5	5	Yes	1	NIL
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance) (w.e.f. 25.08.2022)	3	3	Yes	1	NIL
Government Nominee Directors:						
3.	Dr. Renuka Mishra* (w.e.f. 01.07.2022)	4	4	Yes	7	NIL
4.	Shri B. P. Satapathy** (up to 13.03.2023)	5	4	Yes	1	NIL
Independent Directors:						
5.	Dr. Ravindra Shivshankar Arali	5	5	NA	1	2***
6.	Dr. Manju Baghel	5	5	NA	1	NIL

*Dr. Renuka Mishra, Economic Adviser, Ministry of Heavy Industry was appointed as Part-time Official Director (Government Nominee) on the Board of CCI w.e.f. 01.07.2022 vice Smt. Nidhi Chhibber, Additional Secretary, Ministry of Heavy Industry.

**Shri Joseph Atul T Barla was appointed as Part-time Official Director (Government Nominee) on the Board of CCI w.e.f. 13.03.2023.

***Designated Partner at following LLPs:

- Health Point Multispeciality Hospital LLP
- Synergy Multi Speciality Hospital LLP

The company held five Board Meetings i.e. on 08.06.2022, 21.07.2022, 19.09.2022, 25.11.2022 and 09.03.2023 during the year under report.

iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:

- The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. The C&MD/Directors decides the date and place of Board/Committee meetings. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation in due compliance with applicable provisions whether enunciated in the Act or its Articles.
- Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.
- The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the Functional Director/Chairman & Managing Director.
- Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions, as and when necessary.
- The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

iv. Recording of minutes of the Board/Committee meetings:

Minutes of the proceedings of each Board / Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board Meeting for their confirmation. The minutes of Sub-Committee of the Board are also placed before the Board for its information.

v. Follow-up mechanism:

An Action Taken Report on the important decisions of the Board/Committee members is presented as and when the ATR agenda received. This acts as an effective follow-up, review and report process.

vi. Compliance:

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Memorandum of Understanding (MOU), Award of large contracts.
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.



- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.
- Quarterly Compliance certificate of statutory provisions.
- Other matters desired by the Board from time to time.

vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:

The Company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the Independent Directors are being paid sitting fees at the rate of Rs. 15,000/- (Rs. Fifteen thousand only) per Board meeting and Rs. 12,000/- (Rs. Twelve thousand only) for Committee meetings. Out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof are also re-imbursed to Independent Directors.

viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies/ Disclosures (2022-23)
Functional Directors:			
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	Functional Director	NIL
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance) (w.e.f. 25.08.2022)	Functional Director	NIL
Government Nominee Directors			
3.	Dr. Renuka Mishra (w.e.f. 01.07.2022)	Govt. Nominee Director	1. Heavy Engineering Corporation Private Limited 2. H.M.T. Limited 3. H.M.T. (International) Limited 4. HMT Machine Tools Limited 5. NEPA Ltd.

Cement Corporation of India Limited

			6. Rajasthan Electronics and Instruments Ltd.
4.	Shri B. P. Satapathy (up to 13.03.2023)	Govt. Nominee Director	NIL
5.	Shri Joseph Atul T Barla (w.e.f. 13.03.2023)	Govt. Nominee Director	NIL
Independent Directors:			
6.	Dr. Ravindra Shivshankar Arali	Independent Director	1. Health Point Multispeciality Hospital LLP 2. Synergy Multi Speciality Hospital LLP 3. Sangli Urban Co. Op Bank, Sangli
7.	Dr. Manju Baghel	Independent Director	NIL

ix. Training of Board Members

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI's profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be by the management of CCI from time to time.

x. Code of Conduct

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2022-23.

xi. Policies for Risk Assessment & Minimization

The risk management system is an integrated part and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

3. Audit Committee

The company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1) Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman
- 2) Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member
- 3) Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2022-23, six Audit Committee Meetings were held on 08.04.2022, 04.07.2022, 07.09.2022, 19.09.2022, 02.11.2022 and 10.02.2023 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	6	6
2. Dr. Manju Baghel	6	6
3. Shri B.P. Satapathy	6	5

4. Remuneration Committee

Being a Government Company, Remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government and as per the

terms and conditions of their appointment / contract. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE shall constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Annual Bonus/Variable pay policy for its distribution across the Employees.

The Remuneration Committee of the company consists of the following Directors:-

- 1) Dr. Manju Baghel, Independent Director as Chairperson
- 2) Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director, as Member
- 3) Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

During the year 2022-23, one Remuneration Committee Meeting was held on 25.11.2022 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	1	1
2. Dr. Manju Baghel	1	1
3. Shri B.P. Satapathy	1	1

Detail of Remuneration paid to Directors/KMP:

Details of remuneration paid to Directors/KMP of the Company for the year 2022-23 are given below:-

(₹ In lakh)

S. No	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri Sanjay Banga, C&MD	29.60	4.43	0.00	6.67	0.23	3.46	44.40
2.	Shri Pradeep Kumar Chand, Director (Finance) (w.e.f. 25.08.2022)	14.05	2.11	0.00	3.78	0.46	1.68	22.08
3.	Shri Ajay Kumar Sharma, Co. Secretary	15.44	3.64	0.00	0.00	0.12	1.85	21.04
	Total	59.09	10.18	0.00	10.45	0.81	6.99	87.53



Cement Corporation of India Limited

5. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee

As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Company is required to have a Corporate Social Responsibility Committee. The Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of the company consists of the following Directors:-

- 1) Dr. Ravindra Shivshankar Arali, Independent Director as Chairman
- 2) Dr. Manju Baghel, Independent Director, as Member
- 3) Shri B. P. Satapathy, Director (Govt. Nominee) as Member

During the year 2022-23, one Corporate Social Responsibility (CSR) Committee meeting was held on 08.09.2022 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
1. Dr. Ravindra Shivshankar Arali	1	1
2. Dr. Manju Baghel	1	1
3. Shri B. P. Satapathy	1	1

6. Stakeholders Relationship Committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

AGM	56th AGM	57th AGM	58th AGM
Date & Time	4th March, 2021 at 12.00 PM	25th February, 2022 at 04:30 PM	28th September, 2022 at 11:30 AM

Location	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003	Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003
Special Resolution(s) passed	No	No	Yes

9. Disclosures

I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

III. Accounting Treatment:

The company followed the Accounting Standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the Financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2023.

IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2022-23 and last three years.

10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by

Vigilance. CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

11. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. www.ccilttd.in The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

12. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are

the Competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company www.ccilttd.in

13. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Associates, Practicing Company Secretaries confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises and Management's reply forms part of the Annual Report for the financial year 2022-23 which is Annexed herewith.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Date : 29-09-2023
Place: New Delhi

Sd/-
(Sanjay Banga)
Chairman & Managing Director



Cement Corporation of India Limited

Amit Agrawal & Associates
Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA
Ph. : +91-11-49423788, 43019279, Mob.: +91-9811272307
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members,
Cement Corporation of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Cement Corporation Of India Limited, (herewith referred as 'the Company') for the year ended on 31st March, 2023 as stipulated in 'Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010' vide Notification No. 1 No. 18(8)/2005- GM originally issued on 22.06.2007 and revised guidelines vide office memorandum dated 14th May, 2010 by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises Government of India and annexure mentioned there under (herein referred as 'Guidelines').



The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of corporate governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we hereby certify that the Company has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in abovementioned DPE guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance to the future viability of the Company nor the efficiency of the effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

Place : Delhi

Date : 17.08.2023

For Amit Agrawal & Associates
(Company Secretaries)


CS Amit Agrawal
(Proprietor)
M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN: F005311E000814119



Amit Agrawal & Associates Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA

Ph. : +91-11-49423788, 43019279, Mob.: +91-9811272307

E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

Form No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st MARCH, 2023

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
Cement Corporation Of India Limited
CORE -5, Scope Complex 7
Lodhi Road New Delhi-110003 IN
CIN: U74899DL1965GOI004322

We report that:

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **Cement Corporation Of India Limited** (hereinafter referred as 'the Company') having its registered office at Core -5, Scope Complex 7, Lodhi Road, New Delhi-110003. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Company's Responsibilities

The Company's Management and Board of Directors are responsible for the maintenance of secretarial record under the Companies Act, 2013 and compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards. Further the Company's management and the Board of Directors are also responsible for establishing and maintaining adequate systems and process, commensurate with the size and operations of the Company to identify, monitor and ensure compliances with the applicable laws, rules, regulations and guidelines.

Auditor's Responsibilities Statement

Our responsibility is only to examine and verify those compliances on a test basis and express an opinion on these secretarial records based on our audit.

We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.



We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

Limitations

Due to the inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some misstatements or material non-compliances may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the Secretarial Auditing Standards as prescribed by Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

Further, we conducted the secretarial audit by examining the secretarial records including minutes, documents, registers, other records and returns related to the applicable laws on the Company etc. received via electronic means. The management has confirmed that the records submitted to us are the true and correct. We have also relied upon representation given by the management of the Company for certain areas which otherwise requires physical verification.

Basis of Opinion

We have followed the audit practices, secretarial auditing standards and processes as were applicable and appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification in some cases was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion. We also believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Report on Secretarial Records and Compliances thereof

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has during the audit period covering the financial year ended on March 31, 2023 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms, and returns filed and other records maintained by **M/s. Cement Corporation Of India Limited** for the financial year ended on **31st March, 2023** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India



(iii) Other laws applicable specifically to the Company namely:

- a) The Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
- b) Payment of Gratuity Act, 1972
- c) Payment of Minimum Wages Act, 1948
- d) The Maternity Benefit Act, 1961
- e) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal Act), 2013
- f) Payment of Bonus Act, 1965
- g) Employees' State Insurance Act, 1948;
- h) Indian Trust Act, 1882 created for PF purposes for its employees.
- i) Environment (Protection) Act, 1986
- j) Food Safety and Standard of India Act, 2011
- k) The Factory Act, 1948
- l) Compulsory Notification of Vacancy Act 1959
- m) Payment of Wages Act
- n) Workman's and Compensation Act
- o) The Gratuity Act
- p) Equal Remuneration Act
- q) Industrial Dispute Act
- r) Employment of Children Act
- s) Indian Stamp Act
- t) The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972

However, During the period under review, provisions of the following regulations were not applicable to the Company because of clause (I) no FDI and ECB has been taken by the Company since incorporation and for (II) & (III) clauses below the Company is unlisted Company. Hence, comments are not required to be made in respect of these clauses:

- I. Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulation made there under to the extent Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.
- II. The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act').
- III. The Listing Agreement with any Stock Exchange.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, standards etc. mentioned above and report that:



The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Non-Executive Directors and Women Director.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

The Company has four charges which are shown on MCA Portal, as per the BIFR Scheme same were satisfied years ago as per One Time Settlement (OTS) with the respective Bank/ Financial Institutions.


We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that the compliance by the Company of applicable financial laws like direct and indirect tax laws and maintenance of financial records and books of accounts has not been reviewed in this Audit since the same have been subject to review by statutory financial audit by other designated professional.

We further report that during the audit period there were following specific events / corporate actions in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. having a major bearing on the Company's affairs:

Place: Delhi
Date : 17.08.2023

For Amit Agrawal & Associates
(Companies Secretaries)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Amit Agrawal', is written over the circular stamp.

CS Amit Agrawal
(Proprietor)
M. No. F5311, C.P. No. : 3647
UDIN: F005311E000814097

**MAHALWALA & CO.****Chartered Accountants**

Head Office: E-97, LGF, Greater Kailash-I, New Delhi-110048

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
(REVISED)**

To
**The Members,
Cement Corporation of India Ltd
New Delhi**

This audit report is in supersession of our earlier Audit Report dated 30th June 2023 on the accounts as at 31st March 2023 of the **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED** has been revised to give effect to the half margins dated 08th August 2023 issued by the Indian Audit and Accounts department, office of the Principal Director of Audit (I&CA), New Delhi.

Report on the Audit of the Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the Company") CIN No -U74899DL1965 GOI004322 which comprises the Balance Sheet as at March 31, 2023, and Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flow for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated four units (Tandur, Tandur YRO, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India and Rajban (Himachal Pradesh), Mandhar, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurkunta, Adilabad, Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Unit as at 31st March 2023, its profit or its loss, and its Cash Flows for the year then ended.

Basis for Qualified Opinion

- a. Execution of title and lease deeds of land of certain units in favor of company continues to be pending and land details are subject to reconciliation. Further, the DDA had suo moto transferred the land measuring 14.20 acres to SDMC on 11.04.2017, the cost of which is now transferred to "Recoverable from outside parties". Moreover, the physical possession of land measuring 6.74 acres, given to railways for constructing siding is not yet handed over to the company. [Refer Point No.04 of Note 34].
- b. No provision is made in respect of the liability arising out of acquisition and use of government land outside CCI's Adilabad Township as road from pump house to national highway 7, the alienation order of which is awaited. [Refer Point No.06 of Note 34].
- c. The effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered due to pending reconciliation [Refer Point No. 12 of Note 34]



- d. The balance of certain Trade Receivables, Loans and advances, Trade Payables, Deposits to and from parties and Other Liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No. 34 of Note 34].
- e. The company has seven production units and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to point No.11 of Note 34. As per view of the Management, no provision for impairment of assets, under AS-28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, is required because recoverable value expected is normally more than the book value of the Assets.
- f. The company had issued 3554325 Non-cumulative Redeemable Preference Shares of ₹1,000/- each for a value of ₹ 355.43 crores to Govt. of India on 22nd March 2007 for 7 (seven) years. As per terms of issue, above preference shares were to be redeemed before 22nd March 2014, which is not in consonance with the terms of the issue. Management informed that further action for re- issue of preference share has been sought from Ministry as per Cabinet / BIFR direction. [Refer Point No.13 of Note 34].
- g. Out of the Total Inventory of ₹ 17,046.41 Lakh the inventory of non-operating units of ₹ 3,175.26 Lakh (around 18.63% of Total Inventory) had been carried forward in the books from several past years. Having regard to nature of inventory items involved and comments of branch auditors on inventory in their respective audit reports, there may be considerable depletion in value of inventory the effect of which has not been quantified or provided for by the management in the financial statements.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to following notes in the financial statements:

1. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dated 08.08.1996. Hon'ble BIFR, in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/ technological up gradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at 7 units. MHI vide letter dated 09.02.2022 directed to sale plant and machinery, stores etc. of these non- operating units. Accordingly, Plant and machinery along with other assets of Akaltara and Charkhi Dadri units was sold through M/s MSTC. Sale of other plants is under progress. (See Note No. 34.09 and 34.17)
2.
 - a. The sale of the Plant & Machinery of the Akaltara unit was completed through M/s MSTC (A Govt. of India Enterprise) on "as is where is clean sweep basis" at ₹ 57.50 crores. Profit on sale of these assets is shown as an exceptional income in Note No. 31A to Financial Statements for the year ended 31st March 2023. Further, as per the provisions of sub-section 1 of section 31 of CGST Act 2017 read with clause no. K of the tender document, GST invoice was raised on 26.05.2023 on receipt of the entire amount and also tax liability was discharged accordingly. (See Note No. 34.17.i).

- b. The sale of the Plant & Machinery of the Charkhi Dadri unit was completed through M/s MSTC (A Govt. of India Enterprise) on "as is where is clean sweep basis" at ₹ 34.92 crores. Profit on sale of these assets is shown as an exceptional income in Note No. 31A to Financial Statements for the year ended 31st March 2023. (See Note No. 34.17.ii).
3. As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29.05.2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' has been sent to MHI for approval. As on date, the necessary approval from DHI is still awaited. Employee Benefits Expenses includes provision on this account. (See Note No. 34.19) Total provision upto 31.03.2023 of ₹ 19.86 crores has been made in the books of accounts.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Information other than the financial statements and auditor's report thereon

The Company's board of directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during our audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements



Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement\

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Other Matters

We did not audit the financial statements of 4 (four) branches included in the standalone financial statements of the company whose financial statements/ financial information include total assets of ₹342.45 crore as at 31st March 2023 and total revenues of ₹ 371.33 crore (Approx. 78% of total Revenue) for the year ended on that date. These financial statements have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

We have examined Company's few critical financial indicators viz. inventory holding ratio, current ratio, sales graph, drop in man power as stipulated in Standard on Auditing (SA) 570 (Revised) (Going Concern) and found that these showed a negative picture about the Company till FY 2019-20, but almost all financial indicators have showed a positive picture from the FY 2020-21 and as such we have nothing to report in the matter for the FY 2022-23.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, we give in the 'Annexure A', a statement on the matters specified in the paragraphs 3 and 4 of the said Order.
2. We are enclosing our report in terms of Section 143(5) of the Act, on the basis of such checks of the books and

records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanation given to us, in the Annexure I on the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India.

3. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.
 - c) The reports on the accounts of the branch offices of the Company audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
 - d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and returns.
 - e) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
 - f) Being a Government Company, pursuant to the Notification No. GSR 463(E) dated 5th June 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India, provisions of sub-section (2) of Section 164 of the Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.
 - g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".
 - h) With respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
 - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements—Refer Note No 32 to the financial statements.
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There have not been any amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company in accordance with the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under.

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.: 005823N

Sd/-
CA Rakesh Dev
Partner
M. No: 084662

Place: New Delhi
Date: 22.08.2023
UDIN: 23084662BGYZEW1932



Annexure to the Independent Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the Members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31st March, 2023]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

- I. (a) In respect of its Property, Plant, Equipment and Intangible Assets:
 - (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the property, plant & equipment.
 - (B) According to the information and explanation given to us the company is maintaining proper records showing full particulars of intangible assets.
- (b) As explained to us, property, plant & equipment have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased manner program of verification adopted by the management, provides for physical verification of all the property plant & equipment at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification and have been properly dealt with the books of accounts
- (c) Title deeds of immovable properties are held in name of the Company except some of the units as mentioned in the branch audit reports. Following Title deeds of land and other properties of the Company are yet to be executed. (Refer Point No.4, 8 and 26 of Notes 34) Detail given as under: -

Sr. No.	Description of Property	Gross Carrying Value	Held in name of	Whether Promoter, Director or their relative or employee	Period held - indicate Range where appropriate	Reason for not being held in the name of company
1.	Mandhar (1.06 Acres)	-	-	-	-	-
2.	Akaltara (495.75 Acres)	-	-	-	-	-
3.	Bhatinda (10.12 Acres)	5.57	PSEB (Gurunak dev Thermal Power station Bhatinda)	No	Since 1995	Deemed ownership with CCI
4.	Nayagaon One Million Tonne Plant and Delhi Cement Grinding Unit (6.74 Acres)	-	-	-	-	-
5.	Nayagaon (0.146 Hectares)	-	-	-	-	-
6.	Head Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI

Gross carrying value of land where title deeds are yet to be executed as per Note No. 34.04 (PPE retired from active use and held for disposal) is yet to be ascertain, except 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit).

- (d) According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the company, the company has not revalued its property, plant & equipment during the year.
- (e) There is no proceeding initiated or are pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act 1988 (45 of 1988) and rules there under.

II. In respect of its inventory:

- (a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, and of stores, spare parts and raw materials, were physically verified at the end of the year by the Management. In our Opinion the frequency of such verification is reasonable, procedure and coverage followed by the management were appropriate.
- (b) According to the information and explanation given to us and on the basis of our examination of the records to the company, the company has not availed any working capital limit hence reporting under this clause is not applicable.

III. According to the information & explanations given to us, the company has not made any investment in, provided any guarantee or security, or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties during the year and hence reporting under this clause (iii) of the order is not applicable.

IV. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has complied with the provisions of Section 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of grant of loans, making investments and providing guarantees and securities.

V. In our opinion and according to the information and explanation are given to us, the company has not accepted deposits or deemed to be deposits. Therefore, the provisions of clause (v) of the order are not applicable to the Company.

VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained except for the units declared as sick by BIFR. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

VII. In respect of statutory dues:

- (a) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the Company has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, employees state insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax Deducted at Sources, Tax Collected at Source, Professional Tax, Sales Tax, Value Added Tax (VAT), Service Tax, GST, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:

Nature of Statute	Nature of Dues	Amount (₹ in Lakh)
Central Sales Tax	Central Sales Tax	9.61
Corporation Tax	Entry Tax	14.14
Corporation Tax	NALA TAX	18.92
Corporation Tax	Royalty (and interest)	73.53
Dead Rent	Dead Rent (and interest)	46.39
ED gram Panchayat tax	Surcharge/ Additional Tax	45.93
Income Tax	Interest on Late Payment of income tax	0.23
Local Sales Tax	Sales Tax	1602.68
Professional Tax	Professional Tax and other misc.	0.01
Surcharge/ Additional Tax	Surcharge/ Additional Tax	13.26
Local Tax	Cess on Cement	16.76

- (b) According to the information and explanations given to us, the disputed amounts payable in respect of Income-Tax, Custom Duty, Excise Duty, Sales Tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears were outstanding as at 31 March, 2023 is given below:

Particulars	Nature of Dues	Forum where Pending	Amount ₹ in Lakh)
NALA TAX	NALA TAX	N.A.	51.13
Property Tax	Property Tax	N.A.	277.36
Service Tax	Service Tax	N.A.	2.29
Royalty	Royalty (with interest)	N.A.	550.28
Income Tax	Income Tax	High Court of Delhi	0.76
Property Tax	House & Fire Tax	High Court of Punjab and Haryana	215.55
Excise Duty	Excise Duty	Court of Respective State	538.70
Sales Tax	Sales Tax Dues	High Court Telangana	120.33
Service Tax	Service Tax	Appellate Tribunal	33.75
Gratuity	Gratuity	Deputy Chief Labour Commissioner	220.70
Sales Tax	Sales Tax	-	8.98

VIII. According to the information and explanation given to us, the company does not have transactions which are not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) accordingly clause (viii) of the order is not applicable.

- IX. a) According to the information and explanation given to us the company has defaulted in the repayment of principle amount of loans and interest thereon in respect of dues as per details given below (Refer Point No.10 (ii) of Notes 34) -

Nature of Borrowing, including Debt Securities	Name of Lender	Amount not paid on due date	Whether Principal or Interest	No. of Days Delay or Unpaid	Remarks if any
Interest Free Loan	Govt of India	150.90 Crore	Principal	From 2011 i.e. 4382 Days	-
Non Plan Loan	Govt of India	123.85 Crore	Interest	From 2011 i.e. 4382 Days	-

- b) The company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender.
 - c) The company has not taken any term loan during the year and there is no unutilized term loan at the beginning of the year hence reporting under this clause (ix) (c) of the order is not applicable.
 - d) The company has not raised any short-term fund during the year, hence reporting under this clause (ix) (d) of the order is not applicable.
 - e) The company did not have any subsidiary or associate or joint venture during the year and hence reporting under clause (ix) (e) of the order is not applicable.
 - f) The company has not raised any loans during the year on the pledge of securities hence reporting under this clause (ix) (f) of the order is not applicable.
- X. (a) The company is not eligible to issue any securities (including debt instruments) and hence reporting under this clause (x) (a) of the order is not applicable.
- (b) The company is not eligible to make any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures (fully or partially or optionally) and hence reporting under this clause (x) (b) of the order is not applicable.
- XI. (a) According to the information and explanation are given to us, no material fraud by the company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the course of our audit. Accordingly reporting under this clause (xi) (a) of the order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation are given to us, no report under subsection (12) of section 143 of the Companies Act has been filled in form ADT-4 as prescribed under rule 13 of companies (Audit and Auditors) Rules 2014 with the central government.
- (c) As represented to us by the management, there were no whistle blower complaints received by the company during the year.
- XII. In our opinion and according to the information and explanations are given to us, the company is not a Nidhi company. Accordingly, this clause (xii) of the Order is not applicable.
- XIII. According to the information and explanations given to us, all transactions with the related parties are in compliance with sections 177 and 188 of Companies Act, 2013 have been disclosed in financial statement as required under Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures specified under section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 to the extent applicable to the state Controlled entities.
- XIV. (a) In our opinion though the company is required to have an internal audit system under section 138 of the companies act 2013, the same have been established for the year which commensurate with size and nature of its business.
- (b) Due to the system in place we were able to consider the audit report of the internal auditors.
- XV. The Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected with them. Accordingly, provisions of clause (xv) of the order are not applicable.
- XVI. (a) The Company is not required to be register under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act 1934. Accordingly, this clause (xvi) (a) of the order is not applicable.



Cement Corporation of India Limited

- (b) The Company has not conducted any Non- Banking Financial or Housing Finance Activities without a valid certificate of Registration from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, this clause (xvi) (b) of the order is not applicable.
- (c) The company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the reserve bank of India Act 1934. Accordingly, this clause (xvi) (c) of the order is not applicable.
- (d) According to the information and explanations provided to us during the audit, the company does not have any CIC, accordingly the requirement of this clause (xvi) (d) of the order is not applicable.

XVII. The company has not incurred cash losses during the current financial year i.e. period covered during the audit as well as in the previous year.

XVIII. During the year, there has been no resignation of the statutory auditors; accordingly, clause (xviii) of the order is not applicable.

XIX. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge of the board of directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that the company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We however state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

XX. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the company has spent ₹ 6.00 lakhs on CSR activity during the financial year 2022-23. (Refer Note No 34.35)

XXI. According to the information & explanation given to us and on the basis of branch auditors reports except information, qualifications or adverse remarks already included in the above clauses (I to XX) of the order, there are no other qualifications or adverse remarks by the respective branch auditors in the companies (Auditor's Report) Order (CARO) reports of the units.

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.: 005823N

Sd/-
CA Rakesh Dev
Partner
M. No: 084662

Place: New Delhi
Date: 22.08.2023
UDIN: 23084662BGYZEW1932

Annexure 'B'

Report on Internal Financial Controls over Financial Reporting**Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD ("the Company")** as of March 31, 2023 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with the generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the corporation;



Cement Corporation of India Limited

2. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements following generally accepted accounting principles and that receipts and expenditures of the corporation are being made only in accordance with following authorization of management and directors of the corporation; and
3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2023, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.: 005823N

Sd/-
CA Rakesh Dev
Partner
M. No: 084662

Place: New Delhi
Date: 22.08.2023
UDIN: 23084662BGYZEW1932

Annexure-I

**Compliance Report for Directions under section 143(5) of Companies Act, 2013
for the year ended 31st March 2023**

1. Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Yes, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. We have not noticed any accounting transactions which have been processed outside the IT system.
2. Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (in case, lender is a Government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	During the year there has been no restructuring of an existing loan or cases of waiver/write-off of debts/loans/ interest etc. made by a lender to the Company due to the company's inability to repay the loan.
3. Whether funds (grants/subsidy etc.) received / receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the causes of deviation.	The funds received/receivable for specific schemes from Central/State agencies were properly accounted for/ utilized as per its term and conditions.

For Mahalwala & Co.
Chartered Accountants
F.R.No.: 005823N

Sd/-
CA Rakesh Dev
Partner
M. No: 084662

Place: New Delhi
Date: 22.08.2023
UDIN: 23084662BGYZEW1932



Balance Sheet as at March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Note No.	As At March 31, 2023	As At March 31, 2022
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' Funds			
(a) Share Capital	02	81,140.74	81,140.74
(b) Reserves and Surplus	03	(68,484.62)	(78,013.76)
		12,656.12	3,126.98
Non-Current Liabilities			
(a) Long-Term Borrowings	04	15,090.07	15,090.07
(b) Other Long Term Liabilities	05	25,411.94	24,883.90
(c) Long-Term Provisions	06	4,239.75	4,323.87
		44,741.76	44,297.84
Current Liabilities			
(a) Short-Term Borrowings	07	-	-
(b) Trade Payables			
(i) Trade Payables-MSME	08	392.77	238.42
(ii) Trade Payables-Others	08	1,371.19	1,439.99
(c) Other Current Liabilities	09	7,757.79	6,905.21
(d) Short-Term Provisions	10	4,183.91	2,986.19
		13,705.66	11,569.81
Total		71,103.54	58,994.63
ASSETS			
Non-Current Assets			
(a) Property, Plant and Equipment and Intangible Assets			
(i) Property, Plant and Equipment	11A	12,579.84	13,351.33
(ii) Intangible Assets	11B	0.30	0.55
(iii) Capital Work-In-Progress	12	6,242.83	6,122.95
(iv) Intangible Assets under development	13	12.81	12.81
(b) Non-Current Investments	14	227.98	227.98
(c) Long-Term Loans and Advances	15	1,965.50	1,647.27
(d) Other Non-Current Assets	16	1,462.23	1,593.50
(e) Unamortised Expenses	17	1,868.47	1,982.76
		24,359.96	24,939.15
Current Assets			
(a) Current Investments	18	-	-
(b) Inventories	19	17,046.41	14,106.18
(c) Trade Receivables	20	322.56	483.98
(d) Cash and Cash Equivalents	21	20,083.99	14,120.87
(e) Short-Term Loans and Advances	22	3,428.26	3,553.88
(f) Other Current Assets	23	5,862.36	1,790.57
		46,743.58	34,055.48
Total		71,103.54	58,994.63

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements 1 to 34

The Notes referred to above form an integral part of the Balance Sheet

This is the Balance Sheet referred to in our report of even date

For Mahalwala & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.005823N

Sd/-

(CA Rakesh Dev)

Partner

Membership No.084662

UDIN: 23084662BGYZDZ1877

Date: 30-06-2023

Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN : 09353339

Sd/-

(Ajay Kumar Sharma)

Company Secretary

Sd/-

(Pradeep Kumar Chand)

Director (Finance)

DIN : 09711963

Sd/-

(Arbind Upadhyay)

Sr. Manager (Finance)

Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Note No.	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Revenue			
I Revenue from Operations			
(a) Sale of Products (Includes clinker)		44,031.02	41,679.66
(b) Other Operating Revenues		41.06	207.62
Total from Operations		44,072.08	41,887.28
II Other Income	24	3,472.30	3,703.52
Total Income		47,544.38	45,590.80
Expenses			
(a) Cost of Materials Consumed	25	5,940.54	5,924.15
(b) Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	26	(614.58)	(2,381.54)
(c) Employee Benefits Expense	27	5,395.78	5,591.16
(d) Finance Costs	28	-	-
(e) Depreciation and Amortisation Expense	29	1,003.04	973.69
(f) Other Expenses	30	34,465.04	31,463.28
Total Expenses		46,189.82	41,570.74
Profit / (Loss) before Exceptional Items		1,354.56	4,020.06
Exceptional Items Income / (Expense)	31A	8,174.58	-
Profit / (Loss) before Tax		9,529.14	4,020.06
Tax Expense			
Current Tax		369.17	-
Less: MAT Credit Entitlement		(369.17)	-
Profit / (Loss) from Continuing operations		2,443.72	4,698.94
Profit / (Loss) from Discontinuing operations	31C	7,085.42	(678.88)
Tax expense of Discontinuing operations	-	-	-
Profit / (Loss) from Discontinuing operations (After Tax)		7,085.42	(678.88)
Profit / (Loss) for the year		9,529.14	4,020.06
Earnings per Equity Share (in ₹)			
(Par Value of ₹ 1000/- per Equity Share)			
Basic		29.63	88.09
Diluted		29.63	88.09

Significant Accounting Policies and Notes to Financial Statements **1 to 34**

The Notes referred to above form an integral part of the Statement of Profit & Loss

This is the Statement of Profit & Loss referred to in our report of even date

For Mahalwala & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.005823N

Sd/-

(CA Rakesh Dev)

Partner

Membership No.084662

UDIN: 23084662BGYZDZ1877

Date: 30-06-2023

Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN : 09353339

Sd/-

(Ajay Kumar Sharma)

Company Secretary

Sd/-

(Pradeep Kumar Chand)

Director (Finance)

DIN : 09711963

Sd/-

(Arbind Upadhyay)

Sr. Manager (Finance)



Cash Flow Statement for the Year Ended 31st March, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
A. Cash flow from Operating Activities:						
Net profit/(loss) before Tax	2,443.72	4,698.94	7,085.42	(678.88)	9,529.14	4,020.06
Adjusted for:						
Depreciation and amortisation expenses	932.00	888.40	83.31	85.43	1,015.31	973.83
Finance Cost	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Income	(2,731.81)	(2,652.19)	(246.47)	(269.85)	(2,978.28)	(2,922.04)
Profit on disposal of Fixed Assets	(6.95)	(11.32)	-	-	(6.95)	(11.32)
Profit on sale of Investment	-	-	-	-	-	-
Provisions no longer required written back	(363.40)	(755.53)	(25.53)	(14.63)	(388.93)	(770.16)
Provision for doubtful receivables	-	-	-	-	-	-
Unamortised Expenses written off	370.91	359.97	-	-	370.91	359.97
Exceptional (Income)/Expense	-	-	(8,174.58)	-	(8,174.58)	-
Operating profit before working capital changes	644.47	2,528.27	(1,277.85)	(877.93)	(633.38)	1,650.34
Changes in Working Capital:						
Increase / (Decrease) in Trade Payables	115.53	(156.03)	(29.97)	(25.86)	85.56	(181.89)
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	347.42	(921.73)	1,422.13	83.98	1,769.55	(837.75)
Increase / (Decrease) in Provisions	1,059.72	255.99	53.88	118.66	1,113.60	374.65
Decrease / (Increase) in Trade Receivables	161.42	58.03	-	-	161.42	58.03
Decrease / (Increase) in Inventories	(3,860.80)	(2,142.87)	920.57	-	(2,940.23)	(2,142.87)
Decrease / (Increase) in Loans and Advances	(135.22)	24.27	(57.39)	(211.95)	(192.61)	(187.68)
Decrease / (Increase) in Other Assets	(143.00)	(213.58)	(76.83)	(201.66)	(219.83)	(415.24)
Unamortised Expenses incurred	(256.62)	(256.21)	-	-	(256.62)	(256.21)
Net cash from / (used in) Operating Activities	(2,067.08)	(823.86)	954.54	(1,114.76)	(1,112.54)	(1,938.62)
B. Cash flow from Investing Activities:						
Purchase of Fixed Assets	(474.44)	(149.24)	2.54	(50.99)	(471.90)	(200.23)
Interest and Other Income	2,895.78	2,555.93	246.47	269.85	3,142.25	2,825.78
Capital work-in-progress	(249.59)	(164.34)	129.70	-	(119.89)	(164.34)
Receipts on sale of Fixed Assets	8.26	12.44	4,516.94	-	4,525.20	12.44
Net cash from Investing Activities	2,180.01	2,254.79	4,895.65	218.86	7,075.66	2,473.65
C. Cash flow from Financing Activities:						
Proceeds from Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Long-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Proceeds from Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Repayment of Short-Term Borrowings	-	-	-	-	-	-
Funds transferred to other units	-	-	-	-	-	-
Grant received from Govt. of India	-	-	-	-	-	-
Interest and Other Borrowing Cost paid	-	-	-	-	-	-
Fund transferred between units	5,847.13	(895.70)	(5,847.13)	895.70	-	-
Net cash from financing activities	5,847.13	(895.70)	(5,847.13)	895.70	-	-
Net Increase / (Decrease) in Cash and Cash Equivalents	5,960.06	535.23	3.06	(0.20)	5,963.12	535.03
Opening Cash and Cash Equivalents	14,113.42	13,578.19	7.45	7.65	14,120.87	13,585.84
Closing Cash and Cash Equivalents	20,073.48	14,113.42	10.51	7.45	20,083.99	14,120.87

(₹ in Lakh)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
Notes :						
1 Closing Cash and Cash Equivalents comprises:						
Cash	0.97	0.64	0.03	0.03	1.00	0.67
Cheques in hand	-	-	-	-	-	-
Balance with Banks:						
- On Current Accounts	792.46	793.41	10.48	7.42	802.94	800.83
- On Deposit Accounts	19,280.05	13,319.37	-	-	19,280.05	13,319.37
Total	20,073.48	14,113.42	10.51	7.45	20,083.99	14,120.87

- The above Cash Flow Statement has been prepared under the Indirect Method as set out in Accounting Standard 3 'Cash Flow Statements' notified by the Central Government under Companies (Accounting Standards) Rules, 2021.
- Bank Deposits include deposits of ₹ 2261.04 lakh (Previous Year: ₹ 1963.42 lakh) whose maturity period is more than 12 months.
- Additional working capital, as and when required, is proposed to be met out of own cash resources.
- Previous year's figures have been regrouped / rearranged wherever necessary to confirm to the current year's classification.

For Mahalwala & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.005823N

Sd/-

(CA Rakesh Dev)

Partner

Membership No.084662

Date: 30-06-2023

Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN : 09353339

Sd/-

(Ajay Kumar Sharma)

Company Secretary

Sd/-

(Pradeep Kumar Chand)

Director (Finance)

DIN : 09711963

Sd/-

(Arbind Upadhyay)

Sr. Manager (Finance)

AUDITORS' CERTIFICATE

We have verified the above Cash Flow Statement of Cement Corporation Of India Limited derived from the audited annual financial statements for the year ended March 31, 2023 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached

For Mahalwala & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.005823N

Sd/-

(CA Rakesh Dev)

Partner

Membership No.084662

Date: 30-06-2023

Place: New Delhi

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

01 Significant Accounting Policies

01.01 Basis of Preparation

The financial statements have been prepared under historical cost convention, on accrual basis, in compliance with applicable Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act., 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the Companies Act., 2013 except for the following items which are accounted for on cash basis.

- (i) Liquidated damages/penalties/claims, other than Railway & Insurance claims, made are accounted for on realization and included in Miscellaneous Income.
- (ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

Operating Cycle

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's operating cycle and other criteria set out in Schedule III of the Companies Act, 2013. Based on the nature of operations, the Company has ascertained its operating cycle as twelve months for the purpose of current/non-current classification of assets and liabilities.

01.02 Revenue Recognition

- (i) Revenue is recognized net of returns, discounts and rebates etc., and also excluding Goods and Services tax.
- (ii) Interest income is accrued on a time basis, with reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable.

01.03 Land & Amortisation

- (i) Land given free by the State Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.
- (ii) Land free hold under mining lease at

quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

01.04 Investments

- (i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- (ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

01.05 Borrowing Costs

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use.

All other borrowing costs are charged to revenue.

01.06 Fixed Assets

- (i) Tangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Acquisition cost comprises of the purchase price and any other attributable cost to bring the asset to its working condition for its intended use.
- (ii) Intangible assets are stated at acquisition cost, net of accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. Acquisition cost comprises of the purchase price and any other attributable expenditure on making the asset ready for its intended use.

01.07 Depreciation/Amortisation

- (i) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use. Depreciation on fixed assets is calculated on straight line basis based on

the useful life of assets in accordance with the Schedule II of the Companies Act, 2013 and 95% of the cost is written off during the expected useful life of the assets as mentioned in (iv) below.

- (ii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded/sold/demolished/destroyed.
- (iii) Any individual asset whose written down value is ₹ 5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.
- (iv) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.
- (v) Leasehold Land is amortised over the period of lease.
- (vi) Intangible assets are amortised on a straight line basis over their expected useful life as follows: Computer software is amortised over a period of five years.

01.08 Inventories

a) Valuation

- (i) Stores, spare parts and raw materials, except as indicated in (ii) below, are stated at weighted average cost. The obsolete / unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.
- (ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation it is stated at zero value.
- (iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.
- (iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued

as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

b) Loose Tools & Tackles

Tools and tackles are written off over a period of three years.

01.09 Deferred Revenue Expenditure

- (i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.
- (ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.
- (iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupee one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.
- (iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of hi-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- (v) In case there is no unutilized grant / subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less



and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/VSS on or after 01/04/2003 is recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

01.10 Prior Period/Extraordinary Adjustments

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹ 10,000/-. In case the amount is more than ₹ 10,000/-, the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its account under natural head of accounts of Current year / Prior period / Extraordinary Expenditure / Income.

01.11 Accountal of Foreign Exchange Transaction

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to Incidental Expenditure During Construction (IEDC), (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but, those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.

01.12 Government Grants/Subsidies

(i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental

Cement Corporation of India Limited

expenditure incurred on its acquisition/ installation.

- (ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.
- (iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.
- (iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

01.13 Claims of the Corporation

- (i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31st March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.
- (ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

01.14 Deposit Works

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital Work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

01.15 Staff Benefits

- (i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service at the end of each financial year in accordance with the actuarial valuation.

- (ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service at the end of each financial year in accordance with the actuarial valuation.
- (iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unit wise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

01.16 Premium on Redemption of Debentures

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss / IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

01.17 Prepaid Expenses

Expenditure of ₹ 10,000/- or less, in each case, incurred in advance of the subsequent year(s) are charged off as expenses of the current year.

01.18 Accounting for Bad & Doubtful Receivables / Loans / Advances etc

- (i) Provision is made for doubtful Receivables / Loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.
- (ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

01.19 Inter unit/Zones/Corporate Office transfers

- (i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.
- (ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.

- (iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.

- (iv) Inter Unit/Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

01.20 Classification of Expenditure

- (i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares, except as shown as in (ii) below, are charged to Statement of Profit & Loss.
- (ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance (e.g. an increase in capacity) is capitalized.
- (iii) Salaries and Wages: Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.
- (iv) Other Sundry Expenses: Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

01.21 Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

01.22 Allocation of Corporate Office Expenditure

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As At	
	March 31, 2023	March 31, 2022
02 Share Capital		
Authorised		
50,00,000 (31 March 2022: 50,00,000) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share	50,000.00	50,000.00
40,00,000 (31 March 2022: 40,00,000) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share	40,000.00	40,000.00
Total	90,000.00	90,000.00
Issued, Subscribed and Paid-Up		
45,59,749 (31 March 2022: 45,59,749) Equity Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	45,597.49	45,597.49
35,54,325 (31 March 2022: 35,54,325) Preference Shares, ₹ 1000/- par value per share fully paid	35,543.25	35,543.25
Total	81,140.74	81,140.74

02.1 Rights, preferences and restrictions in respect of each class of shares

The Company has two classes of shares referred to as Equity Shares and Preference Shares having par value of ₹1000/- per share. Each holder of Equity Share is entitled to one vote per share. Preference Shareholder is eligible to vote only on the resolutions directly affecting the rights attached to his Preference shares.

02.2 Reconciliation of the Number of Shares outstanding

Equity Shares	March 31, 2023		March 31, 2022	
	Number of Shares	Amount ₹ Lakh	Number of Shares	Amount ₹ Lakh
Balance as at the beginning of the year	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares	March 31, 2023		March 31, 2022	
	Number of Shares	Amount ₹ Lakh	Number of Shares	Amount ₹ Lakh
Balance as at the beginning of the year	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
Add: Number of shares issued	-	-	-	-
Balance as at the end of the year	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

02.3 Details of shares held by each shareholder holding more than 5% shares in the Corporation:

Name of the Shareholder	March 31, 2023		March 31, 2022	
	Number of Shares	% of Shareholding	Number of Shares	% of Shareholding
Equity Shares:				
Government of India	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:				
Government of India	3,554,325	100%	3,554,325	100%

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

02.4 Details of shareholding of promoters in the Corporation:

Shares held by promoters at the end of the year.	March 31, 2023			March 31, 2022		
	Number of Shares	% of Shares	% Change during the year	Number of Shares	% of Shares	% Change during the year
Equity Shares:						
Government of India	4,559,749	100%	0%	4,559,749	100%	0%
0.01% Non Cumulative Redeemable Preference Shares:						
Government of India	3,554,325	100%	0%	3,554,325	100%	0%

* No change in %age shareholding of promoters in the Corporation during financial year 2022-23

Particulars	₹ in Lakhs)	
	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
03 Reserves & Surplus		
Surplus / (Deficit) in the Statement of Profit and Loss		
Balance as at the beginning of the year	(78,013.76)	(82,033.82)
Add: Net Profit / (Loss) for the year	9,529.14	4,020.06
Balance as at the end of the year	(68,484.62)	(78,013.76)
04 Long Term Borrowings		
Unsecured:		
Govt. Loans	15,090.07	15,090.07
Total	15,090.07	15,090.07
05 Other Long Term Liabilities		
Trade Payable		
- MSMEs	98.31	105.08
- Others	3,106.67	2,993.69
Security & Earnest Money Received	3,187.84	3,015.40
Advance from Customers	41.13	36.32
GST/Sales Tax payable	80.34	80.16
Power dues payable	1,147.55	1,071.24
Royalty payable	65.31	65.30
Interest accrued and due on borrowings- Govt Loan	12,385.27	12,385.27
Other Payables	5,299.52	5,131.44
Total	25,411.94	24,883.90

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
06 Long Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	1,984.82	2,150.59
- Earned Leave	1,311.77	1,401.19
Provision for Capital Work in Progress	10.57	10.57
Other Provisions	932.59	761.52
Total	4,239.75	4,323.87
07 Short Term Borrowings		
From Banks	-	-
Total	-	-
08 Trade Payables		
Trade Payables- MSMEs	392.77	238.42
Trade Payables- Others	1,371.19	1,439.99
Total	1,763.96	1,678.41
09 Other Current Liabilities		
Advance from customers	1,768.37	2,009.26
Security & Earnest Money Received	1,971.87	866.93
GST/Sales Tax Payable	1,800.60	1,745.84
Power Dues Payable	1,001.08	850.21
Dues to Employees	442.63	428.44
Royalty payable	22.13	201.81
Other Payables	751.11	802.72
Total	7,757.79	6,905.21
10 Short Term Provisions		
Provision for Employee benefits:		
- Gratuity	504.43	335.21
- Earned Leave	238.23	198.12
Other Provisions	3,249.75	2,444.50
Bonus	7.96	8.36
Provision for Taxation	183.54	-
Less: Mat Credit Entitlement	-	-
Total	4,183.91	2,986.19

11 A: Property, Plant and Equipment

(₹ in Lakh)

Particular	Gross Block/ Original Cost			Depreciation/ Amortisation			Net Block			
	As at April 01, 2022 (a)	Addition/ Adjustments (b)	Deletion/ Adjustments (c)	As at March 31, 2023 (d)=(a)+(b)-(c)	As at April 01, 2022 (e)	Addition/ Adjustments (f)	Deletion/ Adjustments (g)	As at March 31, 2023 (h)=(e)+(f)-(g)	As at March 31, 2022 (i)=(d)-(h)	As at March 31, 2022 (j)=(a)-(e)
A) Works										
1 Land Freehold	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2 Land Leasehold	2,003.78	-	-	2,003.78	1,265.95	183.84	-	1,449.79	553.99	737.83
3 Roads & Culverts	903.79	-	-	903.79	729.76	39.24	-	769.00	134.79	174.03
4 Plant Buildings	8,086.61	-	804.83	7,281.78	7,676.01	7.01	764.67	6,918.35	363.43	410.60
5 Non-Plant Buildings	841.79	-	70.23	771.56	619.16	7.99	52.72	574.43	197.13	222.63
6 Water Supply, Drainage & Sewerage	1,081.03	-	47.18	1,033.85	947.33	1.76	44.84	904.25	129.60	133.70
7 Railway Siding	3,296.19	-	75.16	3,221.03	1,964.26	101.07	71.47	1,993.86	1,227.17	1,331.93
8 Electrical Installation	2,225.70	302.45	135.03	2,393.12	1,819.27	62.75	128.75	1,753.27	639.85	406.43
9 Plant & Machinery	48,769.37	113.29	2,873.92	46,008.74	41,032.23	548.48	2,746.76	38,833.95	7,174.79	7,737.14
10 Aerial Ropeway	706.04	-	-	706.04	672.33	-	-	672.33	33.71	33.71
11 Railway Rolling Stock	423.65	-	23.99	399.66	406.45	-	22.82	383.63	16.03	17.20
12 Quarry Equipment	2,327.79	-	494.81	1,832.98	2,207.25	3.41	470.42	1,740.24	92.74	120.54
13 Vehicles	402.48	24.36	26.22	400.62	383.72	2.41	25.43	360.70	39.92	18.76
14 Office Equipments	522.12	15.52	21.95	515.69	482.91	12.46	21.17	474.20	41.49	39.21
15 Furniture & Fixture	270.88	1.49	17.44	254.93	258.30	2.65	17.44	243.51	11.42	12.58
16 Miscellaneous Equipments	1,016.80	15.68	142.19	890.29	848.83	22.25	137.03	734.05	156.24	167.97
17 Plant & Mach. costing upto ₹ 5000	63.86	0.41	3.64	60.63	63.86	0.41	3.64	60.63	-	-
Total Works	74,278.80	473.20	4,736.59	70,015.41	61,523.69	995.73	4,507.16	58,012.26	12,003.15	12,755.11
B) Township										
1 Land Freehold	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2 Land Leasehold	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3 Roads & Culverts	39.01	-	-	39.01	36.99	-	-	36.99	2.02	2.02
4 Residential & welfare buildings	1,750.99	-	7.54	1,743.45	1,244.10	18.50	7.26	1,255.34	488.11	506.89
5 Water Supply, Drainage & Sewerage	185.35	-	-	185.35	155.01	0.78	0.21	155.58	29.77	30.34
6 Electrical Installation	41.33	-	1.37	39.96	40.33	-	1.37	38.96	1.00	1.00
7 Vehicles	119.82	-	2.68	117.14	115.07	-	2.55	112.52	4.62	4.75
8 Office Equipments	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9 Furniture & Fixture	18.54	-	0.95	17.59	17.26	-	0.95	16.31	1.28	1.28
10 Miscellaneous Equipments	20.13	-	-	20.13	18.32	0.05	-	18.37	1.76	1.81
Total Township	2,227.37	-	12.54	2,214.83	1,631.15	19.33	12.34	1,638.14	576.69	596.22
Total works & Township	76,506.17	473.20	4,749.13	72,230.24	63,154.84	1,015.06	4,519.50	59,650.40	12,579.84	13,351.33
Previous year	76,328.57	200.24	22.64	76,506.17	62,202.77	973.58	21.51	63,154.84	13,351.33	

11 B: Intangible Assets

Particular	Gross Block/ Original Cost			Depreciation/ Amortisation			Net Block			
	As at April 01, 2022 (a)	Addition/ Adjustments (b)	Deletion/ Adjustments (c)	As at March 31, 2023 (d)=(a)+(b)-(c)	As at April 01, 2022 (e)	Addition/ Adjustments (f)	Deletion/ Adjustments (g)	As at March 31, 2023 (h)=(e)+(f)-(g)	As at March 31, 2022 (i)=(d)-(h)	As at March 31, 2022 (j)=(a)-(e)
1 Computer Software	0.81	-	-	0.81	0.26	0.25	-	0.51	0.30	0.55
Total	0.81	-	-	0.81	0.26	0.25	-	0.51	0.30	0.55
Previous year	0.81	-	-	0.81	0.01	0.25	-	0.26	0.55	



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

	As at 31 March 2022	Additions during the year	Capitalised during the year	As at 31 March 2023
12 Capital Work-in-Progress				
Mechanical consultancy	131.37	-	-	131.37
Civil Engineering Works	2,017.18	34.30	21.88	2,029.60
Plant & Machinery including awaiting erection	4,034.58	123.17	301.57	3,856.18
Erection Expenses of Plant & Machinery	68.63	285.85	-	354.48
Incidental Expenditure Pending Allocation*	138.18	0.01	-	138.19
Capital Stores	8.82	-	-	8.82
Others	160.16	-	-	160.16
Sub Total	6,558.92	443.33	323.45	6,678.80
Provision	435.97	-	-	435.97
Total	6,122.95	443.33	323.45	6,242.83
* Incidental Expenditure Pending Allocation				
Employee Remuneration & Benefits				
Salaries, Wages & Allowances	-	-	-	-
Total	-			-
Power	0.54			0.19
Miscellaneous Expenses	0.76			0.33
Legal Expenses	-			0.40
Security Expenses	21.37			12.28
Depreciation	0.14			0.14
Total	22.81			13.34
Transferred	22.50			13.33
Addition during the year	-			-
Total	0.31			0.01
13 Intangible assets under development				
Software Development	14.91	-	-	14.91
Sub Total	14.91	-	-	14.91
Provision	2.10	-	-	2.10
Total	12.81	-	-	12.81

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Market Value as on 31-03-23	Book Value as on 31-03-23	Book Value as on 31-03-23	Market Value as on 31-03-22	Book Value as on 31-03-22	Book Value as on 31-03-22
14 Non Current Investments						
A Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Quoted						
i) 31 Equity Shares of 10/- each of Andhra Cement Co. Ltd. Market Value ₹ 4.95 per share on NSE (Previous Year: ₹ 14.65 per Share)	*		*	*		*
ii) 280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of ₹ 10/- each of ACC Ltd. (1) Market Value @₹ 1667.2 per share on NSE (Previous Year: ₹ 2151.35 per Share)	4.67		0.01	6.02		0.01
Sub Total			0.01			0.01
B Equity Shares (Fully Paid) at Cost: Unquoted						
i) 1 Equity Share of ₹ 10/- each of Assam Bengal Cement Co. Ltd. (2)			*			*
ii) 79 Equity Share of ₹ 10/- each of Jaipur Udyog Ltd.			0.01			0.01
iii) 40 Equity Share of ₹ 5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd.			*			*
iv) 55,31,250 Equity Share of ₹ 10/- each of A P Gas Power Corporation Ltd. including 23,15,520 Bonus Shares		322.00			322.00	
Less: 16,10,680 Shares sold including 1,34,000 Bonus Shares		94.04			94.04	
Balance held 39,20,840 Shares including 21,81,520 Bonus Shares			227.96			227.96
Sub Total			227.97			227.97
Total (A + B)			227.98			227.98
Aggregate of Quoted Investments						
Cost			0.02			0.02
Market Value	4.67			6.02		
Aggregate of Un-quoted Investments						
Cost			227.96			227.96
Total			227.98			227.98

(1) Converted from 28 Shares of ₹ 100 each. New Share Certificates awaited.

(2) Shares are yet to be transferred to the name of the Corporation.

* Amount is less than ₹ 0.01 lakh



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
15 Long-term Loans and Advances		
a) Capital Advances		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	207.20	207.20
Doubtful	18.59	18.59
Less: Allowances for bad and doubtful advances	18.59	18.59
Sub Total	207.20	207.20
b) Contractors & Suppliers		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	131.21	159.70
Doubtful	470.63	470.63
Less: Allowances for bad and doubtful advances	470.63	470.63
Sub Total	131.21	159.70
c) Balance with Govt. Department		
Secured, Considered Good	0.38	0.52
Unsecured, Considered Good	449.36	113.87
Doubtful	151.20	151.20
Less: Allowances for bad and doubtful advances	151.20	151.20
Sub Total	449.74	114.39
d) Insurance and Other claims		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	8.46	6.47
Doubtful	133.84	133.84
Less: Allowances for bad and doubtful advances	133.84	133.84
Sub Total	8.46	6.47
e) Loans & Advances to Employees		
Secured, Considered Good	3.16	3.16
Unsecured, Considered Good	0.60	0.60
Doubtful	0.37	0.37
Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.37	0.37
Sub Total	3.76	3.76
f) Claims Recoverable- Railways		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	13.44	13.44
Doubtful	406.06	406.06
Less: Allowances for bad and doubtful advances	406.06	406.06
Sub Total	13.44	13.44

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
g) Excise Duty Relief Recoverable		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	27.55	27.55
Doubtful	80.21	80.21
Less: Allowances for bad and doubtful advances	80.21	80.21
Sub Total	27.55	27.55
h) Recoverable from Employees		
Secured, Considered Good	0.66	0.28
Unsecured, Considered Good	0.13	0.10
Doubtful	7.51	7.65
Less: Allowances for bad and doubtful advances	7.51	7.65
Sub Total	0.79	0.38
i) Recoverable from Outside Parties		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	1,123.35	1,114.38
Doubtful	673.94	674.38
Less: Allowances for bad and doubtful advances	673.94	674.38
Sub Total	1,123.35	1,114.38
j) Shortage, Losses Pending Investigation		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	589.52	589.52
Less: Allowances for bad and doubtful advances	589.52	589.52
Sub Total	-	-
Total	1,965.50	1,647.27



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
16 Other Non-Current Assets		
Long- Term Trade Receivables:		
Secured- Considered Good	-	-
Unsecured- Considered Good	-	-
Doubtful	1,514.53	1,514.53
Less: Allowances for doubtful receivables	1,514.53	1,514.53
Sub Total	-	-
Deposits: Central Excise	-	-
Secured, Considered Good	18.00	18.00
Unsecured, Considered Good	0.44	0.44
Doubtful	0.02	0.02
Less: Allowances for bad and doubtful advances	0.02	0.02
Sub Total	18.44	18.44
Deposits: Others	-	-
Secured, Considered Good	158.16	158.16
Unsecured, Considered Good	1,246.13	1,386.77
Doubtful	53.66	53.66
Less: Allowances for bad and doubtful advances	53.66	53.66
Sub Total	1,404.29	1,544.93
Interest accrued & due on Loans & Advances		
Secured- Considered Good	-	-
Unsecured- Considered Good	39.50	30.13
Doubtful	-	-
Less: Allowances for doubtful receivables	-	-
Sub Total	39.50	30.13
Total	1,462.23	1,593.50
17 Unamortised Expenses		
<i>Quarry Development Expenditure</i>		
Opening for the year	1,982.76	2,086.52
Additions	256.62	256.21
	2,239.38	2,342.73
Less: Capitalised/ Adjusted	370.91	359.97
Total	1,868.47	1,982.76
18 Current Investments		
Non Trade Investments	-	-
Total	-	-

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023		As at March 31, 2022	
19 Inventories (As verified, valued and certified by the Management)				
a) <i>Stores and Spares:</i>				
In stock	8,136.62		6,823.64	
In transit	80.90	8,217.52	15.71	6,839.35
b) <i>Work in Progress:</i>				
In stock	4,950.94		4,665.37	
In transit	-	4,950.94	-	4,665.37
c) <i>Finished Goods:</i>				
In stock	859.83		656.03	
In transit	77.96	937.79	2.72	658.75
d) <i>Raw Materials:</i>				
In stock	1,029.61		874.19	
In transit	-	1,029.61	-	874.19
e) <i>Loose Tools:</i>				
In stock	1.24		1.16	
In transit	-	1.24	-	1.16
f) <i>Packing Materials:</i>				
In stock	158.07		100.32	
In transit	-	158.07	-	100.32
g) <i>Coal:</i>				
In stock	1,533.48		711.46	
In transit	259.66	1,793.14	-	711.46
h) <i>Scrap:</i>				
In stock	316.04		266.07	
In transit	-	316.04	-	266.07
Sub total		17,404.35		14,116.67
Less: Provision for Unrealisable inventory		357.94		10.49
Total		17,046.41		14,106.18



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
20 Trade Receivables		
a) <i>Outstanding for a period exceeding six months</i>		
Secured, Considered Good	1.81	0.43
Unsecured, Considered Good	131.52	119.44
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful receivables	- 133.33	- 119.87
b) <i>Others</i>		
Secured, Considered Good	27.37	34.51
Unsecured, Considered Good	161.86	329.60
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful receivables	- 189.23	- 364.11
Total	322.56	483.98
21 Cash and Cash Equivalents		
Cash in hand	1.00	0.67
Cheques in hand	-	-
Balance with Banks:		
- In Current Account	802.94	800.83
- Fixed Deposits	15,630.82	9,671.31
- Fixed Deposits held as Margin Money against Bank Guarantee/Letter of Credit	3,649.23	3,648.06
Total	20,083.99	14,120.87

Note:

Bank Deposits include deposits of ₹ 2261.04 lakh (Previous Year: ₹ 1963.42 lakh) whose maturity period is more than 12 months.

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
22 Short-term Loans and Advances		
a) Capital Advances		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
b) Deposits: Central Excise		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	17.80	17.80
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	17.80	17.80
c) Deposits: Others		
Secured, Considered Good	220.70	220.70
Unsecured, Considered Good	417.68	402.50
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	638.38	623.20
d) Contractors & Suppliers		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	689.19	1,328.06
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	689.19	1,328.06
e) Balance with Govt. Department		
Secured, Considered Good	730.14	663.39
Unsecured, Considered Good	564.91	333.23
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	1,295.05	996.62
f) Insurance and Other claims		
Secured, Considered Good	14.38	5.19
Unsecured, Considered Good	332.70	153.87
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	347.08	159.06



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
g) Loans & Advances to Employees		
Secured, Considered Good	4.75	5.73
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	4.75	5.73
h) Claims Recoverable- Railways		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
i) Excise Duty Relief Recoverable		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	52.17	52.17
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	52.17	52.17
j) Recoverable from Employees		
Secured, Considered Good	11.23	10.33
Unsecured, Considered Good	4.84	6.64
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	16.07	16.97
k) Recoverable from Outside Parties		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	367.77	354.27
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	367.77	354.27
l) Shortage, Losses Pending Investigation		
Secured, Considered Good	-	-
Unsecured, Considered Good	-	-
Doubtful	-	-
Less: Allowances for bad and doubtful advances	-	-
Sub Total	-	-
Total	3,428.26	3,553.88

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
23 Other Current Assets		
Interest Accrued on Term Deposits	474.32	310.35
Recoverable from outside parties	5,388.04	1,480.22
Total	5,862.36	1,790.57

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
24 Other Income		
Rent from Property	2,104.23	2,161.55
Interest on:		
- Fixed deposits with banks	693.29	591.02
- Others	42.36	40.56
Receipts from Township	47.70	44.27
Excess Provision written back	388.93	770.16
Miscellaneous Income	90.70	84.64
Prior Period Income (Net) (Refer Note-31 B)	98.14	-
Profit on sale of discarded Assets	6.95	11.32
Total	3,472.30	3,703.52
25 Cost of Raw Materials Consumed		
Opening Balance	874.19	1,255.16
Acquisition during the year:		
Limestone Raising, Quarrying & Transportation (1)	4,139.56	4,178.84
Other Raw Materials Purchased	1,956.40	1,364.34
Less: Closing Stock	1,029.61	874.19
Raw Materials Consumed	5,940.54	5,924.15
(1) Limestone Raising, Quarrying & Transportation		
Limestone Raising & Payment to Contractors	1,161.54	1,154.13
<i>Employees Remuneration & Benefits</i>		
Salaries, Wages and Bonus	272.35	289.16
Gratuity paid	42.31	55.24
Benefits to Employees	0.12	0.05
Contribution to Provident Fund	21.91	23.63
Contribution to Pension Fund	3.52	4.44



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023		Year ended March 31, 2022	
Leave Encashment	22.48		32.16	
Medical Expenses	3.82		4.79	
Provision for Gratuity	7.25		-	
Provision for Earned Leave	5.02	378.78	-	409.47
<i>Stores Consumed</i>				
Gross Amount	522.36		306.78	
Less: Amount included under Repairs	213.75	308.61	31.10	275.68
Power	67.08		67.29	
Fuel	69.93		93.97	
Rates and Taxes	21.89		27.09	
Payment to Contract Labour	340.10		487.26	
Royalty and Cess	1,426.58		1,514.53	
Quarry Development Expenditure written off	370.91		359.97	
Travelling Expenses	0.75		0.98	
Insurance	0.63		0.67	
Other Expenses	35.63	2,333.50	12.91	2,564.67
Repairs				
- Machinery	0.92		13.05	
- Building	-		-	
- Others	212.83	213.75	18.05	31.10
Sub Total		4,396.18		4,435.05
Less: Quarry Dev. Exp.		256.62		256.21
Total		4,139.56		4,178.84

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023		Year ended March 31, 2022	
26 Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade				
Semi Finished Goods				
- Opening Stock	4,665.37		2,547.49	
- Closing Stock	4,950.94	(285.57)	4,665.37	(2,117.88)
Finished Goods				
- Opening Stock	656.04		374.17	
- Closing Stock	859.83	(203.79)	656.04	(281.87)
Finished Goods in transit				
- Opening Stock	2.72		102.55	
- Closing Stock	77.96	(75.24)	2.72	99.83
Scrap Stock				
- Opening Stock	266.06		184.44	
- Closing Stock	316.04	(49.98)	266.06	(81.62)
Total		(614.58)		(2,381.54)
27 Employee Benefits Expenses				
Salary, Wages and Bonus		4,097.73		4,016.66
Gratuity Paid		293.71		580.86
Benefits to Employees		2.72		4.31
Leave Encashment		237.18		352.37
Contribution to Provident Fund		284.39		278.72
Contribution to Pension Fund		35.85		42.49
Medical Expenses		244.93		190.64
Provision for Earned Leave		22.97		8.63
Provision for Gratuity		48.43		7.89
Staff Welfare Expenses		127.87		108.59
Sub Total		5,395.78		5,591.16
Less: Employee Benefits Expenses transferred to IEDC		-		-
Total		5,395.78		5,591.16



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023		Year ended March 31, 2022		
28 Finance Cost					
Other Borrowing Cost					
- Others		-		-	
Total		-		-	
29 Depreciation and Amortisation Expense					
Depreciation/ Amortisation		1,015.31		973.83	
Less: Amount charged to Prior Period		12.13		-	
Sub Total		1,003.18		973.83	
Less: Depreciation transferred to IEDC		0.14		0.14	
Total		1,003.04		973.69	
30 Other Expenses					
Power		9,014.60		7,327.51	
Coal		13,862.50		13,394.15	
Fuel Oil		5.22		5.18	
Rent		23.56		35.75	
Rates & Taxes		156.78		140.54	
Insurance		36.17	23,098.83	37.31	20,940.44
Repairs & Maintenance					
- Plant & Machinery		1,625.04		1,509.58	
- Buildings		124.06		89.25	
- Others		351.45	2,100.55	241.23	1,840.06
Other Production Expenses		499.30		412.66	
Tools & Tackles Written off		0.82		0.68	
Travelling Expenses		108.09		54.49	
Selling Expenses					
- Freight on Cement		3,097.94		2,895.02	
- Handling Charges		169.18		192.16	
- Godown Charges		32.98		100.51	
- Sales Promotion & Publicity		36.56		76.75	
- Other Selling Expenses		34.92	3,371.58	27.20	3,291.64
Vehicle Running Expenses		28.42		18.27	
Auditors' Remuneration					
- For Audit Fee		7.75		7.75	
- For Reimbursement of Expenses		1.22		1.34	
- In Other Capacity		2.25	11.22	2.25	11.34

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023		Year ended March 31, 2022	
Cost Auditors' Remuneration				
- For Audit Fee	0.95		1.01	
- For Reimbursement of Expenses	0.04	0.99	-	1.01
Subscription to CRI & Others		4.85		4.11
Communication Expenses		17.75		18.42
Printing & Stationery		21.73		21.04
Hire Charges for Data Processing		0.17		0.41
Legal & Professional Expenses		198.72		109.40
Security Expenses		719.26		747.93
Interest on deposits from Stockists/Others		89.19		100.51
Training of Workers & Supervisors		-		0.45
Miscellaneous Expenses (1)		392.80		273.90
Payment to Contract Labour		1,684.58		1,479.55
Expenses on closed project		13.33		22.50
Provision for doubtful receivables & advances		-		-
Prior period Expenses (Net) [Refer Note No.31B]		-		1.76
Corporate Social Responsibility		6.00		-
Consumption of Stores & Spare Parts:				
- Gross Amount	2,108.53		1,968.03	
- Less: Includes under Repair & Maintenance	1,441.44	667.09	1,263.03	705.00
Packing Materials		1,442.97		1,430.38
Sub Total		34,478.24		31,485.95
Less: Expenses transferred to IEDC A/c				
Power expenses		0.19		0.54
Legal and Professional expenses		0.40		-
Security expenses		12.28		21.37
Miscellaneous expenses		0.33		0.76
Total		34,465.04		31,463.28
(1) Includes:				
- Commission on Sale of Assets (NOU)		115.10		-
- Director Sitting Fees		4.20		0.66



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023		Year ended March 31, 2022	
31 Exceptional, Extraordinary Items and Adjustment Relating to Past Years				
31A Exceptional Items				
Income:				
Waiver of Interest etc.		-		-
Profit on sale of Assets		8,626.68		-
Sub total		8,626.68		-
Expenses:				
Loss on Sale/Discard of Assets		452.10		-
Sub total		452.10		-
Net Exceptional Items Income/(Expenses)		8,174.58		-
31B Prior Period Items				
Income:				
Interest		-		-
Store and spare, Materials and Others	241.94	241.94	11.55	11.55
Total		241.94		11.55
Expenses:				
Repairs & Maintenance		-		-
Rates & Taxes	51.00			-
Interest		-		-
Depreciation & Amortisation	12.13			-
Store and spare, Materials and Others	80.67		13.31	
Total		143.80		13.31
Net Prior Period Income / (Expense)		98.14		(1.76)

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

31C Statement of Revenue & Expenses of Continuing and Discontinuing Operations

(₹ in Lakh)

Particulars	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022	Year ended March 31, 2023	Year ended March 31, 2022
A Revenue:						
Turnover (Net)	44,031.02	41,679.66	-	-	44,031.02	41,679.66
Other Operating Revenue	41.06	207.62	-	-	41.06	207.62
Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-Progress and Stock in Trade	709.94	2,381.54	(95.36)	-	614.58	2,381.54
Total	44,782.02	44,268.82	(95.36)	-	44,686.66	44,268.82
B Expenses:						
Operating Expenses	45,538.61	42,994.08	1,265.79	963.36	46,804.40	43,957.44
Total	45,538.61	42,994.08	1,265.79	963.36	46,804.40	43,957.44
C Profit/(Loss) Before Interest & Tax from Operating Activities	(756.59)	1,274.74	(1,361.15)	(963.36)	(2,117.74)	311.38
Interest Expenses	-	-	-	-	-	-
D Profit/(Loss) Before Tax	(756.59)	1,274.74	(1,361.15)	(963.36)	(2,117.74)	311.38
Income Tax	-	-	-	-	-	-
E Profit/(Loss) from Operating Activities After Tax	(756.59)	1,274.74	(1,361.15)	(963.36)	(2,117.74)	311.38
Other Income	3,200.31	3,424.20	271.99	284.48	3,472.30	3,708.68
F Exceptional Items: Income/(Expenses)	-	-	8,174.58	-	8,174.58	-
G Net Profit / (Loss) from Operating Activities	2,443.72	4,698.94	7,085.42	(678.88)	9,529.14	4,020.06

32 Contingent Liabilities and Commitments (To the extent not provided for)

(₹ in Lakh)

Particulars	As at March 31, 2023	As at March 31, 2022
A) Contingent Liabilities		
(i) Claims against the company not acknowledged as debts		
a) Income Tax Demand	8.77	8.57
b) Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	659.61	813.89
c) Bokajan Expansion Contract	12,060.00	12,060.00
d) Arbitration Matter	971.99	971.99
e) Tariff Minimum Charges in respect of Akaltara	1,151.50	1,151.50
f) Power wheeling charges etc. in respect of Units	35,017.36	30,856.14
g) Others- Miscellaneous Cases	6,114.18	6,264.81
(ii) Other money for which company is contingently liable	-	-
Sub Total	55,983.41	52,126.90
B) Commitments		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts and not provided for	1,520.65	53.14
Sub Total	1,520.65	53.14
Total (A+B)	57,504.06	52,180.04

Note: Effect for cases lying in various courts for compensation/ Promotion/claims of employees for service matters etc. has not been given in the Books of Accounts as the amount thereof is unascertainable.



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023		Year ended March 31, 2022	
	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh	Quantity in M. Tonnes	Value In ₹ Lakh
33 Quantitative Details				
1 Actual Production				
Portland Cement				
- Ordinary	504,380.00	M Tonnes	563,294.00	M Tonnes
- Pozzolana	363,815.00	M Tonnes	308,676.00	M Tonnes
	868,195.00	M Tonnes	871,970.00	M Tonnes
2 Clinker (A pre cement stage material & not an additional product)				
- Own manufactured	793,985.00	M Tonnes	869,520.00	M Tonnes
- Purchased	-	M Tonnes	-	M Tonnes
3 Cement Despatches	864,558.71	M Tonnes	863,291.89	M Tonnes
4 Opening Stock				
a) Cement				
i) Stock at Factory				
- Cement OPC	11,264.73	368.82	4,223.71	139.63
- Cement PPC	6,066.23	188.75	4,429.14	152.75
ii) Stock at Dumps				
- Cement OPC	1,045.90	42.05	1,470.80	52.39
- Cement PPC	1,285.15	45.93	876.00	29.40
iii) Stock in Transit				
- Cement OPC	-	-	1,447.30	50.37
- Cement PPC	75.00	2.72	1,632.50	52.19
iv) Damaged Cement				
- Cement OPC	4,888.25	-	4,888.25	-
- Cement PPC	3,351.00	10.48	3,015.50	-
Sub Total	27,976.26	658.75	21,983.20	476.73
b) Clinker (Own manufactured)	174,336.68	3,674.98	116,129.68	2,046.65
Clinker (Purchase)	-	-	-	-
Sub Total	174,336.68	3,674.98	116,129.68	2,046.65
5 Net Sales including self consumption/Transfer etc.				
i) Cement OPC	502,374.86	44,026.61	558,122.75	41,678.14
ii) Cement PPC	362,034.05	-	307,765.98	-
iii) Cement used for testing	0.06	-	0.06	-
iv) Cement shortage during transit	-	-	61.25	-
v) Self Consumption OPC	68.75	3.73	2.90	0.18

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023		Year ended March 31, 2022	
vi) Self Consumption PPC	13.10	0.68	24.00	1.34
	864,490.82	44,031.02	865,976.94	41,679.66
vii) Clinker	-	-	-	-
6 Closing Stock				
a) Cement				
i) Stock at Factory				
- Cement OPC	12,507.14	495.51	11,264.73	368.82
- Cement PPC	8,331.65	316.00	6,066.23	188.75
ii) Stock at Dumps				
- Cement OPC	663.30	34.41	1,045.90	42.05
- Cement PPC	326.75	13.91	1,285.15	45.93
iii) Stock in Transit				
- Cement OPC	948.60	43.40	-	-
- Cement PPC	870.80	34.56	75.00	2.72
iv) Damaged Cement				
- Cement OPC	2,515.95	-	4,888.25	-
- Cement PPC	3,015.50	-	3,351.00	10.48
Sub Total	29,179.69	937.79	27,976.26	658.75
b) Clinker (Own manufactured)	173,355.68	4,006.87	174,336.68	3,674.98
Clinker (Purchase)	-	-	-	-
Sub Total	173,355.68	4,006.87	174,336.68	3,674.98
7 Others				
i) Clinker Transferred to /(from) other units	-	-	-	-
ii) Cement Sold as Scrap /Cement discarded	2,500.75	-	-	-
iii) Clinker Sold as Scrap /Clinker discarded	3.00	0.05	-	-
Total	2,503.75	0.05	-	-
8 Clinker used for Cement Grinding	794,963.00	29,153.24	811,313.00	25,567.58
9 Raw Materials Consumed				
i) Limestone	1,193,941.00	3,921.00	1,283,673.73	4,161.04
ii) Laterite	11,072.00	65.19	15,608.13	76.77
iii) Iron Ore	21,386.00	566.82	17,446.96	657.18
iv) Gypsum	23,389.00	734.16	21,629.00	613.02
v) Shale	17,530.00	188.25	27,372.27	73.61



Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

(₹ in Lakh)

Particulars	Year ended March 31, 2023		Year ended March 31, 2022	
vi) Fly Ash	59,035.00	452.94	47,345.00	315.18
vii) Clinker (Purchase)	-	-	-	-
viii) Burnt Clay	1,105.00	10.69	1,498.17	23.79
ix) Others	5,978.00	1.49	14,438.00	3.56
Total		5,940.54		5,924.15
10 Value of Imports Calculated on CIF Basis in respect of:				
i) Raw Materials	-	-	-	-
ii) Components and Spare Parts	-	-	-	-
iii) Capital Goods	-	-	-	-
Total		-		-
11 Directly Imported and indigenously available Raw materials, Spare parts consumed and the percentage of each to the total consumption :				
Directly Imported	0.84%	67.55	0.72%	57.21
Indigenously Available	99.16%	7,981.40	99.28%	7,834.77
	100.00%	8,048.95	100.00%	7,891.98

Notes to Financial Statements for the year ended March 31, 2023

34. Notes Forming Part of Financial Statements

34.01 The claims/ counter claims lodged by the Corporation for ₹ 99,956.14 lakh (Previous year ₹ 1,04,614.75 lakh) are under arbitration/ pending in various Courts etc., and the outcome will be known only on award / decree etc. Hence effects are not given in the Accounts.

34.02 Under section 143(3), Income Tax Department, for the Assessment Years 2006-07 and 2007-08, assessed income of ₹88,500.88 lakh and ₹8,798.64 lakh respectively and adjusted the same with brought forward losses. As a result, the assessed losses of the company reduced to ₹97,299.52 lakh. The company had filed appeals and Appellate Authority had reverted back the case to Assessing Officer. Consequently, the Assessing officer recomputed the Total Income to ₹8,852.22 lakh due to the addition w.r.t disallowance of depreciation on Plant and Machinery of Non Operating Units. Hence, the assessed loss of the company now stands reduced by ₹53.58 lakh making the cumulative carried forward loss to ₹97,353.09 lakh. The company has filed an appeal against the disallowance of ₹53.58 lakh and the same was disposed-off by CIT (Appeals) in the favour of CCI.

34.03 The contract of Bokajan Expansion, including Silchar Unit, had been awarded to M/s Promac Engineering Industries Limited, Bangalore (Contractor) in the year 2010 for ₹ 18,208 lakh. M/s Promac Engineering Industries Limited revoked the arbitration clause as per work order. CCI also lodged counter claim for loss/damage suffered due to non-execution of Bokajan Expansion work including Silchar for ₹ 93,013.28 lakh against the contractors claim of ₹12,060.00 lakh. Work Order issued to the party has been cancelled. In Silchar Unit case arguments completed and award is kept reserved which may be released in 3rd quarter of this year and in Bokajan unit case final arguments are scheduled in July 2023.

34.04 Title deeds for land measuring 1.06 acres (Mandhar), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75

acres (Akaltara), 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. MHI has given the direction for disinvestment of Non-operating Units.

Delhi Development Authority (DDA) allotted land measuring 20.94 acres of lease hold land to CCI for setting up of a Grinding Unit and Railway siding.

DDA vide their letter dated 11-04-2017, suo moto transferred CCI's Lease hold land measuring 14.20 acres meant for setting up the Grinding Unit to South Delhi Municipal Corporation (SDMC). The cost of land of 14.20 acres is now transferred to 'Recoverable from outside parties' as the same is recoverable from SDMC/DDA. MHI Vide letter in 2018 directed CCI to negotiate with SDMC for compensation in terms of money. The matter was also discussed in a meeting dated 16.05.2019 in NITI Ayog. Remaining 6.74 acres of land allotted for construction of Railways sidings for CCI was given to Railways to construct the Railway siding. Pending Construction of the railway siding work, the land along with siding is not yet handed over to CCI. Northern railway vide letter dated 23.03.2023 informed that reconciliation with CCI is under progress.

34.05 Mining lease is deemed to have been granted for all the Govt. Company as per Mineral (Mining by Govt. Co.) Rules 2015 dated 03-12-2015. Accordingly, mining leases of CCI are deemed to have been granted and is still valid.

34.06 The acquisition of Government lands outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No.7 measuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department, Provision if any for this consideration is not made in the accounts.

34.07 The shares of various Companies (Face Value of ₹ 37.79 lakh), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹ 214.00 lakh taken by him, have been taken possession

of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹ 2.80 lakh (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.

34.08 The Office Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹ 266.58 lakh excluding Electrical Installation of ₹ 5.70 lakh, is being amortized provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner. However, the execution of lease deed in favour of Corporation is pending.

34.09 A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25-04-1996. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 08-08-1996. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03-05-2006 which inter alia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion / technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at seven units. MHI vide letter dated 09.02.2022 directed to sale plant and machinery, stores etc of these non-operating units. Accordingly, Plant and machinery along with other assets of Aklatara and Charkhi Dadri units was sold through M/s MSTC. Sale of other plants is under progress.

- 34.10** (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.
- (ii) Plan Loan from Government of India since 1975 (interest free) amounting to ₹15,090.07 lakh (Previous year: ₹ 15,090.07 lakh) will be repaid from the sale proceeds of seven non-

Cement Corporation of India Limited

operating units as per the sanctioned scheme dated 03-05-2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹ 12,385.27 lakh on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been frozen with effect from 01-04-2011. The Company is in default in towards repayment to this extent. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.

34.11 Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:

Sl.	Unit Name	State	Discontinued from
i)	Mandhar	Chhattisgarh	June 06, 1996
ii)	Charkhi Dadri	Haryana	August 14, 1996
iii)	Akaltara	Chhattisgarh	December 09, 1996
iv)	Nayagoan & Nayagaon Expansion	Madhya Pradesh	June 30, 1997
v)	Kurkunta	Karnataka	November 01, 1998
vi)	Adilabad	Telangana	November 05, 1998
vii) a	Delhi Grinding Unit	Delhi	February 08, 1999
vii) b	Bhatinda Grinding Unit	Punjab	Not Commissioned

The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21-03-2006 and sanctioned scheme circulated on 03-05-2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure / sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of any potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.

34.12 The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s. India Cements Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.

34.13 During implementation of Rehabilitation Scheme, Non-cumulative Preference Share of ₹ 35,543.25 lakh was issued on 22-03-2007 for seven years, further extension for reissue of Preference Share has been sought from the Ministry as per Cabinet / BIFR direction.

34.14 Deferred Tax Assets/ Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realization of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.

34.15 For classification of liabilities into current and non-current, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.

34.16 Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under Accounting Standard-17 is not applicable.

34.17 (i) Tender was floated through M/s MSTC (A Govt. of India Enterprise) for Sale of Plant & Machinery etc. on "as is where is and clean sweep basis". Bid Value as per sale order is Rs. 57.50 Crores. As per sale order, the last instalment was to be received by 28.03.2023 and hence to give a true and fair view of the books of accounts following the accrual basis of accounting, revenue recognition of such sale proceeds after making provisions for raw material etc is shown as an exceptional item in Note No. 31A to Financials Statements for the year ended 31st March 2023. Further it is also clarified that, as per the provisions of sub-section 1 of section 31 of CGST Act 2017 read with clause no. K of the tender document, GST invoice was raised on 26.05.2023 on receipt of the entire amount of sale order on 15.05.2023 as per the tender's terms and conditions, and tax

liability was discharged accordingly. (ii) Tender for sale of Assets as floated through M/s MSTC (Govt. of India Enterprise) for Sale of Plant & Machinery along with dismantling, stores & spares on "As is where is and clean sweep basis". Total Sale of Rs. 34.92 Crore to give this effect the Net Block of Fixed Assets of Rs. 0.34 Crore, Stores & Spares of Rs. 1.30 Crore and Raw Material of Rs.1.05 Crore were discarded and effect of Income and Expense (Net) Rs. 32.23 Crore shown as exceptional Item in Note No. 31A and effect of inventories amounting Rs. 0.78 Crore were shown in Note No. 26 resulting in profit of Rs. 31.45 Crore from sale of assets.

34.18 In accordance with the provisions of section 115JB of Income Tax Act, 1961 the company is liable to pay tax on book profits subject to certain adjustments as provided therein. As per clause (vii) of Items to be reduced from Book Profit under Explanation 1 after sub section 2 of section 115JB of the Act by which the amount of profits of sick industrial company for the assessment year commencing on and from the assessment year relevant to the previous year in which the said company has become a Sick Industrial Company under sub-section (1) of section 17 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) and ending with the assessment year during which the entire net worth of such company becomes equal to or exceeds the accumulated losses. Net worth of CCI has exceeds the accumulated losses during the FY 2016-17 and hence from F.Y. 2017-18 onwards, the amount of loss brought forward or unabsorbed depreciation, whichever is less has been set off from book profit under clause (iii) of Items to be reduced from Book Profit under Explanation 1 after sub section 2 of section 115JB of the Act . Subsequent to the set off of lower of loss brought forward or unabsorbed depreciation amounting Rs. 151,85,81,000/-, balance book profit of current year of Rs. 21,12,95,175/- is liable to MAT amounting Rs. 3,69,17,493/-. The same has been shown in Current Tax Expenses and MAT credit entitlement as well.

34.19 As per the guidelines, 3rd Pay Revision for IDA employees has been issued by DPE on 29-05-2017. As per practice, the recommendation from 'Board of Directors' has been sent to MHI

for approval. As on date, the necessary approval from DHI is still awaited. Employee Benefits Expenses includes provision on this account.

34.20 Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 6 & 10.

(₹ in Lakh)

Particulars	Opening Balance		Adjustment/Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
Gratuity	2485.80	2862.19	132.22	457.89	135.67	81.50	2489.25	2485.80
Bonus	8.36	8.83	0.40	0.87	-	0.40	7.96	8.36
Capital work-in-progress	10.57	10.57	-	-	-	-	10.57	10.57
E.L. Liability	1599.31	1775.93	154.66	233.07	105.35	56.45	1550.00	1599.31
Others incl. MAT	3206.02	2277.90	480.91	256.33	1640.77	1184.45	4365.88	3206.02

34.21 Details of interest due/paid to Micro Small & Medium Enterprises (MSMEs)

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	491.08	343.50
2	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	391.83	378.42
3	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	-	-
4	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	-	-
5	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	13.41	13.41
6	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	391.83	378.42

34.22 Employee's Benefits as per Accounting Standard 15

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

i) Provident Fund

The Corporation pays fixed contribution of Provident Fund (P.F.) at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

ii) Gratuity

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get

gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability for gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

iii) Leave Encashment

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated Earned Leave (EL), Half Pay Leave (HPL) etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

iv) Other Defined Retirement Benefits

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependents at the time of Superannuation. This is recognized in the Statement of Profit & Loss on the basis of actuarial valuation.

The summary of various defined benefits recognised in the statement of Profit & Loss and Balance Sheet are as follows:

A. Expenses recognized in Statement of Profit & Loss

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
a)	Current Service Cost	104.27	103.64	106.76	112.25	0.71	0.69
b)	Interest Cost	168.68	184.17	112.66	118.00	0.89	1.06
c)	Net actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	50.53	(38.13)	(45.28)	(101.23)	3.54	(2.51)
d)	Expenses recognised in the Statement of Profit & Loss	323.48	249.68	174.14	129.02	5.14	(0.76)

B. Amounts recognized in Balance Sheet

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
a)	Present value of obligation as at the end of the period	2,375.91	2,372.45	1,535.26	1,584.56	13.16	12.51
b)	Funded status/Difference	(2,375.91)	(2,372.45)	(1,535.26)	(1,584.56)	(13.16)	(12.51)
c)	Net asset/(Liability) recognised in Balance Sheet	(2,375.91)	(2,372.45)	(1,535.26)	(1,584.56)	(13.16)	(12.51)

C. Change in present value obligation

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
a)	Present value of obligation as at the beginning of the year	2,372.45	2,748.83	1,584.56	1,761.17	12.51	15.80
b)	Current Service Cost	104.27	103.64	106.76	112.25	0.71	0.69
c)	Interest Cost	168.68	184.17	112.66	118.00	0.89	1.06
d)	Benefits Paid	(320.03)	(626.05)	(223.44)	(305.63)	(4.49)	(2.52)
e)	Actuarial (Gain)/Loss on obligation	50.53	(38.13)	(45.28)	(101.23)	3.54	(2.51)
f)	Present value of obligation as at the end of the year	2375.91	2372.45	1535.26	1584.56	13.16	12.51

D. Amount for the current period

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Gratuity		Leave Encashment		Other Defined Retirement Benefits	
		31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
a)	Present value of obligation as at the end of the year	2,375.91	2,372.45	1,535.26	1,584.56	13.16	12.51
b)	Surplus/(Deficit)	(2,375.91)	(2,372.45)	(1,535.26)	(1,584.56)	(13.16)	(12.51)

E. Actuarial Assumptions

Sl.	Description	As at 31 March 2023	
i)	Retirement age	60 years	
ii)	Age	Withdrawal Rate	%age
		Upto 30 years	0%
		From 31 to 44 years	1%
		Above 44 years	1%
iii)	Discounting rate	7.37%	
iv)	Future salary increase	6.00%	
v)	Expected return on Plan Assets	Nil	

34.23 Ageing Schedule of Trade payables due for payment (Ref. Note No. 05 and 08 to Balance Sheet):

(₹ in Lakh)

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
i	MSME					
	-Current Year	392.77	-	15.02	82.36	490.15
	-Previous Year	230.67	15.02	-	82.39	328.08
ii	Others					
	-Current Year	1,371.19	98.31	12.95	2,991.87	4,474.32
	-Previous Year	1,439.99	35.04	38.15	2,916.96	4,430.14
iii	Disputed dues - MSME					
	-Current Year	-	0.18	0.75	-	0.93
	-Previous Year	7.75	-	7.67	-	15.42
iv	Disputed dues - Others					
	-Current Year	-	-	-	3.54	3.54
	-Previous Year	-	-	0.01	3.53	3.54

34.24 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 16 to Balance Sheet):

(₹ in Lakh)

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	(i) Undisputed Trade receivables-considered good						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
ii	(ii) Undisputed Trade Receivables-considered doubtful						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) Disputed Trade Receivables-considered good						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iv	(iv) Disputed Trade Receivables-considered doubtful						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-

34.25 Ageing Schedule of Trade receivables outstanding (Ref. Note No. 20 to Balance Sheet):

(₹ in Lakh)

S. No	Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i	(i) Undisputed Trade receivables -considered good						
	-Current Year	189.23	4.53	17.46	10.84	54.05	276.10
	-Previous Year	364.11	9.03	4.57	46.13	46.35	470.19
ii	(ii) Undisputed Trade Receivables-considered doubtful						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) Disputed Trade Receivables-considered good						
	-Current Year	-	-	-	-	46.46	46.46
	-Previous Year	-	-	-	0.90	12.89	13.79
iv	(iv) Disputed Trade Receivables-considered doubtful						
	-Current Year	-	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-	-

34.26 Title deeds of Immovable Property not held in name of the Corporation as on 31.03.2023:

(₹ in Lakh)

S. No	Relevant line item in the Balance sheet	Description of item of property	Gross carrying value	Title deeds held in the name of	Whether title deed holder is a promoter, director or relative of promoter / director or employee of promoter / director	Property held since which date	Reason for not being held in the name of the company
i	PPE	Land	5.57	PSEB (Gurunak dev Thermal Power station bhatinda)	No	Since 1995	Deemed ownership with CCI
		Building :					
		Office Building	266.58	Standing Conference of Public Enterprise	No	Since 1988	Deemed ownership with CCI
ii	Investment property	Land					
		Building					
iii	PPE retired from active use and held for disposal	Land Building					
iv	others						

Gross carrying value of land where title deeds are yet to be executed as per note 34.04 (PPE retired from active use and held for disposal) is yet to be asertain, except 10.12 acres (Bhatinda Grinding Unit).

34.27 a) Ageing schedule of Capital-work-in progress as on 31.03.2023:

(₹ in Lakh)

S. No	CWIP	Amount in CWIP for a period of				
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	Total
	- Current Year					
	Projects in progress:					
i	Railway Line	-	-	-	1,830.04	1,830.04
ii	Bucket Elevator	-	-	-	323.14	323.14
iii	Storage Silo	-	-	4.20	-	4.20
iv	Polution control equipment	320.15	68.09	-	-	388.24
v	Energy efficient motor and other's	45.89	-	-	-	45.89
vi	Biometric machine	-	-	0.12	-	0.12
	Projects temporarily suspended:					
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	Plant and equipments	-	-	-	510.21	510.21
	-Previous Year					
	Projects in progress:					
i	Surveillance System	11.59	-	-	-	11.59
ii	Drinking Water Facility	4.64	-	-	-	4.64
iii	Circuit Breaker	5.90	-	-	-	5.90
iv	Railway line	-	-	271.04	1,559.00	1,830.04
v	Bucket Elevator	-	-	-	323.14	323.14
vi	Storage Silo	-	4.20	-	-	4.20
vii	Polution control equipment	68.09	-	-	-	68.09
viii	Energy efficient motor and other's	38.80	-	-	-	38.80
ix	Transformer	55.53	-	-	-	55.53
x	Biometric machine	-	0.12	-	-	0.12
	Projects temporarily suspended:					
i	Plant capacity expansion including grinding.	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	Plant and equipments	-	-	-	639.91	639.91

b) CWIP completion schedule for capital-work-in progress, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan as on 31.03.2023:

(₹ in Lakh)

S. No	CWIP	To be completed in			
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
	Project 1				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-
	Project 2				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-

34.28 a) Ageing schedule of Intangible assets under development as on 31.03.2023:

(₹ in Lakh)

S. No	Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
	Projects in progress:					
i	Software Development					
	-Current Year	-	-	12.61	0.20	12.81
	-Previous Year	-	12.61	0.20	-	12.81
	Projects temporarily suspended:					
	-Current Year	-	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-	-

b) Completion schedule for Intangible assets under development, whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan, as on 31.03.2023:

(₹ in Lakh)

S. No	CWIP	To be completed in			
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
	Project 1				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-
	Project 2				
	-Current Year	-	-	-	-
	-Previous Year	-	-	-	-

34.29 Details of Benami Property Held viz. Year of acquisition, Amount, beneficiaries, Proceedings if any : Nil

34.30 Timely filing of statutory returns in case of borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. : Not Applicable

34.31 Details of declaration of wilful defaults of corporation by any bank or financial institution. : Not Applicable
Other Schedule III formats which are not applicable or Nil have not been disclosed separately.

34.32 Details and reasons of charges or satisfaction yet to be registered with registrar of companies beyond statutory period.

(₹ in Lakh)

S. No	Charge Holder Name	Amount	Reason
i	SYNDICATE BANK	460.00	Vacation of charge pending.
ii	STATE BANK OF HYDERABAD	1,230.00	Vacation of charge pending.
iii	LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.
iv	GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA	300.00	Vacation of charge pending.

34.33 Key Financial Ratios:

S. No	Financial Ratios	Numerator/Denominator	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022	% Change	Explanation for any change in the ratio by more than 25% as compared to the preceding year.
i	Current Ratio	Current Assets/ Current Liabilities	3.41	2.94	15.99%	-
ii	Debt-Equity Ratio	Total Liabilities/ Shareholder's Equity	4.62	17.87	-74.15%	Change in Shareholder equity due to increase in Net profit from previous year.
iii	Debt Service Coverage Ratio	Net Operating Income/Total Debt Service	-	-	-	-
iv	Return on Equity Ratio	Net income/ Shareholder's Equity	0.75	1.29	41.86%	Change in Shareholder equity due to increase in Net profit from previous year.
v	Inventory turnover ratio	COGS/ Average Inventory	2.97	3.19	-6.90%	-
vi	Trade Receivables turnover ratio	Net Cr. Sales/ Average Acs Receivable	0.62	0.74	-16.22%	-
vii	Trade payables turnover ratio	Cr. Purchase/ Average Creditors	3.42	3.07	11.40%	-
viii	Net capital turnover ratio	Sales/ Average Working Capital	1.59	2.09	-23.92%	-
ix	Net profit ratio	Net Profit/ Net Sales	0.22	0.10	120.00%	Increase in Net profit from previous year.
x	Return on Capital employed	PBIT/ Total Capital Employed	0.17	0.09	88.89%	Increase in PBIT from previous year.
xi	Return on investment	PBIT/ Total Investment	0.51	0.21	142.86%	Increase in PBIT from previous year.

34.34 Balances shown under advances, trade payable and trade receivables, deposits to and from parties and other liabilities etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny for adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.

34.35 The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) as per Companies Act, 2013 is given below. The total amount spent is shown in Note No. 30.

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31-03-2023	Year Ended 31-03-2022
i)	Average net profit of Corporation for last three years	80.51	(1,047.84)
ii)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under Companies Act, 2013)	1.61	NA
iii)	Total amount spent during the year as given below	6.00	-
iv)	Amount unspent (ii - iii)	-	-



Details of the amount spent during the year

(₹ in Lakh)

	Particulars	Already paid		Yet to be paid		Total	
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
a)	Construction/ Acquisition of any assets	-	-	-	-	-	-
b)	On purposes other than above						
	(i) Promoting Education	6.00	-	-	-	6.00	-
	Total	6.00	-	-	-	6.00	-

34.36 In accordance with Accounting Standard-18 'Related Party Disclosures' of the Companies (Accounting Standard) Rules, 2006, it is certified by the Management that no Related Party Transactions have been made during the year. The details of remuneration paid to Key Managerial Personnel are given below:

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Name of the Key Managerial Personnel	Designation	Year Ended 31-03-2023	Year Ended 31-03-2022
i)	Sh. Sanjay Banga ¹	Chairman & Managing Director	44.40	17.96
ii)	Sh. Pradeep Kumar Chand ²	Director (Fin)	22.08	-
iii)	Sh. Ajay Kumar Sharma	Company Secretary	21.04	17.96

¹Appointed as C & MD with effect from 12th October, 2021.

²Appointed as Director (Fin) with effect from 25th August 2022.

In addition, C&MD and full time Directors are also allowed to use company vehicle for non-duty journey upto 1000 kms. per month on payment of ₹ 2000/- per month.

34.37 The Earnings Per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under:

(₹ in Lakh)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31-03-2023	Year Ended 31-03-2022
a)	Net Profit after tax for the year (₹ Lakh)	9,529.14	4,020.06
b)	Less: Extraordinary/Exceptional items (₹ Lakh)	8,174.58	-
c)	Less: Dividend on Non- Cumulative Preference Shares (₹ Lakh)	3.55	3.55
d)	Net Profit after tax attributable to Equity Share Holders (₹ Lakh)	1,351.01	4,016.51
e)	Number of Equity Shares outstanding during the year	45,59,749	45,59,749
f)	Face Value of Equity Share (₹)	1,000.00	1,000.00
g)	Basic Earnings Per Share (₹)	29.63	88.09
h)	Diluted Earnings Per Share (₹)	29.63	88.09

34.38 Figures of the previous years have been split up and regrouped, wherever necessary, so as to correspond to the current year figures.

For Mahalwala & Co.

Chartered Accountants

ICAI Firm Registration No.005823N

Sd/-

(CA Rakesh Dev)

Partner

Membership No.084662

Date: 30-06-2023

Place: New Delhi

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-

(Sanjay Banga)

Chairman & Managing Director

DIN : 09353339

Sd/-

(Ajay Kumar Sharma)

Company Secretary

Sd/-

(Pradeep Kumar Chand)

Director (Finance)

DIN : 09711963

Sd/-

(Arbind Upadhyay)

Sr. Manager (Finance)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/2(27)/वार्षिक लेखे/
सीसीआई(2022-23)/(2023-24)/265-266
दिनांक: 19 SEP 2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

रुस.ए.पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023

The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 22 August 2023 which supersedes their earlier Audit Report dated 30 June 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2023 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the statutory auditor to give effect to four of my audit observations raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matter under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view is necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comments on Profitability

A.1 Liabilities

Other Current Liabilities (Note No. 09): ₹77.58 crore

Above does not include ₹6.44 crore on account of amount payable to Steel Authority of India Limited (SAIL).


Cement Corporation of India (CCI) and SAIL had entered into an agreement (June 1991) for sale of granulated slag. CCI became irregular in payment to SAIL and was declared as a sick industrial company due to erosion of its net worth and was referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). BIFR sanctioned (21 March 2006) a rehabilitation scheme wherein CCI's liability towards SAIL was stated to be ₹4.42 crore. Thereafter, dispute arose between the parties with regard to the interest payment and the matter went (June 2011) before the Permanent Machinery for Arbitration. The Arbitrator decided (April 2013) that CCI was liable to pay only ₹181.23 lakh to SAIL without any interest. Aggrieved with this decision, SAIL filed a writ petition in Delhi High Court which referred the matter (February 2017) to the Arbitral Tribunal (appointed by the Court). The Arbitral Tribunal awarded (17 May 2018) a sum of ₹442.06 lakh along with interest at the rate of 3 *per cent* per annum from 31 December 2008 till the date of award and future interest at the rate of 12 *per cent* per annum on the awarded amount from the date of award, if the same was not paid within a period of three months. CCI preferred an appeal against the award

which was dismissed, and the award was upheld (16 October 2018) by the Arbitral Tribunal. CCI filed an appeal in the Delhi High Court against the order dated 16 October 2018 and stated that in terms of the Sanctioned Scheme, CCI's liability towards SAIL was determined and quantified at ₹442.06 lakh and no further amount was due and payable to SAIL. CCI also stated in the appeal that it was willing to pay ₹442.06 lakh to SAIL within a period of six weeks. The Delhi High Court, while dismissing the appeal, directed (4 July 2022) SAIL to consider accepting the offer made by CCI. The Court directed SAIL to communicate its decision to CCI within a period of three weeks and if SAIL accepts the said offer, CCI shall pay the amount of ₹442.06 lakh within a period of six weeks thereafter. CCI Management has stated that it has not received any reply/response from SAIL on this offer, till date. Meanwhile, CCI also filed a Special Leave Petition before the Supreme Court which was also dismissed on 14 December 2022.

In view of dismissal of CCI's appeals by the Delhi High Court and the Supreme Court and non-response to CCI's offer by SAIL within the timeline given by the Delhi High Court, CCI should have provided for the liability of ₹8.25 crore (principal amount of award: ₹4.42 crore and interest till 31.03.2023: ₹3.83 crore) towards SAIL in line with the award (17 May 2018) of the Arbitral Tribunal. However, against this, CCI has provided for a liability of ₹1.81 crore only in its books.

Non-provision for the additional liability of ₹6.44 crore (₹8.25 crore *minus* ₹1.81 crore) has resulted in understatement of Other Current Liabilities and overstatement of Profit by ₹6.44 crore.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**


(S. Ahladini Panda)
Principal Director of Audit
(Industry and Corporate Affairs)
New Delhi.

Place: New Delhi

Date: 19 SEP 2023



Reply on C & AG Comments on the Financial Statements of the Cement Corporation of India Limited for the year ended 31st March'2023.

Brief facts of this are that the Steel Authority of India (SAIL) entered into a long term contract on 26.6.1991 with Cement Corporation of India Ltd (CCIL) for sale of granulated slag for a period of 10 years. However, CCIL failed to make certain payment. Due to financial crunch, CCI was referred to BIFR in case No. 501/1996. The sanctioned scheme (SS) of rehabilitation under Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985 (in brief SICA) was approved on 21.3.2006 by BIFR Court. SAIL was made party to the SS and was positioned as "Unsecured Creditors" in Scheme. The clauses 7.1 of approved scheme mandates that the dues of unsecured creditors will be settled at their outstanding principal. Further BIFR Courts directs that while making payment of dues of unsecured creditors, no discrimination should be made amongst unsecured Creditors so that similarly placed creditors get similar treatment, i.e. payment of their outstanding principal.

However in the Annexure -12 to SS the liabilities of SAIL was incorrectly calculated and stated as Rs 4.42 Cr which comprises principal of Rs 1.82 along with interest of Rs 2.60 Cr despite the express waiver of interest payment to unsecured creditors. CCI has made provision in books for Rs 1.82Cr

On 11.6.2011 after the approval of scheme by BIFR, SAIL made a request to commence arbitration proceeding before the Permanent Machinery of Arbitration (PMA). The statement of claim filed by SAIL was Rs 3.66 Cr along with interest at the rate of 18% per annum with effect from 31.3.1996.

On 17.4.2013, Final Award was passed by upholding that CCI was liable to pay an amount of Rs 1.81 Cr only without any interest in view of the facts that the company is declared to be "Sick Company" which is in the consonance with clause 7.1 of Sanctioned scheme on settlement of dues of creditors.

Being aggrieved by the said decision, SAIL preferred a writ petition NO 6228 of 2013 in High Court & on 21.02.2017 the matter was referred to Sole Arbitrator nominated by Delhi High Court. The said Arbitral Tribunal on 17.5.2018, awarded a sum of Rs 4.42 Cr (The amount agreed upon at sl. no 4 in Annexure -12 in the SS) along with interest of 3% per annum from 31.12.2008 till the date of award. Further interest @ 12% per annum on the awarded amount from the date of award, if the same was not paid within a period of three months from the date.

Being aggrieved by the aforesaid order, CCI preferred an appeal on 22.12.2021 with Division bench of High court & on 4.7.2022 SAIL was directed by Honorable High Court to consider accepting the offer of Rs 4.42 Cr made by CCI to put a quietus to the dispute. SAIL shall communicate its decision to CCI within a period of 3 weeks & if SAIL accepts the said offer, CCI is bound down to make payment the amount of Rs 4.42 Cr within a period of 6 weeks thereafter.

Consequent upon aforesaid direction of High Court, SAIL did not communicate its decision to within the stipulated period of 3 weeks so as to enable CCI to comply with court directio.

On the aforesaid facts & circumstances of cases & placing reliance on the Supreme Court recently settled a long-standing question concerning unsecured creditors under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985. ("SICA") regime. The Apex Court has set aside a 2011 Judgment of Delhi High Court in the case of Continental Carbon India Ltd. Vs. Modi Rubber Ltd 1 wherein the High Court had held that an unsecured creditor had the option of not accepting the scaled-down value of its dues under the scheme sanctioned under SICA and could initiate proceedings for recovery of its debt once the company was rehabilitated in terms of such scheme.

The Supreme Court held that the scheme under Section 18 of the Act must necessarily bind everyone otherwise it shall not be workable and the object and purpose of SICA will be frustrated. The Court observed that Section 18(8) of the SICA specifically makes the sanctioned scheme binding upon 'creditors' and thus, the intention of the legislature was very clear. The Court unequivocally held that to any interpretation that allows any class of

persons to get out of the sanctioned scheme's ambit will render the scheme unworkable. The Court stressed on the necessity of some sacrifice by all concerned parties including the unsecured creditors to ensure that revival efforts are successful. **That no creditor including the decree holders / arbitration award holders / industrial award holders can claim super priority of their claims specially when the prescribed entities mentioned in Section 19(1) may be required to take severe cuts to help revive sick companies, the other creditors including the decree holders / arbitration award holders / industrial award holders cannot claim to have better rights**

Apex Court held that the Delhi High Court erred in stating that the unsecured creditors has an option to not accept the scaling down value of its dues and to wait till the rehabilitation scheme of the sick company has worked itself out with an option to recover the debt with interest post such rehabilitation

Since the legal position of question of laws has been well settled by Honourable Supreme court, placing reliance of the said ruling, CCI is not liable to make payment beyond the amount as decided in the approved scheme and such litigation after the sanctioned scheme by parties to the scheme is not enforceable .

Accounting Standard (AS) 29 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets provides that:-

A provision should be recognised when: (a) an enterprise has a present obligation as a result of a past event; (b) it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; and (c) a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

If these conditions are not met, no provision should be recognised.


On the basis of the evidence available when the financial statements were approved, there is no present obligation as a result of past events. so in the light of compliances of accounting standard 29 it was concluded that No provision is recognised (see definition of 'present obligation' and paragraph 15). The matter is disclosed as a contingent liability (Rs 3.85 Cr.) unless the probability of any outflow is regarded as remote.

Our Employees - Our Greatest Asset

In a competitive market, retaining talent is crucial. However, over the past glorious 58 years of Cement Corporation of India’s existence, the company has consistently focused on the development and management of employees, its greatest asset in order to create a productive and engaged workforce and environment.

CCI has a skillful and motivated workforce, who are the driving force behind CCI’s journey over the years. Despite significant decrease in manpower strength as compared to previous years, the company’s profitability has increased. CCI has been incessantly revalidating and innovating HR policies to adapt to employees value proposition and to create conducive environment for employees. Strong company culture and value system have shaped both employees and overall business of the corporation. They form the heartbeat of the organisation, driving performance, fostering innovation and propelling unparalleled achievement. Employees are stakeholders for their work and every effort put by them adds to the company’s profitability.

Employees are the brand ambassadors, the face of the company. CCI believes that valuing and investing in people leads to success, positive benefits, increased productivity and loyalty. The corporation has nurtured creativity,



innovation and cross functional learning among employees, by fostering culture of Knowledge Sharing Sessions. CCI organizes Knowledge Sharing Session virtually, to increase the inter unit and inter departmental rapport as well as productivity and every function in an organisation commission better research, which is personally monitored by the Chairman & Managing Director so as to ensure skill transfer across levels. Frequent plant visit by the Chairman & Managing Director to interact with employees has developed employees’ momentum, thus stimulating engagement. CCI has ensured that in order to create an engaged workforce, major drivers of employee engagement such as Talent

Management, Communication strategy, Workforce Planning, Employee Recognition and Participative Management are in place.

The corporation has achieved its present level of excellence through human resource which can be assessed through the existing profile of manpower strength profession wise around 66.8% of the total employee strength representing technically and professionally qualified degree/ diploma holders and management graduates. Rapid productivity can be very well perceived by the potentially 54.9% of the total employee strength falls in the age group of 25~50 years.

Sl.No.	Particulars	Professional Profile	
		No. of Employees	
		As on 31.03.2022	As on 31.03.2023
1	PHDs	1	1
2	Post Graduate Engineers	1	1
3	Graduate Engineers	73	68
4	MBA's	24	23
5	Professional Diploma Holders	15	15
6	Post Graduate	22	19
7	CA/ICWA/SAS/ACS	8	7
8	Engineer Diploma Holders	42	38
9	Graduate	52	47
10	ITI Certificate Holders	91	86
11	Others	85	81
	Total	414	386

The Age wise and category wise distribution of employees as on 31.03.2023

Row Labels	<30	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-60	Grand Total	Average Age
EXE.	0	10	28	15	9	15	36	113	47
SUP.	2	21	11	5		7	46	92	48
WORKER	13	21	42	29	6	18	52	181	44
Grand Total	15	52	81	49	15	40	134	386	46

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.				No. of appointments made during the calender year (Regular)									
	(AS ON 01/01/2023)				By Direct Recruitment				By Promotion			By Deputation / Absorption		
Groups	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	117	14	2	24	0	0	0	0	37	1	0	0	0	0
Group B-TOT	95	12	7	20	0	0	0	0	21	3	1	0	0	0
Group C-TOT	163	30	21	46	0	0	0	0	22	0	5	0	0	0
GROUP D-TOT	18	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	393	59	33	96	0	0	0	0	80	4	6	0	0	0

NAME OF THE UNIT					CCI LIMITED													
Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2023																		
Group-wise manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2023																		
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)								PROMOTION					
	(AS ON 01/01/2023)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)					NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)		
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH
Group A	117	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group B	95	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group C	163	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Group D	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	393	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)
ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)
iii) OH stands for orthopaedically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)



Dillai Parbat Limestone Mines of Bokajan Unit received Five Prizes in the 12th MEMC Week celebration of North-East Zone under the aegis of IBM



Manal Limestone Mines of Rajban Unit received Five Prizes in the 32nd MEMC of North Region under the aegis of IBM Dehradun

Salient features of our Units**MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)**

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhillai Steel Plant.

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.80	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(131)	(103)	(129)

The production remained suspended due to unit being unviable.

KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Karnataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(157)	(109)	(166)

BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighboring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977.

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	1.30	1.08	1.04
Value of Production (₹ in lakhs)	8671	7234	5914
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	431	(184)	(668)

RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.57	1.30	1.48
Value of Production (₹ in lakhs)	9145	7485	6514
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	605	(262)	(2342)

NAYAGAON (Distt. Mandasaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(195)	(163)	(186)



Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	5.00	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(89)	(81)	(92)

AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	4896	125	(64)

As per MHI Directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2022-23.

CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

Cement Corporation of India Limited

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.74	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	3017	(102)	(153)

As per MHI Directions, The Plant & Machinery and other Assets was sold during F.Y. 2022-23.

ADILABAD (Distt. Adilabad, Telengana)


This unit went into commercial Production from April, 1984

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)			
Value of Production (₹ in lakhs)			
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(256)	(245)	(240)

TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Telengana)

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	2022-23	2021-22	2020-21
Installed capacity (in lakh tonnes)	10.00	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	5.82	6.34	6.41
Value of Production (₹ in lakhs)	26925	29343	26827
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	1408	5144	5355



Celebration of Vishakarma Puja at Units



Celebration of Vishakarma Puja at Units



NOTES

विषय सूची



वित्तीय विवरणिका

वार्षिक लेखे 2022-23	201
नकदी प्रवाह विवरणिका	203
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	244



सांविधिक रिपोर्ट

अध्यक्ष अभिभाषण	136
निदेशक की रिपोर्ट	138
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण	174
निगम शासन पर प्रमाणपत्र	183
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	184
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	188



अतिरिक्त सूचना

हमारे कर्मचारीगण – हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति	249
हमारी इकाइयों की प्रमुख विशेषताएं	252

59वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण



प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कंपनी, सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सीसीआई) के निदेशक मंडल की ओर से, कंपनी की 59वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस बैठक में आपकी गरिमामयी उपस्थिति कंपनी के प्रयासों में आपके समर्थन और अभिरुचि को रेखांकित करती है आपकी इस गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखाओं के साथ निदेशकों की रिपोर्ट और लखापरीक्षकों की रिपोर्ट पहले ही भेजी जा चुकी है। आपकी अनुमति से, मैं यह मानकर चलता हूँ कि आपने उसे पढ़ लिया है।

कार्य-निष्पादन के मुख्य बिंदु

सीसीआई ऐसा एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो अन्यथा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग में सीमेंट के विनिर्माण और बिक्री से जुड़ा है। आपकी कंपनी ने चुनौतियों को कम करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों पर काम किया।

i) विगत वर्ष 2021-22 के दौरान 8.72 लाख मीट्रिक टन के वार्षिक सीमेंट उत्पादन के सापेक्ष वर्ष 2022-23 के दौरान

8.68 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 2022-23 के दौरान 8.64 लाख मीट्रिक टन सीमेंट की बिक्री हुई।

ii) कंपनी ने वित्त वर्ष 22-23 के दौरान विगत 3 दशकों में 440.31 करोड़ रुपये का सबसे अधिक का कारोबार किया। कंपनी ने 95.29 करोड़ रुपये का करोपरांत लाभ (पीएटी) भी दर्ज किया जो विगत तीन दशकों के दौरान सबसे अधिक है। कंपनी की सकल कुल आय बढ़कर 557.19 करोड़ रुपये हो गई जो 4 दशकों से अधिक के पूरे सीसीआई इतिहास में सबसे अधिक है।

iii) एक ऐसी कंपनी जिसे एक बार बीमारु कंपनी घोषित कर दिया गया था और बीआईएफआर को भेज दिया गया था, उसमें एक दशक से अधिक समय के बाद अपनी सभी परिचालन इकाइयों के साथ लाभ दर्ज करने वाली आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। दिनांक 31.03.2020 को (-) 22.09 करोड़ की ऋणात्मक निवल परिसंपत्ति के सापेक्ष, कंपनी ने दिनांक 31.03.2023 को (+) 126.56 करोड़ की अब तक की सबसे अधिक धनात्मक निवल परिसंपत्ति दर्ज की है। गैर-प्रचालनरत इकाइयों (1996 से बंद) की 92.42 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति जो विगत 30 वर्षों से निष्क्रिय पड़ी थी, का भी वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रीकरण किया गया।

- iv) बिना किसी क्षमता परिवर्धन के भी, विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2020-2023 तक के वार्षिक औसत सीमेंट उत्पादन में इसके पूर्व के विगत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2017-2020 की इसी अवधि के सापेक्ष 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रचालन दक्षता के मामले में भी प्रति टन सीमेंट की बिजली खपत 5 प्रतिशत की गिरावाट आई है।

मानव संसाधन विकास

कंपनी के मानव संसाधन विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के कारण आपकी कंपनी की यह बढ़ी हुई लाभप्रदता वर्ष 21-22 में 93 लाख रुपये प्रति कर्मचारी से 20 प्रतिशत की उत्पादकता में वृद्धि के साथ वर्ष 22-23 में प्रति कर्मचारी 110 लाख रुपये तक बढ़ी है। सीसीआई हमेशा निगम के अपने मिशन और विजन को ध्यान में रखते हुए उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों को नियुक्त करके और प्रेरित करके प्रभावशाली कार्य संस्कृति बनाने का प्रयास करता है।

सीसीआई ने कठिन शारीरिक भर्ती प्रक्रिया की तुलना में अभ्यर्थियों तक तेजी से पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ समय लेने वाली मैनुअल मूल्यांकन पत्रों को खत्म करने के उद्देश्य से भर्ती और ऑनलाइन कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को आसान बनाया है।

वर्ष 2022-23 में, सीसीआई के कार्यालयों/इकाइयों में उल्लासपूर्ण कार्यस्थल विकसित करने, ध्यान केन्द्रित करने और ऊर्जा में सुधार करने तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सीसीआई के मानव संसाधन विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और विभिन्न टीम निर्माण गतिविधियों, स्वास्थ्य जागरूकता, सत्र, चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान (स्वच्छता पखवाड़ा), खेल गतिविधियाँ, योग दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, सुरक्षा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस आदि का आयोजन किया।

सीपीएसई के बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन पर डीपीई द्वारा दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी) - जीएल- XIII/17, दिनांक 03.08.2017, कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू-02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल- XIV/17, दिनांक 04.08.2017 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. डब्ल्यू/02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी) - जीएल- XVI/17, दिनांक 07.09.2017 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारी उद्योग मंत्रालय ने वेतन संशोधन को दिनांक 01.01.2017 से काल्पनिक रूप से प्रभावी और वास्तव में 01.04.2023 से कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 01.09.2023 को महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

निगम का सामाजिक दायित्व

बोर्ड द्वारा सीएसआर नीति अनुमोदित की गई थी एवं इस नीति को निगम में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मानव संसाधन विकास कारपोरेट में क्रियान्वित किया जा रहा है।

निगम का प्रशासन

कंपनी का विश्वास है कि कंपनी के सभी हितधारकों के साथ नैतिक और पारदर्शी व्यावसायिक व्यवहार निगम प्रशासन के मानदंडों का पालन करने की कुंजी है। आपकी कंपनी इसे आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी द्वारा जारी निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य की किसी भी निविदा से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत की निगरानी और समाधान के लिए एक स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता (मॉनिटर) नियुक्त किया गया है। मैं आपका ध्यान निदेशकों की रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें निगम प्रशासनशीर्षक के अंतर्गत एक अलग अनुच्छेद शामिल किया गया है।

आभार

आपका अनवरत समर्थन और विश्वास हमें उत्कृष्टता के नए प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, आपको और भारत सरकार को, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय को, हमारे सभी कार्यों में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

मैं सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के हमारे सम्मानित ग्राहकों का भी उनके सीसीआई के उत्पादों के प्रति अपने अनवरत समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, सीएजी, हमारे बैंकों सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक और सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-ए एवं अन्य सभी प्राधिकरणों और एजेंसियों के अपार समर्थन के लिए भी उनका आभार प्रकट करता और उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

अंत में, मैं निगम के समग्र विकास और उन्नति में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, भागीदारी और समर्पण के प्रति उनकी सराहना करता हूँ।?

आप सभी का पुनः धन्यवाद, जय हिंद।
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 29 सितंबर, 2023
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

मुझे, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ आपकी कंपनी का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय कार्य—निष्पादन

गत वर्ष के आंकड़ों के साथ वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2022-23 की समाप्ति हेतु	वर्ष 2021-22 की समाप्ति हेतु
1	प्रचालन से निवल आय	440.72	418.87
2	अन्य आय	34.72	37.04
3	मूल्यहास एवं ब्याज से भिन्न कुल आय	451.87	405.97
4	असाधारण आय/(व्यय)	81.75	0.00
5	पीबीडीआईटी	105.32	49.94
6	घटाएं: वित्तीय लागत	0.00	0.00
7	पीबीडीटी	105.32	49.94
8	घटाएं: मूल्यहास	10.03	9.74
9	कर पूर्व लाभ/(हानि)	95.29	40.20
10	घटाएं: आय कर	0.00	0.00
11	करोपरांत निवल लाभ	95.29	40.20

1.1 निगम ने वर्ष 2022-23 के दौरान 95.29 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान 40.20 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। वर्ष के दौरान सीमेंट उत्पादन पिछले वर्ष के 8.72 लाख टन की तुलना में 8.68 लाख टन है।

2. लाभांश

कंपनी को वित्त वर्ष के दौरान घाटा हुआ है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

3. कारोबारी प्रचालन और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा

आपके निदेशक वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए कारोबारी प्रचालन का विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं:—

क. प्रचालन

इकाइयों का कार्य—निष्पादन—

अलग-अलग और सामूहिक रूप से परिचालन इकाइयों की क्षमता का उपयोग सीमेंट (प्रतिशत), क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन), सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन) और सीमेंट का प्रेषण (मीट्रिक टन) इस प्रकार रहा —

विवरण	यूओएम	बोकाजन		राजवन		तंदूर		कुल प्रचालनरत संयंत्र	
		21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23	21-22	22-23
सीमेंट की क्षमता उपादेयता	%	54.70	65.57	52.20	63.19	63.40	58.16	60.30	60.04
सीमेंट का उत्पादन	MT	108270	129830	129520	156725	634180	581640	871970	868195
प्रेषण	MT	108354	129031	130029	153615	624909	581913	863292	864559

परियोजनाओं की स्थिति का उल्लेख नीचे किया गया है:

क) बोकाजन विस्तार परियोजना

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक), बेंगलूर को कार्य आदेश संख्या 46/10/6(6)/10-एमएमओ/196 दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से बोकाजन इकाई को 1200 टीपीडी तक बढ़ाने के लिए दिनांक 24.09.2010 को 18 माह की पूर्णता अवधि पर 142.40 करोड़ रुपये की लागत पर कार्यादेश प्रदान किया गया था। यह परियोजना लगभग 7 वर्षों तक अधर में लटकी रही अतः सीसीआई ने मैसर्स प्रोमैक के साथ संविदा समाप्त कर दी।

मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ मध्यस्थता में है।

ख) सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट

मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड (प्रोमैक) को कार्य आदेश संख्या 47/10/6(7)/10-एमएमओ/206 दिनांक 30.09.2010 के माध्यम से सिलचर (असम) में टर्नकी आधार पर 12 माह की पूर्णता अवधि पर 1250 टीपीएच सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए कार्यादेश जारी किया गया था।

संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन पर, सीसीआई ने कार्यादेश समाप्त कर दिया।

मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ मध्यस्थता में है।

गैर-प्रचालनरत इकाइयों का भू डेटा:

सीसीआई की निजी भूमि, सरकारी पट्टा वाली भूमि, निजी पट्टा वाली भूमि और अन्य सहित गैर-प्रचालनरत इकाइयों की कुल भूमि का क्षेत्रफल इस प्रकार है:

क्र. सं.	इकाई	फ्री होल्ड	पट्टे पर			अन्य	कुल (एकड़)*
			सरकारी	सरकारी	कुल		
1	मंधार	656.060	290.010	00.0	290.010	39.340	985.410
2	नयागांव	568.656	789.687	00.0	789.687	65.738	1424.081
3	आदिलाबाद	772.970	36.330	1513.560	1549.890	0.00	2322.860
4	अकालतारा	212.000	385.500	462.120	847.620	433.850	1493.470
5	कुरकुंटा	460.740	360.350	0.00	360.350	105.700	926.790
6	चरखी दादरी	206.313	0.00	0.00	0.00	0.00	206.313
7	भटिंडा	20.240	0.00	0.00	0.00	10.120	30.360
	योग	2896.979			3837.557	654.748	7389.284

टिप्पणी: भूमि का वास्तविक क्षेत्रफल भिन्न हो सकता है क्योंकि यह स्थानीय भू-राजस्व कानूनों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व विभाग द्वारा भूमि अभिलेखों के अद्यतन और सीमांकन के अधीन है।

ख. लाभप्रदता

गत वर्ष के 40.20 करोड़ रुपए के निवल लाभ के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 95.29 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया।



माननीय मंत्री (भारी उद्योग) डॉ. महेंद्र नाथ पांडे और सचिव (भारी उद्योग) श्री कामरान रिजवी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीपीएसई के वार्षिक कार्य निष्पादन की समीक्षा।



माननीय मंत्री (भारी उद्योग) डॉ. महेंद्र नाथ पांडे और सचिव (भारी उद्योग) श्री कामरान रिजवी द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीपीएसई के वार्षिक कार्य निष्पादन की समीक्षा।





माननीय मंत्री (भारी उद्योग) डॉ. महेंद्र नाथ पांडे द्वारा
हैदराबाद में सीसीआई की समीक्षा

4. पूंजी संरचना

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में कंपनी की शेयर पूंजी रूपए 811.41 करोड़ थी; इसमें 455.98 करोड़ रूपए की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और 355.43 करोड़ रूपए के चुकता गैर-संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर सम्मिलित हैं।

5. मानव संसाधन प्रबंधन

सीसीआई ने अपने 58 वर्षों की मौजूदगी में कर्मचारियों को सदैव अपनी सबसे बड़ी संपत्ति माना है। कंपनी का संचालन लगभग 386 नियमित कर्मचारी और 1228 संविदा कर्मचारी कर रहे हैं जो विभिन्न प्रकार के कौशल, योग्यताएं और कार्य निर्वाह क्षमता रखते हैं।

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

सीसीआईएल का मानना है कि कर्मचारी विकास संगठन के समग्र विकास की कुंजी है। कंपनी अन्य प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर ज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने और भविष्य के लिए कर्मचारियों को तैयार करने के साथ विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रही है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमओएचआई) के अंतर्गत प्रमुख केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) में से एक सीपीएसई होने के नाते सीसीआई ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) में मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा के लिए सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्ययन दौरे में भी सहभागिता की।



सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्ययन दौरे में सीसीआई की सहभागिता

6. औद्योगिक संबंध:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुकूल और सर्वसमावेशी औद्योगिक संबंध माहौल को बढ़ावा दिया। सीसीआई ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी लागू श्रम

कानूनों का भी पालन किया जिससे श्रम विवादों के कारण शून्य मानव दिवस की हानि हुई।

सीसीआई में व्यापार संघों (ट्रेड यूनियन) और कर्मचारियों के साथ बातचीत और चर्चा के माध्यम से मुद्दों को सुनियोजित तरीके से हल करने की अच्छी प्रथा विद्यमान है।



स्वतंत्र निदेशक द्वारा राजबन इकाई की समीक्षा

7. मानव संसाधन विकास:

ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज की विकसित दुनिया में, काम एक अनुभव से कहीं अधिक है, एक ऐसा अनुभव जिसे संगठन अपने कार्यबल के लिए सृजित कर सकते हैं। कार्यस्थल पर लचीलेपन, खुशहाली, विविधता, समानता और समावेशन की दिशा में आज प्राथमिकताओं में आदर्श बदलाव आया है। इस बदलाव के पीछे सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मानव संसाधन विकास ने अहम भूमिका निभाई है। यह बेहतर जुड़ाव के लिए प्रभावशाली कर्मचारी अनुभव रणनीतियाँ बनाने, कर्मचारियों को स्वस्थ और पारदर्शी कार्य संस्कृति बनाए रखने के लिए प्रेरित करने और निगम के मिशन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ किसी भी अप्रत्याशित चुनौती को रोकने का प्रयास करता है।

कार्यबल के प्रबंधन और नेतृत्व के एक दशक पुराने तरीके को पीछे छोड़ते हुए, सीसीआई ने बदलते नौकरी परिदृश्य, आर्थिक बदलाव और जनशक्ति की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। सीसीआई ने भर्ती और ऑनलाइन कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है जिसका उद्देश्य कठिन शारीरिक भर्ती प्रक्रिया की तुलना में अभ्यर्थियों तक तेजी से पहुंचने की प्रक्रिया को आसान बनाना है और साथ ही समय लेने वाली मैनुअल मूल्यांकन पत्रों को समाप्त करना है।

सीसीआई के मानव संसाधन पेशेवर लगातार सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो व्यक्तियों और संगठन दोनों को फलने-फूलने का अधिकार देता है। इस प्रकार सीसीआई के सभी कार्यालयों/इकाइयों में उल्लासपूर्ण कार्यस्थल विकसित करने, ध्यान केन्द्रित करने और ऊर्जा में सुधार करने तथा उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सीसीआई के मानव संसाधन विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और विभिन्न टीम निर्माण गतिविधियों, स्वास्थ्य जागरूकता, सत्र, चिकित्सा शिविर, स्वच्छता अभियान (स्वच्छता पखवाड़ा), खेल गतिविधियाँ, योग दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, सुरक्षा सप्ताह, विश्व पर्यावरण दिवस आदि का आयोजन किया।



निगम कार्यालय में योग दिवस समारोह



इकाइयों में योग दिवस समारोह



इकाइयों में 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह



इकाइयों और निगम कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह



सीसीआई तांदूर के कर्मचारीगण एनएमडीसी मैराथन में सहभागिता करते हुए

आजादी का अमृत महोत्सव

15 अगस्त, 2022 को भारत ने अपनी आजादी के अद्भुत 75 वर्ष पूरे किये। प्रगतिशील भारत के 75 वर्षों और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के समृद्ध इतिहास का जश्न मनाने और स्मरण करने के

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

लिए, हमारे प्रधान मंत्री के सक्षम मार्गदर्शन में संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया की इकाइयों और कार्पोरेट कार्यालय में निबंध लेखन, पोस्टर प्रतियोगिता, टीबी अभियान आदि का आयोजन किया गया।



टीबी रोगी को सामुदायिक सहायता



बोकाजन इकाई द्वारा विद्यालय में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन



अधबपुर गांव और डिल्लई पर्वत खान में बोकाजन इकाई द्वारा स्वास्थ्य जांच



राजबन इकाई द्वारा आसपास के गांव में स्वास्थ्य जांच


8. प्रशिक्षण और विकास:

आज का कारोबारी माहौल बेहद अप्रत्याशित है। इस माहौल में फलने-फूलने के लिए, निरंतर प्रशिक्षण और विकास से कर्मचारियों को किसी भी उद्योग में विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में बदलाव में मदद मिलती है। मानव संसाधन विकास के हिस्से के रूप में, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हमेशा सभी स्तरों पर निरंतर प्रशिक्षण और विकास की संस्कृति को बढ़ावा दिया है और सीसीआई के मानव संसाधन पेशेवरों ने कार्यस्थलों को आकार दिया है जो व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत उत्थान और संगठनात्मक समृद्धि दोनों होती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कर्मचारियों को उनके कौशल को निखारने के लिए

विभिन्न ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किए गए। सीसीआई बदलते कारोबारी माहौल और आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को वर्ष भर बाहरी प्रशिक्षण के लिए भी नामांकित करता है।

कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंधित क्षेत्रों में सेमिनार और सम्मेलनों में सहभागिता करने के अवसर भी दिए जाते हैं।

दिन-प्रतिदिन के प्रशिक्षणों के अलावा, सीसीआई ने ज्ञान साझाकरण सत्र भी आयोजित किए हैं, जिसमें सभी इकाइयों और कार्यालयों के कर्मचारियों ने सहभागिता की। ये सत्र सामूहिक ज्ञान को बढ़ाते हैं और कर्मचारी बहुमूल्य जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं।





सीओ और इकाइयों द्वारा ज्ञान साझाकरण सत्र

9. राजभाषा कार्यान्वयन:

सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का लगातार पालन किया है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में त्रैमासिक रूप से आयोजित की गईं जिसमें संगठन में दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हिंदी के व्यापक उपयोग को बढ़ाने के बारे में पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया। सीसीआई ने भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा हिंदी सलाहकार

समिति की बैठक में बहुमूल्य जानकारी दी है। सीसीआई ने सभी नराकास की बैठकों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है।

कंपनी ने ई-ऑफिस में द्विभाषी नोटिंग बनाने का प्रयास किया है। कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी कार्यशाला संगोष्ठी जैसे सेमिनारों और हिंदी निबंध लेखन, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और फोटोग्राफी आदि पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नामांकित और प्रोत्साहित किया गया।



माननीय मंत्री (भारी उद्योग) डॉ. महेंद्र नाथ पांडे, मसूरी, उत्तराखण्ड में हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता करते हुए साथ में श्री कामरान रिजवी, सचिव (भारी उद्योग)



सीसीआई द्वारा राजभाषा तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन

10. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

सीमेंट विनिर्माण के कारोबार के अलावा, सीसीआई का मुख्य दृष्टिकोण उस समुदाय को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करके समाज को वापस लौटाना है। कंपनी अपनी सीएसआर गतिविधियां कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप चला रही है। सीसीआई उन क्षेत्रों में और उसके आसपास सीएसआर परियोजनाएं चलाती है जहां इकाइयां स्थित हैं। सीसीआई ने चेन्नई में राज्य सभा की अधीनस्थ विधान समिति के अध्ययन दौरे में सक्रिय रूप से सहभागिता की।

सीएसआर गतिविधियां सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल सुविधा, शिक्षा, सार्वजनिक अवसंरचना का उन्नयन/नवीनीकरण पर केन्द्रित हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सीसीआई ने डीएवी हाई स्कूल, तंदूर, तेलंगाना को वंचित बच्चों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 6.0 लाख रुपये का अंशदान दिया है।

11. महिला कल्याण:

कंपनी समानता की संस्कृति बनाने में सक्रिय रही है जो महिलाओं को संगठन में सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। यह संस्कृति उनकी सोच में

आंतरिक बदलाव लाई है ताकि उनके कार्य अलग और बेहतर हो सकें, जिससे उन्हें और संगठन को बढ़ने में मदद मिली है। महिला कर्मचारियों को निगम की इकाइयों/कार्यालयों में सभी सांविधिक और अन्य लाभ दिए जाते हैं।

महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सुरक्षा करने और एक सुरक्षित कार्यस्थल बनाने के लिए, यौन उत्पीड़न रोकथाम (पीओएसएच) अधिनियम के अनुरूप समिति गठित की गई है। समिति यौन उत्पीड़न नीति से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान करती है, समय-समय पर कंपनी की यौन उत्पीड़न नीति की समीक्षा करती है और कर्मचारियों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूक करती है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समिति को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत कोई शिकायत नहीं मिली है।

सीसीआई की इकाइयों में लेडीज क्लब हैं जहां महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक और मनोरंजन गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। इस इकाई में महिलाओं से संबंधित किसी भी मुद्दे का समाधान किया जाता है और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, इन क्लबों में कंप्यूटर साक्षरता, माँ और बाल स्वास्थ्य देखभाल आदि पर व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निगम महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसी गतिविधियों को शुरू करने के लिए समय-समय पर ढांचागत और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है।





राजबन लेडीज क्लब द्वारा भूखलन पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं को मिष्ठान वितरण।

12. शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत निवारण सीधे कर्मचारी संतुष्टि के समानुपाती होता है, इसलिए यदि कर्मचारियों की शिकायतों का समय पर समाधान किया जाता है, तो कर्मचारी कंपनी की कार्य स्थितियों से संतुष्ट हो जाते हैं और अंततः बेहतर उत्पादकता की ओर अग्रसर होते हैं। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निगम कार्यालय और इकाइयों में कार्यरत अपने कर्मचारियों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है।

कर्मचारी किसी भी समय वेतन मामलों, काम करने की स्थिति, छुट्टी, कार्य समनुदेशन और कल्याण सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतें उठा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी शिकायतों को अच्छे विचार से अनौपचारिक रूप से संबोधित और हल किया जाए। सीसीआई की शिकायत प्रणाली व्यापक, सरलीकृत और लचीली है जो कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सुखद संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

13. पारिश्रमिक नीति

सीसीआई में, अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य हितलाभ भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या फा.सं. 1(6)2009-पीई-XII दिनांक 30 अप्रैल, 2009 के माध्यम से जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित है। दिनांक 01/01/2007 से प्रभावी अंतिम वेतन संशोधन बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन पर मंत्रालय के दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(70)/08-डीपीई(डब्ल्यूसी)-जीएल ग्ट/17 08 दिनांक 26.नवंबर, 2008, कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08 - डीपीई (डब्ल्यूसी)- -02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी)-जीएल- XIV/17, दिनांक 07.09.2017 के

अनुरूप किये गये थे। भारी उद्योग मंत्रालय ने वेतन संशोधन को दिनांक 01.01.2017 से काल्पनिक रूप से प्रभावी और वास्तव में 01.04.2023 से कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 01.09.2023 को महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए हैं। उक्त आदेश का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है।

14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित जानकारी अनुबंध में दी गई है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगम और प्रचालन उद्देश्यों के साथ एक एकीकृत और संरेखित प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य व्यावसायिक अभ्यास के भाग के रूप में किया जाता है।

16. कंपनी द्वारा अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल पर विकसित और कार्यान्वित नीति का विवरण

आपकी कंपनी ने हमेशा अपने सीएसआर दर्शन के एक भाग के रूप में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया है जिससे कारोबार और समाज विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। आपकी कंपनी ने गतिविधियों की रूपरेखा अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुरूप बनाई है और विभिन्न पहलें आरंभ की हैं।



सीसीआई राजबन यूनिट के कर्मचारियों ने बादल फटने के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 1 दिन के वेतन का योगदान दिया


17. सतर्कता विभाग के कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ ।

1. भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने और फैलाने के उद्देश्य से सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड में सीवीसी के मार्गदर्शन में 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत- विकसित भारत की विषय के साथ 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, 2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। वीएडब्ल्यू 2022 के समापन समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. प्रवीण कुमारी सिंह, अपर सचिव, सीवीसी को आमंत्रित किया गया था। इस सप्ताह के दौरान कदाचार में लिप्त होने की गुंजाइश को खत्म करने और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निगम कार्यालय और प्रचालन इकाइयों में सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, निबंध प्रतियोगिता, निवारक सतर्कता पर कार्यशाला,

वाद-विवाद, नारा, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया था।

2. इस दौरान नियमित निवारक सतर्कता कार्यकलाप किये गये जिसमें जांच, औचक निरीक्षण, प्रशासनिक निर्णयों के लिए सतर्कता मंजूरी, स्थानांतरण नीति को लागू करना और प्रबंधन के साथ गहन समन्वय करते हुए संवेदनशील पदों पर अधिकारियों के आवर्तन जैसे कार्यकलाप शामिल थे।
3. मानव संसाधन विभाग से प्राप्त किए जा रहे कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति विवरणी की तिमाही आधार पर जांच की गई है।
4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को त्रैमासिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर भेजी जा रही हैं।





सतर्कता जागरूकता सप्ताह

18. ई-खरीद / सत्यनिष्ठा अनुबंध

संगठन में ई-खरीद सुविधा विद्यमान है। मैसर्स एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र), नई दिल्ली ई-खरीद पोर्टल के लिए सेवा प्रदाता है।

50000.0 रुपये (पचास हजार) रुपये से अधिक की ई-निविदा एनआईसी पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे हैं।

सत्यनिष्ठा अनुबंध कंपनी में लागू है। 10.0 (दस) लाख रुपये से अधिक राशि की सभी निविदाओं के संबंध में सत्यनिष्ठा अनुबंध के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आईईएम नयुक्त किया गया है।

19. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन करना, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम, सटीक और त्वरित वित्तीय रिपोर्टिंग, और अच्छे कॉर्पोरेट के लिए जोखिम प्रबंधन की प्रभावशीलता में सुधार करना शामिल है। कंपनी में मुख्य रूप से दो प्रकार की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान है:-

- स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा।

बाहर के आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति

द्वारा की जाती है। समय-समय पर कंपनी की प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है और नियंत्रण को मजबूत किया जाता है।

कंपनी के पास विपणन नियमावली, खरीद और कार्य नियमावली सामग्री, स्टोर, लेखा और व्यक्तिगत नियमावली इत्यादि सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को आवृत करने के लिए प्रबंधन द्वारा जारी की गई विभिन्न संहिताओं, नियमावलियों और प्रक्रियाओं के रूप में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय विद्यमान हैं। प्रबंधन ने बेहतर जांच और नियंत्रण के लिए समय-समय पर अन्य सभी नियमावलियों का अद्यतन करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

20. ऋण, गारंटी या निवेशों का ब्यौरा

वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया है।

21. लेखापरीक्षकों और प्रेक्टिस करनेवाले कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई योग्यताओं, छिपावों, प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियां:

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।



22. संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं या करारों का ब्यौरा:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत यथा परिभाषित संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या करार नहीं किए गये थे।

23. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति:

सीसीआई केन्द्र सरकार का सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) है जहां निदेशकों की नियुक्ति, उनको देय पारिश्रमिक और भत्तों से संबंधित नीति भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

24. वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के साथ पठित धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर रखा गया है। वार्षिक रिटर्न का यूआरएल <https://www.ccilttd.in/page.php?id=29> है।

25. समीक्षाधीन वर्ष में आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में बोर्ड की पांच (5) बैठकें अर्थात् 08.06.2022, 21.07.22, 19.09.2022, 25.11.2022 एवं 09.03.2023 को आयोजित की।

26. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और यह कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

27. निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड एतद्वारा अपने उत्तरदायित्व का कथन प्रस्तुत करता है:-

- (क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया था और साथ ही सामग्री प्रेषण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दिया गया था;
- (ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन कर उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

लगाए थे जो उचित और विवेकसम्मत हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या नुकसान के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

- (ग) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
- (घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे लाभकारी कारबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किये थे; तथा
- (ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालनकिये जानेवाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ कंपनी द्वारा अपने कारोबारके सुव्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई गई नीतियों और प्रक्रियाओं से है, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की तैयारी शामिल है।
- (च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली विकसित की थी और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

28. अनुशंगी कंपनियां, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई अनुशंगी, संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी नहीं है।

29. जमाएं

कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान न तो कोई जमा स्वीकार किया है और न ही उसका नवीनीकरण किया है।

30. निदेशक

निम्नलिखित निदेशकों को/की वर्ष 2022-23 के दौरान निदेशक नियुक्त किया गया/सेवा समाप्ति हुई:

- डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय ने अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में बोर्ड में दिनांक 10.07.2022 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री प्रदीप कुमार चंद ने निदेशक (वित्त) के रूप में बोर्ड में दिनांक 25.08.2022 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्री जोसेफ टी. बरला, निदेशक, भारी उद्योग मंत्रालय ने अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में बोर्ड में दिनांक 13.03.2023 से कार्यभार ग्रहण किया।
- श्रीमती निधि छिबड की दिनांक 01.07.2022 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी उनकी सराहना करती है।
- श्री बी.पी. सत्पथी की दिनांक 13.03.2023 से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी उनकी सराहना करती है।
- श्री आर.पी. सिंह की दिनांक 25.08.2022 (पूर्वाह्न) से अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में सेवाएं समाप्त हुईं। कंपनी के साथ उनके जुड़े होने के दौरान उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए कंपनी उनकी सराहना करती है।

31. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

सीसीआई के गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक डॉ. रवींद्र शिवशंकर अरली और डॉ. मंजू बघेल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के प्रावधानों के अंतर्गत अपनी-अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है।

32. डिजिटलीकरण, कंपनी की वेबसाइट से लिंक, इंटरनेट, ईआरपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल ट्रेकिंग आदि

सीसीआई में डिजिटलीकरण

भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" पहल के अनुरूप और पारदर्शिता बढ़ाने, कंपनी के प्रचालन की दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से, विगत कुछ वर्षों में कई प्रमुख पहलें कार्यान्वित

की गई हैं जिनमें कुछ कार्यों, वस्तुओं और सेवाओं के लिए ई-खरीद, ई-ऑफिस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान इस प्रकार हैं।

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक और वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण के माध्यम से संसूचना पहुंचाती है जिसे सीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक: <https://www.ccilttd.in> देखा जा सकता है।

सूचना और नवीनतम अपडेट और कंपनी द्वारा की गई घोषणाएं कंपनी की वेबसाइट www.ccilttd.in पर देखी जा सकती हैं, जिसमें कंपनी प्रोफाइल/सीसीआई का संगठनात्मक इतिहास, विजन और मिशन, वार्षिक रिपोर्ट, प्रबंधन के संदेश, नवीनतम निविदाएं, फोटो गैलरी, संयंत्रधूसीसीआई कार्यालय, एचआरएमएचआरडी इत्यादि शामिल हैं।

इंटरनेट पोर्टल (प्राइवेट वेबसाइट)

सीसीआई में इंटरनेट पोर्टल है जो कर्मचारियों के लिए सूचना साझा करने, संचार करने और दस्तावेजों, योजनाओं और कार्यों को मिलकर काम करने का आंतरिक मंच के रूप में कार्य करता है। नवीनतम परिपत्र, विभाग-वार सूचना, एसओपी, वर्तमान तिथि उत्पादन रिपोर्ट, इकाई-वार दैनिक उत्पादन रिपोर्ट, मासिक इकाई-वार प्रदर्शन रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड की जा रही हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

सीसीआई में दैनिक कामकाज, क्रियाकलापों की निगरानी, संयंत्रों/विभागों के कार्य निष्पादन की समीक्षा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने, समय बचाने, यात्रा खर्च कम करने और सीसीआई के निगम कार्यालय और इसकी इकाइयों में सहयोग को बढ़ावा देने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग महत्वपूर्ण कारक रही है। सभी घरेलू गतिविधियाँ/उत्सव जैसे सतर्कता सप्ताह, स्वच्छता पखवाड़ा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, योग दिवस, निगम कार्यालय और इकाइयों में शपथ ग्रहण समारोह आदि वीसी के माध्यम से आयोजित किए गए हैं।

वेंडर के लिए बिल ट्रेकिंग सिस्टम:

देश में डिजिटलीकरण की आवश्यकता का समर्थन करते हुए और कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सीसीआई में विक्रेताओं की सहायता के लिए भुगतान पर

नजर रखने का एक ऑनलाइन बिल ट्रेकिंग सिस्टम विद्यमान है। इसके लिए लिंक सीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

ईआरपी:

बेहतर प्रबंधन सूचना प्रणाली और डेटा सुरक्षा के लिए, हम टैली ईआरपी 9 को एसएपी बिजनेस वन सॉफ्टवेयर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में हैं।

ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल:

ग्राहकों की सुविधा के लिए हमने अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन बिक्री मॉड्यूल की भी शुरुआत की है।

ऑनलाइन भविष्य निधि मॉड्यूल:

कर्मचारियों की सुविधा के लिए, हमने अपनी इंटरनेट वेबसाइट में पीएफ ऑनलाइन मॉड्यूल की भी शुरुआत की है।

33. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 को सदैव अक्षरशः लागू करने का प्रयास किया है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम की धारा 5 और धारा 19(1) के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय अधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी को नामित किया है।

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा है।

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ एक विशेष आरटीआई कॉर्नर विकसित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट पर अधिकारियों, पीआईओ, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और पारदर्शिता अधिकारी का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है।

34. विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

समय-समय पर विभिन्न पक्षकार हमसे निर्यात संबंधी पूछताछ करते रहे हैं। हमारे संयंत्रों के समुद्री बंदरगाहों से दूर के स्थानों पर होने के कारण, संयंत्रों से निकटवर्ती समुद्री बंदरगाहों तक अंतर्देशीय माल भाड़ा अधिक पड़ता है। इसी कारण हमारे एफओबी मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं। निर्यात के मोर्चे पर कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि उचित अवसर मिलने पर इसका लाभ उठाया जा सके। सीमेंट का पूरा उत्पादन घरेलू बाजार में बेचा जा रहा है।

35. सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)

सीसीआई तंदूर यूनिट में कैपेक्स मॉडल पर 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दिनांक 21.03.2023 को मैसर्स एनवीवीएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस संयंत्र की वास्तविक क्षमता 6 मेगावाट है।



एनवीवीएनएल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

36. लेखापरीक्षक:

सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2022-23 के लिए मैसर्स महलवाला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, नई दिल्ली को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था और मैसर्स के पी सारदा एंड कंपनी एवं मैसर्स जे.एस. सुंदरम एंड कंपनी को शाखा लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं तत्संबंधी उत्तर एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में संलग्न हैं।

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स एचएमवीएन एंड एसोसिएट्स को वर्ष 2022-23 के लिए निगम का मुख्य लागत लेखापरीक्षक के अलावा राजबन का लागत लेखापरीक्षक, नियुक्त किया गया था। बोकाजन इकाई के लिए मैसर्स बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी एवं तांदूर इकाई के लिए मैसर्स पीकेआर एंड एसोसिएट्स एलएलपी को लागत लेखाकार नियुक्त किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षा करने के लिए मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को सचिवीय लेखापरीक्षक नियुक्त किया है। सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अनबंध के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संबंध में, आपके निदेशकों ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है:

अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष एक अलग एजेंडा रखा जा रहा है जिसमें क्षेत्रीय निदेशक (आरडी), उत्तरी क्षेत्र, कार्य मंत्रालय मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष आवेदन दाखिल करने की मांग की जा रही है।

37. लेखापरीक्षा समिति की संरचना का प्रकटीकरण और सतर्कता तंत्र प्रदान करना

कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

- क. डॉ. रवीन्द्र शिवशंकर अरली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- ख. डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- ग. श्री बी. पी. सतपथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी सीधी पहुंच प्रदान की है, जो कंपनी की सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति के अधीन कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों की रिपोर्टिंग पर सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति (व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी) कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ccilttd.in पर भी उपलब्ध है

38. आभार

बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार से आपके निगम को प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन और रेल मंत्रालय, पीईएसबी, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभागों द्वारा दिये गये समर्थन और सहयोग के प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों को निरंतर भारी समर्थन देने के लिए सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अपने सम्मानित ग्राहकों का भी आभार व्यक्त करते हैं।

कंपनी के निदेशक मैसर्स महलवाला एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक और पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड- II के आभारी हैं। निदेशकगण निगम के कर्मचारियों के समर्पण के लिए उनकी हृदय से प्रशंसा करता है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से
ह./-
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 29.09.2023

स्थान : नई दिल्ली

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के अंतर्गत यथापेक्षित निम्नलिखित मदों का विवरण

क ऊर्जा का संरक्षण

वर्ष 2022-23 में ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

1. बोकाजन:-

क्र. सं.	विवरण	बचाई गई यूनिट	
		किलोवाट / घंटा	किलोवाट / मीट्रिक टन
1.	पुराने 7 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर ओएलटीसी और एवीआर के साथ 7 एमवीए का पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना की गई	39.8	2.65
2.	अतिरिक्त कैपेसिटर बैंक (500 केवीएआर) के अधिष्ठापन से पीएफ के उन्नयन से बिजली का नुकसान 0.96 तक कम हो गया है	37.3	2.48
3.	पुराने पारंपरिक लैंपों के स्थान पर एलईडी लैंप अमल में लाकर कॉलोनी की बिजली में कमी	20.8	1.39
4.	कोल मिल-2 (160 किलोवाट) में अकुशल पुरानी पारंपरिक मोटर को ऊर्जा कुशल मोटर से बदला गया	20	0.95
5.	रॉ मिल ईएसपी फैन मोटर (150 किलोवाट) में अकुशल पुरानी पारंपरिक मोटर को ऊर्जा दक्षतायुक्त मोटर से बदला गया	10.6	0.19
6.	संयंत्र में 2 एमवीए (11/0.415 केवी) पुराने पारंपरिक ट्रांसफार्मर को उच्च दक्षतायुक्त ट्रांसफार्मर से बदला गया	6.3	0.42
7.	रॉ मिल के लिए 2 एमवीए (11/3.3 केवी) पुराने पारंपरिक ट्रांसफार्मर को उच्च दक्षतायुक्त ट्रांसफार्मर से बदला गया	6.3	0.16
	युनिटों की कुल बचत	141.1	8.24

2. राजबन:-

क्र. सं.	विवरण	बचाई गई यूनिट	
		किलोवाट / घंटा	किलोवाट / मीट्रिक टन
1.	रॉ मिल सर्कुलेटिंग फैन मोटर में वीएफडी की स्थापना	60	1.24
2.	डीसी ड्राइव को एसी ड्राइव से बदलना (04 संख्या)	4.65	0.14
3.	400केवीए बूस्टर ट्रांसफार्मर की स्थापना	1.11	0.02
4.	23 ऊर्जा दक्षतायुक्त मोटरों की स्थापना (1.5 किलोवाट से 3.7 किलोवाट)	8.76	0.26
	युनिटों की कुल बचत	74.52	1.66

3. तंदूर:-

क्र. सं.	विवरण	बचाई गई यूनिट	
		किलोवाट / घंटा	किलोवाट / मीट्रिक टन
1.	वीआरएम फैन जीआरआर का प्रतिस्थापन	20	0.10
2.	ऊर्जा दक्षतायुक्त पीएच फैन मोटर सं. 01 का प्रतिस्थापन	40	0.25
3.	ऊर्जा दक्षतायुक्त पीएच फैन मोटर सं. 02 का प्रतिस्थापन	50	0.29
4.	ऊर्जा दक्षतायुक्त कूलर फैन मोटर सं. १। का प्रतिस्थापन	05	0.03
5.	ऊर्जा दक्षतायुक्त कूलर पंखा का प्रतिस्थापन संख्या-01	05	0.03
	युनिटों की कुल बचत	120	0.70

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन: (प्रचालनरत इकाइयों में)

प्रौद्योगिकी समावेशन-

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन की दिशा में किए गए प्रयासय .

- क) राजबन और बोकाजन इकाइयों में नवीनतम प्रदूषण मानदंडों को पूरा करने के लिए पल्स जेट बैग हाउस (पीजेबीएच) स्थापित किया गया।
- ख) पीपीसी के उत्पादन के लिए फ्लाइंग एश के उपयोग के लिए तांदूर यूनिट में हैंडलिंग सिस्टम के साथ कैप 500 एमटी के नए फ्लाइंग-ऐश स्टील साइलो की स्थापना।
- ग) सीसीआई-तांदूर में मैसर्स एनवीवीएनएल के सहयोग से 10 मेगावाट कैपेक्स सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। स्वयं की विद्युत उत्पादन हेतु राजबन इकाई में रेस्को मॉडल के अन्तर्गत 01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।
- घ) दोनों इकाइयों में क्रमशः कच्ची मिल और कोयला मिल के लिए भट्टे की गर्म अपशिष्ट गैसों का उपयोग करने के लिए राजबन और बोकाजन इकाइयों में गर्म वायु वाहिनी की स्थापना

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे प्राप्त लाभ-

- क) पल्स जेट बैग फिल्टर वातावरण में निलंबित कणों के प्रदूषण को कम करेगा और उत्सर्जित धूल को भी वातावरण में एकत्र करेगा।
- ख) फ्लाइंग-ऐश फीडिंग प्रणाली पीपीसी का उत्पादन करके परिवर्तनीय लागत में लगभग 5 प्रतिशत कम करने में सहायता करेगी।
- ग) सौर ऊर्जा संयंत्र भविष्य में बिजली बिल की लागत में कमी लाएंगे।
- घ) अपशिष्ट गर्म गैसों का उपयोग किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप कोयले की खपत कम होगी।
- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की आरंभ से विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये आयात की गणना करते हुए) -
 - (क) आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण- **शून्य**
 - (ख) आयात का वर्ष- **लागू नहीं**
 - (ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतया समावेशित कर लिया गया है- **शून्य**
 - (घ) यदि पूर्णतया समावेशित नहीं हुआ है, तो वे क्षेत्र जहां समावेशन नहीं हुआ है, और उसके कारणय तथाय- **लागू नहीं**

(iv) अनुसंधान और विकास पर किया गया व्यय- **शून्य**

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इकाई-वार कुल ऊर्जा खपत और उत्पादन की प्रति इकाई ऊर्जा खपत:-

1) विद्युत	यूओएम	बोकाजन	राजबन	तांदूर
क) खरीद				
I) यूनिट	किलोवाट (लाख में)	217.32	192.24	758.95
II) कुल राशि	लाख रुपये में	1623.34	1239.20	6158.67
III) दर प्रति यूनिट	रुपये/किलोवाट	7.47	6.45	8.11
ख अपनी पीढ़ी				
डीजल के माध्यम से उत्पादन				
I) यूनिट	किलोवाट	शून्य	11910	शून्य
II) डीजल की कुल खपत	लीटर	शून्य	5858	शून्य
III) डीजल ऑयल प्रति लीटर यूनिट	किलोवाट/लीटर	शून्य	2.033	शून्य
IV) प्रति यूनिट लागत	रुपये/किलोवाट	शून्य	43.84	शून्य
सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन				
I) यूनिट	किलोवाट	शून्य	111797	72855
2) कोयला				
खपत की मात्रा	मीट्रिक टन	33481	26696	129175
कुल लागत	लाख रुपये में	2257.74	2009.47	9595.29
औसत दर	रुपये/मीट्रिक टन	6743.34	7527.23	7428.13
3) प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत				
I) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किया गया सीमेंट)	किलोवाट/मीट्रिक टन	161.69	122.31	128.97
II) बुक किया गया कोयला (विलंकर उत्पादन का प्रतिशत):		27.73	20.16	23.88
III) कोयला (यूएचवी)	किलो सेल्सियस/किलो कोयला	4769.00	4889.49	4150.00

(ख) सीसीआई उत्पादन की प्रति यूनिट कुल ऊर्जा खपत के रूप में—

1. विद्युत			
क) खरीद	यूओएम	(2021-22) (प्रचालनरत यूनिट)	(2022-23) (प्रचालनरत यूनिट)
i) यूनिट	किलोवाट (लाख में)	1262.79	1168.51
ii) कुल राशि	लाख रुपये में	7333.98	9021.21
iii) दर प्रति यूनिट	रु./किलोवाट में	5.81	7.72
ख) स्वयं का उत्पादन			
i) यूनिट	किलोवाट में	8780	11910
ii) डीजल की कुल खपत	लीटर में	6306	5858
iii) डीजल ऑयल प्रति लीटर/यूनिट	किलोवाट/ लीटर में	1.39	2.033
iv) प्रति यूनिट लागत	रु./किलोवाट में	58.96	43.84
v) सौर ऊर्जा उत्पादन	किलोवाट में	-	184652
2. कोयला			
i) खपत की मात्रा	एमटी में	203654	189352
ii) कुल लागत	लाख रुपये में	13394.14	13862.50
iii) औसत दर	रु./एमटी में	6576.91	7321.02
3. प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत			
i) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किए गये सीमेंट)	किलोवाट/एमटी में	140.01	132.66
ii) बुक किया गया कोयला (क्लंकर उत्पादन का प्रतिशत)	%	23.30	23.85
iii) कोयले की गुणवत्ता (UHV)	किलो सेल्सियस प्रति किलो कोयला	4314.67	4363.66



सीसीआई बोकाजन इकाई द्वारा असम के खान एवं भूविज्ञान निदेशक के साथ गुवाहाटी में डिल्लई पर्वत चूना पत्थर खदान के खनन पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर



हैदराबाद में डीलरों की बैठक

सीएसआर संबंधी कार्यकलाप

1 कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति के वेब-लिंक का संदर्भ शामिल है:

सीसीआई की सीएसआर और स्थिरता नीति की परिकल्पना "अधिमानत: परियोजना क्षेत्रों में जहां यह काम कर रहा है, समुदायों और हितधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता के रूप में की गई है।"

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थिरता नीतियां और गतिविधियां, कंपनी अधिनियम, 2013 की सातवीं अनुसूची और भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुझाई गई क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के साथ एकीकृत कर उनके अनुरूप बनाता है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों को

आत्मसात किया जाएगा और इसे सीसीआई की सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, प्रचालन और लेनदेन में लागू किया जाना चाहिए।

(i) निवल मूल्य - 126.56 करोड़ रुपये

(ii) टर्नओवर - 440.31 करोड़ रुपये

(iii) निवल लाभ - 95.29 करोड़ रुपये

(iv) मानदंड जिसने सीएसआर प्रयोज्यता की शुरुआत की: निवल लाभ 5 करोड़ से अधिक

2. (क) (i) क्या सीएसआर समिति का गठन किया गया है – **जी, हाँ**
- (ii) सीएसआर समिति में सम्मिलित निदेशकों की संख्या – **03**
- (iii) वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या – **01**

क्र.सं.	डीआईएन	निदेशक का नाम	वर्ग	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या
1.	07392367	डॉ. रवीन्द्र शिवशंकर अरली	स्वतंत्र निदेशक	01
2.	09391340	डॉ. मंजू बघेल	स्वतंत्र निदेशक	01
3.	09391341	श्री बी. पी. सत्पथी	निदेशक (सरकार द्वारा नामित)	01

(ख) (i) क्या कंपनी की कोई वेबसाइट है – **जी, हाँ**

(ii) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें – <http://ccilttd.in/pagaphp?id=194>

(iii) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित का प्रकटन किया गया है:

- सीएसआर समिति की संरचना – **हाँ**
- सीएसआर नीति – **हाँ**
- बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं – **हाँ**

(ग) (i) क्या सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू हो कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किया जाता है – **शून्य**

(ii) यदि हां, तो क्या बोर्ड रिपोर्ट में इसका प्रकटन किया गया है – **लागू नहीं**

(iii) वेब-लिंक, यदि कोई हो, प्रदान करें – **लागू नहीं**

(घ) (i) क्या कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए कोई राशि उपलब्ध है? – **नहीं**

(ii) यदि हां, तो विवरण प्रदान करें:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्त वर्ष में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि, यदि कोई हो (रुपये में)	शेष राशि (रुपये में)
1.	2020-21	--	--	--
2.	2021-22	--	--	--
3.	2022-23	--	--	--
	कुल	--	--	--

3. (क) क्या कंपनी ने अपने गठन के बाद से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि पूरी कर ली है – हाँ
(ख) यदि नहीं, तो निगमन के बाद से पूर्ण किए गए वित्तीय वर्षों

- की संख्या प्रदान करें—लागू नहीं
(ग) विगत वित्तीय वर्षों के लिए निवल लाभ और अन्य विवरण:

क्र.सं.	विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)		
		वित्त वर्ष -1 (2019-20)	वित्त वर्ष -2 (2020-21)	वित्त वर्ष -3 (2021-22)
1.	कर पूर्व लाभ			
2.	धारा 198 के अंतर्गत परिगणित निवल लाभ	(50.94)	13.15	40.20
3.	सीएसआर नीति नियम 2014 के नियम 2(1)(एच) के अनुसार समायोजित कुल राशि	0	0	0
4.	धारा 135 (2-3) के लिए कुल निवल लाभ	(50.94)	13.15	40.20

- (घ) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ – **80.51 लाख रुपये**

- i. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत – **1.61 लाख रुपये**
ii. विगत वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं/ कार्यक्रमों या गतिविधियों से उद्भूत अधिशेष, यदि कोई हो – **शून्य**
iii. वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो – **शून्य**
iv. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [3 (i) + 3 (ii) - 3 (iii)] - **1-61 लाख रुपये**

4. (क) क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर राशि खर्च की गई है – जी, हाँ

- (ख) यदि हां, तो सीएसआर राशि निम्नलिखित पर खर्च की गई है:

- चालू परियोजनाएँ—हाँ
- चालू परियोजनाओं से भिन्न— **लागू नहीं**
- दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं के भिन्न) – **लागू नहीं**

- (i) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: **लागू नहीं**

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	परियोजना की आईडी	अनुसूची VII के अंतर्गत गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (माह में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका— प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका— कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							कुल	-	-	-	-

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से अन्य के सापेक्ष खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: **लागू नहीं**

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं से अन्य की संख्या

क्र. सं.	अनुसूची VII के अंतर्गत गतिविधियों की सूची से मद	परियोजना की आईडी	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (माह में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							कुल	-	-	-	-

(ग) प्रशासनिक बंधे खर्च में खर्च की गई राशि- **शून्य**

(घ) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो- **शून्य**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि - **6.00 लाख रुपये**

(च) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अव्ययित/(अतिरिक्त) राशि [5(d)-6(e)] चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित - **4.39 लाख रुपये**

(छ) धारा 135(6) के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरण के लिए ग्राह्य राशि (समायोजन से पूर्व) - **शून्य**

(ज) वित्तीय वर्ष के लिए अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि (यदि वित्तीय वर्ष के लिए कुल अव्ययित चालू परियोजनाओं के लिए अव्ययित राशि से अधिक है) - **शून्य**

- वित्तीय वर्ष के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के अंतरण का विवरण:

(क) धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर लेखा में स्थानांतरण

अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरित की जाने वाली राशि	अव्ययित सीएसआर खाते में वास्तविक रूप से अंतरित राशि	अंतरण की तिथि	कमी, यदि कोई हो
--	--	--	--

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरण:

अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली राशि	अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में वास्तविक रूप से अंतरित राशि	अंतरण की तिथि	कमी, यदि कोई हो
--	--	--	--

5. क्या विगत तीन वित्तीय वर्षों की कोई अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में खर्च की गई है: **नहीं**

(क) विगत तीन वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर लेखा में अंतरित राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपये में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपये में)	अंतरण की तिथि		
1	2019-20	--	--	--	--	--	--	--
2	2020-21	--	--	--	--	--	--	--
3	2021-22	--	--	--	--	--	--	--

(ख) विगत वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं की संख्या: लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजना की आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना आरंभ की गई थी	वित्तीय वर्ष के आरंभ में परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति – पूर्ण / चालू
1	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--

(क) (i) क्या विगत तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि से वित्तीय वर्ष में कोई नई सीएसआर परियोजना आरंभ की गई है: नहीं

(ii) यदि हां, तो नई सीएसआर परियोजना (परियोजनाओं) की प्रकृति है / हैं:

- चालू परियोजनाएँ – लागू नहीं
- चालू परियोजना (परियोजनाओं) से भिन्न – लागू नहीं
- दोनों (चालू और चालू परियोजनाओं से भिन्न) – लागू नहीं

(iii) वित्तीय वर्ष में चालू नई सीएसआर परियोजना पर खर्च की गई राशि का विवरण:

चालू परियोजनाओं की संख्या: लागू नहीं

क्र. सं.	परियोजना की आईडी	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII के अंतर्गत गतिविधियों की सूची से मद से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (माह में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका— प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका— कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से	
						राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								योग	--	--	--	--

(iv) वित्तीय वर्ष में चालू परियोजनाओं से भिन्न नई परियोजनाओं पर खर्च की गई धनराशि का विवरण

चालू परियोजनाओं से भिन्न अन्य की संख्या: लागू नहीं

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII के अंतर्गत गतिविधियों की सूची से मद से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका— प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका— कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से	
					राज्य	जिला			सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								योग	--	--

6. क्या वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 से संबंधित कोई अव्ययित राशि वित्तीय वर्ष में खर्च की गई है: जी, नहीं

वित्तीय वर्ष में सीएसटी परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि का विवरण:

सीएसआर परियोजनाओं की संख्या: **लागू नहीं**

क्र. सं.	परियोजना की आईडी	वित्तीय वर्ष जिससे नई परियोजना संबंधित है	अनुसूची VII के अंतर्गत गतिविधियों की सूची से मद से आइटम	परियोजना का नाम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि (माह में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका- कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के माध्यम से	
						राज्य	जिला				सीएसआर पंजीकरण संख्या	नाम
1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
								योग	--	--	--	--

7. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगम सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति सृजित या अर्जित की गई है: जी, नहीं

8. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो इसका कारण बताएं – **लागू नहीं**

ह/-
(रवींद्र शिवशंकर अरली)
अध्यक्ष (सीएसआर समिति)

ह/-
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2022-23 दिनांक 22-08-2023 के वार्षिक लेखाओं पर लेखपरीक्षा प्रतिवेदन (संशोधित) में निर्धारित टिप्पणियों पर प्रबंधन के प्रत्युत्तर इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	अर्हता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
क	कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के स्वामित्व और पट्टा विलेखों का निष्पादन अभी भी लंबित है और भूमि विवरण सुलह के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने 11.04.2017 को स्वतः संज्ञान लेते हुए 14.20 एकड़ भूमि एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी, जिसकी लागत अब 'बाहरी पक्षों से वसूली योग्य' में अंतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दी गई 6.74 एकड़ जमीन का भौतिक कब्जा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है। खटिप्पणी-34 का बिंदु संख्या 04 देखें,।	टिप्पणी सं. 34 के प्रासंगिक बिंदु सं. 04 में स्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा बन रहा है।
ख	पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक सड़क के रूप में सीसीआई के आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग से उद्भूत देनदारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके अंतरण आदेश की प्रतीक्षा है। [टिप्पणी-34 का बिंदु संख्या 06 देखें]।	टिप्पणी सं. 34 के प्रासंगिक बिंदु सं. 06 में स्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा बन रहा है।
ग	वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बताई गई विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित सुलह के कारण विचार नहीं किया गया है [टिप्पणी-34 का बिंदु संख्या 12 देखें]।	टिप्पणी सं. 34 के प्रासंगिक बिंदु सं. 12 में स्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा बन रहा है।
घ	कुछ व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, पक्षकारों को एवं से जमाएं और अन्य देनदारियों के शेष की संपुष्टि और मिलान के अधीन है। मिलान न से उद्भूत वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं लगाया जा सका है। [टिप्पणी-34 का बिंदु संख्या 34 देखें]।	टिप्पणी सं. 34 के प्रासंगिक बिंदु सं. 34 में स्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा बन रहा है।
ङ	कंपनी की सात उत्पादन इकाइयाँ और एक दिल्ली में ग्राइंडिंग इकाई है, जहाँ वर्ष 1996 से 1999 के बीच प्रचालन बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई ने उत्पादन शुरू नहीं किया था, जिसके संबंध में टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 11 पर ध्यान आकृष्ट किया गया है। प्रबंधन के विचार के अनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है चूंकि अपेक्षित वसूली योग्य मूल्य आमतौर पर परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है।	टिप्पणी सं. 34 के प्रासंगिक बिंदु सं. 11 में स्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा बन रहा है।
च	कंपनी ने दिनांक 22 मार्च 2007 को भारत सरकार को 355.43 करोड़ रुपये मूल्य के प्रत्येक 1,000/- रुपये के 3554325 गैर-संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर 7 (सात) वर्षों के लिए जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त अधिमानी शेयरों को 22 मार्च, 2014 से पहले भुनाया जाना था जो निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने बताया कि कैबिनेट/बीआईएफआर के निर्देशानुसार मंत्रालय से अधिमानी शेयर को पुनः जारी करने के लिए आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। [टिप्पणी-34 का बिंदु संख्या 13 देखें]।	टिप्पणी सं. 34 के प्रासंगिक बिंदु सं. 13 में स्थिति को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया गया है। जो वार्षिक लेखाओं का हिस्सा बन रहा है।

क्र.सं.	अर्हता का आधार	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
छ	17,046.41 लाख रुपये की कुल मालसूची में से 3,175.26 लाख रुपये (कुल मालसूची का लगभग 18.63 प्रतिशत) की गैर-प्रचालनरत इकाइयों की मालसूची को विगत कई वर्षों से समान मात्रा में बहियों में अग्रेनीत किया गया था। निहित मालसूची की मद की प्रकृति और उनके संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मालसूची पर शाखा लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मालसूची के मूल्य में काफी कमी हो सकती है प्रबंधन द्वारा जिसके प्रभाव को वित्तीय विवरणों में मात्रा में निर्धारित नहीं किया गया या जिसका प्रावधान नहीं किया गया है।	टिप्पणी संख्या 34 बिंदु संख्या 11 में निगम के वार्षिक लेखाओं में यह उल्लेख किया गया है कि बीआईएफआर स्वीकृत योजना के अनुसार गैर-प्रचालनरत इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। इसके अलावा, गैर-प्रचालनरत इकाइयां विनिवेश/बिक्री के अधीन हैं।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. कंपनी का सिंहावलोकन

महामारी के कारण आये दबाव, रूसी-यूक्रेन संघर्ष और मुद्रास्फीति से उबरते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में व्यापक आधार पर सुधार कर रही है और सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख उभरते बाजारों में सबसे अधिक 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख चालकों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि भी 6-7 प्रतिशत के बीच है। नवंबर 2022 तक खुदरा मुद्रास्फीति भी आरबीआई के लक्ष्य सीमा के भीतर आ गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में उच्च जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि अर्थव्यवस्था महामारी की चपेट से उबर गई। अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का प्रदर्शन भी अच्छा रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिकता, उच्च वित्तीय समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक सुधारों द्वारा सृजित आर्थिक अवसरों के कारण दक्षता में लाभ होना भी आरंभ हो गया है।

2. सीमेंट उद्योग

भारत विश्वभर में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सीमेंट की वैश्विक स्थापित क्षमता में लगभग 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है। भारत में निर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भी विकास की काफी संभावनाएं हैं और इससे सीमेंट क्षेत्र को बड़े पैमाने पर लाभ होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, बढ़ती ग्रामीण आवास मांग के कारण, भारत में सीमेंट की खपत निरंतर बढ़ रही है चूंकि यह रुपये/किग्रा के संदर्भ में सबसे सस्ती निर्माण सामग्री में से एक है। औद्योगिक क्षेत्र का मजबूत विस्तार, जो कि कोविड-19 महामारी के झटके से पूरी तरह उबर चुका है, सीमेंट उद्योग के लिए मुख्य मांग चालकों में से एक है। इसके परिणामस्वरूप, सीमेंट उद्योग की दीर्घकालिक मांग में वृद्धि की प्रबल संभावना है। हाल की कुछ पहलों, जैसे कि 98 स्मार्ट शहरों के विकास से इस क्षेत्र को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत में कुल 210 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं, जिनमें से 77 आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में हैं।

भारत की लगभग 32 प्रतिशत सीमेंट उत्पादन क्षमता दक्षिण भारत में है जबकि उत्तर भारत में 20 प्रतिशत मध्य भारत में 13 प्रतिशत तथा पश्चिम भारत में 15 प्रतिशत और शेष 20 प्रतिशत पूर्वी भारत में स्थित है। भारत में कुल सीमेंट खपत में आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 65 प्रतिशत है।

3. सरकारी पहल

- क) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए बजट अनुमान 79,590 करोड़ रुपये है जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 48,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान के साथ 66 प्रतिशत की वृद्धि है।
- ख) भारत सरकार ने आगे निर्णय लिया कि सभी नई परियोजनाओं के सड़क निर्माण में बिटुमेन के स्थान पर थोक सीमेंट का उपयोग इस आधार पर किया जाएगा कि बिटुमेन की तुलना में सीमेंट लंबे समय तक अधिक टिकाऊ और रखरखाव की दृष्टि से सस्ता है।
- ग) मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, गति शक्ति भविष्य में सीमेंट की मांग को भी बढ़ाएगी।
- घ) सभी के लिए आवास जैसी सरकारी पहल से सीमेंट क्षेत्र में मांग बढ़ेगी।
- ङ) भारत में रियल एस्टेट बाजार 2023 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ग्रामीण आवास और कम लागत वाले आवास में मजबूत वृद्धि से मांग बढ़ेगी। बजट 2023-24 के अनुसार अवसंरचना पर 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च करने का प्रस्ताव है।
- च) केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2.7 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी।

4. दृष्टिकोण

- क) संपत्ति मुद्रीकरण की दिशा में एक कदम में, और एनओयू की संपत्तियों के निपटान के लिए एमएचआई द्वारा दिनांक 09.02.2022 के पत्र के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने गैर-प्रचालनरत इकाइयों की अपनी निष्क्रिय संपत्तियों को "जैसा है जहां है" के आधार पर निपटान करना आरंभ कर दिया है। इससे न केवल निष्क्रिय परिसंपत्तियों का मूल्य मुक्त होगा और राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि रखरखाव/सुरक्षा पर प्रचालन लागत भी कम होगी और लाभप्रदता में वृद्धि होगी। विभिन्न एनओयू की संपत्ति बिक्री की स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	इकाई	स्थिति
1	चरखी दादरी	संयंत्र एवं मशीनरी की परिसंपत्ति बिक्री 34.92 करोड़ रुपये पर संपन्न हुई। सामग्री उठाने का कार्य प्रगति पर है।
2	अकलतरा	संयंत्र एवं मशीनरी की परिसंपत्ति बिक्री 57.50 करोड़ रुपये पर संपन्न हुई। सामग्री उठाने का कार्य प्रगति पर है।
3	भटिंडा	संयंत्र और मशीनरी की संपत्ति बिक्री के लिए निविदाएं जारी की गईं।
4/5	कुरकुंटा/मंधार	बोली दस्तावेजों ने निविदा जारी करने को अंतिम रूप दे दिया।
6/7	नयागांव/आदिलाबाद	परिसंपत्ति का मूल्यांकन पूरा हो गया। निविदा की तैयारी चल रही है।

ख) कंपनी वायु प्रदूषण को कम करने, ऊर्जा की खपत को कम करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान देने के लिए अपने संयंत्रों के आधुनिकीकरण में भी निवेश कर रही है, जिसके लिए कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के अंतर्गत पल्स जेट बैग फिल्टर, फ्लाइंग ऐश हैंडलिंग सिस्टम और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जैसी कई परियोजनाएं आरंभ की जा रही हैं। सीसीआई तंदूर यूनिट में कैपेक्स मॉडल पर 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 21.03.2023 को मैसर्स एनवीवीएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एनवीवीएनएल द्वारा तंदूर में 6 मेगावाट के सोलर प्लांट के लिए निविदा आमंत्रित की गई है। रेस्को (शून्य लागत) मॉडल में 1 मेगावाट के सौर संयंत्र का काम सौंपा गया था और काम पहले ही आरंभ हो चुका है। ये सौर संयंत्र न केवल बिजली की लागत को काफी कम करेंगे अपितु कार्बन उत्सर्जन में कमी सहित स्वच्छ और हरित ऊर्जा का स्रोत भी बनेंगे।

5. उत्पादन एवं बिक्री निष्पादन

आपकी कंपनी ने विगत 3 वर्षों से निरंतर अच्छा प्रदर्शन किया है। वर्ष 20-21, 21-22 और 22-23 के लिए, औसत सीमेंट उत्पादन का आंकड़ा लगभग 8.78 लाख मीट्रिक टन पर स्थिर रहा, जबकि विगत 3 वर्षों यानी 17-18, 18-19 और 19-20 में औसत 6.57 लाख मीट्रिक टन था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कोयले की आपूर्ति में व्यवधान देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप तांदूर संयंत्र कोयले की कमी के कारण 51 दिनों तक बंद रहा। इसके बावजूद, समग्र सीमेंट उत्पादन और बिक्री अप्रभावित रही और तंदूर में कमी को राजबन और बोकाजन दोनों इकाइयों द्वारा पूरा किया गया।

हमारे प्रमुख कारोबार और उनके कार्य निष्पादन की मुख्य अंश इस प्रकार हैं:

i) चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीमेंट उत्पादन वित्तीय वर्ष 2021-22 के 8.72 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 8.68 लाख मीट्रिक टन है।

ii) वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट प्रेषण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 8.63 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 8.65 लाख मीट्रिक टन रहा।

iii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीमेंट की बिक्री वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 8.66 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 8.64 लाख मीट्रिक टन रही।

iv) वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 दोनों के दौरान सीमेंट क्षमता उपयोग 60 प्रतिशत पर स्थिर था।

6. वित्तीय कार्य निष्पादन

आपकी कंपनी ने वर्ष 22-23 में दशक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। एक दशक से अधिक समय के बाद तीनों प्रचालनरत इकाइयां लाभ में थीं। वित्त वर्ष 22-23 में पीबीटी बढ़कर 95.29 करोड़ रुपये और निवल लाभ अनुपात 21.64 प्रतिशत हो गया जो विगत वर्ष क्रमशः 40.20 करोड़ रुपये और 9.65 प्रतिशत था। लंबे अंतराल के बाद कंपनी की निवल संपत्ति न केवल सकारात्मक हो गई, अपितु सीसीआई ने अब तक की सबसे अधिक निवल संपत्ति 126.56 करोड़ रुपये हासिल किये। वित्त वर्ष 22-23 में "प्रचालन से राजस्व" बढ़कर वित्त वर्ष 21-22 में 418.87 करोड़ रुपये के सापेक्ष 440.72 करोड़ हो गया। नियोजित पूंजी पर रिटर्न और प्रति कर्मचारी सीमेंट उत्पादन (एमटी टन) वित्त वर्ष 22-23 में बढ़कर 34.34 प्रतिशत और 2249 (एमटी) हो गया, जबकि वित्त वर्ष 21-22 में यह क्रमशः 22.07 प्रतिशत और 2106 (एमटी) था। राजबन इकाई ने वित्त वर्ष 21-22 में 2.62 करोड़ रुपये के घाटे के मुकाबले वित्त वर्ष 22-23 में 6.05 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। बोकाजन इकाई ने वित्त वर्ष 22-23 में 4.31 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित जबकि वित्त वर्ष 21-22 में 1.83 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

7. ऊर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी ने बिजली की खपत को कम करने के लिए प्रक्रिया अनुकूलन के अलावा ऊर्जा कुशल मोटर्स और



ट्रांसफार्मर की स्थापना, परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, पावर फैक्टर में सुधार आदि जैसे कई उपाय किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा खपत में विगत वर्ष के 140.01 यूनिट/घटन सीमेंट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 22-23 में 132.66 यूनिट/घटन सीमेंट की कमी आई है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी में सांविधिक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कारोबारी प्रचालन की सहायता करने के लिए प्रचालन के आकार, पैमाने और जटिलता के अनुरूप भली भांति परिभाषित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है। कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा पेशेवर फर्मों की टीम द्वारा की जाती है जिसका कार्य आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर के माध्यम से परिभाषित किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेनदेन की लेखापरीक्षा, प्रणाली की लेखापरीक्षा और प्रक्रिया लेखापरीक्षा सम्मिलित हैं। अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की रिपोर्ट सीधे लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाती है। प्राधिकार के उचित चित्रण के साथ सभी मौद्रिक लेनदेन को शामिल करने के लिए उपयुक्त आंतरिक जांच का निर्माण किया गया है, जो हर चरण पर जांच और संतुलन प्रदान करता है।

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

9. अन्य प्रकटीकरण

केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए करपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अध्याय-7 में प्रावधान है कि निदेशकों की रिपोर्ट के अलावा या इसके अतिरिक्त, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनना चाहिए जिसमें कंपनी की प्रतिस्पर्धी स्थिति द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर विभिन्न मामलों पर चर्चा भी सम्मिलित है। जहां तक खंड-वार और उत्पाद-वार प्रदर्शन का संबंध है, कंपनी केवल एक खंड अर्थात् सीमेंट में काम करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्चा और पर्यावरण परिरक्षण और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण आदि जैसे विषय निदेशकों की रिपोर्ट में पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

चेतावनी कथन

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों और प्राक्कलनों का वर्णन करने वाले इस "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" में दिए गए कथन लागू सुरक्षा कानूनों और विनियमों के अर्थ में आशावादी और प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियां और अन्य कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

कारपोरेट शासन पर प्रतिवेदन

1. शासन संहिता पर कंपनी का दर्शन:

कारपोरेट शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन यह है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) वित्तीय विवेक, ग्राहकों की संतुष्टि, पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता में विश्वास करता है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीआई प्रथाएं सभी हितधारकों अर्थात् शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, सरकारी एजेंसियों/विभाग और समाज बड़े पैमाने पर समाज पर आधारित हैं।

2. निदेशक मंडल:

i. बोर्ड का गठन:

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी अधिनियम,

2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। बोर्ड में निदेशकों की संख्या 3 से अन्यून और 12 से अनधिक होगी।

ii. बोर्ड की संरचना:

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, सीसीआई के बोर्ड में छह (6) निदेशक शामिल थे, जिनमें से दो कार्यकारी निदेशक और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नामित दो अंशकालिक आधिकारिक निदेशक एवं दो गैर आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक हैं।

निदेशकों के नाम और संवर्ग, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में उनकी उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक के साथ-साथ निदेशक और समिति (लेखा परीक्षा समिति) पदों की संख्या तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1: निदेशकों के संवर्ग और उनके द्वारा धारित निदेशक पद और समिति के पद

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक	बोर्ड बैठक की संख्या जिनमें उपस्थिति रही	वार्षिक आम बैठक (दिनांक 28.09.2022 को आयोजित) में उपस्थिति	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार धारित निदेशक पद की संख्या (सीसीआई सहित)	दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अन्य कंपनियों की समिति में
कार्यकारी निदेशक:						
1.	श्री संजय बंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5	हां	1	शून्य
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त) (दिनांक 25.08.2022 से)	3	3	हां	1	शून्य
सरकार द्वारा नामित निदेशक:						
3.	डॉ. रेणुका मिश्रा* (दिनांक 01.07.2022 से)	4	4	हां	7	शून्य
4.	श्री बी. पी. सत्पथी** (दिनांक 13.03.2023 तक)	5	4	हां	1	शून्य
स्वतंत्र निदेशक:						
5.	डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली	5	5	लागू नहीं	1	2***
6.	डॉ. मंजू बघेल	5	5	लागू नहीं	1	शून्य

* श्रीमती निधि छिब्र, अपर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय के स्थान पर डॉ. रेणुका मिश्रा, आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय को दिनांक 01.07.2022 को सीसीआई के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में नियुक्त किया गया।

** श्री जोसेफ अतुल टी बारला को दिनांक 13.03.2023 को सीसीआई के बोर्ड में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकार द्वारा नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था।

*** निम्नलिखित एलएलपी में अभिहित भागीदार:

- हेल्थ प्वाइंट मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एलएलपी
- सिनर्जी मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल एलएलपी

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में पांच बोर्ड बैठकें अर्थात् दिनांक 08.06.2022, दिनांक 21.07.2022, दिनांक 19.09.2022, दिनांक 25.11.2022 और दिनांक 09.03.2023 को आयोजित की गई।

- iii. बोर्ड/समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण और चयन:

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत उचित नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक मंडल समिति की बैठकों की तारीख और स्थान विनिश्चित करते हैं। बैठक के दौरान सार्थक, सूचित और केंद्रित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने के लिए सदस्यों के बीच विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक बयान अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। जब अत्यावश्यक मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, तो बैठकें कम समय की पूर्व सूचना पर बुलाई जाती हैं या अधिनियम या इसके लेखों में उल्लिखित लागू प्रावधानों के सम्यक अनुपालन में परिचालन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं।
- जहां कहीं किसी दस्तावेज को उसकी गोपनीय प्रकृति के कारण एजेंडा नोट्स में संलग्न करना व्यावहारिक नहीं है, या विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, अतिरिक्त या पूरक मदों के कागजात बैठक में पटल पर रखे जाते हैं।
- कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत कार्यसूची कागजात परिचालित किये जाते हैं।
- बोर्ड/समितियों की बैठकों में वित्त, संचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित मामलों पर प्रस्तुतीकरण दिया जाता है ताकि सदस्यों को जब भी अपेक्षित हो, सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
- कंपनी की सभी जानकारी तक बोर्ड के सदस्यों की पूरी पहुंच है। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे की संस्तुति करने के लिए भी स्वतंत्र है जिसे वह एजेंडा में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण मानता है। बोर्ड द्वारा चर्चा की जा रही वस्तुओं के लिए अतिरिक्त सूचनाउपलब्ध कराने के लिए, जब भी अपेक्षित हो, वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को बुलाया जाता है।

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

- iv. बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेखन:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त को कार्यवृत्त पुस्तक में विधिवत दर्ज किया जाता है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड के सदस्यों के बीच उनकी संपुष्टि के लिए आगामी बोर्ड बैठक में परिचालित किया जाता है। बोर्ड की उप-समिति के कार्यवृत्त भी जानकारी के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

- v. अनुवर्ती तंत्र:

बोर्ड/समिति के सदस्यों के महत्वपूर्ण निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर)को एटीआर एजेंडा प्राप्त होने पर प्रस्तुत किया जाता है। यह एक प्रभावी अनुवर्ती, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है।

- vi. अनुपालन:

हमने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि एजेंडा नोट्स तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के सभी लागू प्रावधानों का पालन हो। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों और विभिन्न कानूनों के अंतर्गत विभिन्न अन्य सांविधिकअपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। बोर्ड को अपेक्षित सूचना नियमित रूप से निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती है:-

- समझौता ज्ञापन (एमओयू), बड़ी संविदाएं प्रदान करने की सूचना।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस, और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो तात्त्विक से महत्वपूर्ण हैं।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं।
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी कंपनियों का गठन, संयुक्त उद्यम और कार्यनीतिक गठबंधन।
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों/फर्मों आदि में उनके द्वारा अधिग्रहित निदेशकों और समिति पदों के बारे में अभिरुचि का प्रकटीकरण।

- विधि और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मर्दे।
- सांविधिक प्रावधानों का त्रैमासिक अनुपालना प्रमाणपत्र।
- बोर्ड द्वारा समय-समय पर वांछित अन्य मामले।

vii. गैर-कार्यकारी निदेशकों का मुआवजा और प्रकटीकरण:

कंपनी ने सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया। हालाँकि, स्वतंत्र निदेशकों को प्रति बोर्ड बैठक और समिति की बैठकों के लिए क्रमशः 15,000/- रुपये (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) एवं 12,000/- रुपये (बारह हजार रुपये मात्र) की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जा रहा है। स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठक में सहभागिता करने के लिए जेबखर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

viii. अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल की समिति में धारित निदेशक पद और सदस्यता।

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	संवर्ग	अन्य कंपनियों में निदेशक पद / प्रकटीकरण (2022-23)
कार्यकारी निदेशक:			
1.	श्री संजय बंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	शून्य
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त) (दिनांक 25.08.2022 से)	कार्यकारी निदेशक	शून्य
सरकार द्वारा नामित निदेशक			
3.	डॉ. रेणुका मिश्रा (दिनांक 01.07.2022 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1. हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड 2. एच.एम.टी. लिमिटेड 3. एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लिमिटेड 4. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड 5. नेपा लिमिटेड

			6. राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)
4.	श्री बी.पी.सत्पथी (दिनांक 13.03.2023 तक)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य
5.	श्री जोसेफ अतुल टी बारला (दिनांक 13.03.2023 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	शून्य
स्वतंत्र निदेशक:			
6.	डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली	स्वतंत्र निदेशक	1. हेल्थ प्वाइंट मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एलएलपी 2. सिनर्जी मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल एलएलपी 3. सांगली अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, सांगली
7.	डॉ. मंजू बघेल	स्वतंत्र निदेशक	शून्य

ix. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने बोर्ड के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवसाय आदि के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए पहल करती है। सीसीआई के प्रबंधन द्वारा समय-समय पर सीसीआई के बोर्ड {यथास्थिति (आधिकारिक) और (गैर-आधिकारिक)} के अंशकालिक निदेशकों को सीसीआई के कामकाज से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दों और महत्वपूर्ण जानकारीयों प्रदान की जाती हैं।

x. आचार संहिता

कंपनी अपने कारोबार को कारोबारी नैतिकता के उच्चतम मानकों के अनुसार संचालित करने और सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के प्रति कटिबद्ध है। यह पुष्टि की जाती है कि बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वर्ष 2022-23 के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की संपुष्टि की है।

xi. जोखिम मूल्यांकन और न्यूनीकरण के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली एक एकीकृत हिस्सा है और कारपोरेट और प्रचालनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप है। जोखिम प्रबंधन निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में न करके सामान्य कारोबारी अभ्यास के हिस्से के रूप में किया जाता है।



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

3. लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की एक लेखापरीक्षा समिति है जिसमें निम्नलिखित निदेशकगण सम्मिलित हैं:-

- 1) डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- 2) डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- 3) श्री बी.पी. सत्पथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

लेखा परीक्षा समिति के पास कंपनी अधिनियम, 2013 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कारपोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुसार शक्तियां, भूमिका और विचारार्थ विषय होते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, दिनांक 08.04.2022, दिनांक 04.07.2022, दिनांक 07.09.2022, दिनांक 19.09.2022, दिनांक 02.11.2022 और दिनांक 10.02.2023 को लेखा परीक्षा समिति की छह बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1. डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली	6	6
2. डॉ. मंजू बघेल	6	6
3. श्री बी.पी. सत्पथी	6	5

4. पारिश्रमिक समिति

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों को देय पारिश्रमिक और भत्ते सरकार द्वारा और उनकी नियुक्ति/

संविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक सीपीएसई एक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जो कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन नीति विनिश्चित करेगी।

कंपनी की पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं:-

- 1) डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- 2) डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- 3) श्री बी. पी. सत्पथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

वर्ष 2022-23 के दौरान, दिनांक 25.11.2022 को पारिश्रमिक समिति की बैठक आयोजित की गई और इसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1. डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली	1	1
2. डॉ. मंजू बघेल	1	1
3. श्री बी.पी. सत्पथी	1	1

निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों(केएमपी) को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण:

वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	नाम	डीए और एचआरए सहित वेतन	अन्य हितलाभ	कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन	परिलब्धियों का मूल्य	विकित्सा संबंधी प्रतिपूर्ति	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	कुल
1.	श्री संजय बंगा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	29.60	4.43	0.00	6.67	0.23	3.46	44.40
2.	श्री प्रदीप कुमार चंद, निदेशक (वित्त) (दिनांक 25.08.2022 से)	14.05	2.11	0.00	3.78	0.46	1.68	22.08
3.	अजय कुमार शर्मा, कंपनी सचिव	15.44	3.64	0.00	0.00	0.12	1.85	21.04
	योग	59.09	10.18	0.00	10.45	0.81	6.99	87.53

5. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति होना अपेक्षित है। कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति में निम्नलिखित निदेशक सम्मिलित हैं: –

- 1) डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली, स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
- 2) डॉ. मंजू बघेल, स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
- 3) श्री बी.पी. सत्पथी, निदेशक (सरकार द्वारा नामित) – सदस्य

वर्ष 2022-23 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की एक बैठक दिनांक 08.09.2022 को आयोजित की गई और इसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
1. डॉ. रवींद्र शिवशंकर अराली	1	1
2. डॉ. मंजू बघेल	1	1
3. श्री बी.पी. सत्पथी	1	1

6. हितधारक संबंध समिति

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक असूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और इसकी संपूर्ण शेयर पूंजी भारत के माननीय राष्ट्रपति और उनके नामितों के पास है। इसलिए, ऐसी किसी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

7. अनुशंगी कंपनियां

कंपनी की कोई अनुशंगी कंपनी नहीं है।

8. वार्षिक आम बैठक

विगत तीन वर्षों की वार्षिक आम बैठक का विवरण इस प्रकार है:–

वार्षिक आम बैठक	56वीं वार्षिक आम बैठक	57वीं वार्षिक आम बैठक	58वीं वार्षिक आम बैठक
तारीख और समय	4 मार्च, 2021, मध्याह्न 12.00 बजे	25 फरवरी, 2022, सायं 04:30 बजे	28 सितंबर, 2022 पूर्वाह्न 11:30 बजे

स्थान	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003	स्कोप कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली –110003
पारित किए गए विशेष संकल्प	जी नहीं	जी नहीं	जी, हां

9. प्रकटीकरण

I. संबंधित पक्षकार लेनदेन:

कंपनी ने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार व्यक्तिगत रूप से निदेशकों द्वारा किया गया प्रकटीकरण) के साथ ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, जिसमें बड़े पैमाने पर कंपनी के साथ संभावित हित जुड़े हों।

II. विधिक अनुपालन:

कंपनी ने मई 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी कारपोरेट शासन दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कदम उठाए हैं।

निदेशक मंडल के लिए संविदात्मक दायित्वों के रूप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किए गए खर्च के अलवाला कोई व्यक्तिगत खर्च नहीं किया है।

III. लेखांकन समाधान:

कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार वित्तीय विवरण के लिए अपनी रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणियों और पर्यवेक्षणों के अधीन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखांकन मानकों का पालन किया।

IV. राष्ट्रपति के निर्देश:

वित्तीय वर्ष 2022-23 और विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी को राष्ट्रपति का कोई निर्देश नहीं

10. सतर्कता

सीसीआई, एक पीएसयू होने के नाते, कंपनी के अभिलेख भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा और सतर्कता द्वारा निरीक्षण के लिए खुले हैं। सीसीआई में सीवीओ की अध्यक्षता में सतर्कता विभाग विद्यमान है।



11. संचार के माध्यम

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट www.ccilttd.in पर डाले जाते हैं। कंपनी समय-समय पर कारपोरेट संबंधी महत्वपूर्ण निर्णयों और क्रियाकलापों पर आधिकारिक समाचार वेबसाइट पर भी डालती है।

12. सचेतक नीति:

कंपनी ने कर्मचारियों द्वारा अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या नीति के उल्लंघन के बारे में चिंता की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मचारियों की सीएमडी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति तक सीधी पहुंच

दिनांक : 29-09-2023

स्थान : नई दिल्ली

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

हैं जो कंपनी की सचेतक नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। सचेतक नीति कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट www.ccilttd.in पर भी उपलब्ध है।

13. अनुपालन प्रमाण पत्र:

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित कारपोरेट शासन की शर्तों के साथ उनकी टिप्पणियों और पर्यवेक्षण के अधीन अनुपालन की पुष्टि करने वाला मैसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है, इसके साथ संलग्न है।

कृते एवं बोर्ड की ओर से
(संजय बंगा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिव

कार्यालय: एच-63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, भारत
फोन: +91-11-49423788, 43019279, मोबाइल: +91-9811272307
ई-मेल: amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

निगमित शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स 7-लोधी रोड
नई दिल्ली- 110003
सीआईएन: U74899DL1965GOI00432

हमने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश, 2010 मूल रूप से दिनांक 22.06.2007 को जारी अधिसूचना सं. 18(8)/2005-जीएम देखें, एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा, मई, 2010 को यथा संशोधित जारी उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध (इसमें 'दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित) के दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित है, द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच निगमित शासन की उपरोक्त उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणिका पर मत की अभिव्यक्ति है।

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद् द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

कृते अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

हस्ता / -
सीएस अमित अग्रवाल
(प्रॉपराइटर)

स्थान: दिल्ली
दिनांक : 17.08.2023

सदस्यता सं. एफ 5311ए सी.पी. सं.: 3647
यूडीआईएन: F005311E000814119



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कार्यालय: एच-63, विजय चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092, भारत
फोन: +91-11-49423788, 43019279, मोबाइल: +91-9811272307
ई-मेल: amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

प्रपत्र सं. एमआर-3

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी
(कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
कार्यालय : कोर 5, स्कोप कॉम्प्लैक्स 7, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003 भारत
सीआईएन: U74899DL1965GOI004322

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

हमने सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (इसके पश्चात 'कंपनी' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और उचित कारपोरेट परिपाटियों के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की है। यह सचिवीय लेखा परीक्षा इस रीति में की गई थी जो हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर हमारा मत व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान करे।

कंपनी का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव और कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की पहचान, निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रिया की स्थापना और रखरखाव के लिए भी उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व कथन

हमारा उत्तरदायित्व केवल परीक्षण के आधार पर अनुपालन की जांच और सत्यापन करना है और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।

हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेख और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है। जहां भी अपेक्षित हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्य संचालित किए हैं।

बाध्यताएं

आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ मिथ्याकथन या तात्विक गैर-अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा सुनियोजित और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा यथा निर्धारित सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई हो।

इसके अलावा, हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कंपनी आदि पर लागू कानूनों से संबंधित कार्यवृत्तों, दस्तावेजों, पंजिकाओं, अन्य अभिलेखों और विवरणी सहित सचिवीय अभिलेख की जांच करते हुए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। प्रबंधन ने पुष्टि की है कि हमें प्रस्तुत किए गए अभिलेख सत्य और सही हैं। हमने कुछ क्षेत्रों के लिए कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर भी भरोसा किया है, जिसके लिए भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होती है।

मत का आधार

हमने लेखापरीक्षा प्रथाओं, सचिवीय लेखापरीक्षा मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लागू और उपयुक्त थे। कुछ मामलों में सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं। हम यह भी मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

सचिवीय अभिलेख और उसके अनुपालन पर रिपोर्ट

कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए ई-प्रपत्रों और विवरणी तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और इसके अतिरिक्त कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को समाहित करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में उस सीमा तक, जिस सीमा तक इसके उपरांत किए गए प्रतिवेदन की रीति में और अधीन समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र विद्यमान हैं:

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फाइल किए गए ई-प्रपत्रों और विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- (I) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- (ii) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
- (iii) अन्य लागू कानून विशेष रूप से कंपनी पर अर्थात्:

- क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
- ख) उपदान संदाय अधिनियम, 1972
- ग) न्यूनतम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1948
- घ) प्रसूति प्रसुविधा लाभ अधिनियम, 1961
- ङ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण अधिनियम), 2013
- च) बोनस संदाय अधिनियम, 1965
- छ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- ज) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अपने कर्मचारियों के लिए पीएफ प्रयोजनार्थ सृजित
- झ) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ञ) खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक अधिनियम, 2011
- ट) कारखाना अधिनियम, 1948
- ठ) रिक्ति की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959
- ड) मजदूरी संदाय अधिनियम
- ढ) कर्मकार और मुआवजा अधिनियम
- ण) उपदान अधिनियम
- त) समान पारिश्रमिक अधिनियम
- थ) औद्योगिक विवाद अधिनियम
- ध) बाल नियोजन अधिनियम
- न) भारतीय स्टाम्प अधिनियम
- प) चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972

हालाँकि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विनियमों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि खंड (i) कंपनी ने निगमन के बाद से कोई एफडीआई और ईसीबी नहीं लिया गया है और निम्नलिखित (ii) और (iii) खंड के लिए कंपनी असूचीबद्ध कंपनी है। इसलिए, इन खंडों के संबंध में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है:

- I. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक।
- II. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित नियम, विनियम और दिशानिर्देश।
- III. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है और हम रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का गैर-कार्यकारी निदेशकों एवं महिला निदेशक के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है।

सभी निदेशकों को बोर्ड के बैठक की अनुसूचियों का पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडे एवं एजेंडे पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पूर्व भेजे गए थे, और बैठक से पूर्व एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए प्रणाली विद्यमान है।

निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है जबकि असहमति सदस्यों के विचारों को नोट किया जाता है और कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलिखित किया जाता है।

बीआईएफआर योजना के अनुसार, कंपनी के चार प्रभार हैं जो एमसीए पोर्टल पर दर्शाये गए हैं। वे वर्षों पूर्व संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों के साथ एकबारगी भुगतान (ओटीएस) के अनुसार चुका दिये गये थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय अभिलेख और लेखा बहियों के रखरखाव की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है चूंकि यह अन्य पदनामित पेशेवर द्वारा सांविधिक वित्तीय लेखापरीक्षा की समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं/कारपोरेट कार्रवाइयां हुईं, जिनका कंपनी के कार्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

कृते अमित अग्रवाल एंड
एसोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

हस्ता/—
सीएस अमित अग्रवाल
(प्रॉपराइटर)

सदस्यता सं. एफ5311ए
सी.पी. सं. रू 3647

यूडीआईएन: २००५३११०००८१४०९७

स्थान: दिल्ली

दिनांक : 17.08.2023



सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

प्रधान कार्यालय: ई-97, एलजीएफ, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट (संशोधित)

सेवा में,
सदस्यगण,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
नई दिल्ली

यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा कार्यालय (आई एंड सीए), नई दिल्ली द्वारा जारी दिनांक 08 अगस्त, 2023 के हॉफ मार्जिन को प्रभावी बनाने के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार लेखाओं पर हमारी पिछली 30 जून, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अधिक्रमण में है।

वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("कंपनी") सीआईएन नंबर U74899DL1965 GOI004322 की संलग्न एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष की लाभ-हानि की विवरणिका और नकदी प्रवाह विवरणिका सम्मिलित है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित ग्यारह इकाइयां (मंधार, तांदूर वाईआरओ, चरखी दादरी, अकालतारा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुरुकुंटा, आदिलाबाद, बोकाजन और सिलचर ग्राइंडिंग यूनिट) तथा हमारे द्वारा लेखापरीक्षित राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और कारपोरेट कार्यालय की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना भी शामिल है।

योग्य मत

हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, योग्य मत हेतु आधार अनुच्छेद में वर्णित मामलों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरणिका कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित सूचना इस रीति में देती है जो 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार इकाई के कार्यों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व हानि और उसके नकदी प्रवाह के संबंध में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप अपेक्षित है तथा सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य मत हेतु आधार

- क. कंपनी के पक्ष में कुछ इकाइयों की भूमि के मालिकाना हक और लीज पट्टा का निष्पादन निरंतर लंबित है और भूमि का विवरण समाशोधन के अध्ययन है। इसके अतिरिक्त, डीडीए ने दिनांक 11-04-2017 को स्वतः 14.20 एकड़ भूमि एसडीएमसी को हस्तांतरित कर दी थी जिसकी लागत अब "बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य" में अंतरित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त रेलवे को साइडिंग के निर्माण के लिए दिये गये 6.74 एकड़ भूमि का भौतिक कब्जा अभी तक कंपनी को नहीं सौंपा गया है, अतः निर्माण लंबित है। (टिप्पणी-34 के बिंदु संख्या 04 देखें)।
- ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर की सरकारी भूमि जो पंप हाउस से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 7 तक सड़क के रूप में है जिसका अन्य संक्रामण आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, के सरकारी भूमि के अधिग्रहण एवं उपयोग से होने वाली देनदारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। (टिप्पणी-34 के बिंदु संख्या 06 देखें)।
- ग. वर्ष 1998 में बेची गई येरागुंटला इकाई के संबंध में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इंगित विसंगतियों के प्रभाव पर लंबित समाशोधन के कारण विचार नहीं किया गया है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 12 देखें)।

E-2/16, 2nd Floor, White House Ansari Rad, Daryaganj, New Delhi - 110002

- घ. कुछ व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, व्यापार देय, पक्षकारों को जमा राशियां और पक्षकारों से जमा राशियां तथा अन्य देनदारियां संपुष्टि और समाशोधन के अध्ययन हैं। समाशोधन न होने के कारण पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन नहीं किया जा सका है। (टिप्पणी 34 का बिंदु संख्या 34 देखें)।
- ड. कंपनी की दिल्ली में सात उत्पादन इकाइयाँ और एक ग्राइंडिंग इकाई दिल्ली में है, जहाँ वर्ष 1996 से वर्ष 1999 के बीच प्रचालन बंद कर दिया गया था और भटिंडा (पंजाब) में एक ग्राइंडिंग इकाई है, जिसमें उत्पादन आरंभ नहीं किया था, जिसके संबंध में टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 11 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रबंधन के विचारानुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि बाजार मूल्य आम तौर पर परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक होने की उम्मीद है।
- च. कंपनी ने 22 मार्च, 2007 को 7 (सात) वर्षों के लिए भारत सरकार को 355.43 करोड़ रुपए के मूल्य के 3554325 गैर-संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर प्रत्येक 1000/- रुपए के जारी किए थे। निर्गम की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त अधिमानी शेयरों का 22 मार्च 2014 से पूर्व मोचित किया जाना था, जो कि निर्गम की शर्तों के अनुरूप नहीं है। प्रबंधन ने सूचित किया कि मंत्रीमंडल/बीआईएफआर के निर्देशानुसार मंत्रालय से अधिमानी शेयर को पुनः निर्गमित करने के लिए आगे की कार्रवाई की मांग की गई है। (टिप्पणी 34 बिंदु सं. 13 देखें)।
- छ. 17,046.41 लाख रुपये की कुल मालसूची में से 3,175.26 लाख रुपये की अप्रचालनरत इकाइयों की मालसूची की वही राशि विगत कई वर्षों से बहियों में आगे ले जाई जा रही थी। मालसूची में निहित मदों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एवं शाखा लेखा परीक्षकों की अपनी संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में मालसूची पर टिप्पणियों के संबंध में मालसूची के मूल्य में अत्यधिक कमी हो सकती है वित्तीय विवरणिकाओं में जिसके प्रभाव का प्रबंधन द्वारा निर्धारण नहीं किया गया है या प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षण (एसए) के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी उत्तरदायित्वों का आगे हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणिका खंड के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व में उल्लेख किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अधीन वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये हैं वह हमारे मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरणिकाओं में निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

1. कंपनी को माननीय बीआईएफआर के पत्र संख्या 501/96-बीईएनसीएच IV एसओएल दिनांक 08.08.96 के माध्यम से रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21-03-2006 को की गई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना अनुमोदित की। स्वीकृत योजना को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03-05-2006 को परिचालित की गई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों के निपटान और 3 प्रचालन संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 अप्रचालनरत संयंत्रों को बंद करने/बेचने की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार 7 इकाइयों को बंद कर दिया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 09.02.2022 के पत्र के माध्यम से इन गैर-प्रचालनरत इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी, भंडार आदि को बेचने का निर्देश दिया। तदनुसार, अकलतरा और चरखी दादरी इकाइयों की अन्य परिसंपत्तियों के साथ संयंत्र और मशीनरी को मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से बेचा गया था। अन्य संयंत्रों की बिक्री का कार्य प्रगति पर है। (टिप्पणी संख्या 34.09 एवं 34.17 देखें)
2. अकलतरा इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी की बिक्री मैसर्स एमएसटीसी (भारत सरकार का उद्यम) के माध्यम से "जैसा है जहां है क्लीन स्वीप" के आधार पर 57.50 करोड़ रुपये में संपन्न हुई थी। इन परिसंपत्तियों की बिक्री पर हुए लाभ को 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 31क में असाधारण आय के रूप में दर्शाया गया है। इसके अलावा, सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 31 की उप-धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार, खंड संख्या के के साथ पठित, निविदा दस्तावेज के अनुसार, संपूर्ण राशि की प्राप्ति पर दिनांक 26.05.2023 को जीएसटी चालान जारी किया गया था और तदनुसार कर दायित्व का भी निर्वहन किया गया था। (टिप्पणी संख्या 34.17.i देखें)

- ख. चरखी दादरी इकाई के संयंत्र और मशीनरी की बिक्री मैसर्स एमएसटीसी (भारत सरकार का उद्यम) के माध्यम से "जैसा है जहां है क्लीन स्वीप के आधार पर" पर 34.92 करोड़ रुपये में संपन्न हुई थी। इन परिसंपत्तियों की बिक्री पर हुए लाभ को 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 31क में असाधारण आय के रूप में दर्शाया गया है। (टिप्पणी संख्या 34.17पप देखें)
- 3प दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन डीपीई द्वारा 29-05-2017 को जारी किया गया है। परिपाटी के अनुसार, 'निदेशक मंडल' की अनुशंसा भारी उद्योग मंत्रालय के अनुमोदनार्थ भेजी गई है। आज की तारीख तक भारी उद्योग मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारी हितलाभ व्यय में इस लेखा पर प्रावधान शामिल किया गया है। (टिप्पणी संख्या 34.19 देखें) लेखा बहियों में दिनांक 31.03.2023 कुल 19.86 करोड़ रुपये के प्रावधान किये गये हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणिकाओं और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल सूचना सम्मिलित है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध, कारोबारी उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, किंतु इसमें वित्तीय विवरणिकाएं और हमारे लेखापरीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारी मत में अन्य सूचना सम्मिलित नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाएं पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणिकाओं के साथ भौतिक रूप से या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त सूचना हमारे ज्ञान में असंगत है या अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथन प्रतीत होता है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना का तात्विक मिथ्याकथन है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है, हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी बात नहीं है।

एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है, जो सत्य और न्यायोचित अवलोकन प्रदान करने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रासंगिक हों और किसी उल्लेखनीय मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश।

वित्तीय विवरणी तैयार करने में निदेशक मंडल कंपनी की लाभकारी कारबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने यथा लागू प्रकटीकरण, लाभकारी कारबार वाले संस्थान से संबंधित मामलों और लेखाकरण में लाभकारी कारबार वाले संस्थान आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी के या तो परिसमापन या प्रचालन बंद करने आशय नहीं करता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के संबंध में उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समग्र रूप से तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे मत शामिल हैं। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा तात्विक मिथ्या कथन मौजूद होने पर सदैव उसका पता लगाएगी। मिथ्याकथन धोखाधड़ी से या त्रुटिवश हो सकते हैं और यदि, अलग-अलग या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणिकाओं के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त अपेक्षा होती है तो इन्हें तात्विक माना जाता है।

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और ऐसी योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें जिससे इस बारे में उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरणी तात्विक मिथ्या कथनो से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं में निहित राशि और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेखनीय मिथ्या कथन का आकलन किया जाना शामिल है, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो। वे जोखिम आकलन करते समय, लेखा परीक्षक कंपनी की सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उन परिस्थितियों में समीचीन हों। एक लेखा परीक्षा में कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा तैयार किए गए लेखाकरण प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

अन्य मामले

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरणिकाओं में शामिल 4 (चार) शाखाओं की वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनकी वित्तीय विवरणिकाएं/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कुल परिसंपत्ति 342.45 करोड़ रुपए और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 371.33 करोड़ रुपए (कुल राजस्व का लगभग 78 प्रतिशत) है। इन वित्तीय विवरणिकाओं की लेखापरीक्षा शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई और जहां तक शाखाओं के संबंध में सम्मिलित राशि और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारे मत पूर्णतया ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने कंपनी के कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतकों की जांच की है। मालसूची धारिता अनुपात, चालू अनुपात, बिक्री ग्राफ, लेखाकरण (एसए) 570 (संशोधित) (लाभकारी कारबार वाला संस्थान) पर मानक में यथा निर्धारित श्रम शक्ति में गिरावट एवं पाया गया कि ये वित्त वर्ष 2019-20 तक कंपनी के बारे में नकारात्मक तस्वीर दर्शाते हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 से लगभग सभी वित्तीय संकेतकों में सकारात्मक तस्वीर दिखाई दी है और हमारे पास वित्त वर्ष 2022-23 के मामले में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी बात नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारे मत में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा यथापेक्षित और कंपनी की बहियों और अभिलेखों के ऐसी जांच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर 'अनुबंध क' में, विवरण देते हैं।
2. हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक जारी निदेशों/उप-निदेशों पर अधिनियम की धारा 143 (5) के निबंधनानुसार, कंपनी के



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

बहियों और रिकार्डों की ऐसी जांच जो हमने उचित समझी, के आधार पर और हमें प्रदान की सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुबंध I एवं अनुबंध II में अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क) हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे;
- ख) हमारे मतानुसार, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं जहां तक उन बहियों की हमारी जाच से प्रतीत होता है कि हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उन शाखाओं से पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं, जिनका हमने दौरा नहीं किया है।
- ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखाओं पर रपोर्ट हमें भेज दिया गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे इस पर उचित रूप से ध्यान दिया है।
- घ) तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इस रिपोर्ट में दर्शाया गया नकदी प्रवाह की विवरणिका, लेखा बहियों और विवरणियों के अनुरूप हैं।
- ङ) हमारे मतानुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरणिका कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुरूप हैं।
- च) सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलताओं के संबंध में, "अनुबंध ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणिकाओं में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है – वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी संख्या 32 देखें।
 - ii. कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घावधिक संविदाएं नहीं हैं जिनके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियां होती।
 - iii. ऐसी कोई धनराशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और नियम क प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार ऐसी कोई निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन.: 005823एन

ह./—

सीए राकेश देव

पार्टनर

स.सं.: 084662

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 22.08.2023

यूडीआईएन: 23084662BGYZEW1932

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

[(31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाएं' पर रिपोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में संदर्भित)]

हमारे द्वारा उचित समझी गई जांच के आधार पर और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

I. (क) इसकी संपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के संबंध में:

(क) कंपनी ने संपत्ति संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किया है, जैसा कि उनकी शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, नयागांव सीमेंट फैक्ट्र यूनिट (एनओयू) और अकालतारा शाखा लेखापरीक्षक के समक्ष भौतिक सत्यापन का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि उसे बताया गया कि शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्णित प्रबंधन द्वारा भौतिक निरीक्षण किया गया है के अपवाद वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है जो हमारे मतानुसार, उचित अंतराल पर सभी स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करती है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई तात्विक विसंगतियां नहीं देखी गईं और लेखा बहियां उचित रूप से अनुरक्षित की गई हैं।

(ग) शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ इकाइयों को छोड़कर स्थायी परिसंपत्तियों के मालिकाना हक कंपनी के नाम पर हैं। कंपनी की भूमि और अन्य संपत्तियों के कुछ स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं। (टिप्पणी 34 के बिंदु संख्या 4, 8 और 26 देखें)। विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	संपत्ति का विवरण	सकल रखाव मूल्य	धारणकर्ता का नाम	क्या प्रवर्तक, निदेशक अथवा उनके संबंधी अथवा कर्मचारी	धारिता अवधि श्रेणी का उल्लेख करें जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
1.	मंधार (1.06 एकड़)	-	-	-	-	-
2.	अकालतारा (495.75 एकड़)	-	-	-	-	-
3.	भटिंडा (10.12 एकड़)	5.57	पीएसईबी (गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन भटिंडा)	नहीं	1995 के बाद से	सीसीआई के पास मानद स्वामित्व
4.	नयागांव एक मिलियन टन का प्लांट एवं दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई (6.74 एकड़)	-	-	-	-	-
5.	नयागांव (0.146 हेक्टेअर)	-	-	-	-	-
6.	प्रधान कार्यालय भवन	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	नहीं	1988 के बाद से	सीसीआई के पास मानद स्वामित्व

टिप्पणी संख्या 34.04 (पीपीई को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया है और निपटान के लिए रखा गया है) के अनुसार 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) को छोड़कर, भूमि का सकल रखाव मूल्य, जहां स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है, का अभी तक आकलन नहीं किया जा सका है।

- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ङ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

II. इसकी मालसूची के संबंध में

- क) जैसा कि हमें समझाया गया है, तैयार माल, अर्ध-तैयार माल, और स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और कच्चे माल की सूची नयागांव सीमेंट फैक्ट्री इकाई को छोड़कर जैसा कि शाखा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। हमारे मतानुसार इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है, प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और व्याप्ति उपयुक्त थे।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी को रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ नहीं उठाया है इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

III. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, या ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है इसलिए आदेश के इस खंड (पपप) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

IV. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने और गारंटी और प्रतिभूति प्रदान करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

V. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जमा स्वीकार नहीं किया है या जमा नहीं माना है। इसलिए, आदेश के खंड (अ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

VI. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए लागत अभिलेख की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत अभिलेख तैयार और अनुरक्षित किए हैं। हालांकि, हमने इन अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है जिससे यह निर्धारित हो कि वे सही या पूर्ण हैं।

VII. सांविधिक देयों के संबंध में:

- क) कंपनी के अभिलेखों और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, आयकर, कर कटौती सहित स्रोत पर कर, व्यावसायिक कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकरण और उस पर लागू अन्य सामग्री वैधानिक बकाया, अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकरणों में नियमित तौर पर जमा कर रही है। निम्नलिखित अविवादित मामलों में, भुगतान देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए तुलन-पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार बकाया हैं:

संविधि का स्वरूप	देयताओं का स्वरूप	राशि (लाख रुपये में)
केन्द्रीय बिक्री कर	केन्द्रीय बिक्री कर	9.61
निगमित कर	प्रवेश कर	14.14
निगमित कर	नाला कर	18.92
निगमित कर	रॉयल्टी (एवं ब्याज)	73.53
मृत्यु किराया	मृत्यु किराया (एवं ब्याज)	46.39
ईडी ग्राम पंचायत कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	45.93
आय कर	आय कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज	0.23
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	1602.68
व्यावसायिक कर	व्यावसायिक कर और अन्य विविध	0.01
अधिभार/अतिरिक्त कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	13.26
स्थानीय कर	सीमेंट पर उपकर	16.76

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2023 का बकाया/शेष में आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उपकर और अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में विवादित देय राशियां इस प्रकार हैं:

विवरण	देयता का स्वरूप	कहां लंबित है?	राशि (लाख रुपये में)
नाला कर	नाला कर	लागू नहीं	51.13
संपत्ति कर	संपत्ति कर	लागू नहीं	277.36
सेवा कर	सेवा कर	लागू नहीं	2.29
रॉयल्टी	रॉयल्टी (ब्याज सहित)	लागू नहीं	550.28
आय कर	आय कर	दिल्ली उच्च न्यायालय	0.76
संपत्ति कर	आवास एवं अग्नि कर	पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय	215.55
उत्पाद शुल्क	उत्पाद शुल्क	संबंधित राज्य के न्यायालय	538.70
बिक्री कर	बिक्री कर देयताएं	तेलंगाना उच्च न्यायालय	120.33
सेवा कर	सेवा कर	अपील अधिकरण	33.75
उपदान	उपदान	उप मुख्य श्रम आयुक्त आयुक्त	220.70
बिक्री कर	बिक्री कर	-	8.98

VIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है जो लेखा बहियों में दर्ज नहीं हैं और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्णन या प्रकटीकरण किया गया है। तदनुसार आदेश का खंड (viii) लागू नहीं होता है।

IX. क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज के भुगतान में चूक की है (नोट्स 34 के बिंदु संख्या 10 (ii) देखें) –

ऋण प्रतिभूति सहित उधार की प्रकृति,	ऋणदाता का नाम	वह राशि जो नियत तिथि को अदा नहीं की गई	मूलधन अथवा ब्याज	बिलंबित अथवा अप्रदत्त दिनों की संख्या	टिप्पणी यदि कोई है
ब्याज मुक्त ऋण	भारत सरकार	150.90 करोड़	मूलधन	2011 से अर्थात् 4382 दिन	-
गैर योजना ऋण	भारत सरकार	123.85 करोड़	ब्याज	2011 से अर्थात् 4382 दिन	-

- ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
- ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई अप्रयुक्त सावधि ऋण नहीं है इसलिए आदेश के इस खंड (ix) (ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के इस खंड (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ङ) वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई अनुषंगी या सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं था और इसलिए आदेश के खंड (ix)(ङ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- च) कंपनी ने प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है इसलिए आदेश के इस खंड (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- X. (क) कंपनी किसी भी प्रतिभूति (ऋण दस्तावेज सहित) को जारी करने के लिए पात्र नहीं है और इसलिए इस आदेश के खंड (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) कंपनी शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) के किसी भी अधिमानी आवंटन या निजी स्थानन के लिए पात्र नहीं है और इसलिए आदेश के इस खंड (x) (ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- XI. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई। तदनुसार आदेश के इस खंड (x) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार के पास कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट फॉर्म एडीटी-4 में नहीं भरी गई है, जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित है।
- (ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई सचेतक (व्हिसिल ब्लोअर) शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- XII. हमारे मतानुसार एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं है क्योंकि आदेश के खंड (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XIII. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 क अनुपालन में हैं, वित्तीय विवरणिका में लेखाकारण मानक (एएस) 18, से संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के अंतर्गत अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 क नियम 7 के साथ पठित राज्य नियंत्रित संस्थाओं पर लागू सीमा तक अपेक्षित प्रकटीकरण किया गया है।
- XIV. (क) हमारी मतानुसार हालांकि कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के तहत एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, इसे वर्ष में स्थापित कर दिया गया है जो इसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।
- (ख) प्रणाली के कारण हम आंतरिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने में सक्षम थे।
- XV. कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर नकदी लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- XVI. (क) कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45- IA के अधीन पंजीकरण कराया जाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) (क) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण के वैध प्रमाण पत्र के बिना कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां नहीं की हैं। तदनुसार यह खंड (xvi) (ख) आदेश लागू नहीं है।
- (ग) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कंपनी एक मूलभूत निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार आदेश का यह खंड (xvi) (ग) लागू नहीं है।
- (घ) लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई सीआईसी नहीं है, तदनुसार आदेश के इस खंड (xvi) (घ) की अपेक्षा लागू नहीं होती है।
- XVII. कंपनी को चालू वित्त वर्ष के दौरान यानी लेखापरीक्षा के दौरान और साथ ही पिछले वर्ष में कवर की गई अवधि के दौरान नकद घाटा नहीं हुआ है।
- XVIII. वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार आदेश की धारा (xviii) लागू नहीं होती है।
- XIX. वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के हमारे ज्ञान और अनुभवों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी परीक्षा के आधार पर हमारे संज्ञान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी तात्त्विक अनिश्चितता मौजूद है, यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देने होते हैं अपनी मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- हालांकि हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियां कंपनी द्वारा समाप्त कर दी जाएंगी। जब भी वे देय हों।
- XX. हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर गतिविधि पर 6.00 लाख रुपये खर्च किये हैं। (टिप्पणी संख्या 34.35 देखें)
- XXI. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर सूचना, योग्यता या आदेश के उपरोक्त खंड (I से XX) में पहले से शामिल प्रतिकूल टिप्पणियों को छोड़कर, कंपनियों में संबंधित शाखा लेखा परीक्षक द्वारा (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएसआरओ इकाइयों की रिपोर्ट कोई अन्य योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन.: 005823एन

ह./—

सीए राकेश देव

पार्टनर

स.सं.: 084662

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 22.08.2023

यूडीआईएन: 23084662BGYZEW1932

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 क खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन मापदंडों के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, जैसा कि कंपनी अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित किए जाने के लिए मानद, लेखा परीक्षा पर मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी दोनों आंतरिक नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू और दों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी हैं, के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम इस बारे में, कि क्या वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए और यदि ऐसा है तो सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से प्रचालित थे, औचित्यपूर्ण आश्वस्त प्राप्त करने के लिए नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे और लेखा परीक्षा नियोजित और निष्पादित करेंगे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और इनकी प्रचानिक प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियां निष्पादित करना निहित था। वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का बोध प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण दुर्बलता विद्यमान थी, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता को प्रचालित करना और इसके आरेखन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक की निर्णय पर निर्भर हैं, जिसमें वित्तीय विवरणिकाओं के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन का आकलन शामिल है, चाहे वह प्रवंचना से हुआ हो या त्रुटिवश।

हमारा मानना है कि जो लेखा परीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखा परीक्षा संबंधी मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय प्रतिवेदनों पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वस्त मुहैया कराने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया है। वित्तीय प्रतिवेदनों पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1. ऐसे अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हों जो, औचित्यपूर्ण विस्तार से, सटीकता और निष्पक्षता से निगम की परिसम्पत्तियों के संव्यवहारों और निपटान को परिलक्षित करती हों;

2. यह औचित्यपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करती हों कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का पालन करते हुए वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं और निगम की प्राप्तियां और व्यय केवल निगम के प्रबंधन और निदेशकों के निम्नलिखित प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं तथा
3. कंपनी की परिसम्पत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान के निवारण या समय रहते परिचयन के बारे में औचित्यपूर्ण आशवासन देती हों जिनका वित्तीय विवरणिकाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों के टकराव या अनुपयुक्त प्रबंधन अधिरोहण की संभावना शामिल है, से त्रुटि या प्रवंचना की वजह से, महत्वपूर्ण मिथ्या कथन उत्पन्न हो सकता है और इसका परिचयन नहीं हो सकता है। साथ ही, वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन की भविष्य की अवधियों पर प्रत्याशाएं स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकती हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का क्षय हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कंपनी में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदनों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य अवयवों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण संबंधी मानदंडों के आधार पर, ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2023 को प्रभावी रूप से काम कर रहे थे।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन.: 005823एन

ह./—

सीए राकेश देव

पार्टनर

स.सं.: 084662

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 22.08.2023

यूडीआईएन: 23084662BGYZEW1932

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट

<p>1. क्या कंपनी में सभी लेखाकरण लेनदेन को आईटी प्रणाली के माध्यम से साधित करने के लिए प्रणाली विद्यमान है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर के लेखाकरण लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ लेखों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।</p>	<p>जी हाँ, आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी की अपनी प्रणाली विद्यमान है। हमने ऐसा कोई भी लेखाकरण लेनदेन नहीं पाया है जिसे आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किया गया हो।</p>
<p>2. क्या कंपनी की ऋण चुकानों में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना की है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बढ़े खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों की समुचित रूप से लेखांकित किया गया है। (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांघिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू है)।</p>	<p>वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना नहीं की गई है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/उधार/ब्याज आदि का अधित्याग करने/बढ़े खाते में डालने के मामले नहीं हैं।</p>
<p>3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था। विचलन क मामलो की सूची बनाए।</p>	<p>केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधिया को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकित/उपयोग किया गया है।</p>

कृते महलवाला एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 005823N

हस्ता/ः
सीए राकेश देव
साझेदार
सं.सं. 084662

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 22.08.2023
यूडीआईएन: 23084662BGYZEW1932

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी नं.	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
इक्विटी एवं देनदारियां			
शेयरधारकों की निधियां			
(क) शेयर पूंजी	02	81,140.74	81,140.74
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	03	(68,484.62)	(78,013.76)
		12,656.12	3,126.98
गैर चालू देनदारियां			
(क) दीघावधिक उधारियां	04	15,090.07	15,090.07
(ख) अन्य दीघावधिक उधारियां	05	25,411.94	24,883.90
(ग) दीघावधिक प्रावधान	06	4,239.75	4,323.87
		44,741.76	44,297.84
चालू देनदारियां			
(क) अल्पावधिक उधारियां	07	-	-
(ख) कारोबारी देय			
(i) व्यापार देय – एमएसएमई	08	392.77	238.42
(ii) व्यापार देय – अन्य	08	1,371.19	1,439.99
(ग) अन्य चालू देनदारियां	09	7,757.79	6,905.21
(घ) अल्पावधिक प्रावधान	10	4,183.91	2,986.19
		13,705.66	11,569.81
योग		71,103.54	58,994.63
परिसंपत्तियां			
गैर चालू परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति, प्लांट एवं उपकरण	11A	12,579.84	13,351.33
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	11B	0.30	0.55
(iii) चल रहे पूंजीगत कार्य	12	6,242.83	6,122.95
(iv) विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	13	12.81	12.81
(ख) गैर चालू निवेश	14	227.98	227.98
(ग) दीघावधिक ऋण एवं अग्रिम	15	1,965.50	1,647.27
(घ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	16	1,462.23	1,593.50
(ङ) अपरिशोधित व्यय	17	1,868.47	1,982.76
		24,359.96	24,939.15
चालू परिसंपत्तियां			
(क) चालू निवेश	18	-	-
(ख) मालसूचियां	19	17,046.41	14,106.18
(ग) कारोबारी प्राप्य	20	322.56	483.98
(घ) नकद और बैंक शेष	21	20,083.99	14,120.87
(ङ) अल्पावधिक ऋण और अग्रिम	22	3,428.26	3,553.88
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	23	5,862.36	1,790.57
		46,743.58	34,055.48
योग		71,103.54	58,994.63

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस तुलन पत्र का अभिन्न हिस्सा हैं। यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र है।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए राकेश देव)

पार्टनर

सदस्यता सं. 084662

यूडीआईएन: 23084662BGYZDZ1877

तिथि: 30-06-2023

स्थान: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(प्रदीप कुमार चंद)

निदेशक (वित्त)

दिन नं. 09711963

ह/-

(अरविन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष
राजस्व			
I प्रचालनों से राजस्व			
(क) उत्पादों की बिक्री (क्लिकर सहित)		44,031.02	41,679.66
(ख) अन्य प्रचालनरत राजस्व		41.06	207.62
प्रचालनों से कुल राजस्व		44,072.08	41,887.28
II अन्य आय	24	3,472.30	3,703.52
कुल राजस्व		47,544.38	45,590.80
व्यय			
(क) उपभोग की गई सामग्रियों की लागत	25	5,940.54	5,924.15
(ख) तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल	26	(614.58)	(2,381.54)
(ग) कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	5,395.78	5,591.16
(घ) अन्य व्यय	28	-	-
(ङ) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	29	1,003.04	973.69
च) अन्य खर्च	30	34,465.04	31,463.28
कुल व्यय		46,189.82	41,570.74
असाधारण मदों से पूर्व लाभ/(हानि)		1,354.56	4,020.06
असाधारण मदें आय/(व्यय)	31A	8,174.58	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)		9,529.14	4,020.06
कर व्यय			
चालू कर		369.17	-
कम: मैट क्रेडिट पात्रता		(369.17)	-
चालू प्रचालनों से लाभ/(हानि)		2,443.72	4,698.94
रोके गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)	31C	7,085.42	(678.88)
रोके गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय	-	-	-
रोके गए प्रचालनों से लाभ/(हानि) (करोपरांत)		7,085.42	(678.88)
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)		9,529.14	4,020.06
प्रति शेयर आय (रुपये में)			
(1000 रुपये प्रति इक्विटी शेयर मान मूल्य)			
मूल		29.63	88.09
तनुकृत		29.63	88.09

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां एवं वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां उपरोक्त उल्लिखित टिप्पणियां इस लाभ-हानि विवरणिका का अभिन्न हिस्सा हैं। यह सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित लाभ-हानि विवरणिका है।

1 से 34

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए राकेश देव)

पार्टनर

सदस्यता सं. 084662

यूडीआईएन: 23084662BGYZDZ1877

तिथि: 30-06-2023

स्थान: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(प्रदीप कुमार चंद)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 09711963

ह/-

(अरविन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालनरत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	2,443.72	4,698.94	7,085.42	(678.88)	9,529.14	4,020.06
समायोजन:						
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	932.00	888.40	83.31	85.43	1,015.31	973.83
वित्तीय लागत	-	-	-	-	-	-
ब्याज एवं अन्य आय	(2,731.81)	(2,652.19)	(246.47)	(269.85)	(2,978.28)	(2,922.04)
स्थायी परिसंपत्तियों के निस्तारण पर लाभ	(6.95)	(11.32)	-	-	(6.95)	(11.32)
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	-	-	-	-	-
आवश्यक नहीं रहे प्रतिलेखन के प्रति प्रावधान	(363.40)	(755.53)	(25.53)	(14.63)	(388.93)	(770.16)
संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
अपलिखित अपरिशोधित व्यय	370.91	359.97	-	-	370.91	359.97
असाधारण (आय)/व्यय	-	-	(8,174.58)	-	(8,174.58)	-
कार्यशाली पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनरत लाभ	644.47	2,528.27	(1,277.85)	(877.93)	(633.38)	1,650.34
कार्यशाली पूंजी में परिवर्तन:						
कारोबारी देयों में बढ़/(घट)	115.53	(156.03)	(29.97)	(25.86)	85.56	(181.89)
अन्य देनदारियों में बढ़/(घट)	347.42	(921.73)	1,422.13	83.98	1,769.55	(837.75)
प्रावधानों में बढ़/(घट)	1,059.72	255.99	53.88	118.66	1,113.60	374.65
कारोबारी प्राप्यों में घट/बढ़	161.42	58.03	-	-	161.42	58.03
मालसूचियों में घट/बढ़	(3,860.80)	(2,142.87)	920.57	-	(2,940.23)	(2,142.87)
ऋण एवं अग्रिमों में बढ़/(घट)	(135.22)	24.27	(57.39)	(211.95)	(192.61)	(187.68)
अन्य परिसंपत्तियों में घट/(बढ़)	(143.00)	(213.58)	(76.83)	(201.66)	(219.83)	(415.24)
खर्च किया गया अपरिशोधित व्यय	(256.62)	(256.21)	-	-	(256.62)	(256.21)
प्रचालनरत गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	(2,067.08)	(823.86)	954.54	(1,114.76)	(1,112.54)	(1,938.62)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(474.44)	(149.24)	2.54	(50.99)	(471.90)	(200.23)
ब्याज एवं अन्य आय	2,895.78	2,555.93	246.47	269.85	3,142.25	2,825.78
चल रहे पूंजीगत कार्य	(249.59)	(164.34)	129.70	-	(119.89)	(164.34)
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर प्राप्तियां	8.26	12.44	4,516.94	-	4,525.20	12.44
निवेश गतिविधियों से नकदी	2,180.01	2,254.79	4,895.65	218.86	7,075.66	2,473.65
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:						
दीर्घवधिक उधारियों से आय	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालिक उधारों का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
अल्पकालिक उधार से आय	-	-	-	-	-	-
अल्पकालिक उधारों का पुनर्भुगतान	-	-	-	-	-	-
अन्य इकाइयों को धनराशि हस्तांतरित की गई	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से अनुदान प्राप्त	-	-	-	-	-	-
ब्याज एवं अन्य उधार लागत का भुगतान	-	-	-	-	-	-
इकाइयों के बीच फंड ट्रांसफर	5,847.13	(895.70)	(5,847.13)	895.70	-	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	5,847.13	(895.70)	(5,847.13)	895.70	-	-
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	5,960.06	535.23	3.06	(0.20)	5,963.12	535.03
नकद और नकद समकक्ष खोलना	14,113.42	13,578.19	7.45	7.65	14,120.87	13,585.84
नकद और नकद समकक्षों को बंद करना	20,073.48	14,113.42	10.51	7.45	20,083.99	14,120.87



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

विवरण	प्रचालनरत		अप्रचालनरत		कुल	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
टिप्पणियां:						
1 अंतिम नकदी एवं बैंक शेष मिलाकर शेष:						
नकदी	0.97	0.64	0.03	0.03	1.00	0.67
हस्तगत बैंक	-	-	-	-	-	-
बैंक में शेष:						
- चालू खाता	792.46	793.41	10.48	7.42	802.94	800.83
- जमा खाता	19,280.05	13,319.37	-	-	19,280.05	13,319.37
कुल	20,073.48	14,113.42	10.51	7.45	20,083.99	14,120.87

- उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणिका केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनी (लेखाकरण मानक), नियम, 2021 के अधीन लेखाकरण मानक 3 'नकदी प्रवाह विवरणिका' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार की गई है।
- बैंक जमाओं में 2261.04 लाख (गत वर्ष: 1963.42 लाख रुपये) की जमा राशि सम्मिलित है जिसकी परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक है।
- अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, जब भी अपेक्षित हो, अपने स्वयं के नकद संसाधनों से पूर्ति किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है।
- गत वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए राकेश देव)

पार्टनर

सदस्यता सं. 084662

तिथि: 30-06-2023

स्थान: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(प्रदीप कुमार चंद)

निदेशक (वित्त)

दिन नं. 09711963

ह/-

(अरविन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं से प्राप्त सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरणिका को सत्यापित किया है और इसे उसी के अनुसार तैयार किया गया है।

हमारी सम तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए राकेश देव)

पार्टनर

सदस्यता सं. 084662

तिथि: 30-06-2023

तिथि: नई दिल्ली

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

01 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से दस वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है।

01.01 तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरणिकायें कंपनी अधिनियम, 2013 निम्नलिखित वस्तुओं को छोड़कर जिन्हें नकद आधार लेखाबद्ध किया जाता है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लागू लेखांकन मानकों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में, प्रोद्भवन आधार पर, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत तैयार की गई हैं।

- रेलवे और बीमा दावों से भिन्न किए गए परिसमाप्त हानि/अर्थदंड/दावे वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है और विविध आय में शामिल किये जाते हैं।
- भंडार और पुर्जों के अधिशेष/धीमी गति से चलने वाली/न चलने वाली वस्तुओं आदि पर लाभ/हानि, यदि कोई हो, उस वर्ष लेखाबद्ध की जाती है जिसमें उसका निपटान किया जाता है।

प्रचालन चक्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में निर्धारित कंपनी के प्रचालन चक्र और अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। प्रचालन की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू या गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपने प्रचालन चक्र का मूल्यांकन बारह मास के रूप में किया गया है।

01.02 राजस्व की मान्यता

- राजस्व को वापसियों, मितिकाटा (डिस्काउंट) एवं छूट आदि के अलावा वस्तु एवं सेवा कर के निवल को छोड़कर मान्यता दी जाती है।
- ब्याज आय समय के आधार पर, मूल बकाया के संदर्भ में और प्रयोज्य प्रभावी ब्याज दर पर अर्जित की जाती है।

01.03 भूमि एवं परिशोधन

- राज्य सरकार द्वारा मुफ्त दी गई भूमि का मूल्य नाममात्र लागत पर या इसके अधिग्रहण पर किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।
- खदान में खनन पट्टे के अंतर्गत भूमि फ्री होल्ड और 99 वर्ष से कम पट्टे वाली भूमि का परिशोधन संबंधित

01.04 निवेश

- दीर्घावधिक निवेश का उल्लेख लागत पर किया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में स्थायी गिरावट को मान्यता दी गई है और इसके लिए प्रावधान किया जाता है।
- चालू निवेश का उल्लेख लागत से कम और उद्धृत/उचित मूल्य पर किया गया है। गैर-उद्धृत चालू निवेश का उल्लेख लागत किया जाता है।

01.05 उधार लागत

उधार लागत जो अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निर्माण या उत्पादन से उद्भूत होती है, को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हकारी परिसंपत्ति वह परिसंपत्ति है जिसे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लगता है।

अन्य सभी उधार लागतें राजस्व में जोड़ी जाती हैं।

01.06 स्थायी परिसंपत्तियां

- मूर्त संपत्ति का उल्लेख अधिग्रहण लागत, संचित मूल्यहास और संचित ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया गया है। अधिग्रहण लागत में परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने के लिए खरीद मूल्य और कोई अन्य लागत शामिल होती है।
- अमूर्त संपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत, संचित परिशोधन और संचित ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर किया गया है। अधिग्रहण लागत में खरीद मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई अन्य व्यय शामिल होता है।

01.07 मूल्यहास/परिशोधन

- परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान तब किया जाता है जब परिसंपत्तियां संपूरित हो जाती हैं और उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की संगणना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी रेखा के आधार पर की जाती है और लागत का 95

प्रतिशत परिसंपत्तियों के अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान नीचे (iv) यथा उल्लिखित के अनुसार बड़े खाते में डाल दिया जाता है।

- (ii) वर्ष के दौरान परिवर्धित परिसंपत्तियों पर मूल्यहास उन्हें पूंजीकृत करने एवं उन्हें हटाने/बेचने/ध्वस्त/नष्ट होने की तारीख तक आनुपातिक रूप से दर्शाया जाता है।
- (iii) कोई वैयक्तिक परिसंपत्ति जिसका वर्ष के आरंभ में अपलिखित मूल्य 5000/- या उससे कम है, उसका वर्ष के दौरान अवशिष्ट मूल्य को प्रतिधारित किये बिना पूरा मूल्यहास कर दिया जाता है चूंकि उसे नगण्य माना जाता है।
- (iv) वर्ष के दौरान खरीदी गई 5000/- तक की लागत वाली कोई वैयक्तिक परिसंपत्ति को सकल ब्लॉक में लिया जाता है और उसका उसी वर्ष पूरा मूल्यहास कर दिया जाता है।
- (v) पट्टाकृत भूमि पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।
- (vi) अमूर्त परिसंपत्तियां उनके अपेक्षित उपयोगी जीवन के दौरान सीधी रेखा के आधार पर निम्नानुसार परिशोधित की जाती हैं: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का परिशोधन पांच वर्षों की अवधि में किया जाता है।

01.08 मालसूची

क) मूल्यांकन

- (i) नीचे (ii) वर्णित मदों को छोड़कर, भंडार, कल पुर्जे और कच्चे माल भारित औसत लागत पर दर्शाए गए हैं। जब अप्रचलित/अनुपयोगी भंडार और कल पुर्जे अवधारित किये जाते हैं तो उसे कबाड़ (स्कैप) के रूप में माना जाता है और उसका मूल्यांकन निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।
- (ii) क्लिंकर और अन्य आधा तैयार माल वर्क फॉर्मूला के आधार पर यूनिट की अल्पतर भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर बताया जाता है। हालाँकि, नकारात्मक मूल्यांकन के मामले में इसे शून्य मान पर बताया गया है।
- (iii) कारखानों/परियोजनाओं/डंप में या डंप बनाने के उद्देश्य से मार्गस्थ तैयार माल को भारित औसत लागत या वसूली योग्य मूल्य से अल्पतर इकाइयों पर बताया जाता है। बिक्री व्यय से डंप तक पहुंचाने से जुड़ा भाड़ा विभिन्न डंप पर पड़े तैयार माल के मूल्य में सम्मिलित किया जाता है।

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

- (iv) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कबाड़ की विभिन्न मदों की कुल मात्रा का मूल्यांकन संबंधित मदों की नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार उपलब्ध दरों के अनुसार किया जाता है। हालाँकि, जहां कबाड़ पहली बार उत्पन्न होने या ऐसे कबाड़ का पहले कभी निस्तारण न होने के कारण ऐसी कोई दरें उपलब्ध नहीं हैं तो वहां मूल्यांकन के प्रयोनार्थ ऐसे कबाड़ के निपटान के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य अपनाया जाता है।

ख) खुले उपकरण और औजार

उपकरण और औजार तीन वर्ष की अवधि में बड़े खाते में डाल दिए जाते हैं।

01.09 आस्थगित राजस्व व्यय

- (i) प्रॉस्पेक्टिंग और बोरिंग पर होने वाला व्यय आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और उसे इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद तीन से पांच वर्षों में दर्शाया जाता है।
- (ii) खानों पर अतिरिक्त बोझ आदि को हटाने पर किया गया व्यय, जिसका उपयोग पूंजीगत कार्यों जैसे सड़क, स्टॉकयार्ड, क्रशर रैंप आदि बिछाने के लिए किया जाता है, को पूंजीकृत किया जाता है। अधिभार आदि को हटाने पर किए गए शेष व्यय को आरंभ में 'आस्थगित राजस्व व्यय' के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान दर्शाया जाता है, जिसके लिए खदान के विकास से निकला चूना पत्थर उपयोग में लाने के लिए उपलब्ध हो।
- (iii) किराए के भवनों में आंतरिक पार्टिशन और अन्य फिक्स्चर की लागत सीधे अधिष्ठापित किये जाने वाले वर्ष में दर्शायी जाती है परंतु यदि लागत एक लाख रुपये से अधिक है तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और इसे तीन से पांच वर्षों में दर्शाया जाता है।
- (iv) इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने के उपरांत हाई-क्रोम ग्राइंडिंग मीडिया के प्रारंभिक पूर्ण प्रभार को आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और तीन वर्ष की अवधि में बड़े खाते में डाल दिया जाता है। हालाँकि, बनाने का शुल्क लाभ और हानि के विवरणी में दर्शाया जाता है।
- (v) यदि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए कोई अप्रयुक्त अनुदान/सब्सिडी नहीं है तो वीआरएस भुगतान पर सेवा समापन हितलाभ सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए डेढ़ महीने के वेतन या सेवा की शेष अवधि

के लिए वेतन के बराबर, जो भी कम हो, दिया जाता है और नोटिस अवधि का वेतन आस्थगित कर दिया जाता है तथा व्यष्टियों की सेवा की शेष अवधि के दौरान या अधिकतम 5 वर्ष की अवधि में, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है। हालाँकि, 01/04/2003 को या उसके उपरांत वीआरएस/वीएसएस पर किया गया कोई व्यय को तब व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब उसे खर्च किया जाता है और पूरा उसी वर्ष में ही दर्शाया जाता है।

01.10 पूर्वावधि/असाधारण समायोजन

किसी विशेष वर्ष से संबंधित, लेखाबंदी के उपरांत अर्थात् अंतिम तिथि के उपरांत संज्ञान में आने वाले व्यय/प्राप्तियां, यदि यह राशि 10,000/- रुपये से अधिक न हो, अगले वर्ष के व्यय/प्राप्ति के प्रासंगिक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई जाती हैं। यदि यह राशि 10,000/- रुपये से अधिक है तो चालू वर्ष/पूर्वावधि/असाधारण व्यय/आय के लेखाओं के स्वाभाविक मद के अंतर्गत उसके लेखांकन के अवधारण के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक-5 में अंतर्विष्ट प्रावधान लागू किये जाते हैं।

01.11 विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखा-जोखा

विदेशी ऋण देनदारियों का रूपांतरण समापन बाजार विनिमय दरों पर किया जाता है। लेन-देन के निपटान पर लाभ या हानि (क) परियोजना अवधि के दौरान उस उपकरण की प्रासंगिक लागत में जमा/नामे की जाती है जो उन पुर्जों और सेवा से संबंधित हैं जिन्हें निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (आईईडीसी) में जमा/नामे किया जाता है, (ख) परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन हो जाने के उपरांत लाभ/हानि उपकरण की प्रासंगिक लागत में जमा/नामे की जाती है परंतु उसे पुर्जों और सेवाओं से संबंधित लाभ और हानि की विवरणिका में दर्शाया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों के ऐसे समायोजन पर मूल्यहास को संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

01.12 सरकारी अनुदान/सब्सिडी

(i) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान/सब्सिडी उनके बही मूल्य पर पहुंचने पर संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से घटा दी जाती है। जहां विनिर्दिष्ट स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान परिसंपत्ति की संपूर्ण या वस्तुतः संपूर्ण लागत के बराबर होता है वहां परिसंपत्ति का मूल्यांकन नाममात्र मूल्य पर या उसके अर्जन/अधिष्ठापन पर

किए गए आकस्मिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

- (ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अनुदान, परिवहन सब्सिडी और अन्य राजस्व अनुदान की संबंधित व्यय से कटौती की जाती है।
- (iii) पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए केंद्र सरकार के प्रोत्साहन से जुड़ी केंद्रीय निवेश सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्राप्त सरकारी अनुदान और राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य इसी तरह के अनुदान, जहां आमतौर पर तत्संबंधी कोई चुकौती अपेक्षित नहीं है, पूंजी आरक्षित मानी जाती हैं।
- (iv) उपरोक्त विनिर्दिष्ट से भिन्न पूंजीगत/राजस्व अनुदान/सब्सिडी, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक -12 के अनुसार लेखाबद्ध की जाती है।

01.13 निगम के दावे

- (i) बीमा दावे सर्वेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर और/या दर्ज किए गए दावे जहां लेखा पर भुगतान प्राप्त हुआ है के आधार पर लेखाबद्ध किये जाते हैं। हालाँकि, ऐसे मामले में, जहां 31 मार्च तक हुई हानि की घटनाओं के लिए सर्वेक्षक की रिपोर्ट लेखाबंदी से पहले प्राप्त नहीं होती है, लेखाओं पर टिप्पणियां के स्वरूप में उस प्रभाव का प्रकटन किया जाता है।
- (ii) दावे दर्ज करने पर रेलवे दावों को ध्यान में रखा जाता है।

01.14 जमा कार्य

प्रगति में जमा कार्यों के संबंध में, इसे निगम के पूंजीगत कार्य-प्रगति के रूप में माना जाता है और निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को स्वामित्व हस्तांतरित और पूंजीकृत होने पर आनुपातिक रूप से जमा कार्य में जोड़ा जाता है।

01.15 कर्मचारी हितलाभ

- (i) सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में उपदान का प्रावधान, उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 और कंपनी की स्वयं की उपदान योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।

- (ii) सेवारत कर्मचारियों के संबंध में अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश आदि का प्रावधान, जो किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर भुनाया जा सकता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार किया जाता है।
- (iii) बोनस के लिए दायित्व बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाईवार आधार पर प्रदान किया जाता है, न कि संपूर्ण निगम के आधार पर। निगम कार्यालय के लिए बोनस की देयता उस दर पर प्रदान की जाती है जो अन्य इकाइयों के लिए बोनस प्रदान की जाने वाली दरों का औसत है।

01.16 डिबेंचर के मोचन पर प्रीमियम

डिबेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम को लाभ और हानि विवरण/आईईडीसी लेखा में उस वर्ष से आरंभ होने वाली डिबेंचर की अवधि के बराबर किशतों में लिया जाता है जिसमें डिबेंचर आवंटित किए जाते हैं।

01.17 पूर्वप्रदत्त व्यय

प्रत्येक मामले में, अगले वर्ष के अग्रिम में किए गए 10,000/- रुपये या उससे कम के व्यय चालू वर्ष के व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

01.18 अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्य/ऋण/अग्रिम आदि के लिए लेखांकन

संदिग्ध प्राप्य/ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान तब किया जाता है जब उसे वसूली के लिए संदिग्ध माना जाता है परंतु वसूली की संभावना बनी रहती है।

पद्ध रकम बट्टे खाते में तब डाल दी जाती है, जब वसूली के प्रयास या तो विधिक प्रक्रिया के कारण विफल हो जाते हैं या जहां यह माना जाता है कि मुकदमेबाजी उपयोगी नहीं होगी और वसूली संभव नहीं है।

01.19 अंतर इकाई/जोन/निगम कार्यालय अंतरण

- (i) इकाइयों द्वारा अंतरित तैयार माल का मूल्यांकन आरंभ में प्रेषण योजना दरों और बेची गई मात्रा पर किया जाता है, तब जोनों द्वारा वास्तविक निवल वसूली योग्य मूल्य पर उसका निपटान किया जाता है।
- (ii) स्थायी परिसंपत्तियों आदि के अंतर इकाई/जोन/निगम कार्यालय अंतरण बही मूल्य पर लेखाबद्ध किये जाते हैं।

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

- (iii) क्लिंकर के अंतर इकाई अंतरण उसकी वसूली योग्य दरों (सीमेंट से वर्क बैक विधि द्वारा) पर लेखाबद्ध किये जाते हैं और इसकी मार्गस्थ हानि प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में समायोजित की जाती है।
- (iv) अंतर इकाई/जोन/निगम कार्यालय शेष का नियमित रूप से समाशोधन किया जाता है और शेष की संपुष्टि प्राप्त की जाती है।

01.20 व्यय का वर्गीकरण

- (i) नीचे (ii) में यथा वर्णित को छोड़कर, भंडार और पुर्जे की लागत सहित स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किए गए व्यय लाभ और हानि विवरणिका में दर्शाये जाते हैं।
- (ii) भंडार और पुर्जे की लागत सहित स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव पर किया गया व्यय, जो मौजूदा परिसंपत्तियों से भविष्य के लाभों को उसके पहले मूल्यांकन किए गए कार्य निष्पादन मानक (उदाहरणार्थ क्षमता में वृद्धि) से परे बढ़ाता है, को पूंजीकृत किया जाता है।
- (iii) वेतन और मजदूरी: संयंत्र और मशीनरी, भवनों आदि की मरम्मत और रखरखाव पर खर्च किये गये वेतन और मजदूरी सीधे वेतन और मजदूरी लेखा में दर्शाई जाती है।
- (iv) अन्य विविध व्यय: पार्को, वृक्षारोपण और तंबू और तिरपाल आदि की खरीद पर व्यय राजस्व व्यय के रूप में दर्शाये जाते हैं।

01.21 मौजूदा संयंत्र से सटे विस्तार परियोजनाओं/नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

मौजूदा संयंत्रों द्वारा प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर किए गए सामान्य व्यय मौजूदा संयंत्रों से सटे विस्तार परियोजना/नई परियोजनाओं में नहीं दर्शाये जाते हैं।

01.22 निगम कार्यालय व्यय का आवंटन

निगम कार्यालय का निवल राजस्व व्यय/आय प्रबंधन द्वारा उनके सर्वोत्तम मूल्यांकन और बोध के अनुसार यथा विनिश्चित विभिन्न इकाइयों या परियोजनाओं से संबंधित संभावित लाभों के आधार पर प्राक्कलन के आधार पर सभी इकाइयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
02 शेयर पूंजी		
प्राधिकृत		
(31 मार्च, 2022: 50,00,000) इक्विटी शेयर 1000/- रुपये मूल्य के 50,00,000	50,000.00	50,000.00
(31 मार्च, 2022: 40,00,000) अधिमानी शेयर 1000/- रुपये मूल्य के 40,00,000	40,000.00	40,000.00
योग	90,000.00	90,000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
(31 मार्च, 2022: 45,59,749) इक्विटी शेयर 1000/- रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 45,59,749	45,597.49	45,597.49
(31 मार्च, 2022: 35,54,325) अधिमानी शेयर 1000/- रुपये मूल्य के पूर्णतया प्रदत्त 35,54,325	35,543.25	35,543.25
योग	81,140.74	81,140.74

02.1 शेयरों के प्रत्येक वर्ग के संबंध में अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी में शेयरों के दो वर्ग हैं जिन्हें इक्विटी शेयर और अधिमानी शेयर के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिनका मूल्य 1000/- रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। अधिमानी शेयरधारक केवल अपने अधिमानी शेयरों से जुड़े अधिकारों को सीधे प्रभावित करने वाले प्रस्तावों पर मतदान करने का पात्र है।

02.2 बकाया शेयरों की संख्या का समाशोधन

इक्विटी शेयर	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	शेयरों की संख्या	राशि रु. लाख में	शेयरों की संख्या	राशि रु. लाख में
वर्ष के आरंभ में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49
जोड़ें: निर्गमित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	4,559,749	45,597.49	4,559,749	45,597.49

0.01 प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	शेयरों की संख्या	राशि रु. लाख में	शेयरों की संख्या	राशि रु. लाख में
वर्ष के आरंभ में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25
जोड़ें: निर्गमित शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	3,554,325	35,543.25	3,554,325	35,543.25

02.3 निगम में 5 प्रतिशत से अधिक की शेयरधारिता वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023		31 मार्च, 2022	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
इक्विटी शेयर:				
भारत सरकार	4,559,749	100%	4,559,749	100%
0.01% प्रतिशत गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर:				
भारत सरकार	3,554,325	100%	3,554,325	100%



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

02.4 निगम में प्रमोटर्स की शेयरधारिता का विवरण:

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों के पास धारित शेयर	31 मार्च, 2023			31 मार्च, 2022		
	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन प्रतिशत
इक्विटी शेयर:						
भारत सरकार	4,559,749	100%	0%	4,559,749	100%	0%
0.01% गैर संचयी प्रतिदेय अधिमानी शेयर:						
भारत सरकार	3,554,325	100%	0%	3,554,325	100%	0%

*वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निगम में प्रमोटर्स की % आयु हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं

विवरण	(₹ लाख में)	
	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
03 आरक्षित एवं अधिशेष लाभ—हानि विवरणिका में अधिशेष/(घाटा)		
वर्ष के आरंभ में शेष	(78,013.76)	(82,033.82)
जोड़ें: वर्ष हेतु निवल लाभ/(हानि)	9,529.14	4,020.06
वर्ष के अंत में शेष	(68,484.62)	(78,013.76)
04 दीर्घावधिक उधारियां		
अप्रतिभूत:		
सरकारी ऋण	15,090.07	15,090.07
योग	15,090.07	15,090.07
05 अन्य दीर्घावधिक देनदारियां		
कारोबारी देय		
- एमएसएमई	98.31	105.08
- अन्य	3,106.67	2,993.69
प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	3,187.84	3,015.40
ग्राहकों से अग्रिम	41.13	36.32
देय जीएसटी/बिक्री कर	80.34	80.16
देय विद्युत बकाया	1,147.55	1,071.24
देय रॉयल्टी	65.31	65.30
भारत सरकार से उधारियों पर उपचित एवं देय ब्याज	12,385.27	12,385.27
अन्य देय	5,299.52	5,131.44
योग	25,411.94	24,883.90

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
06 दीर्घावधिक प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान:		
- उपदान	1,984.82	2,150.59
- अर्जित छुट्टी	1,311.77	1,401.19
चल रहे पूंजीगत कार्य हेतु प्रावधान	10.57	10.57
अन्य प्रावधान	932.59	761.52
योग	4,239.75	4,323.87
07 अल्पावधिक उधारियां		
बैंकों से	-	-
योग	-	-
08 कारोबारी देय		
कारोबारी देय-एमएसएमई	392.77	238.42
कारोबारी देय-अन्य	1,371.19	1,439.99
योग	1,763.96	1,678.41
09 अन्य चालू देनदारियां		
ग्राहकों से अग्रिम	1,768.37	2,009.26
प्राप्त की गई प्रतिभूति एवं धरोहर राशि	1,971.87	866.93
देय जीएसटी/बिक्री कर	1,800.60	1,745.84
देय विद्युत बकाया	1,001.08	850.21
कर्मचारियों का बकाया	442.63	428.44
देय रॉयल्टी	22.13	201.81
अन्य देय	751.11	802.72
योग	7,757.79	6,905.21
10 अल्पावधिक प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान:		
- ग्रेजुटी	504.43	335.21
- अर्पित छुट्टी	238.23	198.12
अन्य प्रावधान	3,249.75	2,444.50
बोनस	7.96	8.36
कराधान के लिए प्रावधान	183.54	-
कम: मैट क्रेडिट पात्रता	-	-
योग	4,183.91	2,986.19

11 क: सम्पत्ति, प्लॉट एवं उपकरण

(₹ लाख में)



विवरण	सकल ब्लॉक/मूल लागत			मूल्यहास/परिशोधन			निवल ब्लॉक			
	अप्रैल 31, 2022 तक	परिवर्धन/समायोजन (b)	अपमार्जन/समायोजन (c)	माघ 31, 2023 तक (d)=(a)+(b)-(c)	अप्रैल 31, 2022 तक (e)	परिवर्धन/समायोजन (f)	अपमार्जन/समायोजन (g)	माघ 31, 2023 तक (h)=(e)+(f)-(g)	निवल माघ 31, 2023 तक (i)=(d)-(h)	निवल माघ 31, 2022 तक (j)=(a)-(e)
क) कार्य										
1 फ्री होल्ड भूमि	1,336.92	-	-	1,336.92	146.07	-	-	146.07	1,190.85	1,190.85
2 पट्टे की भूमि	2,003.78	-	-	2,003.78	1,265.95	183.84	-	1,449.79	553.99	737.83
3 सड़क एवं भूतिया	903.79	-	-	903.79	729.76	39.24	-	769.00	134.79	174.03
4 प्लॉट भवन	8,086.61	-	804.83	7,281.78	7,676.01	7.01	764.67	6,918.35	363.43	410.60
5 गैर प्लॉट भवन	841.79	-	70.23	771.56	619.16	7.99	52.72	574.43	197.13	222.63
6 जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरज	1,081.03	-	47.18	1,033.85	947.33	1.76	44.84	904.25	129.60	133.70
7 रेलवे साइडिंग	3,296.19	-	75.16	3,221.03	1,964.26	101.07	71.47	1,993.86	1,227.17	1,331.93
8 विद्युत संस्थापन	2,225.70	302.45	135.03	2,393.12	1,819.27	62.75	128.75	1,753.27	639.85	406.43
9 प्लॉट एवं मशीनरी	48,769.37	113.29	2,873.92	46,008.74	41,032.23	548.48	2,746.76	38,833.95	7,174.79	7,737.14
10 हवाई रज्जु मार्ग	706.04	-	-	706.04	672.33	-	-	672.33	33.71	33.71
11 रेलवे रोलिंग स्टॉक	423.65	-	23.99	399.66	406.45	-	22.82	383.63	16.03	17.20
12 खदान उपकरण	2,327.79	-	494.81	1,832.98	2,207.25	3.41	470.42	1,740.24	92.74	120.54
13 वाहन	402.48	24.36	26.22	400.62	383.72	2.41	25.43	360.70	39.92	18.76
14 कार्यालय उपकरण	522.12	15.52	21.95	515.69	482.91	12.46	21.17	474.20	41.49	39.21
15 फर्नीचर एवं फिक्सचर	270.88	1.49	17.44	254.93	258.30	2.65	17.44	243.51	11.42	12.58
16 विविध उपकरण	1,016.80	15.68	142.19	890.29	848.83	22.25	137.03	734.05	156.24	167.97
17 5000 रुपये तक की लागत वाले प्लॉट एवं मशीनरी	63.86	0.41	3.64	60.63	63.86	0.41	3.64	60.63	-	-
वर्सर्स योग	74,278.80	473.20	4,736.59	70,015.41	61,523.69	995.73	4,507.16	58,012.26	12,003.15	12,755.11
ख) टाउनशिप										
1 फ्री होल्ड भूमि	15.72	-	-	15.72	-	-	-	-	15.72	15.72
2 पट्टे की भूमि	32.65	-	-	32.65	0.32	-	-	0.32	32.33	32.33
3 सड़क एवं भूतिया	39.01	-	-	39.01	36.99	-	-	36.99	2.02	2.02
4 आवासीय एवं कल्याण भवन	1,750.99	-	7.54	1,743.45	1,244.10	18.50	7.26	1,255.34	488.11	506.89
5 जल आपूर्ति, जल निकास एवं सीवरज	185.35	-	-	185.35	155.01	0.78	0.21	155.58	29.77	30.34
6 विद्युत संस्थापन	41.33	-	1.37	39.96	40.33	-	1.37	38.96	1.00	1.00
7 वाहन	119.82	-	2.68	117.14	115.07	-	2.55	112.52	4.62	4.75
8 कार्यालय उपकरण	3.83	-	-	3.83	3.75	-	-	3.75	0.08	0.08
9 फर्नीचर एवं फिक्सचर	18.54	-	0.95	17.59	17.26	-	0.95	16.31	1.28	1.28
10 विविध उपकरण	20.13	-	-	20.13	18.32	0.05	-	18.37	1.76	1.81
टाउनशिप योग	2,227.37	-	12.54	2,214.83	1,631.15	19.33	12.34	1,688.14	576.69	596.22
वर्सर्स एवं टाउनशिप का योग	76,506.17	473.20	4,749.13	72,230.24	63,154.84	1,015.06	4,519.50	59,650.40	12,579.84	13,351.33
गत वर्ष	76,328.57	200.24	22.64	76,506.17	62,202.77	973.58	21.51	63,154.84	13,351.33	

11ख: अमूर्त परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक/मूल लागत			मूल्यहास/परिशोधन			निवल ब्लॉक			
	अप्रैल 31, 2022 तक	परिवर्धन/समायोजन (b)	अपमार्जन/समायोजन (c)	माघ 31, 2023 तक (d)=(a)+(b)-(c)	अप्रैल 31, 2022 तक (e)	परिवर्धन/समायोजन (f)	अपमार्जन/समायोजन (g)	माघ 31, 2023 तक (h)=(e)+(f)-(g)	निवल माघ 31, 2023 तक (i)=(d)-(h)	निवल माघ 31, 2022 तक (j)=(a)-(e)
1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.81	-	-	0.81	0.26	0.25	-	0.51	0.30	0.55
योग	0.81	-	-	0.81	0.26	0.25	-	0.51	0.30	0.55
गत वर्ष	0.81	-	-	0.81	0.01	0.25	-	0.26	0.55	

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2023 तक	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान पूंजीकृत	31 मार्च, 2023 तक
12 चल रहे पूंजीगत कार्य (मूर्त)				
यांत्रिक परमर्शी सेवा	131.37	-	-	131.37
सिविल अभियांत्रिकी कार्य	2,017.18	34.30	21.88	2,029.60
प्रतीक्षित प्रतिस्थापन सहित प्लांट एवं मशीनरी	4,034.58	123.17	301.57	3,856.18
प्लांट एवं मशीनरी का प्रतिस्थापन व्यय	68.63	285.85	-	354.48
प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन किया जाना है*	138.18	0.01	-	138.19
पूंजीगत भंडार	8.82	-	-	8.82
अन्य	160.16	-	-	160.16
उप योग	6,558.92	443.33	323.45	6,678.80
प्रावधान	435.97	-	-	435.97
योग	6,122.95	443.33	323.45	6,242.83
* प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन किया जाना है				
कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ वेतन, मजदूरी एवं भत्ते	-			-
योग	-			-
बिजली	0.54			0.19
विविध व्यय	0.76			0.33
कानूनी व्यय	-			0.40
प्रतिभूति व्यय	21.37			12.28
मूल्यहास	0.14			0.14
योग	22.81			13.34
अंतरित वर्ष के दौरान परिवर्धन	22.50			13.33
योग	0.31			0.01
13 विकासाधीन अमूर्त संपत्ति				
सॉफ्टवेयर का विकास	14.91	-	-	14.91
योग	14.91	-	-	14.91
प्रावधान	2.10	-	-	2.10
योग	12.81	-	-	12.81



31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31-03-2023 तक बाजार मूल्य	31-03-2023 तक बही मूल्य	31-03-2023 तक बही मूल्य	31-03-2022 तक बाजार मूल्य	31-03-2022 तक बही मूल्य	31-03-2022 तक बही मूल्य
14 गैर चालू निवेश						
क लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया प्रदत्त): उद्धरित						
i) आंध्रा सीमेंट कं. लि. के 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के 31 इक्विटी शेयर एनएसई में जिनका बाजार मूल्य 4.65 रुपये प्रति शेयर है। (गत वर्ष 14.65 रुपये प्रति शेयर)	*		*		*	*
एनएसई पर मूल्य 4.65 रुपये प्रति शेयर है। (गत वर्ष 14.65 रुपये प्रति शेयर)	*		*		*	*
ii) एसीसी लिमिटेड (1) के प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 280 इक्विटी शेयर (180 बोनस शेयर सहित) एनएसई पर बाजार मूल्य 1667.2 रुपये प्रति शेयर (गत वर्ष 2151.35 प्रति शेयर)	4.67		0.01		6.02	0.01
उप योग			0.01			0.01
ख लागत पर इक्विटी शेयर (पूर्णतया प्रदत्त): अनुद्धरित						
i) असम बंगाल सीमेंट कं. लि. का 10 रुपये प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर (2)			*			*
ii) जयपुर उद्योग लि. के 10 रुपये के प्रत्येक 79 इक्विटी शेयर			0.01		0.01	
iii) स्टोन वैली सीमेंट कं. लि. के 5 रुपये के प्रत्येक 40 इक्विटी शेयर			*			*
iv) ए पी गैस पॉवर कारपोरेशन लि. के 23,15,520 बोनस शेयर सहित 10 रुपये के प्रत्येक 55,31,250 इक्विटी शेयर			322.00		322.00	
घटाएं: 1,34,000 बोनस शेयर सहित बेचे गये 16,10,680 शेयर			94.04		94.04	
21,81,520 बोनस शेयर सहित शेष 39,20,840 शेयर			227.96			227.96
उप योग			227.97			227.97
योग (क+ख)			227.98			227.98
उद्धृत निवेशों का समुच्चय						
लागत			0.02			0.02
बाजार मूल्य	4.67				6.02	
गैर-उद्धृत निवेशों का समुच्चय						
लागत			227.96			227.96
योग			227.98			227.98

(1) 100 रुपये प्रति शेयर के 28 शेयरों से परिवर्तित। नए शेयर प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है। शेयर अभी निगम के नाम में स्थानतः रिकॉर्ड किए जाने हैं। *राशि 1 लाख रुपये से कम है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
15 दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम		
क) अग्रिम पूंजी		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	207.20	207.20
संदिग्ध	18.59	18.59
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	18.59	18.59
उप योग	207.20	207.20
ख) संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	131.21	159.70
संदिग्ध	470.63	470.63
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	470.63	470.63
उप योग	131.21	159.70
ग) सरकारी विभागों में शेष		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.38	0.52
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	449.36	113.87
संदिग्ध	151.20	151.20
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	151.20	151.20
उप योग	449.74	114.39
घ) बीमा एवं अन्य दावे		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	8.46	6.47
संदिग्ध	133.84	133.84
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	133.84	133.84
उप योग	8.46	6.47
ड) कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	3.16	3.16
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.60	0.60
संदिग्ध	0.37	0.37
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	0.37	0.37
उप योग	3.76	3.76
च) वसूली योग्य दावे – रेलवे		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	13.44	13.44
संदिग्ध	406.06	406.06
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	406.06	406.06
उप योग	13.44	13.44



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
छ) वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	27.55	27.55
संदिग्ध	80.21	80.21
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	80.21	80.21
उप योग	27.55	27.55
ज) कर्मचारियों से वसूली योग्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.66	0.28
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.13	0.10
संदिग्ध	7.51	7.65
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	7.51	7.65
उप योग	0.79	0.38
झ) बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,123.35	1,114.38
संदिग्ध	673.94	674.38
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	673.94	674.38
उप योग	1,123.35	1,114.38
ञ) जांच लंबित होने से कमी, हानियां		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	589.52	589.52
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	589.52	589.52
उप योग	-	-
योग	1,965.50	1,647.27

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
16 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		
दीर्घावधिक कारोबारी प्राप्य:		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	1,514.53	1,514.53
घटाएं: संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	1,514.53	1,514.53
उप योग	-	-
जमा: केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	-
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	18.00	18.00
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	0.44	0.44
संदिग्ध	0.02	0.02
घटाएं: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	0.02	0.02
उप योग	18.44	18.44
जमा: अन्य	-	-
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	158.16	158.16
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	1,246.13	1,386.77
संदिग्ध	53.66	53.66
घटाएं: खराब और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	53.66	53.66
उप योग	1,404.29	1,544.93
ऋणों एवं अग्रिमों पर उपचित एवं देय ब्याज		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	39.50	30.13
संदिग्ध	-	-
घटाएं: संदिग्ध प्राप्य हेतु भत्ते	-	-
उप योग	39.50	30.13
योग	1,462.23	1,593.50
17 अपरिशोधित व्यय		
उत्खनन विकास पर व्यय		
वर्ष के आरंभ में	1,982.76	2,086.52
परिवर्धन	256.62	256.21
	2,239.38	2,342.73
घटाएं: पूंजीकृत/समायोजित	370.91	359.97
योग	1,868.47	1,982.76
18 चालू निवेश		
गैर कारोबारी निवेश	-	-
योग	-	-



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
19 मालसूचियां (प्रबंधन द्वारा यथा सत्यापित, मूल्यांकित)				
क) स्टोर एवं स्पेयर्स:				
स्टॉक में	8,136.62		6,823.64	
मार्गस्थ	80.90	8,217.52	15.71	6,839.35
ख) चल रहे कार्य:				
स्टॉक में	4,950.94		4,665.37	
मार्गस्थ	-	4,950.94	-	4,665.37
ग) तैयार माल:				
स्टॉक में	859.83		656.03	
मार्गस्थ	77.96	937.79	2.72	658.75
घ) कच्चा माल:				
स्टॉक में	1,029.61		874.19	
मार्गस्थ	-	1,029.61	-	874.19
ङ) खुले औजार:				
स्टॉक में	1.24		1.16	
मार्गस्थ	-	1.24	-	1.16
च) पैकिंग सामग्री:				
स्टॉक में	158.07		100.32	
मार्गस्थ	-	158.07	-	100.32
छ) कोयला:				
स्टॉक में	1,533.48		711.46	
मार्गस्थ	259.66	1,793.14	-	711.46
ज) स्क्रेप:				
स्टॉक में	316.04		266.07	
मार्गस्थ	-	316.04	-	266.07
उप योग	17,404.35		14,116.67	
घटा: अवास्तविक सूची के लिए प्रावधान	357.94		10.49	
योग	17,046.41		14,106.18	

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
20 कारोबारी प्राप्य		
क) छः माह से अधिक अवधि से बकाया प्रतिभूत, अच्छे माने गए	1.81	0.43
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	131.52	119.44
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	- 133.33	- 119.87
ख) अन्य		
प्रतिभूत, अच्छे माने गए	27.37	34.51
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	161.86	329.60
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध प्राप्यों हेतु अनुमतियां	- 189.23	- 364.11
योग	322.56	483.98
21 नकदी एवं बैंक शेष		
हाथ में नकदी	1.00	0.67
हाथ में चैक	-	-
बैंक में शेष:		
- चालू खाता	802.94	800.83
- सावधि जमा	15,630.82	9,671.31
- बैंक गारंटी/साख पत्र के सापेक्ष मार्जिन के तौर पर रखी सावधि जमा	3,649.23	3,648.06
योग	20,083.99	14,120.87

टिप्पणी:

बैंक जमा में 2261.04 लाख रुपये (गत वर्ष: 1963.42 लाख रुपये) की जमा राशि शामिल है जिसकी परिपक्वता अवधि 12 माह से अधिक है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
22 अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम		
क) अग्रिम पूजा		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
ख) जमा: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	17.80	17.80
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	17.80	17.80
ग) जमा: अन्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	220.70	220.70
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	417.68	402.50
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	638.38	623.20
घ) संविदाकार एवं आपूर्तिकर्ता		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	689.19	1,328.06
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	689.19	1,328.06
ड) सरकारी विभागों में शेष		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	730.14	663.39
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	564.91	333.23
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	1,295.05	996.62
च) बीमा एवं अन्य दावे		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	14.38	5.19
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	332.70	153.87
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	347.08	159.06

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
ज) वसूली योग्य दावे – रेलवे		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	4.75	5.73
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	4.75	5.73
झ) वसूली योग्य उत्पाद शुल्क राहत		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
ञ) उत्पाद शुल्क राहत वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	52.17	52.17
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	52.17	52.17
ट) कर्मचारियों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	11.23	10.33
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	4.84	6.64
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	16.07	16.97
ठ) बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	367.77	354.27
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	367.77	354.27
ड) जांच लंबित होने से कमी, हानियां		
सुरक्षित, अच्छे माने गए	-	-
अप्रतिभूत, अच्छे माने गए	-	-
संदिग्ध	-	-
घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिम हेतु अनुमतियां	-	-
उप योग	-	-
योग	3,428.26	3,553.88

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
23 अन्य चालू परिसंपत्तियां		
सावधि जमा पर उपचित ब्याज	474.32	310.35
बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य	5,388.04	1,480.22
योग	5,862.36	1,790.57

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
24 अन्य आय		
संपत्ति से किराया	2,104.23	2,161.55
ब्याज पर:		
- बैंक में सावधि जमा	693.29	591.02
- अन्य	42.36	40.56
टाउनशिप से प्राप्तियां	47.70	44.27
अतिरिक्त प्रतिलेखन प्रावधान	388.93	770.16
विविध आय	90.70	84.64
पूर्व अवधि की आय (निवल) (नोट-31 बी देखें)	98.14	-
परित्यक्त संपत्ति की बिक्री पर लाभ	6.95	11.32
योग	3,472.30	3,703.52
25 उपयुक्त कच्चे माल की लागत		
प्रारंभिक शेष	874.19	1,255.16
वर्ष के दौरान अधिग्रहण:		
चूना पत्थर उगाना, उत्खनन और परिवहन (1)	4,139.56	4,178.84
अन्य कच्चे माल की खरीदी	1,956.40	6,970.15
घटाए: अंतिम स्टॉक	1,029.61	874.19
उपयुक्त कच्चा माल	5,940.54	5,924.15
(1) चूने पत्थर का उत्थापन, उत्खनन एवं ढुलाई		
चूने पत्थर का उत्थापन एवं संविदाकारों को भुगतान कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हितलाभ	1,161.54	1,154.13
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	272.35	289.16
प्रदत्त उपदान	42.31	55.24
कर्मचारियों को हितलाभ	0.12	0.05
भविष्य निधि में अंशदान	21.91	23.63
पेंशन निधि में अंशदान	3.52	4.44

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
छुट्टी नकदीकरण	22.48		32.16	
चिकित्सा व्यय	3.82		4.79	
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान	7.25		-	
अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	5.02	378.78	-	409.47
उपभुक्त भंडार				
सकल राशि	522.36		306.78	
घटाएं: मरम्मत में सम्मिलित राशि	213.75	308.61	31.10	275.68
बिजली	67.08		67.29	
ईंधन	69.93		93.97	
दर एवं कर	21.89		27.09	
संविदा श्रमिकों को भुगतान	340.10		487.26	
रॉयल्टी एवं उपकर	1,426.58		1,514.53	
खदान विकास व्यय बट्टे खाते में डाला गया	370.91		359.97	
यात्रा व्यय	0.75		0.98	
बीमा	0.63		0.67	
अन्य व्यय	35.63	2,333.50	12.91	2,564.67
मरम्मत				
- मशीनरी	0.92		13.05	
- भवन	-		-	
- अन्य	212.83	213.75	18.05	31.10
उप योग		4,396.18		4,435.05
घटाएं: उत्खनन विकास व्यय		256.62		256.21
योग		4,139.56		4,178.84

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
26 तैयार माल, चल रहे कार्य एवं बिक्री माल की मालसूचियों में परिवर्तन		
अर्द्ध तैयार माल		
- प्रारंभिक स्टॉक	4,665.37	2,547.49
- अंतिम स्टॉक	4,950.94 (285.57)	4,665.37 (2,117.88)
तैयार माल		
- प्रारंभिक स्टॉक	656.04	374.17
- अंतिम स्टॉक	859.83 (203.79)	656.04 (281.87)
मार्गस्थ तैयार माल		
- प्रारंभिक स्टॉक	2.72	102.55
- अंतिम स्टॉक	77.96 (75.24)	2.72 99.83
स्क्रेप स्टॉक		
- प्रारंभिक स्टॉक	266.06	184.44
- अंतिम स्टॉक	316.04 (49.98)	266.06 (81.62)
योग	(614.58)	(2,381.54)
27 कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	4,097.73	4,016.66
प्रदत्त उपदान	293.71	580.86
कर्मचारियों को हितलाभ	2.72	4.31
छुट्टी नकदीकरण	237.18	352.37
भविष्य निधि में अंशदान	284.39	278.72
पेंशन निधि में अंशदान	35.85	42.49
चिकित्सा व्यय	244.93	190.64
अर्जित छुट्टी हेतु प्रावधान	22.97	8.63
उपदान हेतु प्रावधान	48.43	7.89
कर्मचारी कल्याण व्यय	127.87	108.59
उप योग	5,395.78	5,591.16
घटाएं: आईईडीसी को अंतरित कर्मचारी हितलाभ व्यय	-	-
योग	5,395.78	5,591.16

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
28 वित्तीय लागत		
अन्य उधारी लागत		
- अन्य	-	-
योग	-	-
29 मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय		
मूल्यहास/परिशोधन	1,015.31	973.83
घटाएं: पिछली अवधि के लिए चार्ज की गई राशि	12.13	-
उप योग	1,003.18	973.83
घटाएं: आईईजीसी को अंतरित मूल्यहास	0.14	0.14
योग	1,003.04	973.69
30 अन्य व्यय		
बिजली	9,014.60	7,327.51
कोयला	13,862.50	13,394.15
ईंधन तथा तेल	5.22	5.18
किराया	23.56	35.75
दर एवं कर	156.78	140.54
बीमा	36.17	23,098.83
मरम्मत एवं रखरखाव		
- प्लांट एवं मशीनरी	1,625.04	1,509.58
- भवन	124.06	89.25
- अन्य	351.45	2,100.55
अन्य उत्पादन व्यय	499.30	412.66
अपलिखित उपकरण एवं रस्से	0.82	0.68
यात्रा व्यय	108.09	54.49
बिक्री व्यय		
- सीमेंट पर भाड़ा	3,097.94	2,895.02
- चढ़ाई-उतराई खर्चे	169.18	192.16
- गोदाम खर्चे	32.98	100.51
- बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	36.56	76.75
- अन्य बिक्री व्यय	34.92	3,371.58
वाहन परिचालन व्यय	28.42	18.27
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		
- लेखापरीक्षा हेतु	7.75	7.75
- व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	1.22	1.34
- अन्य क्षमता में	2.25	11.22



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की लागत		
- लेखापरीक्षा हेतु	0.95	1.01
- व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	0.04	-
सीआरआई एवं अन्यो को अभिदान	4.85	4.11
संचार व्यय	17.75	18.42
मुद्रण एवं स्टेशनरी	21.73	21.04
डाटा प्रोसेसिंग के लिए किराया प्रभार	0.17	0.41
विधिक एवं वृत्ति व्यय	198.72	109.40
सुरक्षा व्यय	719.26	747.93
स्टॉकिस्टों/अन्यो से जमा पर ब्याज	89.19	100.51
कर्मकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	-	0.45
विविध व्यय (1)	392.80	273.90
संविदा श्रमिकों को भुगतान	1,684.58	1,479.55
बंद परियोजना पर व्यय	13.33	22.50
संदिग्ध प्राप्यों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
पूर्वावधि व्यय (निवल) [नोट सं. 31ख देखें]	-	1.76
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	6.00	-
भंडार एवं पुर्जों की खपत:		
- सकल राशि	2,108.53	1,968.03
- घटाएं: मरम्मत एवं रखरखव सहित	1,441.44	1,263.03
पैकिंग सामग्री	1,442.97	1,430.38
उप योग	34,478.24	31,485.95
घटाएं: आईईडीसी को स्थानांतरित व्यय		
बिजली व्यय	0.19	0.54
कानूनी और व्यावसायिक खर्चे	0.40	-
प्रतिभूति व्यय	12.28	21.37
विविध व्यय	0.33	0.76
योग	34,465.04	31,463.28
(1) सम्मिलित:		
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर कमीशन (एनओयू)	115.10	-
- डायरेक्टर सिटिंग फीस	4.20	0.66

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
31 अपवादात्मक, असाधारण मदें एवं गत वर्षों से संबंधित समायोजन				
31A अपवादात्मक मदें				
आय:				
ब्याज आदि का अधित्याग		-		-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		8,626.68		-
उप योग		8,626.68		-
व्यय:				
परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग पर हानि		452.10		-
उप योग		452.10		-
निवल अपवादात्मक मदों की आय/(व्यय)		8,174.58		-
31B पूर्वावधि मदें				
आय:				
ब्याज		-		-
भंडार और स्पेयर, सामग्री और अन्य	241.94	241.94	11.55	11.55
योग		241.94		11.55
व्यय:				
मरम्मत एवं रखरखाव		-		-
दर एवं कर	51.00			-
ब्याज		-		-
मूल्यहास एवं परिशोधन	12.13			-
भंडार और स्पेयर, सामग्री और अन्य	80.67		13.31	
योग		143.80		13.31
निवल पूर्वावधि आय/(व्यय)		98.14		(1.76)

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका
31ग प्रचालन एवं अप्रचालन के राजस्व एवं व्यय की विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	प्रचालित		अप्रचालित		कुल	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
क राजस्व:						
टर्नओवर (निवल)	44,031.02	41,679.66	-	-	44,031.02	41,679.66
अन्य प्रचालन राजस्व	41.06	207.62	-	-	41.06	207.62
तैयार माल, प्रगतिरत कार्य और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन	709.94	2,381.54	(95.36)	-	614.58	2,381.54
योग	44,782.02	44,268.82	(95.36)	-	44,686.66	44,268.82
ख व्यय:						
प्रचालन व्यय	45,538.61	42,994.08	1,265.79	963.36	46,804.40	43,957.44
योग	45,538.61	42,994.08	1,265.79	963.36	46,804.40	43,957.44
ग प्रचालन गतिविधियों से ब्याज एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	(756.59)	1,274.74	(1,361.15)	(963.36)	(2,117.74)	311.38
ब्याज खर्च	-	-	-	-	-	-
घ कर पूर्व लाभ/(हानि)	(756.59)	1,274.74	(1,361.15)	(963.36)	(2,117.74)	311.38
आय कर	-	-	-	-	-	-
ङ प्रचालन गतिविधियों से करोपरान्त लाभ/(हानि)	(756.59)	1,274.74	(1,361.15)	(963.36)	(2,117.74)	311.38
अन्य आय	3,200.31	3,424.20	271.99	284.48	3,472.30	3,708.68
च अपवादात्मक मदें – आय/(व्यय)	-	-	8,174.58	-	8,174.58	-
छ प्रचालन गतिविधियों से निवल लाभ/(हानि)	2,443.72	4,698.94	7,085.42	(678.88)	9,529.14	4,020.06

32 आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएं (प्रावधान न किए जाने की सीमा तक)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
क) आकस्मिक देनदारियां		
(i) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें कर्ज के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है।		
क) आय कर मांग	8.77	8.57
ख) तांदूर एवं बोकाजन इकाई आदि से बिक्री कर की मांग	659.61	813.89
ग) बोकाजन विस्तार संविदा	12,060.00	12,060.00
घ) मध्यस्थता मामले	971.99	971.99
ङ) अलकतरा के संबंध में न्यूनतम टेरिफ प्रभार	1,151.50	1,151.50
च) इकाईयों के संबंध में विद्युत हवीलिंग प्रभार	35,017.36	30,856.14
छ) अन्य विविध मामले	6,114.18	6,264.81
(ii) ऐसी अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	-	-
उप योग	55,983.41	52,126.90
ख) प्रतिबद्धताएं		
क) पूंजीगत लेखाओं में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि एवं जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	1,520.65	53.14
उप योग	1,520.65	53.14
योग (क+ख)	57,504.06	52,180.04

टिप्पणी: सेवा मामलों आदि के लिए कर्मचारियों के मुआवजेधपदोन्नतिध्दावों के लिए विभिन्न अदालतों में पड़े मामलों का प्रभाव खातों की पुस्तकों में नहीं दिया गया है क्योंकि इसकी राशि अज्ञात है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
33 मात्रात्मक विवरण				
1 वास्तविक उत्पादन				
पोर्टलैंड सीमेंट				
- साधारण	504,380.00	M Tonnes	563,294.00	M Tonnes
- पोजोलाना	363,815.00	M Tonnes	308,676.00	M Tonnes
	868,195.00	M Tonnes	871,970.00	M Tonnes
2 क्लिंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पाद)				
- स्वयं विनिर्माण	793,985.00	M Tonnes	869,520.00	M Tonnes
- खरीदी	-	M Tonnes	-	M Tonnes
3 सीमेंट का प्रेषण	864,558.71	M Tonnes	863,291.89	M Tonnes
	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रुपये में	मात्रा मी. टन में	मूल्य लाख रुपये में
4 प्रारंभिक स्टॉक				
क) सीमेंट				
i) फैक्ट्री में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	11,264.73	368.82	4,223.71	139.63
- सीमेंट पीपीसी	6,066.23	188.75	4,429.14	152.75
ii) डंप में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	1,045.90	42.05	1,470.80	52.39
- सीमेंट पीपीसी	1,285.15	45.93	876.00	29.40
iii) मार्गस्थ स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	-	-	1,447.30	50.37
- सीमेंट पीपीसी	75.00	2.72	1,632.50	52.19
iv) क्षतिग्रस्त सीमेंट				
- सीमेंट ओपीसी	4,888.25	-	4,888.25	-
- सीमेंट पीपीसी	3,351.00	10.48	3,015.50	-
उप योग	27,976.26	658.75	21,983.20	476.73
ख) क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	174,336.68	3,674.98	116,129.68	2,046.65
क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
उप योग	174,336.68	3,674.98	116,129.68	2,046.65
5 स्वयं के उपभोग/अंतरण इत्यादि सहित निवल बिक्री				
i) सीमेंट ओपीसी	502,374.86	44,026.61	558,122.75	41,678.14
ii) सीमेंट पीपीसी	362,034.05	-	307,765.98	-
iii) परीक्षण हेतु प्रयुक्त सीमेंट	0.06	-	0.06	-
iv) मार्गस्थ होने के दौरान सीमेंट की कमी	-	-	61.25	-
v) ओपीसी का स्वयं का उपभोग	68.75	3.73	2.90	0.18

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
vi) पीपीसी का स्वयं का उपभोग	13.10	0.68	24.00	1.34
	864,490.82	44,031.02	865,976.94	41,679.66
vii) क्लिंकर	-	-	-	-
6 अंतिम स्टॉक				
क) सीमेंट				
i) फैक्ट्री में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	12,507.14	495.51	11,264.73	368.82
- सीमेंट पीपीसी	8,331.65	316.00	6,066.23	188.75
ii) डंप में स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	663.30	34.41	1,045.90	42.05
- सीमेंट पीपीसी	326.75	13.91	1,285.15	45.93
iii) मार्गस्थ स्टॉक				
- सीमेंट ओपीसी	948.60	43.40	-	-
- सीमेंट पीपीसी	870.80	34.56	75.00	2.72
iv) क्षतिग्रस्त सीमेंट				
- सीमेंट ओपीसी	2,515.95	-	4,888.25	-
- सीमेंट पीपीसी	3,015.50	-	3,351.00	10.48
उप योग	29,179.69	937.79	27,976.26	658.75
b) क्लिंकर (स्वयं का विनिर्माण)	173,355.68	4,006.87	174,336.68	3,674.98
क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
उप योग	173,355.68	4,006.87	174,336.68	3,674.98
7 अन्य				
i) अन्य इकाईयों को/ (से) अंतरित क्लिंकर	-	-	-	-
ii) स्क्रेप के रूप में बेचा गया सीमेंट	2,500.75	-	-	-
iii) स्क्रेप के रूप में बेचा गया क्लिंकर	3.00	0.05	-	-
योग	2,503.75	0.05	-	-
8 सीमेंट की ग्राइंडिंग हेतु प्रयुक्त क्लिंकर	794,963.00	29,153.24	811,313.00	25,567.58
9 उपयुक्त कच्चा माल				
i) चूना पत्थर	1,193,941.00	3,921.00	1,283,673.73	4,161.04
ii) चूना पत्थर	11,072.00	65.19	15,608.13	76.77
iii) लौह अयस्क	21,386.00	566.82	17,446.96	657.18
iv) जिप्सम	23,389.00	734.16	21,629.00	613.02
v) शैल	17,530.00	188.25	27,372.27	73.61

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणिका

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	
vi) फलाई एश	59,035.00	452.94	47,345.00	315.18
vii) क्लिंकर (खरीद)	-	-	-	-
viii) जली हुई मिट्टी	1,105.00	10.69	1,498.17	23.79
ix) अन्य	5,978.00	1.49	14,438.00	3.56
योग		5,940.54		5,924.15
10 निम्नलिखित के संबंध में सीआईएफ आधार पर परिकलित आयातित माल का मूल्य:				
i) कच्चा माल	-	-	-	-
ii) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	-	-	-	-
iii) पूंजीगत माल	-	-	-	-
योग		-		-
11 सीधे आयातित एवं स्वदेशी उपलब्ध कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे जिसका उपभोग किया गया एवं प्रत्येक के कुल खपत का प्रतिशत:				
सीधे आयातित	0.84%	67.55	0.72%	57.21
स्वदेशी उपलब्धता	99.16%	7,981.40	99.28%	7,834.77
	100.00%	8,048.95	100.00%	7,891.98

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

34 वित्तीय विवरणिका का भाग बनने वाली टिप्पणियां

34.01 निगम द्वारा दर्ज 99,956.14 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,04,614.75 लाख रुपये) के दावे/प्रतिदावे विभिन्न न्यायालयों आदि में मध्यस्थता के अंतर्गत/लंबित हैं और इसके परिणाम केवल अधिनिर्णय/डिक्री आदि पर ही ज्ञात होंगे। इस प्रकार लेखाओं में इसका प्रभाव नहीं दिया गया है।

34.02 आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए धारा 143(3) के अंतर्गत क्रमशः 88,500.88 लाख रुपये और 8,798.64 लाख रुपये की आय का आकलन किया और उसे आगे ले जाये गए घाटे के साथ समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप, कंपनी का आकलित हानि कम होकर 97,299.52 लाख रुपये हो गया। कंपनी ने अपील दायर की थी और अपीलीय प्राधिकारी ने मामला कर निर्धारण अधिकारी के पास वापस भेज दिया था। इसके फलस्वरूप, कर निर्धारण अधिकारी ने गैर-प्रचालनरत इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यहास की अस्वीकृति के कारण कुल आय की पुनर्गणना 8,852.22 लाख रुपये की। इस प्रकार, कंपनी की आकलित हानि अब 53.58 लाख कम हो गई है जिससे आगे ले जाया गया संचयी घाटा 97,353.09 लाख हो गया है। कंपनी ने 53.58 लाख रुपये की अस्वीकृति के विरुद्ध अपील दायर की है और सीसीआईटी (अपील) ने सीसीआई के पक्ष में इसका निपटारा किया है।

34.03 सिलचर यूनिट सहित बोकाजन विस्तार का ठेका मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेंगलोर (ठेकेदार) को वर्ष 2010 में 18,208 लाख रुपये में दिया गया था। मैसर्स प्रोमैक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कार्यादेश के अनुसार मध्यस्थता खंड को रद्द कर दिया। सीसीआई ने ठेकेदार के 12,060.00 लाख के दावे के सापेक्ष 93,013.28 लाख रुपये के लिए सिलचर सहित बोकाजन विस्तार कार्य के गैर-निष्पादन के कारण हुई हानि/क्षति के लिए प्रति दावा भी दर्ज किया। पक्षकार को जारी कार्यादेश रद्द कर दिया गया है। सिलचर इकाई मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं और निर्णय सुरक्षित रखा गया है, जो इस वर्ष की तीसरी तिमाही में जारी किया जा सकता है और बोकाजन इकाई मामले में अंतिम दलीलें जुलाई, 2023 में सुनिश्चित है।

34.04 1.06 एकड़ (मंधार), 0.146 हेक्टेयर (नयागांव), 495.75 (अकलतरा), 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) की भूमि के स्वामित्व विलेख और 155.83 एकड़ (नयागांव) और 58.

81 एकड़ (आदिलाबाद) के पट्टा विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किए गए हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने गैर-प्रचालनरत इकाइयों के विनिवेश का निदेश दिया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ग्राइंडिंग यूनिट और रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए सीसीआई को 20.94 एकड़ पट्टा धृत भूमि आवंटित की।

डीडीए ने अपने दिनांक 11-04-2017 के पत्र के माध्यम से स्वतः संज्ञान लेते हुए ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सीसीआई की 14.20 एकड़ पट्टा धृत भूमि दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को हस्तांतरित कर दी। 14.20 एकड़ भूमि की कीमत अब 'बाहरी पक्षकारों से वसूली योग्य' में अंतरित कर दी गई है क्योंकि यह एसडीएमसी/डीडीए से वसूली योग्य है। भारी उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2018 में पत्र के माध्यम से सीसीआई को धन के संदर्भ में मुआवजे के लिए एसडीएमसी के साथ बातचीत करने का निदेश दिया। इस मामले पर दिनांक 16.05.2019 को नीति आयोग की बैठक में भी चर्चा हुई। सीसीआई के लिए रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए आवंटित शेष 6.74 एकड़ भूमि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए रेलवे को दे दी गई थी। रेलवे साइडिंग कार्य के लंबित रहने के कारण साइडिंग सहित जमीन अभी तक सीसीआई को नहीं सौंपी गई है। उत्तर रेलवे ने दिनांक 23.03.2023 को पत्र के माध्यम से सूचित किया कि सीसीआई से समाशोधन के लिए संपर्क किया जा रहा है।

34.05 कंपनी खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 दिनांक 03-12-2015 के अनुसार खनन पट्टा सभी सरकारी विभागों के लिए अनुदत्त माना जाता है। तदनुसार, सीसीआई के खनन पट्टे अनुदत्त माने गये हैं और अभी भी वैध हैं।

34.06 सीसीआई, आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि का अधिग्रहण और पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 तक सड़क के रूप में उपयोग किया गया, जिसकी माप 32 गुंटा है, जिसके लिए राजस्व विभाग से हस्तारण आदेशों की प्रतीक्षा है, इस प्रतिफल के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, लेखाओं में नहीं किया गया है।

34.07 स्वर्गीय श्री आर. के. डालमिया द्वारा धारित एवं उनके द्वारा लिये गये 214.00 लाख रुपये ऋण के सापेक्ष पूर्व में डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास प्रतिभूति के रूप में रखे विभिन्न कंपनियों के शेयर (अंकित मूल्य 37.79 लाख

रुपये) पूर्व वर्षों में कब्जे में ले लिये गये हैं। हालाँकि इन शेयरों का मूल्य 2.80 लाख रुपये (वसूली योग्य मूल्य पर) था परंतु इन्हें संदिग्ध माना गया और तदनुसार पिछले वर्षों में इसका प्रावधान किया गया।

34.08 स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में कार्यालय भवन, जिसकी लागत 5.70 लाख रुपये की विद्युत स्थापना को छोड़कर 266.58 लाख रुपये है, का मानद स्वामी मानकर, मूल्यहास का रीति से अनंतिम रूप से परिशोधन किया जा रहा है। हालाँकि, निगम के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।

34.09 बीमारु औद्योगिक कंपनी (एसपी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(1) के अंतर्गत पत्र संख्या एसईसी/84/96/513 दिनांक 25.04.1996 के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को प्रतिनिर्देश दिया गया था। कंपनी को माननीय बीआईएफआर पत्र संख्या 501/96-बेंच पट्ट एसओएल दिनांक 08-08-1996 के अंतर्गत बीमारु घोषित किया गया था। माननीय बीआईएफआर ने दिनांक 21-03-2006 को हुई अपनी सुनवाई में मैसर्स आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार पुनरुद्धार योजना अनुमोदित कर दी है। माननीय बीआईएफआर द्वारा स्वीकृत योजना दिनांक 03-05-2006 को परिचालित की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं के निपटान और 3 प्रचालनरत संयंत्रों के विस्तार/तकनीकी उन्नयन और शेष 7 गैर-प्रचालनरत संयंत्रों को बंद करने/बिक्री की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृत योजना के अनुसार सात इकाइयों को बंद कर दिया गया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 09.02.2022 के पत्र द्वारा इन गैर-प्रचालन इकाइयों के संयंत्र और मशीनरी, भंडार आदि की बिक्री करने का निदेश दिया। तदनुसार, अकलतरा और चरखी दादरी इकाइयों की अन्य परिसंपत्तियों के साथ संयंत्र और मशीनरी की बिक्री मैसर्स एमएसटीसी के माध्यम से की गई। अन्य संयंत्रों की बिक्री कार्य प्रगति पर है।

34.08 (i) लेनदारों, राज्य सरकारों, अन्य सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के संबंध में राहत और रियायतें युक्तियुक्त रूप से तभी मानी जाएंगी जब ऐसा भुगतान किया जाता है और ऐसी रियायतें/राहतें यथास्थिति इससे जुड़ी बिना किसी आकस्मिकता के निश्चित हो जाएंगी या उसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाता है।

(ii) वर्ष 1975 से भारत सरकार से योजनागत ऋण (ब्याज मुक्त) के 15,090.07 लाख रुपये (पिछला वर्ष 15,090.07 लाख रुपये) माननीय बी.आई.एफ.आर.स्वीकृत योजना दिनांक 03-05-2006 के अनुसार सात

गैर-प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री आय से चुकाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए गैर योजनागत ऋण पर 12,385.27 लाख रुपये का उपचित ब्याज पर दिनांक 01-04-2011 से रोक लगा दी गई है। कंपनी इस सीमा तक चुकौती में चूक कर रही है। इस ब्याज का भुगतान गैर-प्रचालनरत इकाइयों की बिक्री आय से किया जाएगा।

34.11 प्रत्येक इकाई के सामने उल्लिखित तिथियों से निम्नलिखित इकाइयों में उत्पादन बंद कर दिया गया है:

क्र.सं.	इकाई का नाम	राज्य	बंद होने की तिथि
i)	मंधार	छत्तीसगढ़	06 जून 1996
ii)	चरखी दादरी	हरयाणा	14 अगस्त 1996
iii)	अकलतरा	छत्तीसगढ़	09 दिसम्बर 1996
iv)	नयागांव और नयागांव विस्तार	मध्य प्रदेश	30 जून 1997
v)	कुरकुंटा	कर्नाटक	01 नवम्बर 1998
vi)	आदिलाबाद	तेलंगाना	05 नवंबर 1998
vii) क	दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट	दिल्ली	08 फरवरी 1999
vii) ख	भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट	पंजाब	आरंभ नहीं की गई

आईएफसीआई (ओए) द्वारा तैयार झ्रॉपट पुनर्वास योजना (डीआरएस) को माननीय बीआईएफआर द्वारा दिनांक 21-03-2006 को हुई अपनी सुनवाई में मंजूरी दे दी गई थी और प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत लेनदारों के निपटान और उपरोक्त 7 गैर-प्रचालनरत इकाइयों को बंद करने/बिक्री पर परिकल्पित स्वीकृत योजना दिनांक 03-05-2006 को परिचालित की गई थी। उक्त योजना में उल्लिखित उपरोक्त 7 इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से अधिक है। इसी प्रकार, बोकाजन, राजबन और तंदूर इकाइयों के संबंध में परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य परिसंपत्तियों के बही मूल्य से कहीं अधिक होने की उम्मीद है। इस प्रकार, किसी संभावित ह्रासित हानि का कोई संकेत नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार, लेखाओं में ह्रासित हानि के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

- 34.12** येरागुंला इकाई के संबंध में एमओयू/बिक्री करार की शर्तों के अनुसार, एसबीआई कैप्स, मर्चेन्ट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड से समाशोधन और संपुष्टि लंबित है अतः बिक्री की तारीख पर उपचित होने वाली आवश्यक देनदारियां लेखाओं में पहले ही मान ली गई हैं।
- 34.13** पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन के दौरान, 35,543.25 लाख के गैर-संचयी अधिमानी शेयर 22-03-2007 को सात वर्षों के लिए जारी किये गये थे, कैबिनेट/बीआईएफआर के निदेशानुसार मंत्रालय से अधिमानी शेयर को पुनः जारी करने के लिए और विस्तार मांगा गया है।
- 34.14** आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य अवधि के भीतर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता के अभाव में आस्थगित कर परिसंपत्तियों / देनदारियों को मान्यता नहीं दी गई है।
- 34.15** देनदारियों को चालू और गैर-चालू में वर्गीकृत करने के लिए, स्वीकृत योजना की प्रकृति के अलावा इसमें निहित शर्तों को भी ध्यान में रखा गया है।
- 34.16** कारोबार की प्रकृति और निगम की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लेखांकन मानक-17 के अंतर्गत रिपोर्टिंग खंड कंपनी पर लागू नहीं होते।
- 34.17** (i) संयंत्र और मशीनरी आदि की बिक्री के लिए मैसर्स एमएसटीसी (भारत सरकार का उद्यम) के माध्यम से "जैसा है जहां है और क्लीन स्वीप" के आधार पर निविदा जारी की गई थी। बिक्री आदेश के अनुसार बोली मूल्य 57.50 करोड़ रुपये है। बिक्री आदेश के अनुसार, अंतिम किस्त दिनांक 28.03.2023 तक प्राप्त होनी थी और इस प्रकार लेखांकन के बीमांकिक आधार अपनाते हुए लेखा बहियों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए, कच्चे माल आदि का प्रावधान करने के उपरांत ऐसी बिक्री आय की राजस्व मान्यता 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणी संख्या 31क में असाधारण मद में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निविदा दस्तावेज खंड संख्या V के साथ पठित सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 31 की उप-धारा 1 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी चालान निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार दिनांक 15.05.2023 को बिक्री आदेश की पूरी राशि प्राप्त होने पर

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

26.05.2023 को जारी किया गया था और तदनुसार कर दायित्व का निर्वहन किया गया था।

- (ii) मैसर्स एमएसटीसी (भारत सरकार उद्यम) के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी की बिक्री के साथ-साथ विनष्टीकरण, भंडार और पुर्जों की बिक्री के लिए "जैसा है जहां है और क्लीन स्वीप के आधार पर" परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए निविदा जारी की गई है। 34.92 करोड़ रुपये कुल बिक्री को यह प्रभाव दर्शाने लिए 0.34 करोड़ रुपये की स्थायी परिसंपत्ति, 1.30 करोड़ रुपये के भंडार एवं पुर्जे और 1.05 करोड़ रुपये के कच्चे माल का निवल ब्लॉक खारिज कर दिया गया और 32.23 करोड़ रुपये का आय और व्यय का प्रभाव (निवल) टिप्पणी संख्या 31क में असाधारण मद के रूप में दर्शाया गया है और 78 करोड़ रुपये की मलसूची का प्रभाव टिप्पणी संख्या 26 में दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की बिक्री से 31.45 करोड़ रुपये का लाभ हुआ।

- 34.18** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115जेबी के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी उसमें दिए गए कुछ समायोजनों के अधीन बही लाभ पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अधिनियम की धारा 115जेबी की उपधारा 2 के बाद स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत बही लाभ से घटाई जाने वाली वस्तुओं के खंड (अपप) के अनुसार, जिसके द्वारा प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष से अरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए बीमारु औद्योगिक कंपनी के लाभ की राशि पिछला वर्ष जिसमें उक्त कंपनी बीमारु औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 17 की उप-धारा (1) के अंतर्गत बीमारु औद्योगिक कंपनी बन गई है और कर निर्धारण वर्ष के साथ समाप्त हो रही है जिसके दौरान ऐसी कंपनी का संपूर्ण निवल मूल्य संचित घाटे के बराबर या उससे अधिक हो जाता है। सीसीआई की निवल संपत्ति वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान संचित घाटे से अधिक हो गई है और इसलिए वित्त वर्ष से 2017-18 के बाद, आगे ले जाई गई हानि या असामयोजित मूल्यहास की राशि, जो भी कम हो, अधिनियम की धारा 115जेबी की उपधारा 2 के बाद स्पष्टीकरण 1 के अंतर्गत बही लाभ से कम किए जाने वाले मद के खंड (पपप) के अंतर्गत बुक लाभ से समायोजित कर लिया गया है। आगे ले जाई गई अल्पतर हानि या 151,85,81,000/- रुपये के असमयोजित मूल्यहास का समायोजन करने के उपरांत चालू वर्ष का 21,12,95,175/- रुपये के शेष बही लाभ पर 3,69,17,493/- रुपये की एमएटी देनदारी है। इसे वर्तमान कर व्यय और एमएटी क्रेडिट पात्रता में भी दर्शाया गया है।

34.19 दिशानिर्देशों के अनुसार, आईडीए कर्मचारियों के लिए तीसरा वेतन संशोधन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा दिनांक 29-05-2017 को जारी किया गया है। परिपाटी के अनुसार, 'निदेशक मंडल' से सिफारिश अनुमोदन के लिए

भारी उद्योग मंत्रालय को भेज दी गई है। आज की तारीख तक, डीएचआई से आवश्यक अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। कर्मचारी हितलाभ व्यय में इस लेखा पर प्रावधान शामिल है।

34.20 लेखांकन मानक-29 के अनुसार प्रावधान का विवरण, टिप्पणी 6 और 10 देखें।

(लाख रुपये में)

विवरण	आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान समायोजन/प्रदत्त		वर्ष के दौरान परिवर्धन		अंत शेष	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
उपदान	2485.80	2862.19	132.22	457.89	135.67	81.50	2489.25	2485.80
बोनस	8.36	8.83	0.40	0.87	-	0.40	7.96	8.36
प्रगति में पूंजीगत कार्य	10.57	10.57	-	-	-	-	10.57	10.57
ई.एल. देनदारी	1599.31	1775.93	154.66	233.07	105.35	56.45	1550.00	1599.31
अन्य एमएटी सहित	3206.02	2277.90	480.91	256.33	1640.77	1184.45	4365.88	3206.02

34.21 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को देय/प्रदत्त ब्याज का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	लेखांकन वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि	491.08	343.50
2	लेखांकन वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को उस पर शेष अप्रदत्त देय ब्याज	391.83	378.42
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के उपरांत आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के अनुसार प्रदत्त ब्याज की राशि	-	-
4	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और संदाय ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है लेकिन नियत दिन के बाद) लेकिन अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
5	वर्ष के दौरान उपचित ब्याज की राशि और लेखांकन वर्ष के अंत में अप्रदत्त शेष राशि	13.41	13.41
6	शेष देय ब्याज और आगामी वर्षों में भी ऐसी तिथि तक देय जब तक ऊपर दिए गए ब्याज का भुगतान वास्तव में अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से छोटे उद्यमों को नहीं किया जाता है।	391.83	378.42

34.22 लेखांकन मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ

निगम ने लेखांकन मानक 15 – कर्मचारी हितलाभ नीचे दिए गए विवरणानुसार अपनाया है:

i) भविष्य निधि

निगम एक अलग न्यास को पूर्व-निर्धारित दरों पर भविष्य निधि (पीएफ) का निश्चित अंशदान देता है जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में धन का निवेश करता है। न्यास को न्यास के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना अपेक्षित है। पी.एफ. न्यास ही हानि, यदि कोई हो, का वहन निगम द्वारा किया जाता है।

ii) उपदान

निगम में परिभाषित उपदान योजना है। उपदान

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी उपदान पाने का हकदार है। उपदान के दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iii) छुट्टी नकदीकरण

छुट्टी नकदीकरण उन पात्र कर्मचारियों को देय है जिन्होंने अर्जित छुट्टी (ईएल), अर्ध वेतन छुट्टी (एचपीएल) आदि जमा किया है। छुट्टी नकदीकरण के प्रति दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv) अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ

निगम में अधिवर्षिता के समय कर्मचारियों और उनके



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

आश्रितों के लिए गृह नगर में भुगतान की योजना है। इसे बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लाभ-हानि विवरणिका और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों का सारांश इस प्रकार है:

क. लाभ और हानि के विवरणिका में मान्यता प्राप्त व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क)	वर्तमान सेवा लागत	104.27	103.64	106.76	112.25	0.71	0.69
ख)	ब्याज लागत	168.68	184.17	112.66	118.00	0.89	1.06
ग)	अवधि में मानी गई निवल बीमांकिक (वृद्धि)/हानि	50.53	(38.13)	(45.28)	(101.23)	3.54	(2.51)
घ)	लाभ-हानि विवरणिका में माना गया व्यय	323.48	249.68	174.14	129.02	5.14	(0.76)

ख. तुलन पत्र में मानी गई राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क)	अवधि के अंत की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,375.91	2,372.45	1,535.26	1,584.56	13.16	12.51
ख)	वित्तपोषण की स्थिति/अंतर	(2,375.91)	(2,372.45)	(1,535.26)	(1,584.56)	(13.16)	(12.51)
ग)	तुलन पत्र में मानी गई निवल परिसंपत्ति/(देनदारी)	(2,375.91)	(2,372.45)	(1,535.26)	(1,584.56)	(13.16)	(12.51)

ग. दायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क)	वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,372.45	2,748.83	1,584.56	1,761.17	12.51	15.80
ख)	वर्तमान सेवा लागत	104.27	103.64	106.76	112.25	0.71	0.69
ग)	ब्याज लागत	168.68	184.17	112.66	118.00	0.89	1.06
घ)	प्रदत्त हितलाभ	(320.03)	(626.05)	(223.44)	(305.63)	(4.49)	(2.52)
ङ)	दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	50.53	(38.13)	(45.28)	(101.23)	3.54	(2.51)
च)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2375.91	2372.45	1535.26	1584.56	13.16	12.51

घ. चालू अवधि के लिए राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण		अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ	
		31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022	31-03-2023	31-03-2022
क)	वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2,375.91	2,372.45	1,535.26	1,584.56	13.16	12.51
ख)	अधिशेष / (घाटा)	(2,375.91)	(2,372.45)	(1,535.26)	(1,584.56)	(13.16)	(12.51)

ड बीमांकिक अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 तक	
i)	सेवानिवृत्ति की आयु	60 वर्ष	
ii)	आयु	वापसी दर	%आयु
		30 वर्ष तक	0%
		31 वर्ष से 44 वर्ष तक	1%
		44 वर्ष से ऊपर	1%
iii)	मितीकाटा दर	7.11%	
iv)	भावी वेतन वृद्धि	6.00%	
v)	योजनागत परिसंपत्तियों का अपेक्षित प्रतिलाभ	शून्य	

34.23 भुगतान के लिए देय व्यापार की आयु अनुसूची (बैलेंस शीट के लिए संदर्भ नोट संख्या 05 और 08):

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i	एमएसएमई					
	-चालू वर्ष	392.77	-	15.02	82.36	490.15
	-गत वर्ष	230.67	15.02	-	82.39	328.08
ii	अन्य					
	-चालू वर्ष	1,371.19	98.31	12.95	2,991.87	4,474.32
	-गत वर्ष	1,439.99	35.04	38.15	2,916.96	4,430.14
iii	विवादित बकाया—एमएसएमई					
	-चालू वर्ष	-	0.18	0.75	-	0.93
	-गत वर्ष	7.75	-	7.67	-	15.42
iv	विवादित बकाया – अन्य					
	-चालू वर्ष	-	-	-	3.54	3.54
	-गत वर्ष	-	-	0.01	3.53	3.54

34.24 बकाया व्यापार प्राप्तियों की पुरानी अनुसूची (बैलेंस शीट के लिए संदर्भ नोट संख्या 16):

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
ii	(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-संदिग्ध माने गए						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iv	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-संदिग्ध माने गए						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह - 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i	(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है						
	-चालू वर्ष	189.23	4.53	17.46	10.84	54.05	276.10
	-गत वर्ष	364.11	9.03	4.57	46.13	46.35	470.19
ii	(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-संदिग्ध माने गए						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-
iii	(iii) विवादित व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	46.46	46.46
	-गत वर्ष	-	-	-	0.90	12.89	13.79
iv	(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-संदिग्ध माने गए						
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-	-

34.26 31.03.2023 को निगम के नाम पर अचल संपत्ति का टाइटल डीड नहीं है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	धारित शीर्षक विलेख के नाम पर	क्या स्वत्व विलेख धारक प्रवर्तक, निदेशक या प्रवर्तक/निदेशक के संबंधी या प्रवर्तक/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम पर धारित न होने का कारण
i	पीपीई	भूमि	5.57	पीएसईबी (गुरु नानक देव थर्मल पावर स्टेशन बटिंडा)	नहीं	1988 से	सीसीआई के साथ डीमड स्वामित्व
		भवन :					
		कार्यालय भवन :	266.58	सार्वजनिक उद्यम का स्थायी सम्मेलन	नहीं	1988 से	सीसीआई के साथ डीमड स्वामित्व
ii	निवेश सम्पत्ति	भूमि					
		भवन					
iii	पीपीई सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त और निपटान हेतु आयोजित किया गया	भूमि भवन :					
iv	अन्य						

नोट 34.04 (पीपीई को सक्रिय उपयोग से हटा दिया गया है और निपटान के लिए रखा गया है) के अनुसार भूमि का सकल वहन मूल्य, जहां स्वामित्व विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है, 10.12 एकड़ (भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट) को छोड़कर, अभी तक घोषित नहीं किया गया है।

34.27 क) 31.03.2023 तक पूंजी-कार्य-प्रगति का पुराना कार्यक्रम:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	CWIP में राशि की अवधि के लिए				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	- चालू वर्ष					
	चल रही परियोजनाएं:					
i	रेलवे लाईन	-	-	-	1,830.04	1,830.04
ii	बकट लिफ्ट	-	-	-	323.14	323.14
iii	भंडारण साइलो	-	-	4.20	-	4.20
iv	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	320.15	68.09	-	-	388.24
v	ऊर्जा कुशल मोटर और अन्य	45.89	-	-	-	45.89
vi	बायोमेट्रिक मशीन	-	-	0.12	-	0.12
	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित					
i	ग्राइंडिंग सहित संयंत्र क्षमता विस्तार	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	प्लांट और उपकरण	-	-	-	510.21	510.21
	-गत वर्ष					
	चल रही परियोजनाएं:					
i	जांच सिस्टम	11.59	-	-	-	11.59
ii	पीने के पानी की सुविधा	4.64	-	-	-	4.64
iii	सौर ऊर्जा	5.90	-	-	-	5.90
iv	रेलवे लाइन	-	-	271.04	1,559.00	1,830.04
v	बकट लिफ्ट	-	-	-	323.14	323.14
vi	भंडारण साइलो	-	4.20	-	-	4.20
vii	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण	68.09	-	-	-	68.09
viii	ऊर्जा कुशल मोटर और अन्य	38.80	-	-	-	38.80
ix	ट्रांसफार्मर	55.53	-	-	-	55.53
x	बायोमेट्रिक मशीन	-	0.12	-	-	0.12
	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित					
i	ग्राइंडिंग सहित संयंत्र क्षमता विस्तार	-	-	-	3,140.99	3,140.99
ii	प्लांट और उपकरण	-	-	-	639.91	639.91

ख) पूंजी-कार्य-प्रगति के लिए CWIP समापन अनुसूची, जिसकी पूर्णता अतिदेय है या 31-03-2023 को इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	पूर्ण किया जाना है			
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	प्रोजेक्ट 1				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-
	प्रोजेक्ट 2				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-

34.28 क) 31.03.2023 तक विकास के तहत अमूर्त संपत्ति की पुरानी अनुसूची:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	CWIP में राशि की अवधि के लिए				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
	चल रही परियोजनाएं:					
i	सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट					
	-चालू वर्ष	-	-	12.61	0.20	12.81
	-गत वर्ष	-	12.61	0.20	-	12.81
	परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया:					
	-चालू वर्ष	-	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-	-

ख) 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार, विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों के लिए समापन कार्यक्रम, जिनकी पूर्णता अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीडब्ल्यूआईपी	पूर्ण किया जाना है			
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
	प्रोजेक्ट 1				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-
	प्रोजेक्ट 2				
	-चालू वर्ष	-	-	-	-
	-गत वर्ष	-	-	-	-

34.29 धारित बेनामी संपत्ति का विवरण अर्थात अधिग्रहण का वर्ष, राशि, लाभार्थी, कार्यवाही, यदि कोई हो : शून्य

34.30 वर्तमान संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के मामले में समय पर वैधानिक रिटर्न दाखिल करना : लागू नहीं

34.31 किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा निगम की इरादतन चूक की घोषणा का विवरण : लागू नहीं अन्य अनुसूची III प्रारूप जो लागू नहीं हैं या शून्य हैं, उन्हें अलग से प्रकट नहीं किया गया है।

34.32 वैधानिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ अभी तक दर्ज किए जाने वाले शुल्क या संतुष्टि के विवरण और कारण।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रभारी धारक का नाम	राशि	कारण
i	सिंडिकेट बैंक	460.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
ii	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1,230.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
iii	भारतीय जीवन बीमा निगम	300.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।
iv	भारतीय सामान्य बीमा निगम	300.00	अवकाश का प्रभार लंबित है।

34.33 प्रमुख वित्तीय अनुपात:

क्र.सं	वित्तीय अनुपात	अंश भाजक	31.03.2023 समाप्ति वर्ष	31.03.2022 समाप्ति वर्ष	% परिवर्तन	पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण
i	वर्तमान अनुपात	चालू संपत्तियां चालू दायित्व	3.41	2.94	15.99%	-
ii	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल देनदारियां / शेयरधारकों की इक्विटी	4.62	17.87	-74.15%	पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान देयता में कमी और वर्तमान संपत्ति में वृद्धि
iii	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध परिचालन आय / कुल ऋण सेवा	-	-	-	-
iv	इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	शुद्ध आय / शेयरधारक की इक्विटी	0.75	1.29	41.86%	पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान देयता में कमी और वर्तमान संपत्ति में वृद्धि
v	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	COGS / औसत इन्वेंटरी	2.97	3.19	-6.90%	-
vi	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	नेट क्र. बिक्री / औसत प्राप्य लेखा	0.62	0.74	-16.22%	-
vii	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	करोड़ खरीद / औसत लेनदार	3.42	3.07	11.40%	-
viii	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	बिक्री / औसत कार्यशील पूंजी	1.59	2.09	-23.92%	-
ix	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री	0.22	0.10	120.00%	पिछले वर्ष से शुद्ध लाभ में वृद्धि
x	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	पीबीआईटी / कुल पूंजी नियोजित	0.17	0.09	88.89%	पिछले वर्ष की तुलना में पीबीआईटी में वृद्धि।
xi	निवेश पर प्रतिफल	पीबीआईटी / कुल निवेश	0.51	0.21	142.86%	पिछले वर्ष की तुलना में पीबीआईटी में वृद्धि

34.34 अग्रिम, कारोबारी देय और कारोबारी लेनदारों आदि के अंतर्गत दिखाया गया शेष संपुष्टि / समाशोधन के अध्ययन हैं। इनमें समायोजन के लिए कुछ पुराने शेष की लंबित जांच भी सम्मिलित हैं। इसके पूरा होने पर आवश्यक गणना की जाएगी।

34.35 कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अधीन विभिन्न गतिविधियों के लिए किया गया व्यय नीचे दिया गया है। व्यय की गई कुल राशि टिप्पणी संख्या 30 में दर्शाई गई है।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
i)	गत तीन वर्षों में निगम का औसत निवल लाभ	80.51	(1,047.84)
ii)	निर्धारित सीएसआर व्यय (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन उपरोक्त का 2 प्रतिशत)	1.61	लागू नहीं
iii)	वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि जैसा कि नीचे दी गई है	6.00	-
iv)	खर्च न की गई राशि (ii - iii)	-	-

वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	पहले की प्रदत्त		अभी अदायगी की जानी है		कुल	
	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
क) कोई परिसंपत्ति का निर्माण/अर्जन	-	-	-	-	-	-
ख) उपरोक्त से अन्य प्रयोजनों पर पीएम (i) शिक्षा को बढ़ावा देना	6.00	-	-	-	6.00	-
कुल	6.00	-	-	-	6.00	-

34.36 कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006 के लेखाकरण मानक-18 'संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण' के अनुसार, प्रबंधन द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष के दौरान कोई संबंधित पक्षकार लेनदेन नहीं किया गया है। प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	पद	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
i)	श्री संजय बंगा ¹	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	44.40	17.96
ii)	श्री प्रदीप कुमार चंद ²	निदेशक (वित्त)	22.08	-
iii)	श्री अजय कुमार शर्मा	कंपनी सचिव	21.04	17.96

¹12 अक्टूबर, 2021 से सी एवं एमडी के रूप में नियुक्त किया गया।

²25 अगस्त 2022 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को भी प्रति माह रु. 2000/- के भुगतान पर 1000 किलोमीटर तक की गैर-ड्यूटी यात्रा के लिए कंपनी के वाहन का उपयोग करने की अनुमति है।

34.37 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक-20 के अनुसार कंपनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2023 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष
क)	वर्ष के लिए करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	9,529.14	4,020.06
ख)	घटाएं: असाधारण/अपवादात्मक मदें (लाख रुपये)	8,174.58	-
ग)	घटाएं: गैर-संचयी अधिमानी शेयरों पर लाभांश (लाख रुपये)	3.55	3.55
घ)	इक्विटी शेयर धारकों के संबंध में करोपरांत निवल लाभ (लाख रुपये)	1,351.01	4,016.51
ङ)	वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	45,59,749	45,59,749
च)	इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (रुपये)	1,000.00	1,000.00
छ)	प्रति शेयर मूल आय (रुपये)	29.63	88.09
ज)	प्रति शेयर तनुकृत आय (रुपये)	29.63	88.09

34.38 जहां भी आवश्यक हुआ गत वर्षों के आंकड़ों को विभाजित और पुनर्समूहित किया गया है, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप रखा जा सके।

कृते महलवाला एंड कं.

सनदी लेखाकार

आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 005823एन

ह/-

(सीए राकेश देव)

पार्टनर

सदस्यता सं. 084662

तिथि: 30-06-2023

स्थान: नई दिल्ली

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह/-

(संजय बंगा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डिन नं. 09353339

ह/-

(अजय कुमार शर्मा)

कंपनी सचिव

ह/-

(प्रदीप कुमार चंद)

निदेशक (वित्त)

डिन नं. 09711963

ह/-

(अरविन्द उपाध्याय)

वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त)



कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ए.जी.सी.आर. भवन, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110 002



OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT,
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE,
NEW DELHI-110 002

संख्या: एएमजी-III/2(27)/वार्षिक लेखे/
सीसीआई(2022-23)/(2023-24)/265-266
दिनांक: 19 SEP 2023

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
कोर - 5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अग्रेषित है।

भवदीया,

रुद्रा.ए.पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिका तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के अधीन, अधिनियम की 143(10) धारा के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणिकाओं के मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा तैयार दिनांक 22 अगस्त, 2023 की संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, जो उनकी पूर्व की लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 30 जून, 2023 का स्थान लेती है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक ही सीमित है। यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे चार लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा संशोधित की गई है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामले पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे संज्ञान में आये और जो मेरे विचार से वित्तीय विवरणिकाओं और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ बनाने के लिए आवश्यक हैं।

क. लाभप्रदता पर टिप्पणी

क.1 देनदारियां

अन्य चालू देनदारियां (टिप्पणी संख्या 09) 77.58 करोड़ रुपये

उपरोक्त में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को देय राशि 6.44 करोड़ रुपये सम्मिलित नहीं है।

भारतीय सीमेंट निगम (सीसीआई) और सेल ने दानेदार स्लैग की बिक्री के लिए करार (जून, 1991) किया था। सीसीआई ने सेल को भुगतान करने में अनियमितता बरती और इसकी निवल परिसंपत्ति में गिरावट के कारण इसे बीमार औद्योगिक कंपनी घोषित कर दिया गया तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) के लिए बोर्ड को भेज दिया गया। बीआईएफआर ने पुनरुद्धार योजना (21 मार्च, 2006) स्वीकृत की जिसमें सेल को सीसीआई की देनदारी 4.42 करोड़ बताई गई थी। इसके उपरांत, ब्याज भुगतान के संबंध में पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और मामला मध्यस्थता के लिए स्थायी प्रशासनप के समक्ष चला गया (जून, 2011)। मध्यस्थ ने निर्णय (अप्रैल, 2013) दिया सीसीआई बिना किसी ब्याज के सेल को मात्र 181.23 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इस निर्णय से क्षुब्ध होकर सेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामला मध्यस्थ अधिकरण (न्यायालय द्वारा नियुक्त) को भेज दिया (फरवरी, 2017)। मध्यस्थ अधिकरण ने (17 मई, 2018) 31 दिसंबर, 2008 से निर्णय दिये जाने की तिथि तक 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 442.06 लाख रुपये और यदि तीन मास की अवधि में इसका भुगतान नहीं किया गया है तो निर्णय की तिथि से निर्णयानुसार राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य में ब्याज के साथ का निर्णय दिया। सीसीआई ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जिसे खारिज कर दिया गया और मध्यस्थ अधिकरण ने निर्णय को बरकरार रखा गया (16 अक्टूबर, 2018)। सीसीआई ने 16 अक्टूबर, 2018 के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की और कहा कि स्वीकृत एससीएमई के संदर्भ में, सेल के प्रति सीसीआई की देनदारी 44.06 लाख रुपये निर्धारित की गई थी और सेल को कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं थी। सीसीआई ने अपील में यह भी



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

कहा कि वह छह सप्ताह की अवधि में सेल को 442.06 लाख का भुगतान करने को तैयार है। दिल्ली उच्च न्यायालय, जिसने अपील को खारिज कर दिया, ने सेल को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सीसीआई के प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया (4 जुलाई, 2022) और यह भी निर्देश दिया कि यदि सेल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, तो सीसीआई को उसके बाद छह सप्ताह अवधि में 442.06 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। सीसीआई प्रबंधन ने कहा है कि उसे इस अधिकारी पर सेल से आज तक कोई जवाबधृप्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस बीच, सीसीआई ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका भी दायर की, जिसे 14 दिसंबर, 2022 को खारिज कर दिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा सीसीआई की अपीलों को खारिज करने और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गई समयसीमा के भीतर सेल द्वारा सीसीआई की पेशकश का जवाब न देने के आलोक में, सीसीआई को मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय (17 मई, 2018) के अनुरूप सेल को 8.25 करोड़ रुपये (निर्णय की मूल राशि: 4.42 करोड़ रुपये और 31.03.2023 तक ब्याज: 3.83 करोड़ रुपये) की देनदारी का प्रावधान करना चाहिए था। हालाँकि, इसके सीसीआई ने अपनी बहियों में इसके सापेक्ष मात्र 1.81 करोड़ रुपये की देनदारी का प्रावधान किया है।

6.44 करोड़ रुपये (8.25 करोड़ में से 1.81 करोड़ रुपये घटाकर) की अतिरिक्त देनदारी के लिए प्रावधान न किये जाने के कारण अन्य चालू देनदारियों में 6.44 करोड़ रुपये का कम उल्लेख हुआ है और लाभ में इतनी ही राशि का उल्लेख हुआ है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और लेखापरीक्षक

(एस. अहलादिनी पांडा)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 19.09.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणिकाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रत्युत्तर

इसका संक्षिप्त तथ्य यह है कि स्टील आथेरिटी ऑफ इंडिया (सेल) ने दिनांक 26.6.1991 को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआई) के साथ 10 वर्षों की अवधि के लिए दानेदार स्लैग की बिक्री के लिए दीर्घावधिक करार किया गया। हालाँकि, सीसीआई निश्चित भुगतान करने में विफल रहा। वित्तीय संकट के कारण सीसीआई को केस संख्या 501ध1996 में बीआईएफआर को भेजा गया था। बीआईएफआर कोर्ट द्वारा दिनांक 21.3.2006 को बीमारु औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (संक्षेप में एसआईसीए) के अंतर्गत पुनरुद्धार की स्वीकृत योजना (एसएस) अनुमोदित की गई थी। सेल को एसएस में पक्षकार बनाया गया था और उसे योजना में 'अप्रत्याभूत लेनदार' के रूप में स्थान दिया गया था। अनुमोदित योजना के खंड 7.1 में कहा गया है कि अप्रत्याभूत लेनदार का देय का निपटान उनके बकाया मूलधन पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बीआईएफआर न्यायालय निर्देश देती हैं कि अप्रत्याभूत लेनदारों के देयों का भुगतान करते समय, अप्रत्याभूत लेनदारों के बीच कोई भेदभाव न किया जाए ताकि समान स्थिति वाले लेनदारों को समान समाधान मिले यानी उनके बकाया मूलधन का भुगतान हो।

हालाँकि, एसएस के अनुबंध -12 में सेल की देनदारियों की गलत गणना की गई और उसे 4.42 करोड़ रुपये बताया गया, जिसमें अप्रत्याभूत लेनदारों को ब्याज भुगतान की स्पष्ट छूट के बावजूद 2.60 करोड़ रुपये के ब्याज के साथ 1.82 रुपये का मूलधन शामिल है। सीसीआई ने बहियों में 1.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

दिनांक 11.6.2011 को बीआईएफआर द्वारा योजना का अनुमोदन दिये जाने के उपरांत सेल ने स्थायी मध्यस्थता प्रशासन (पीएमए) के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही आरंभ करने का अनुरोध किया। सेल द्वारा दायर दावे की विवरणिका दिनांक 31.3.1996 से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 3.66 करोड़ रुपये थी।

दिनांक 17.4.2013 को, यह मानते हुए अंतिम निर्णय पास किया गया कि सीसीआई इस तथ्य के देखते हुए बिना किसी ब्याज के मात्र 1.81 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है कि कंपनी को 'बीमारु कंपनी' घोषित किया गया है जो कि लेनदारों के बकाया के निपटान पर स्वीकृत योजना के खंड 7.1. के अनुरूप है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर, सेल ने उच्च न्यायालय में 2013 की रिट याचिका संख्या 6228 दायर की और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2017 को यह मामला नामित एकल मध्यस्थ के पास भेजा गया। दिनांक 17.5.2018 को उक्त मध्यस्थ अधिकरण ने दिनांक 31.12.2008 से निर्णय की तारीख तक 3 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ 4.42 करोड़ रुपये (एसएस में अनुबंध -12 में क्रम संख्या 4 पर सहमत राशि) का निर्णय सुनाया। यदि निर्णय की तिथि से तीन मास की अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो निर्णय की तारीख से निर्णयानुसार राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा।

उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, सीसीआई ने दिनांक 22.12.2021 को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील की और माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 4.7.2022 को सेल को निर्देश दिया गया कि वह विवाद का अंतिम निर्णय करने के लिए सीसीआई द्वारा दिए गए 4.42 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर विचार करे। सेल 3 सप्ताह की अवधि के भीतर सीसीआई को अपने निर्णय की सूचना देगा और यदि सेल उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो सीसीआई उसके बाद 6 सप्ताह की अवधि के भीतर 4.42 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देश के परिणामस्वरूप, सेल ने 3 सप्ताह की निर्धारित अवधि के भीतर अपने निर्णय से अवगत नहीं कराया ताकि सीसीआई न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन कर सके।

उपरोक्त तथ्यों और मामलों की परिस्थितियों पर तथा सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा करते हुए हाल ही में बीमारु औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 ('एसआईसीए') शासन के अंतर्गत अप्रत्याभूत लेनदारों से संबंधित लंबे समय से चले आ रहे प्रश्न का निपटारा किया गया। शीर्ष अदालत ने कॉन्टिनेंटल कार्बन इंडिया लिमिटेड बनाम मोदी रबर लिमिटेड 1 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2011 का निर्णय खारिज कर दिया जिसमें उच्च न्यायालय ने माना था कि अप्रत्याभूत लेनदार के पास एसआईसीए के अंतर्गत स्वीकृत योजना के अंतर्गत अपने बकाया के कम किए गए मूल्य को स्वीकार नहीं करने का विकल्प था और कंपनी ऐसी योजना के शर्तों के अनुसार पुनरुद्धार होने के उपरांत अपने ऋण की वसूली के लिए कार्यवाही आरंभ कर सकती थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत योजना अनिवार्य रूप से सभी को बाध्य करनी चाहिए अन्यथा यह व्यावहारिक नहीं होगी और एसआईसीए का अभिप्राय और उद्देश्य विफल हो जाएगा। न्यायालय ने पाया कि एसआईसीए की धारा 18(8)

विशेष रूप से स्वीकृत योजना को "लेनदारों" के लिए बाध्यकारी बनाती है और इस प्रकार, विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी कोई भी व्याख्या जो किसी भी वर्ग के व्यक्तियों को स्वीकृत योजना के दायरे से बाहर निकलने की अनुमति देती है, योजना को अव्यवहारिक बना देगी। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि पुनरुद्धार के प्रयास सफल हों, अप्रत्याभूत ऋणदाताओं सहित सभी संबंधित पक्षकारों द्वारा कुछ त्याग करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कि डिक्री धारकों/मध्यस्थता अधिनिर्णय धारकों/औद्योगिक अधिनिर्णय धारकों सहित कोई भी लेनदार अपने दावों की सर्वोच्च प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता है, विशेषकर जब धारा 19 (1) में उल्लिखित निर्धारित संस्थाओं को बीमारु कंपनियों, अन्य लेनदारों को पुनर्जीवित करने में सहायता करने के लिए गंभीर कटौती करने की आवश्यकता हो। डिक्री धारकों/मध्यस्थता अधिनिर्णय धारकों/औद्योगिक अधिनिर्णय धारकों सहित अन्य लेनदार बेहतर अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने माना कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहकर गलती की कि अप्रत्याभूत ऋणदाताओं के पास अपने बकाया के मूल्य में कमी को स्वीकार नहीं करने और तब तक प्रतीक्षा करने का विकल्प है जब तक कि बीमारु कंपनी की पुनरुद्धार योजना ऐसे पुनरुद्धार के उपरांत रुचि के साथ काम नहीं कर लेती।

चूंकि कानूनों के प्रश्न की विधिक स्थिति माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भली भांति तय की गई है, इस प्रकार उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, सीसीआई अनुमोदित योजना में यथा विनिश्चित राशि से अधिक भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है और पक्षकारों द्वारा स्वीकृत योजना के उपरांत ऐसी मुकदमेबाजी प्रवर्तनीय नहीं है।

लेखांकन मानक (एएस) 29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां उपबंध करती हैं:—

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जानी चाहिए जब: (क) किसी उद्यम पर पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होय (ख) यह संभवना हो कि दायित्व का निपटारा करने में आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी और (ग) दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है।

यदि ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।


जब वित्तीय विवरणिकाएं अनुमोदित की गई थीं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, तब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व नहीं है। इस प्रकार लेखांकन मानक 29 के अनुपालन के आलोक में यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं है ('वर्तमान दायित्व' की परिभाषा और अनुच्छेद 15 देखें)। मामले का आकस्मिक देनदारी (3.85 करोड़ रुपये) के रूप में प्रकटन किया गया है, जब तक कि किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूर दूर तक न मानी जाए।

हमारे कर्मचारी—हमारी सबसे बड़ी परिसंपत्ति

एक प्रतिस्पर्धी बाजार में, प्रतिभा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अस्तित्व के पिछले गौरवशाली 58 वर्षों में, कंपनी ने लगातार कर्मचारियों के विकास और प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया है, जो एक उत्पादक और व्यस्त कार्यबल और वातावरण बनाने के लिए इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है।

सीसीआई के पास एक कुशल और प्रेरित कार्यबल है, जो वर्षों से सीसीआई की यात्रा के पीछे प्रेरणा शक्ति हैं। पिछले वर्षों की तुलना में जनशक्ति की ताकत में उल्लेखनीय कमी के बावजूद, कंपनी की लाभप्रदता में वृद्धि हुई है। सीसीआई कर्मचारियों के मूल्य प्रस्ताव के अनुकूल होने और कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए मानव संसाधन नीतियों को लगातार पुनः मान्य और नवीनीकृत कर रहा है। मजबूत कंपनी संस्कृति और मूल्य प्रणाली ने कर्मचारियों और निगम के समग्र व्यवसाय दोनों को आकार दिया है। वे संगठन के दिल की धड़कन बनाते हैं, प्रदर्शन को चलाते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और अतुलनीय उपलब्धि को आगे बढ़ाते हैं। कर्मचारी अपने काम के लिए हितधारक हैं और उनके द्वारा किए गए हर प्रयास कंपनी की लाभप्रदता को जोड़ते हैं।

हमारे कर्मचारी हमारे संगठन की रीढ़ हैं। सीसीआई का मानना है कि लोगों में मूल्यांकन और निवेश करने से सफलता, सकारात्मक लाभ,



उत्पादकता और वफादारी में वृद्धि होती है। निगम ने ज्ञान साझा करने के सत्रों की संस्कृति को बढ़ावा देकर कर्मचारियों के बीच रचनात्मकता, नवाचार और क्रॉस फंक्शनल लर्निंग को बढ़ावा दिया है। सीसीआई अंतर इकाई और अंतर-विभागीय तालमेल के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्चुअल रूप से ज्ञान साझा करण सत्र आयोजित करता है, ताकि बेहतर अनुसंधान के लिए संगठन में हर कार्य किया जा सके, जिसकी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जाती है ताकि सभी स्तरों पर कौशल हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। कर्मचारियों के साथ बातचीत करने के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बार-बार संयंत्र के दौरे ने कर्मचारियों की गति विकसित की है, इस प्रकार जुड़ाव को प्रोत्साहित किया है। सीसीआई ने यह सुनिश्चित

किया है कि एक संलग्न कार्यबल बनाने के लिए, प्रतिभा प्रबंधन, संचार रणनीति, कार्यबल योजना, कर्मचारी मान्यता और सहभागी प्रबंधन जैसे कर्मचारी जुड़ाव के प्रमुख चालक हैं।

निगम ने मानव संसाधन के माध्यम से उत्कृष्टता के अपने वर्तमान स्तर को प्राप्त किया है, जिसका मूल्यांकन तकनीकी और व्यावसायिक रूप से योग्य डिग्री / डिप्लोमा धारकों और प्रबंधन स्नातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल कर्मचारी संख्या के लगभग 66.8: के रूप में जनशक्ति शक्ति पेशे की मौजूदा प्रोफाइल के माध्यम से किया जा सकता है। कुल कर्मचारी संख्या 25~50 वर्ष की आयु वर्ग में संभावित रूप से 54.9% की गिरावट से तीव्र उत्पादकता को अच्छी तरह से समझा जा सकता है

क्र.सं.	विवरण	कर्मचारियों की संख्या	
		पेशेवर प्रोफाइल	
		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
1	पीएचडी धारक	1	1
2	स्नातकोत्तर अभियंता	1	1
3	स्नातक अभियंता	73	68
4	एमबीए	24	23
5	पेशेवर डिप्लोमा धारक	15	15
6	स्नातकोत्तर	22	19
7	सीए / आईसीडब्ल्यूए / एसएसएस / एसीएस	8	7
8	इंजीनियर डिप्लोमा धारक	42	38
9	स्नातक	52	47
10	आईटीआई प्रमाणपत्र धारक	91	86
11	अन्य	85	81
	योग	414	386

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों का आयु वर्ग और श्रेणी-वार वितरण

पंक्तिबद्ध सूचक	<30	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-60	Grand Total	Average Age
कार्यपालक अधिकारी	0	10	28	15	9	15	36	113	47
पर्यवेक्षक	2	21	11	5		7	46	92	48
कर्मकार	13	21	42	29	6	18	52	181	44
कुल योग	15	52	81	49	15	40	134	386	46

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड														
समूह	अजा/अनुजा/अपिव का प्रतिनिधित्व				कैलेंडर वर्ष (नियमित) के दौरान की गई नियुक्तियां									
	(दिनांक 01/01/2023 तक)				सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतियुक्ति/समावेशन द्वारा		
	कुल कर्मचारी	अजा	अनुजा	अपिव	कुल	अजा	अनुजा	अपिव	कुल	अजा	अनुजा	कुल	अजा	अनुजा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
समूह क-टीओटी	117	14	2	24	0	0	0	0	37	1	0	0	0	0
समूह ख-टीओटी	95	12	7	20	0	0	0	0	21	3	1	0	0	0
समूह ग-टीओटी	163	30	21	46	0	0	0	0	22	0	5	0	0	0
समूह घ-टीओटी	18	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	393	59	33	96	0	0	0	0	80	4	6	0	0	0

यूनिट का नाम		सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड																	
01/01/2023 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की शक्ति		01/01/2023 की स्थिति के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की समूह-वार शक्ति																	
समूह	कर्मचारी की संख्या	सीधी भर्ती (कैलेंडर वर्ष के दौरान)												पदोन्नति					
		(दिनांक 01/01/2023 तक)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या				रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)				आरक्षित रिक्तियों की संख्या		रिक्तियों की संख्या (नियुक्त)			
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	
समूह क	117	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समूह ख	95	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समूह ग	163	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समूह घ	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
योग	393	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

नोट: वीएच का अर्थ है दृष्टिहीन विकलांग (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति)

iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (चलने में अक्षमता या सरेब्रेल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)



आईबीएम के तत्वावधान में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 12वें एमईएमसी सप्ताह समारोह में बोकाजन इकाई की दिल्ली पर्वत चूना पत्थर खदान को पांच पुरस्कार प्राप्त हुए।



आईबीएम देहरादून के तत्वावधान में उत्तरी क्षेत्र की 32वीं एमईएमसी में राजबन इकाई की मनाल चूना पत्थर खदान को पांच पुरस्कार प्राप्त हुए।



हमारी यूनिट की प्रमुख विशेषताएं:

मंधार (जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़)

यह निगम की पहली इकाई है, जिसमें जुलाई, 1970 में उत्पादन आरंभ हुआ, इस इकाई में उत्पादन के लिए गीली प्रक्रिया अपनाई गई और नवम्बर 1978 से स्लैग सीमेंट का उत्पादन शुरू करने के लिए इसका विस्तार किया गया। इस इकाई में स्लैग की मांग भिलाई स्टील संयंत्र से पूरी की जाती है।

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	3.80	3.80	3.80
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(131)	(103)	(129)

इकाई के अलाभकारी हो जाने के कारण इसमें उत्पादन बंद पड़ा हुआ है।

कुरकुंटा (जिला-गुलबर्ग, कर्नाटक)

यह गीली प्रक्रिया से सीमेंट का उत्पादन करने की निगम की दूसरी इकाई है, जहां वर्ष 1972 से उत्पादन आरंभ हुआ।

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(157)	(109)	(166)

बोकाजन (जिला-कारबी अंगलोंग, असम)

यह इकाई असम के कारबी अंगलोंग जिले के दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, जिसकी स्थापना महज केवल सामान्य आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर ही नहीं की गई अपितु आसपास के क्षेत्रों को सीमेंट उपलब्ध कराने के सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भी की गई थी। इस इकाई में दुर्गम क्षेत्र से गुजरने वाले 18 किलोमीटर लम्बे रोपवे से चूना-पत्थर लाया जाता है। इस इकाई में 1 अप्रैल, 1977 से उत्पादन आरंभ हुआ।

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.98	1.98	1.98
उत्पादन (लाख टन में)	1.30	1.08	1.04
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	8671	7234	5914
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	431	(184)	(668)

राजबन (जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश)

यह निगम की पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्र में स्थित दूसरी इकाई है। सामान्य आवागमन कठिन होने के अलावा इस इकाई में बड़े पैमाने पर सामग्री के आंतरिक आवागमन और तैयार उत्पाद की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती है चूंकि इस इकाई के निकट कोई रेल सम्पर्क नहीं है। इस फैक्ट्री के पूरे उत्पादन का वितरण सड़क मार्ग द्वारा ही किया जाता है। पहाड़ों में स्थित खदानों से 9 किलोमीटर लम्बे रोप-वे के माध्यम से चूना पत्थर यहां लाया जाता है। इस इकाई में अप्रैल, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन किया जा रहा है।

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	2.48	2.48	2.48
उत्पादन (लाख टन में)	1.57	1.30	1.48
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	9145	7485	6514
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	605	(262)	(2342)

नयागांव (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश)

4 लाख टन की वार्षिक संस्थापित क्षमता वाली इस इकाई में 1 मार्च, 1982 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(195)	(163)	(186)

स्थल विभाजन अर्थात् नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली तथा भटिंडा में क्लिंकर की ग्राइंडिंग की अवधारण के साथ इस इकाई की उत्पादन क्षमता और 10 लाख टन बढ़ा कर परियोजना का विस्तार किया गया। नयागांव में क्लिंकर स्टेशन और दिल्ली में ग्राइंडिंग इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.05.1990 से आरंभ हुआ।

नयागांव एक्स. जिसमें डीजीयू और बीजीयू शामिल हैं

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	5.00	5.00	5.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(89)	(81)	(92)

अकलतरा (जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़)

इस इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 1981 से आरंभ हुआ।

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	4896	125	(64)

एमएचआई के निर्देशों के अनुसार, प्लांट और मशीनरी और अन्य संपत्तियां वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बेची गईं।

चरखी दादरी (जिला-भिवानी, हरियाणा)

यह भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत एक रुग्ण इकाई थी और जून, 1981 में इसे सीसीआई के नियंत्रणाधीन किया गया। अल्पावधि के भीतर पुनरुद्धार के उपरांत इकाई में सीमेंट की ग्राइंडिंग का कार्य सितम्बर, 1981 में आरंभ हुआ गया और तत्पश्चात क्लिंकर का उत्पादन आरंभ हुआ। दो स्ट्रीम में से केवल एक ही स्ट्रीम इस लायक थी, जिसका पुनरुद्धार किया जा सका।

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	1.74	1.74	1.74
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	3017	(102)	(153)

एमएचआई के निर्देशों के अनुसार, प्लांट और मशीनरी और अन्य संपत्तियां वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बेची गईं।

आदिलाबाद (जिला-आदिलाबाद, तेलंगाना)


इस इकाई में अप्रैल, 1984 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	4.00	4.00	4.00
उत्पादन (लाख टन में)			
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)			
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	(256)	(245)	(240)

तांदूर (जिला-के.वी. रंगारेड्डी, तेलंगाना)

इस इकाई में 1 जुलाई, 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हुआ।

	2022-23	2021-22	2020-21
संस्थापित क्षमता (लाख टन में)	10.00	10.00	10.00
उत्पादन (लाख टन में)	5.82	6.34	6.41
उत्पादन का मूल्य (लाख रुपये में)	26925	29343	26827
लाभ / (हानि) (लाख रुपये में)	1408	5144	5355



इकाइयों में विश्वकर्मा पूजा का उत्सव



इकाइयों में विशकर्मा पूजा का उत्सव

Vision

To Emerge as Sustainable
Cement Company

Vision

Committed to Contribute to
the Economy

Vision

To enhance value for the
stakeholders

Mission

To augment the Wealth
Creation for the Company

Mission

Inspiring Employee in
delivering an Improved
Product and

Mission

To aim for diversification in
related fields



Aggarwal Printing & Trading 9810118199



Registered & Corporate Office
Cement Corporation of India Ltd.
CORE-5, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110003
CIN No. : U74899DL1965GOI1004322
GST No. 07AAACC0949B3Z4
e-Mail: mktg_co@ccilttd.in

Cement Manufacturing Units

Bokajan Cement Plant
Disstt.- Karbi Anglong
State-Assam
e-Mail: mktg_bko@ccilttd.in

Rajban Cement Plant
Distt.- Sirmaur
State- Himachal Pradesh
e-Mail: mktg_rjo@ccilttd.in

Tandur Cement Plant
Distt.- K.V. Rangareddy
State- Telangana
e-Mail: mktg_tdo@ccilttd.in

Regional Offices & Dumps

Dehradun | Hyderabad | Gulbarga | Sholapur | Bijapur | Gulbarga | Bengaluru | Hubli | Yadgir | Raichur | Koppal | Panchkula | Yamuna Nagar | Herbetpur | Rishikesh | Haridwar | Roorkee | Saharanpur

Email id for Centralised bulk order : mktgorders@ccilttd.in